



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	iii
	कार्यकारी सारांश	v-xii
अध्याय I : सामान्य		
1.1	इस प्रतिवेदन के बारे में	1
1.2	लेखापरीक्षा अधिदेश	1
1.3	इस प्रतिवेदन का कवरेज	1
1.4	लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पीएसयू/ सरकार की प्रतिक्रिया	2
अध्याय II : मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम		
2.1	प्रस्तावना	6
2.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	6
2.3	लेखापरीक्षा मानदंड	6
2.4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली	7
2.5	एडीबी परियोजनाओं का वित्तपोषण एवं योजना	7
2.6	डिज़ाइन	14
2.7	प्राक्कलन	16
2.8	निविदा	17
2.9	क्रियान्वयन	19
2.10	गुणवत्ता का आश्वासन	34
2.11	निष्कर्ष	38
2.12	अनुशंसाये	39
अध्याय III : मध्य प्रदेश वित्त निगम		
3.1	प्रस्तावना	41
3.2	संगठनात्मक व्यवस्था	42
3.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	42
3.4	लेखापरीक्षा मानदंड	43
3.5	लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति	43
3.6	ऋणों की स्वीकृति और संवितरण में कमियाँ	43
3.7	ऋणों की वसूली प्रक्रिया में कमियाँ	50
3.8	निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा/नियंत्रण में कमियाँ	55

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
3.9	निष्कर्ष	56
3.10	अनुशंसाये	57
अध्याय IV : मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड		
4.1	प्रस्तावना	59
4.2	कंपनी की संगठनात्मक संरचना	60
4.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	60
4.4	लेखापरीक्षा मानदंड	60
4.5	लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति	61
4.6	संचालन निष्पादन एवं संधारण गतिविधियाँ	61
4.7	संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर विद्युत गृह III (500 मेगावाट)	62
4.8	सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सारनी विद्युत गृह IV (2x250 मेगावाट)	70
4.9	अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चचई विद्युत गृह (210 मेगावाट)	73
4.10	अनुरक्षण नियोजन प्रकोष्ठ की अप्रभावी कार्यप्रणाली	77
4.11	तीनो विद्युत गृहों में अनुबंध प्रबंधन	77
4.12	ताप विद्युत गृहों द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन	83
4.13	निष्कर्ष	85
4.14	अनुशंसाये	86
अध्याय V : मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
5.1	प्रस्तावना	87
5.2	संगठनात्मक संरचना	88
5.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	88
5.4	लेखापरीक्षा मानदंड	88
5.5	लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति	88
5.6	पारेषण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण	89
5.7	पारेषण प्रणाली और क्षमता	90
5.8	कंपनी और उसके उपभोक्ताओं के इंटरफेस पर पारेषण नेटवर्क में निरंतर अंतराल	91
5.9	परियोजना नियोजन	92
5.10	क्रय प्रबंधन	95
5.11	टर्मकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन	98
5.12	निष्कर्ष	104
5.13	अनुशंसाये	104
परिशिष्ट		107-153

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित है। लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित की गयी है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2021-22 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2021-22 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

I सामान्य

• इस प्रतिवेदन के बारे में

31 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश राज्य में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), भोपाल के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 65 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में तीन समूहों के अंतर्गत आने वाले तीन विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन की समीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामले सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं "एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग के अंतर्गत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सड़कों का निर्माण", "मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम द्वारा ऋणों की मंजूरी और वसूली तथा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन", "मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विद्युत गृहों का संचालन और रखरखाव" एवं "मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइनों और सब-स्टेशनों का निर्माण" शामिल हैं। प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल मूल्य ₹ 1,876.32 करोड़ है।

(कंडिकाएं 1.1 एवं 1.3)

• पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालयों के प्रमुख और उनके रिपोर्टिंग प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि. प्र.) में निहित आपत्तियों का उत्तर देना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 तक पिछले वर्षों से संबंधित 2,502 कंडिकाओं वाले कुल 409 निरीक्षण प्रतिवेदन निपटान के लिए लंबित थे। इनमें से पीएसयू के 168 निरीक्षण प्रतिवेदन के 1,168 कंडिकाओं के संबंध में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं।

(कंडिका 1.4.1)

• लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

31 मार्च 2022 तक इस कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा किए गए पीएसयू पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल 49 निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) और 246 कंडिकाओं में से 10 कंडिकाओं के व्याख्यात्मक नोट्स (ईएन) प्रतिक्षित थे। पीएसयू से संबंधित 49 पीए और 246 कंडिकाओं में से 48 पीए और 240 कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की गई है।

(कंडिकाएं 1.4.2 एवं 1.4.3)

• कोपू के प्रतिवेदन का अनुपालन

31 मार्च 2022 तक पीएसयू पर 45 कोपू प्रतिवेदन से संबंधित 258 अनुशंसाओं के संबंध में 12 विभागों से संबंधित कार्यवाही प्रतिवेदन (एटीएन) प्राप्त नहीं हुए थे।

(कंडिका 1.4.4)

II मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.स.वि.नि.लि.)

"एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग के अंतर्गत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा सड़कों का निर्माण"

- **चयन मानदंडों का उल्लंघन कर एडीबी V परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य राजमार्गों का अनियमित समावेश**

मध्य प्रदेश जिला सड़क-II सेक्टर परियोजना के परियोजना प्रशासनिक नियमावली (एडीबीV) के अनुलग्नक-5 की कंडिका 2 के अनुसार, परियोजना के तहत सड़क वित्तपोषण के लिए पात्र होगी, यदि वह मौजूदा प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर) या अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) में सुधार करती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता वाले 82 पात्र एमडीआर होने के बावजूद, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने एडीबी फंडिंग मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए इस एडीबी V परियोजना के अंतर्गत 11 अयोग्य राज्य राजमार्गों को शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 652.21 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 2.5.2)

- **डॉवेल बार के अवांछित मद के निष्पादन के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार**

आईआरसी: 58-2015 के अनुच्छेद 6.2.5 के अनुसार 450 कमर्शियल वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी) से कम यातायात के लिए डॉवेल बार की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए 18 पैकेजों में से छह पैकेजों में डॉवेल बार का क्रियान्वयन अनुचित था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.6.1)

- **पीक्यूसी और डीएलसी की मद के क्रियान्वयन में फ्लाइंग ऐश को शामिल न करने के कारण अतिरिक्त लागत**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना (जनवरी 2016) के अनुसार थर्मल पावर प्लांट के 300 किमी के दायरे में पीक्यूसी और डीएलसी के निर्माण में फ्लाइंग ऐश का उपयोग करना अनिवार्य है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एडीबी V के 10 पैकेजों में, म.प्र.स.वि.नि. ने डीपीआर में पीक्यूसी और डीएलसी की मदों में फ्लाइंग ऐश के अनिवार्य प्रावधान को शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप फ्लाइंग ऐश के बिना पीक्यूसी और डीएलसी के क्रियान्वयन में ₹ 18.06 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 2.9.2)

- **विलंब के लिए शास्ति न लगाए जाने से ठेकेदारों को अनुचित लाभ**

अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 8.7 के अनुसार यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण होने के निर्धारित समय का पालन करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार को इसके लिए प्रतिदिन अनुबंध मूल्य के 1/20 प्रतिशत की दर से अधिकतम अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एडीबी V के 14 नमूना-जांचित पैकेजों में से पांच पैकेजों में ठेकेदार निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे। इसलिए, ₹ 30.11 करोड़ की शास्ति लगाया और ठेकेदारों के अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र(आईपीसी) से कटौती की जाना आवश्यक था, हालांकि म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा कोई शास्ति नहीं वसूली गई (दिसंबर 2022)।

(कंडिका 2.9.9)

- **ठेकेदारों को बढ़ा हुआ भुगतान**

अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 12.2 और धारा 7 (टीओआर) के अनुच्छेद एफ के अनुसार, अनुबंध में अन्यथा बताए गए को छोड़कर और स्थानीय प्रक्रियाओं के बावजूद, माप पुस्तिका (एमबी) में स्थायी कार्यों के प्रत्येक मद की शुद्ध वास्तविक मात्रा का माप किया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एडीबी V के अंतर्गत निष्पादित की जा रही 14 नमूना-जांच परियोजनाओं में से पांच परियोजनाओं के आईपीसी में, परियोजनाओं में निष्पादित विभिन्न मदों के विरुद्ध नकारात्मक माप दर्ज किया गया। इसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि धोखाधड़ी प्रक्रिया के स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद, सीएससी के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। इस प्रकार 28 मदों के निष्पादन में ₹ 10.20 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(कंडिका 2.9.14)

- **निर्धारित अवधि के अतिरिक्त कंसल्टेंसी सेवाओं की तैनाती के कारण राजकोष पर अतिरिक्त देनदारी**

अनुबंध की विशेष शर्त के अनुच्छेद 8.7.1 के अनुसार, यदि ठेकेदार काम पूरा करने के लिए निर्धारित समय या विस्तारित अवधि (विलंबित क्षति के बिना) के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो कार्य पूर्ण होने हेतु निर्धारित समय या विस्तारित अवधि से परे कंसल्टेंट्स पर किए गए खर्च (बिना देरी के क्षति- मूल्य) ऊपर बताए अनुसार लगाए गए विलंब क्षति का ठेकेदार द्वारा नियोजित को भुगतान किया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्माण अनुबंधों के लिए तैनात विभिन्न ठेकेदारों द्वारा काम की खराब प्रगति के कारण म.प्र.स.वि.नि.लि. ने अतिरिक्त 34 माह से 41 माह तक कंसल्टेंसी अनुबंधों को बढ़ा दिया। इस विस्तारित अवधि के दौरान, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए ₹ 39.68 करोड़ का भुगतान किया।

(कंडिका 2.10.1)

III मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम

“मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम द्वारा ऋणों की स्वीकृति एवं वसूली तथा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन”

- **अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना ऋण का वितरण**

ऋण स्वीकृत शर्तों के अनुसार इकाइयों को ऋण वितरण से पहले अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। निगम ने तीन इकाइयों को ऋण के रूप में ₹ 15.20 करोड़ स्वीकृत किए जिन्हें ₹ 3.35 करोड़ की अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की आवश्यकता थी। इसके विरुद्ध, इकाइयों ने केवल ₹ 2.56 करोड़ की अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट की। इसके बावजूद निगम ने इन तीन इकाइयों को फरवरी 2018 से जनवरी 2022 के दौरान ₹ 12.18 करोड़ ऋण का वितरण कर दिया।

(कंडिका 3.6.2.2)

- **अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण का संवितरण**

स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार, ऋण का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिनके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। निगम ने फरवरी 2018 से मार्च 2021 के दौरान पांच इकाइयों को ₹ 16.80 करोड़ का ऋण वितरित किया। यह देखा गया कि इस राशि में से ₹ 1.60 करोड़ को निगम द्वारा इन पांच इकाइयों से संबंधित पुराने बकाया के भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया गया था।

(कंडिका 3.6.2.4)

- **अपेक्षित बिजली कनेक्शनों का न लिया जाना**

ऋण वितरण शर्तों के अनुसार, प्रत्येक इकाई को इकाई के संचालन हेतु आवश्यक बिजली कनेक्शन की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी अन्यथा बिजली कनेक्शन की स्वीकृति तक संवितरण 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। निगम ने जनवरी 2014 से सितम्बर 2020 तक आठ इकाइयों को ₹ 56.05 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया। ऋण स्वीकृत होने के बाद इन इकाइयों को आवश्यक बिजली कनेक्शन नहीं मिला और इस प्रकार, ऋण वितरण ₹ 42.02 करोड़ तक सीमित रहना था, जो स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत था। हालाँकि, निगम ने स्वीकृति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 51.99 करोड़ वितरण किया, जिसके परिणामस्वरूप इन आठ इकाइयों को ₹ 9.97 करोड़ अधिक ऋण वितरित किया गया।

(कंडिका 3.6.3.1)

- **अपेक्षित शेयर पूंजी जुटाने में विफलता**

इकाइयों को स्वीकृति की शर्तों के अनुसार शेयर पूंजी जुटाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, ऋण, जुटाई गई और निवेश की गई पूंजी के अनुपात में जारी किया जाना था। निगम ने जनवरी 2017 से मार्च 2019 के दौरान चार इकाइयों को ₹ 19.80 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया। यह देखा गया कि इन इकाइयों ने आवश्यक ₹ 4.39 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 1.76 करोड़ शेयर पूंजी जुटाई। इस प्रकार, इकाइयाँ ₹ 6.70 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र थीं, लेकिन निगम ने ₹ 18.05 करोड़ का वितरण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.35 करोड़ का अधिक वितरण हुआ।

(कंडिका 3.6.3.2)

- **असुरक्षित ऋण जुटाने/रखने से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करना**

ऋण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार इकाइयों को ब्याज मुक्त गैर-जमानती ऋण जुटाने और निवेश करने की आवश्यकता थी। ऋण को आनुपातिक रूप से जारी किया जाना था और उसे ऋण की अवधि तक बरकरार रखा जाना था। निगम ने दो इकाइयों को ₹ 7.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया और उन्हें ₹ 6.90 करोड़ वितरित किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई ₹ 5.50 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 4.74 करोड़ का असुरक्षित ऋण जुटा सकी। इस प्रकार, इकाइयाँ ₹ 5.93 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र थीं। हालाँकि, निगम ने ₹ 6.90 करोड़ का वितरण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.97 करोड़ का अधिक वितरण हुआ।

(कंडिका 3.6.4.2)

- **एकमुश्त निपटान योजना का खराब कार्यान्वयन**

निगम ने एकमुश्त निपटान योजना अपनाई जिसके तहत उधारकर्ताओं द्वारा निपटान के समय बकाया राशि के एक हिस्से का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की गई। एकमुश्त निपटान लाभार्थियों द्वारा पुनर्भुगतान के लिए सहमत ₹ 168.62 करोड़ की बकाया राशि के विरुद्ध, प्राप्त वास्तविक राशि केवल ₹ 80.98 करोड़ थी। वसूली का प्रतिशत, जो 2019-20 में 48 प्रतिशत था, 2020-21 में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया और उसके बाद 2021-22 में घटकर 29 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, एकमुश्त निपटान योजना के तहत 116 इकाइयों में से 54 इकाइयों ने अपने ऋण खातों का ₹ 28.02 करोड़ का निपटान किया, जबकि 62 इकाइयों पर ₹ 87.64 करोड़ बकाया रहे। एकमुश्त निपटान योजना की शर्तें पूरी न करने पर निगम ने छह इकाइयों की एकमुश्त निपटान योजना निरस्त कर दी।

(कंडिका 3.7.1)

- **आस्तियों का निपटान न होना/ निपटान में विलम्ब**

निगम का अधिकार है कि वह वसूली करने के लिए उन औद्योगिक संस्थानों/ परिसंपत्तियों को जो की निगम के पास गिरवी, बंधक, दृष्टिबंधक या सौंपी गई है, का प्रबंधन संभाल सकता है या कब्जे में ले सकता है या दोनों ही कर सकता है। निगम ने 17 इकाइयों पर कब्जा कर लिया लेकिन इनमें से किसी भी इकाई की संपत्ति का निपटान नहीं किया। 31 मार्च 2022 तक इन 17 इकाइयों पर ₹ 34.75 करोड़ की राशि बकाया थी। इन 17 इकाइयों में से, निगम ने केवल एक इकाई का कब्जा बरकरार रखा और शेष 16 इकाइयों (₹ 33.83 करोड़ की बकाया ऋण राशि के साथ) का कब्जा वापस दे दिया।

(कंडिका 3.7.2)

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन**

वर्ष 2019-20 में निगम के कुल बकाया में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत, 56 प्रतिशत था जो 2021-22 में बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, 'संदिग्ध' ऋण, जो 2019-20 में ₹ 233.73 करोड़ थे, 134 प्रतिशत (ब्याज सहित) बढ़कर 2020-21 में ₹ 546.21 करोड़ हो गए और फिर मार्च 2022 तक बढ़कर ₹ 552.99 करोड़ हो गए। 31 मार्च 2022 तक, 503 विभिन्न इकाइयों में ब्याज सहित निगम की कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ₹ 603.48 करोड़ थी।

(कंडिका 3.7.4)

IV मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

"मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विद्युतगृहों का संचालन एवं संधारण"

- **संयंत्र उपलब्धता कारक (स.उ.का.) से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति न होना**

संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर, विद्युतगृह-III (1x500 मेगावाट) वार्षिक ओवरहाल और मुख्य ओवरहाल के अत्यधिक दबाव एवं योजनाबद्ध कटौती के कारण वर्ष 2019-20 और 2021-22 में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) लक्ष्य (85%) प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 106.57 करोड़ की सीमा तक स्थायी लागत की वसूली कम हुई।

(कंडिका 4.7.2)

- **उच्च सकल स्टेशन ऊष्मा दर (जीएसएचआर)**

संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर विद्युतगृह-III और सतपुडा ताप विद्युत केंद्र, सारनी विद्युतगृह-IV, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2019-20 से 2021-22 तक निर्धारित उच्च सकल स्टेशन ऊष्मा दर मानदंडों को बनाए रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.12 करोड़ मूल्य के 1,16,041.76 मीट्रिक टन कोयले की अतिरिक्त खपत हुई।

(कंडिकाएं 4.7.3 एवं 4.8.3)

- **अतिरिक्त सहायक ऊर्जा की खपत (एपीसी)**

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी के प्रत्येक विद्युतगृह के लिए सहायक खपत मानदंड तय किए हैं। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर विद्युतगृह-III, सतपुडा ताप विद्युत केंद्र, सारनी विद्युतगृह-IV और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चर्चाई वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंदर सहायक ऊर्जा की खपत को प्रतिबंधित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.30 करोड़ मूल्य की 74.78 एमयू विद्युत की अतिरिक्त खपत हुई।

(कंडिकाएं 4.7.5, 4.8.2 एवं 4.9.2)

- **नियमित बॉयलर ट्यूब लीकेज (बीटीएल) के कारण उत्पादन की हानि**

एनटीपीसी द्वारा संयोजित सर्वोत्तम प्रथाओं (2018) में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि बॉयलर ट्यूब की विफलता कोल-फायर्ड इकाइयों में कुल फोरस्ट आउटेज का एक बड़ा हिस्सा होती है तथा निवारक रखरखाव के तरीकों की अनुशांसा करती है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर विद्युतगृह-III और सतपुडा ताप विद्युत केंद्र, सारनी विद्युतगृह-IV इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप बीटीएल के कारण इन संयंत्रों में क्रमशः 13 बार और 18 बार ट्रिपिंग हुई। इस प्रकार, विद्युतगृहों को ₹ 106.19 करोड़ मूल्य की 538.77 एमयू की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिकाएं 4.7.6 एवं 4.8.4)

- **मुख्य ओवरहालिंग**

संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, विद्युतगृह-III को मूल उपकरण निर्माता अर्थात भेल के माध्यम से मुख्य ओवरहालिंग के लिए निर्धारित 40 दिनों के विरुद्ध 61 दिन (19 जुलाई 2021 से 18 सितंबर 2021) लगे। इसके अलावा, मुख्य ओवरहालिंग के बाद, टरबाइन में हाईवाइब्रेशन देखा गया और संयंत्र 21 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक बंद रहा। संयंत्र के अतिरिक्त शटडाउन के परिणामस्वरूप ₹ 99.46 करोड़ मूल्य की 536.48 एमयू की उत्पादन हानि हुई। हालाँकि, वाइब्रेशन के मुद्दे/समस्या को आज तक (मार्च 2022) ठीक नहीं किया जा सका।

(कंडिका 4.7.7)

- **लोडिंग छोर से अनलोडिंग छोर तक कोयले की सकल कैलोरी मान (जीसीवी) में कमी**

कोयले का सकल कैलोरी मान (जीसीवी) 'जैसा बिल किया गया' चरण से घटकर 'जैसा प्राप्त हुआ' चरण पर आ गया, हालांकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, जीसीवी मूल्य अर्थात जीसीवी 'जैसा बिल किया गया', 'जैसा प्राप्त हुआ' लगभग समान होना चाहिए। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान, जीसीवी में ₹ 546.88 करोड़ मूल्य की 3,129 किलोकैलोरी/ किलोग्राम तक की गिरावट आई।

(कंडिका 4.11.2)

- **कोयला लिंकेज की अदला-बदली में देरी के परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन लागत**

सतपुडा ताप विद्युत केंद्र, सारनी को विद्युतगृह-II और III के लिए वेस्टर्न कोल लिमिटेड और विद्युतगृह-IV के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयला लिंकेज प्राप्त था। वेस्टर्न कोल लिमिटेड से प्राप्त कोयला लैंडिंग दर कम होने के कारण साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से प्राप्त कोयले की तुलना में लाभप्रद था। कंपनी ने विद्युतगृह-II और III के शुरू न होने (डीकमीशनिंग) और कम संयंत्र भार क्षमता को ध्यान में रखते हुए सस्ती दर पर कोयले की अदला-बदली के लिए (2019) समय पर कार्रवाई नहीं की। इसमें ₹ 50.79 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत अधिक हो गई।

(कंडिका 4.11.4)

V मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

"मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइनों और सब-स्टेशनो का निर्माण"

- **टावर गिरने की अत्यधिक घटनाएं, अनुचित जांच और रिपोर्टिंग न किया जाना**

वर्ष 2019-22 के दौरान 29 घटनाओं में कुल 104 टावर ढह गए, जिसके परिणामस्वरूप 4,555 घंटे एवं 30,789 घंटे के बीच की सीमा तक बिजली आपूर्ति बाधित हुई। कंपनी ने केवल सात घटनाओं की जांच 80 से 227 दिनों की देरी से की। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन के अनुसार, 29 घटनाओं में से 18 घटनाएं (220 केवी और इससे ऊपर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचना देने योग्य थीं लेकिन कंपनी ने केवल सात घटनाओं की सूचना दी। इसके अलावा, कंपनी गुणवत्ता और सुरक्षा आश्वासन व ढहने से बचने के लिए हवा के क्षेत्र-वार योजना बनाने और टावरों की गुणवत्ता का विश्लेषण करने में विफल रही।

(कंडिका 5.9.2)

- **निर्माण गतिविधियों को समन्वित किए बिना सामग्री का क्रय**

45 मामलों में, कंपनी को ₹ 197.63 करोड़ मूल्य की सामग्री उसके अनुमानित उपयोग से बहुत पहले प्राप्त हुई थी और लंबी अवधि तक निष्क्रिय पड़ी रही। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.98 करोड़ के ब्याज का परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा।

(कंडिका 5.10.1)

- **टर्नकी ठेकेदारों से ट्रांसफार्मरों का क्रय**

एम.ओ.पी., द्वारा अधिसूचित बीपीआईटीएस के पैरा 5(i) में भारत सरकार ने कहा है कि ट्रांसफार्मर/ रिएक्टरों को छोड़कर सब-स्टेशन को टर्नकी अनुबंधों के तहत पैकेज दिया जा सकता है, जिन्हें अलग से खरीदा जा सकता है। कंपनी ने 27 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति सहित नौ टर्नकी अनुबंधों को पैकेज किया। यह पाया गया कि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किए गए ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की लागत उसी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा सीधे खरीदे गए समान क्षमता के ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 5.10.2)

- **परिनिर्धारित क्षति की वसूली न करना**

टर्नकी अनुबंधों के परिनिर्धारित क्षति अनुच्छेद (अनुबंध समझौते के खंड 11.2) के अनुसार, यदि कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं होता है, तो प्रति सप्ताह प्रत्येक कार्य या उसके भाग के अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत या अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित क्षति लगाया जाएगा। आठ टर्नकी अनुबंधों के तहत दस कार्यों में सब-स्टेशन और लाइनों (नमूने के रूप में चयनित) के निर्माण के काम के वास्तविक समापन में एक माह से लेकर 30 माह तक की देरी हुई। लेकिन कंपनी ने ठेकेदारों पर ₹ 69.96 करोड़ की परिनिर्धारित क्षति आरोपित नहीं की।

(कंडिका 5.11.1.2)

- **कार्यों का समन्वय न होना**

ट्रांसमिशन परियोजनाओं के तीन घटकों की सभी निर्माण गतिविधियाँ जैसे सब-स्टेशनों, सब-स्टेशन की फीडर लाइनों और अन्य ट्रांसमिशन/ डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन को फीड करने वाली आउटगोइंग लाइनों को इस तरह से समन्वय किया जाना चाहिए कि काम एक साथ समय पर पूरा हो जाए। लेखापरीक्षा में ऐसे दस उदाहरण देखे गए जहां कार्य समकालिक नहीं थे, क्योंकि कुछ घटक (₹ 109.49 करोड़ के लिए) पूरे हो गए थे और संबंधित कार्यों के पूरा होने तक, पांच से 49 माह तक निष्क्रिय रहे। इसके परिणामस्वरूप अवरुद्ध निधि पर ₹ 7.11 करोड़ के ब्याज का नुकसान भी हुआ।

(कंडिका 5.11.2)

अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) के दायरे में आने वाले मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) के 65 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)¹ में से चार के अनुपालन लेखा परीक्षा से उत्पन्न मामले सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाही करने, उचित नीतियाँ बनाने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सहायक होंगे, जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा एवं शासन व्यवस्था बेहतर करने में योगदान मिलेगा।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

31 मार्च 2022 तक, मध्य प्रदेश राज्य में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), भोपाल के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 65 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे। इनमें ऊर्जा क्षेत्र में 10 सरकारी कंपनियाँ और एक स्वायत्त निकाय, 39 सरकारी कंपनियाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियाँ², दो वैधानिक निगम³ और गैर-ऊर्जा क्षेत्र में चार स्वायत्त निकाय शामिल हैं। इन 65 सार्वजनिक उपक्रमों में से 55 कार्यरत थे और 10 निष्क्रिय⁴ थे। वर्ष के दौरान, किसी भी सरकारी कंपनी का विघटन/विलय नहीं किया गया, जबकि दो पीएसयू (एक सरकारी कंपनी⁵ और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी⁶) को शामिल किया गया, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं।

1.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 एवं नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) की धारा 19 और 19 ए से प्राप्त होता है। सीएजी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत, पीएसयू के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी करता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के अधीन होती है। दो सांविधिक निगमों में से, सीएजी सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का एकमात्र लेखापरीक्षक है।

विभिन्न लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत एवं पद्धतियाँ; लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखा और लेखापरीक्षा पर विनियमों के साथ-साथ सीएजी द्वारा जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों, नियमावली और निर्देशों में निर्धारित हैं।

1.3 इस प्रतिवेदन का कवरेज

मध्य प्रदेश शासन के पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश, जैसा कि उनके लेखों/उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी से पता चला है एवं सीएजी की निगरानी भूमिका के परिणाम, सीएजी की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिस्से के रूप में अलग से रिपोर्ट किए गए हैं।

¹ पाँच स्वायत्त निकायों को सम्मिलित करके।

² परिशिष्ट 1.1 पर प्रदर्शित पीएसयू क्रमांक 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17 एवं 18।

³ मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और मध्य प्रदेश वित्त निगम।

⁴ या तो निष्क्रिय या परिसमापन के तहत। (परिशिष्ट-1.1 पर प्रदर्शित पीएसयू क्रमांक 28 से 37)।

⁵ मध्य प्रदेश स्टेट असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (18 फरवरी 2022 को निगमित)।

⁶ इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन (11 जनवरी 2022 को निगमित)।

सीएजी के इस प्रतिवेदन में, तीन विभागों⁷ के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले, म.प्र. शासन के पीएसयू के लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा एवं निष्पादन की समीक्षा से उत्पन्न मामले सम्मिलित हैं। उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समूह-वार सूची **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

इस प्रतिवेदन में, चार विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा "एशियाई विकास बैंक सहायता अनुदान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सड़कों का निर्माण", "मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा ऋणों की स्वीकृति एवं वसूली तथा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन", "मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विद्युतगृह का संचालन एवं संधारण" तथा "मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइनों और सब-स्टेशनों का निर्माण" सम्मिलित है एवं इन्हें संबंधित विभागों के मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों को चार से छह सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर, शासन द्वारा प्रदान किए गए उत्तर एवं निकास सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए विचार इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से, कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियां बनाने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सक्षम होने की आशा है, जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर प्रशासन में योगदान मिलेगा।

1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पीएसयू/ सरकार की प्रतिक्रिया

1.4.1 पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) आवश्यक कार्रवाई के लिए संबन्धित इकाई के प्रमुख को जारी की जाती है एवं इसकी एक प्रति अगले उच्च प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है। उन्हें चार सप्ताह के अंदर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर देना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्षों से संबंधित 2,502 कंडिका वाले 409 नि.प्र. निपटान के लिए लंबित थे। इनमें से 1,168 कंडिका (168 नि.प्र.) के संबंध में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं जैसा कि **तालिका 1.1** में बताया गया है। पीएसयू वार और विभाग वार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.1: नि.प्र./कंडिका जिनके 31 मार्च 2022 तक प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे

वर्ष	निपटान हेतु लंबित नि प्र / कंडिकाओ की संख्या		नि.प्र./कंडिका जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए	
	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं
2017-18 एवं पूर्व वर्ष	275	1,036	128	544
2018-19	51	474	8	113
2019-20	46	379	16	203
2020-21	23	302	6	71
2021-22	14	311	10	237
कुल	409	2,502	168	1,168

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), भोपाल द्वारा संधारित रिकार्ड)

इन रिपोर्टों में बताये अनुसार, नि.प्र. और लेखापरीक्षा कंडिका पर कार्रवाई की कमी से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को कायम रखना जोखिम से भरा है। इसके परिणामस्वरूप शासन की प्रक्रिया में आंतरिक

⁷ वित्त विभाग के अंतर्गत म.प्र.वि.नि., लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत म.प्र.स.वि.नि.लि., ऊर्जा विभाग के अंतर्गत म.प्र.पा.ज.क.लि. और म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. शामिल हैं।

नियंत्रण कमजोर, सार्वजनिक वस्तुओं/ सेवाओं की अकुशलता और अप्रभावी आपूर्ति, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को नुकसान हो सकता है।

1.4.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा के उत्पाद हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें कार्यपालिका से उचित एवं समय पर प्रतिक्रिया मिले। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग (जीओएमपी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी प्रशासनिक विभागों को निर्धारित प्रारूप में भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिका/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियों, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, विधायिका में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के अंदर उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

31 मार्च 2022 तक, इस कार्यालय के तहत लेखापरीक्षा किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सीएजी प्रतिवेदन में शामिल 49 निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प) और 246 कंडिका में से 10 कंडिका के व्याख्यात्मक टिप्पणियों (ईएन) प्रतीक्षित थे। इसका विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2 : व्याख्यात्मक टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल नि.ले.प. और कंडिका		नि.ले.प./कंडिका की संख्या जिनके लिए ईएन प्राप्त नहीं हुए थे	
		नि.ले.प.	कंडिकाओ	नि.ले.प.	कंडिकाओ
2014-15 तक		43	211	-	-
2015-16	24 मार्च 2017	03	15	-	-
2016-17	10 जनवरी 2019	02	11	-	02 (3.1, 3.9)
2017-18	21 सितंबर 2020	01	04	-	03 (2.1, 2.3, 5.1)
2018-19	21 दिसंबर 2021	-	05	-	05 (4.1 to 4.5)
कुल		49	246	-	10 ⁸

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), भोपाल द्वारा संकलित)

1.4.3 सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा

31 मार्च 2022 तक, इस कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा किए गए एवं कोपू द्वारा चर्चा किए गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित नि.ले.प. तथा कंडिकाओ की स्थिति तालिका 1.3 में दी गई है।

तालिका 1.3: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए अनुसार चर्चित नि ले प/कंडिका

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/पीएसयू)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल नि ले प और कंडिका		चर्चा किए गए नि ले प/कंडिका की संख्या	
	नि.ले.प.	कंडिकाओ	नि.ले.प.	कंडिकाओ
2014-15 तक	43	211	43	211
2015-16	03	15	03	15
2016-17	02	11	02	11
2017-18	01	04	-	03
2018-19	-	05	-	-
कुल	49	246	48	240 ⁹

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), भोपाल द्वारा संकलित।)

⁸ इनमें से, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) 2018-19 के एक अर्थात कंडिका 4.3 को छोड़कर सभी कंडिका के विभागीय ज्ञापन, म.प्र. शासन को 2022-23/2023-24 के दौरान प्राप्त हुए हैं।

⁹ इनमें से ले.प.प्र. (2017-18) के तीन कंडिका और ले.प.प्र. (2016-17) के एक कंडिका पर 2022-23 के दौरान चर्चा की गई।

पीएसयू से संबंधित 49 नि.ले.प. और 246 कंडिकाओ में से, 48 नि.ले.प और 240 कंडिकाओ पर कोपू द्वारा चर्चा की गई। हालाँकि, 79 कंडिकाओ के संबंध में कोपू की सिफारिशों जिन पर कोपू द्वारा चर्चा की गई है, प्रतीक्षित हैं।

1.4.4 कोपू के प्रतिवेदन का अनुपालन

पीएसयू पर 45 कोपू प्रतिवेदन से संबंधित 258 सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीएन) 12 प्रशासनिक विभागों (मार्च 2022) से प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि तालिका 1.4 में बताया गया है।

तालिका 1.4: कोपू प्रतिवेदन का अनुपालन

विभाग का नाम	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि (श्रेणी)
खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी	04	48	1981-82 से 2008-09 तक
वित्त	05	32	1973-74 से 2010-11 तक
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	16	70	1999-00 से 2015-16 तक
खनिज स्रोत	01	01	2011-12
परिवहन	01	01	2010-11
ऊर्जा	10	52	2000-01 से 2011-12
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02	32	2002-03 से 2006-07 तक
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	02	12	2002-03 से 2005-06 तक
शहरी विकास एवं आवास	01	01	2010-11
अनुसूचित जाति कल्याण	01	06	2004-05
गृह	01	01	2010-11
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	01	02	2014-15
कुल	45	258	

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), भोपाल द्वारा संकलित)

सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षा/ कंडिकाओ पर उपचारात्मक कार्रवाई की कमी और इन प्रतिवेदन पर कोपू द्वारा चर्चा की कमी के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की अनुपस्थिति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को कायम रखने के जोखिम से भरी हुई है जैसा कि पहले की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप शासन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण कमजोर, सार्वजनिक वस्तुओं/ सेवाओं की अकुशलता और अप्रभावी आपूर्ति, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को हानि हो सकती है।

अध्याय-II
मध्य प्रदेश सड़क
विकास निगम लिमिटेड

अध्याय-II

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

"एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग के अंतर्गत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा सड़कों का निर्माण" पर अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

लेखापरीक्षा ने 2019-22 की अवधि में 'एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग के अंतर्गत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा सड़कों के निर्माण' से संबंधित अभिलेखों और ठेकेदारों/ रियायतग्राहियों को प्रदान की गई एवं उनके द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के विवरणों की जांच की और लेखापरीक्षा निष्कर्ष राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा एडीबी सड़क परियोजनाओं से संबंधित जारी दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा में 57 परियोजनाओं में से 18 चयनित एडीबी रोड पैकेज, कंसल्टेंसी करारों के रियायती अनुबंधों की जांच शामिल थी। 'आइडिया' सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रैंडम सैंपलिंग पद्धति के आधार पर एडीबी V और एडीबी VI में कुल 18 पैकेज का चयन किया गया था। इसके अलावा, जून 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच 10 सड़कों (10 पैकेजों में से) का भौतिक निरीक्षण भी किया गया।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएँ देखीं:

- चयन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एडीबी V की परियोजनाओं के तहत राज्य राजमार्गों को अनियमित रूप से शामिल करना, एडीबी को प्रतिबद्धता शुल्क का परिहार्य भुगतान, एडीबी से प्रतिधारण धन की प्रतिपूर्ति का दावा करने में विफलता, और प्रतिधारण धन की अनियमित वापसी।
- डॉवेल बार की अवांछित मद के निष्पादन के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार और एडीबी V के तहत सड़क नेटवर्क के वांछित लक्ष्य को बाधित करते हुए फुटपाथ डिजाइन की उच्चतर विशिष्टताओं का प्रयोग।
- जल संसाधन विभाग और लोक निर्माण विभाग के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय।
- उचित निविदा के बिना कार्यों के अनियमित आवंटन।
- तथ्यों की कपटपूर्ण गलत प्रस्तुति के कारण अधिक भुगतान, पीक्यूसी और डीएलसी की मदों के निष्पादन में फ्लाइ ऐश को शामिल न करने के कारण अतिरिक्त लागत, विभिन्न कारणों से ठेकेदारों को अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप अनुचित लाभ; तथा
- निर्धारित अवधि से परे कंसल्टेंसी सेवाओं की तैनाती के कारण राजकोष पर अतिरिक्त देनदारी, ब्लैक लिस्टेड कंसल्टेंसी सेवाओं को अनियमित रूप से बहाल करने और स्वतंत्र यंत्रियों की तैनाती में देरी के कारण नहीं किए गए कार्य बावत भुगतान।

कमियों के इन उदाहरणों का कुल प्रभाव ₹ 612.96 करोड़ है।

2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.स.वि.नि.लि.) पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, इसे सभी राज्य राजमार्गों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा इसे राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के संधारण का काम सौंपा गया है जिसमें निर्माण, पूर्णनिर्माण, चौड़ीकरण, मरम्मत एवं रखरखाव शामिल है। परियोजनाओं के अतिरिक्त बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) तथा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में संचालित होने वाली, नियमित अनुबंध योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। वर्तमान में कई परियोजनाओं, जिनका क्रियान्वयन म.प्र.स.वि.नि.लि. के द्वारा एडीबी V¹ और एडीबी VI² के अंतर्गत क्रमशः नियमित मद दर अनुबंध तथा हाइब्रिड एन्वुइटी मोड (हैम) पर किया जाता है, को बाहरी वित्तपोषित एजेंसियों, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

तालिका 2.1: एडीबी अनुबंधों की पद्धतियों का विवरण

पद्धति	विवरण
नियमित मद दर अनुबंध	मद दर अनुबंध एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें भुगतान पूरी तरह से किए गए कार्य की प्रगति के अनुसार लिए गए माप के आधार पर तथा बिल ऑफ क्वान्टिटी में ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर पर कार्य के प्रत्येक मद के लिए किया जाता है।
हाइब्रिड एन्वुइटी	रियायतग्राही कार्य निष्पादित करता है और मध्य प्रदेश शासन परियोजना लागत का 60 प्रतिशत ऋण से तथा 40 प्रतिशत अंश 10 साल की पूर्वनिर्धारित समयावधि के लिए छमाही एन्वुइटी के रूप में भुगतान करती है।

ठेकेदारों/ रियायतग्राहियों³ द्वारा 2019-22 के दौरान आवंटित और निष्पादित परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- सड़क परियोजनाओं के लिए आयोजना एवं वित्त व्यवस्था पर्याप्त थी तथा एडीबी फंड का उपयोग प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अनुसार विवेकपूर्ण था।
- सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डिजाइन, प्राक्कलन, निविदा, निष्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण उचित था, और प्रयोज्य दिशानिर्देशों/ अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार था।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडों पर आधारित हैं:

- नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स.प. एवं रा.मं.) और एडीबी सड़क परियोजनाओं से संबंधित मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स जिसे आमतौर पर फिडिक के नाम से जाना जाता है, द्वारा नियंत्रित प्रस्ताव-अनुरोध, पात्रता-अनुरोध तथा रियायती अनुबंधों के नमूना अभिलेखों में शामिल प्रावधान;

¹ मध्य प्रदेश जिला सड़क II सेक्टर परियोजना (एमपीडीआरएसपी) एडीबी V फंडिंग के तहत क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजना है।

² एडीबी VI के तहत सड़क परियोजना के क्रियान्वयन हेतु म प्र सड़क क्षेत्र परियोजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

³ एडीबी VI वित्तपोषण के तहत परियोजना के निष्पादन के लिए तैनात एजेंसी।

- सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता और मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान तथा वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश;
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय सड़क कांग्रेस संहिता तथा भारतीय मानक संहिता के प्रासंगिक प्रावधान; एवं
- परियोजनाओं की निगरानी के लिए एडीबी द्वारा जारी संस्थागत तंत्र के प्रावधान।

2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

2019-22 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा में, एडीबी V रोड पैकेजों के तहत वस्तु दर अनुबन्धों पर आधारित 14 अनुबंध समझौते और एडीबी VI रोड पैकेजों के तहत हेम मोड पर आधारित 4 रियायत अनुबंध और 57 परियोजनाओं में से परामर्शी अनुबंधों की जांच शामिल थी। 'आईडिया' सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रैंडम सैंपलिंग पद्धति के आधार पर एडीबी V और एडीबी VI में कुल 18 पैकेजों का चयन किया गया था। इसके अलावा, जून 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच 10 सड़कों (10 पैकेजों में से) का भौतिक सत्यापन भी किया गया। चयनित पैकेजों का विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

एडीबी परियोजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण मद दर अनुबंध पर सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए म.प्र.स.वि.नि.लि., ठेकेदार⁴/ रियायतग्राही⁵ के बीच हाइब्रिड एन्जुइटी मोड (हैम) अनुबंध पर मध्य प्रदेश सड़क सेक्टर परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को एडीबी परियोजनाओं की डिजाइनिंग, परियोजना-पूर्व गतिविधियां, प्राक्कलन, निविदा प्रकाशन, अनुबंध देना, परियोजनाओं का निष्पादन और उसकी निगरानी को शामिल करते हुये बढ़ावा देना था।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों के परिपेक्ष्य में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.5 एडीबी परियोजनाओं का वित्तपोषण एवं योजना


2.5.1 एडीबी परियोजनाओं का वित्तपोषण

एडीबी द्वारा जारी (सितंबर 2016) परियोजना प्रशासनिक नियमावली के भाग-IV 'लागत और वित्तपोषण' में प्रावधान है कि ऋण भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति पद्धति अपनाई जाएगी। इस पद्धति के तहत, म.प्र.स.वि.नि.लि., मध्य प्रदेश शासन निकासी आवेदन के माध्यम से भारत सरकार को किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करेगा और भारत सरकार तब एडीबी ऋण प्राप्त करेगी और परियोजना कार्यान्वयन के लिए म.प्र.स.वि.नि.लि. को प्रतिरूप निधि प्रदान करेगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

⁴ एडीबी V में।

⁵ एडीबी VI में।

चार्ट 2.1: निधि प्रवाह आरेख



(स्रोत: एडीबी V की परियोजना प्रशासनिक नियमावली)

एडीबी V और एडीबी VI दोनों परियोजनाओं के लिए ऋण का अंश और राज्य का अंश 70:30 के अनुपात में है। बजट और व्यय की स्थिति नीचे तालिका 2.2 में दी गई है:

तालिका 2.2 : बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम एवं कोड	मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम - एडीबी वित्त पोषित एडीबी V				मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम - एडीबी वित्त पोषित एडीबी VI			
	वर्ष	बजट	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि	उपयोग में कमी (प्रतिशत)	बजट	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधि
2019-20	1,017.00	786.72	230.28	22.64	350.00	0.00	350.00	100
2020-21	600.00	600.00	0.00	0.00	272.52	272.52	0.00	0.00
2021-22	600.00	529.00	71.00	11.83	357.00	701.00	(+) 344.00	(+) 96.36
कुल	2,217.00	1,915.72	301.28	13.59	979.52	973.52	6.00	0.01

(स्रोत: वार्षिक बजट और व्यय का वीएलसी डेटा)

(नोट: (+) अधिकता को दर्शाता है)

एडीबी V में वर्ष 2019 से 2022 के दौरान निधि के उपयोग में 11.83 प्रतिशत और 22.64 प्रतिशत के बीच आवर्ती कमी थी, जबकि एडीबी VI में, वर्ष 2019-20 में 100 प्रतिशत की कमी तथा 2021-22 में 96.36 प्रतिशत का अधिक उपयोग हुआ।

आगे, यह भी देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, एडीबी V में कुल बजट प्रावधान का 73 प्रतिशत (₹ 740.76 करोड़) वर्ष के अंत (19 मार्च 2020) में प्रदान किया गया था। हालांकि अन्य दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) में, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय पर धन उपलब्ध कराया गया था, म.प्र.स.वि.नि.लि. ठेकेदारों/

रियायतग्राहियों की धीमी प्रगति के कारण धन का उपयोग करने और अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में विफल रहा, जैसा कि कंडिका 2.5.3 में चर्चा की गई है।

उत्तर में, शासन ने कहा (जून 2023) कि महामारी का असर तथा धीमी प्रगति के कारण दो अनुबंधों की समाप्ति के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में कार्यों की प्रगति गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी।

2.5.2 चयन मानदंडों का उल्लंघन कर एडीबी V परियोजनाओं के तहत राज्य राजमार्गों का अनियमित समावेश

मध्य प्रदेश जिला सड़क-II सेक्टर परियोजना (म.प्र.जि.स.से.प.) के परियोजना प्रशासनिक नियमावली (एडीबी V) के अनुलग्नक-5 की कंडिका 2 के अनुसार, परियोजना के तहत एक सड़क वित्तपोषण के लिए पात्र होगी, यदि वह मौजूदा प्रमुख जिला सड़कों या अन्य जिला सड़कों में सुधार करती है। इसके अलावा, म.प्र.जि.स.से.प. के परियोजना प्रशासनिक नियमावली के अनुलग्नक-4 के अनुसार, भविष्य में यातायात-वृद्धि के कारण आवश्यकता पड़ने पर सड़कों को 5.5 मीटर कैरिजवे (मध्यवर्ती लेन) और 7 मीटर (दो लेन) तक चौड़ा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2022) कि शुरुआती तौर पर मध्य प्रदेश शासन (अप्रैल 2016) ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (एमयूएसडी) की लागत वाले 130 पात्र प्रमुख जिला सड़कों (श्रेणी बी के तहत जिन्हें तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी) में से 1532 किलोमीटर के 54 प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन⁶ के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी थी जिसमें से 150 एमयूएसडी मध्य प्रदेश शासन द्वारा और 350 एमयूएसडी एडीबी द्वारा प्रदान किया जाना था। हालाँकि, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने एडीबी V म.प्र.जि.स.से.प. के तहत 1,469.91 किलोमीटर की 57 सड़कों पर सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ का निष्पादन किया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2.3 में वर्णित है:

तालिका 2.3: एडीबी V में राज्य राजमार्गों का अनियमित समावेश

सड़कों की श्रेणी	सड़कों की संख्या	कुल लंबाई किमी में	राशि (₹ करोड़ में)
प्रमुख जिला सड़कें	46*	1139.17	2597.79
राज्य राजमार्ग	11	330.74	652.21

(*48 एमडीआर में से दो प्रमुख जिला सड़कों को राज्य राजमार्ग यानी महाराजपुर-सहजपुर रोड और कोतमा-जैतहरी-राजेंद्रग्राम रोड में बदल दिया गया।)

इस प्रकार, तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता वाले 82⁷ पात्र प्रमुख जिला सड़कों होने के बावजूद, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने एडीबी के वित्तपोषण मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए इस एडीबी V परियोजना के तहत 11 अयोग्य राज्य राजमार्गों को शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 652.21 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

इसमें 330.74 किलोमीटर की 11 सड़कें⁸ शामिल थीं जिन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य राजमार्ग में परिवर्तित करने हेतु पहले से ही सैद्धांतिक मंजूरी (दिसंबर 2015) दी गई थी। इसके अलावा, इन सड़कों के अनुबंध मध्यवर्ती लेन⁹ की चौड़ाई पर निष्पादित किए गए थे, जबकि मध्य प्रदेश में सभी राज्य राजमार्ग न्यूनतम दो-लेन के आधार पर

⁶ उन्नयन के कार्य में सड़क की सतह को चौड़ा करने और मजबूत करने का काम शामिल है ताकि डिजाइन किए गए भार और यातायात की मात्रा का सामना करने के लिए पर्याप्त क्रस्ट प्रदान किया जा सके, जिसमें तटबंध/ उप-ग्रेड का निष्पादन, उप-आधार का निर्माण और बिटुमिनस सड़क के मामले में सरफेसिंग पाठ्यक्रम शामिल है।

⁷ श्रेणी बी के तहत कुल पात्र एमडीआर - 130, एडीबी V में शामिल सड़कों की संख्या - 48, पुनर्निर्माण के लिए शेष एमडीआर - 82

⁸ राष्ट्रीय राजमार्ग -3 होकर खटकिया से सुठालिया तक, कुंभराज, बड़ौदा, मृगवास, बटावदा, चांचौड़ा, बीनागंज, तेलीगांव रोड, सिरसोद-पिछोर, महाराजपुर-सहजपुर, रामपायली-गारा चौकी, लालबर्गा-समनापुर, चौरई-पांजरा-चांद, चांद-बिछुआ-खमारपानी, रेमंड चौक-साई खेड़ा रोड, कोतमा जैतहरी राजेंद्रग्राम रोड, बैरिया चौकी-लुगासी-गढ़ी मलहरा रोड और राजनगर-बच्चोन रोड।

⁹ प्रमुख जिला सड़क के लिए निर्धारित चौड़ाई।

बनाए गए हैं। उपर्युक्त सभी 11 सड़कों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मध्यवर्ती लेन (5.5 मीटर) के आधार पर तैयार की गई थी और तदनुसार (फरवरी 2017 से जनवरी 2018) इसी चौड़ाई पर सौंपी गई थी। इसके बाद इन सभी 11 सड़कों को ₹ 99.84 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर चौड़ा कर दो लेन का किया गया।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के समय सभी 11 सड़कें प्रमुख जिला सड़कें थीं और ऋण की अवधि के दौरान, इन सड़कों को राज्य राजमार्ग में अपग्रेड किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एडीबी V के तहत राज्य राजमार्ग के रूप में पहले से ही सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित सड़कों को शामिल करने से परियोजना प्रशासनिक नियमावली में निहित प्रमुख जिला सड़कों के कोर नेटवर्क को पूरा करने का उद्देश्य विफल हो गया। इस प्रकार, एडीबी V के तहत पुनर्निर्माण के लिए राज्य राजमार्ग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि कई पात्र प्रमुख जिला सड़क खराब स्थिति में थी और उनके तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी।

2.5.3 एडीबी को प्रतिबद्धता शुल्क का परिहार्य देयता

2.5.3.1 एडीबी V (मार्च 2017) और एडीबी VI (दिसंबर 2019) के ऋण अनुबंध की धारा 1.01 (अ) के अनुसार, ऋणी (भारत सरकार) को ऋण की अनाहरित राशि पर प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। आगे, एडीबी के ऋण अनुबंध की धारा 2.03 में प्रावधान है कि ऋणी को समय-समय पर आहरित राशि को घटाकर ऋण की पूरी राशि पर 0.15 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रतिबद्धता शुल्क देना होगा, जो इस ऋण अनुबंध के दिनांक के 60वें दिन से शुरू होगा। प्रतिबद्धता शुल्क मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाना था।

एडीबी V के ऋण अनुबंध की अनुसूची-1 में परियोजनाओं को 30 सितंबर 2020 तक पूरा करने का प्रावधान है, जबकि धारा 3.04 के अनुसार, ऋण समाप्ति की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी। एडीबी V ऋण के लिए परियोजना प्रशासनिक नियमावली के अनुसार, 350 एमयूएसडी की संपूर्ण ऋण राशि का वितरण 31 मार्च 2021 तक कर दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2022) कि म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी तथा कैशलेस दुर्घटना पीड़ित उपचार सुविधा और दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार जैसे घटकों के गैर-निष्पादन के कारण, एडीबी V के ऋण अनुबंध को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा 15 माह यानी 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया (दिसंबर 2021)। हालांकि, ठेकेदारों की धीमी प्रगति के कारण, 2019 और 2020 के बीच ऋण वितरण कम हो गया। इससे अंततः मध्य प्रदेश शासन पर ₹ एक करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क की परिहार्य देयता हुई।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण श्रमिक संकट और सामग्री परिवहन मुद्दों के कारण कार्यों की प्रगति बाधित हुई थी। इसके अलावा, प्रतिबद्धता शुल्क अवितरित ऋण राशि पर लागू होते हैं, अतः अपरिहार्य हैं।

कार्य की धीमी प्रगति के लिए दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है। दिए गए कारण, जैसे कि श्रमिकों की कमी और सामग्री-परिवहन के मुद्दे, को वैध नहीं माना जा सकता है। कोविड-19 के कारण चार माह के लॉकडाउन को अप्रत्याशित घटना मानने के बाद भी, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने जून 2022 की विस्तारित समय-सीमा तक 350 एमयूएसडी की संपूर्ण ऋण राशि को आहरित न करने के कारण ₹ एक करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क को नहीं टाल सका।

2.5.3.2 एडीबी VI के ऋण अनुबंध की अनुसूची-1 में परियोजनाओं को 31 मई 2024 तक पूरा करने का प्रावधान था, जबकि धारा 3.04 के अनुसार, ऋण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 थी। एडीबी VI के परियोजना प्रशासनिक नियमावली के अनुसार 490 एमयूएसडी की संपूर्ण ऋण राशि का वितरण 31 मार्च 2024 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2022) कि म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा कार्यों को सौंपने और निष्पादन में देरी, दुर्घटना प्रबंधन प्रणाली के सृजन और ठेकेदारों, कंसल्टेंटों इत्यादि को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे अन्य घटकों के गैर-निष्पादन के कारण, प्रारंभ से ही कार्यक्रम के अनुसार म.प्र.स.वि.नि.लि. संवितरण का लाभ नहीं उठा सका। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश शासन पर ₹ 4.63 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क की परिहार्य देयता हुई।

शासन ने कहा (जून 2023) कि पिछले तीन वर्षों में कोविड-19 महामारी एवं धीमी प्रगति के कारण दो अनुबंधों की समाप्ति की वजह से कार्य की प्रगति गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी।

दिया गया उत्तर, प्रगति की निगरानी में सीई, एडीबी की विफलता को इंगित करता है, जिससे विलंब हुआ।

2.5.4 एडीबी से प्रतिधारण धन की प्रतिपूर्ति का दावा करने में विफलता

अनुबंध समझौता के विशेष अनुबंध शर्त (पीसीसी) के अनुच्छेद 14.3 (सी) के अनुसार, ठेकेदार के प्रत्येक अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आईपीसी) से छह प्रतिशत राशि की कटौती की जानी चाहिए, जो अनुबंध की लागत के पांच प्रतिशत तक सीमित होगी और म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा एडीबी से दावा किया जाएगा।

एडीबी V के ऋण अनुबंध की अनुसूची-1 में परियोजनाओं को 30 सितंबर 2020 तक पूरा करने का प्रावधान है। एडीबी V के परियोजना प्रशासनिक नियमावली के अनुसार, 350 एमयूएसडी की संवितरित ऋण राशि का वितरण 31 मार्च 2021 तक किया जाना था। हालाँकि, एडीबी द्वारा अवधि को 30 जून 2022 (15 माह) तक बढ़ा दिया गया था (दिसंबर 2021)।

ऋण संवितरण पुस्तिका के अनुच्छेद 4.27 के अनुसार, एडीबी ऋण समापन की तिथि के बाद एक शर्तरहित बैंक गारंटी या एडीबी को स्वीकार्य अन्य वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से ठेकेदारों को प्रतिधारण धन की राशि की प्रतिपूर्ति कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2022) कि 30 जून 2022 तक, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों के बिलों से ₹ 161.43 करोड़ प्रतिधारण राशि रोक ली थी, जिसमें से केवल ₹ 115.54 करोड़ ठेकेदारों को जारी की गई थी तथा ठेकेदारों को प्रतिधारण राशि का भुगतान नहीं होने से म.प्र.स.वि.नि.लि. के पास ₹ 45.89 करोड़ लंबित थे।

ऋण की अनुग्रह अवधि 30 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गई, इसलिए एडीबी से ₹ 33.50 करोड़¹⁰ की प्रतिधारण राशि का प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त करने की संभावना नगण्य है क्योंकि म.प्र.स.वि.नि.लि. दावे के लिए एडीबी को समतुल्य राशि की गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहा। एडीबी ऋण संवितरण पुस्तिका में निर्धारित शर्तरहित बैंक गारंटी प्रस्तुत करके एडीबी निधियों की समय पर निकासी सुनिश्चित करने में म.प्र.स.वि.नि.लि. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 33.50 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं हुई, इसके अलावा, असंवितरित ऋण राशि पर प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में देयता का निर्माण हुआ।

¹⁰ ₹ 45.89 करोड़ की प्रतिधारण राशि का 73 प्रतिशत ठेकेदारों को वापस देय है।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि एडीबी से प्रतिधारण राशि की प्रतिपूर्ति ले ली गई है, और एडीबी के द्वारा द्वितीय भाग (सड़क पैकेज 1) को छोड़कर शेष प्रतिधारण राशि की प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

हालांकि तथ्य यह शेष है कि एडीबी से प्रतिपूर्ति मांगने में देरी हुई और इसलिए प्रतिबद्धता शुल्क के प्रति अनुचित दायित्व बनाया गया, जिसका भुगतान अंततः शासन को ही करना होगा।

2.5.5 प्रतिधारण धन की अनियमित वापसी

रियायत अनुबंध के पीसीसी की धारा 8 (खंड 7.8) के साथ पढ़ा जाने वाला रियायत अनुबंध के अनुबंध की विशेष शर्त (पीसीसी) के अनुच्छेद 14.9 में प्रावधान है कि प्रतिधारण राशि का पहला आधा भाग (50 प्रतिशत) कार्य के समापन के समय ठेकेदार को जारी किया जाएगा और शेष दूसरा आधा भाग (50 प्रतिशत) टीओसी (टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट) जारी होने की तारीख से 365 दिनों की समाप्ति या ठेकेदार से रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर, जो भी बाद में हो, के बाद जारी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने ₹ 1030.13 करोड़ मूल्य के 14 नमूना जांचित पैकेज में से नौ पैकेज में पाया (अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के मध्य) कि प्रतिधारण धन का दूसरा भाग टीओसी जारी होने से 365 दिन पहले ही रॉयल्टी क्लियरेंस प्रमाणपत्र प्राप्त करके, तीन से 11 माह में ठेकेदारों को जारी कर दिया गया था। इस प्रकार, प्रतिधारण धन की अनियमित वापसी ने न केवल ठेकेदारों को मुफ्त रखरखाव अवधि के दौरान दायित्व से मुक्त कर दिया, बल्कि असामयिक धनराशि जारी कर ठेकेदारों को ₹ 29.39¹¹ करोड़ का अनुचित लाभ भी पहुंचाया।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि पीसीसी के अनुच्छेद 14.9 के अनुसार निष्पादन सुरक्षा 10 प्रतिशत है, जो दोष दायित्व अवधि के अंत तक उपलब्ध है। इस प्रकार, समापन तक प्रतिधारण राशि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि प्रतिधारण राशि (अनुबंध मूल्य का 5 प्रतिशत) निष्पादन के लिए एक अतिरिक्त गारंटी थी और इसे निष्पादन सुरक्षा के अतिरिक्त रखा जाना था।

2.5.6 एडीबी को दावे प्रस्तुत करने में देरी के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

परियोजना प्रशासनिक नियमावली (एडीबी V) के भाग V बी (16) के अनुसार, दावों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आहरण-आवेदन तैयार करने एवं एडीबी को भेजने के लिए म.प्र.स.वि.नि.लि. जिम्मेदार होगा तथा चूंकि एडीबी से ऋण प्रतिपूर्ति के रूप में था, इसलिए ऋण की राशि मध्य प्रदेश शासन को अंतरित कर दी गई।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2022) कि ₹ 683.83 करोड़ राशि के 17 आहरण-आवेदन (जुलाई 2017 से नवंबर 2020 के दौरान भेजे गए) के मामले में, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने दावों को प्रस्तुत करने में 32 से 102 दिनों की देरी की और परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश शासन को स्वयं की निधि के उपयोग के कारण ₹ 3.14 करोड़¹² के ब्याज का परिहार्य नुकसान उठाना पड़ा। विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिये गये हैं।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि किए गए व्यय की जांच की गई और सत्यापन के बाद, इसे एडीबी को प्रतिपूर्ति के लिए भेजा गया।

¹¹ प्रतिधारण राशि में ₹ 60.16 करोड़ काटे गए, उसमें से 50 प्रतिशत 30.08 करोड़ जारी किए जाने थे, लेकिन म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ₹ 59.47 करोड़ जारी किए।

¹² फिक्स्ड डिपॉजिट पर सबसे कम ब्याज दर यानी 3 प्रतिशत प्रति वर्ष पर गणना की गई।

तथ्य यह है कि दावे प्रस्तुत करने में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

2.5.7 वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त किए बिना सड़क-संरक्षण को सुधारने की अपूर्ण योजना

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अनुच्छेद 2.111 में कहा गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुपालन में, किसी भी गैर-वन उद्देश्य हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के सभी प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

भारत सरकार, नीति आयोग के निर्देशों¹³ (जनवरी 2017) के अनुसार, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि अधिग्रहण सहित सभी अपेक्षित वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के बाद ही परियोजना सौंपी जानी चाहिए।

इसके अलावा, परामर्श अनुबंध के अनुच्छेद 3.1(x) में प्रावधान था कि परामर्शी वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2022 और नवंबर 2022 के बीच) कि विभाग ने कुल 108.27 किमी लंबी सड़क के तीन पैकेज (दिसंबर 2019) तीन रियायतग्राहियों को दिए। ये पैकेज जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच पूरे होने थे।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि तीन पैकेजों (एडीबी VI के पैकेज 3, 4 और 19) में 8.53 किमी लंबाई की संयुक्त सड़क वन क्षेत्र से गुजर रही थी और इसलिए म.प्र.स.वि.नि.लि. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), भारत सरकार से अपेक्षित स्वीकृति लेने के लिए जिम्मेदार थी। वन-स्वीकृति के अभाव में, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने सड़क के उक्त हिस्से को उन्नयन और पुनर्निर्माण से हटा दिया। परिणामस्वरूप, कार्यों की मदों को कम दायरे में निष्पादित किया गया और तदनुसार भुगतान जारी किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल¹⁴ (एमएसए) से छह एमएसए के भारी यातायात के इन सड़कों के उन्नयन पर ₹ 242.87 करोड़ के व्यय के बावजूद कुल 8.53 किमी लंबी सड़कों का निष्पादन नहीं किया गया। इस प्रकार, इतना बड़ा व्यय करने के बाद भी, निर्बाध यातायात संचालन के लिए एक समान चौड़ाई वाली सड़क बनाने का उद्देश्य अधूरा रह गया। म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा किया गया व्यय निष्फल था और इसने उपरोक्त यातायात हेतु निर्बाध मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि वन-स्वीकृति प्राप्त करने में कुछ देरी हुई, लेकिन परियोजना की प्रगति प्रभावित नहीं हुई क्योंकि शेष हिस्से में सड़क का काम किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से स्वीकृति के अभाव में उपरोक्त पैकेज के तहत वन-क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क के हिस्सों का निर्माण नहीं किया जा सका।

¹³ कार्यालय ज्ञापन संख्या 14070/24/2016-पीपीपीएयू (20 जनवरी 2017)

¹⁴ एमएसए का उपयोग फूटपाथ के रूपांकन के लिए किया जाता है। भारतीय संदर्भ में, स्टैंडर्ड एक्सल, एक एक्सल के रूप में माना जाता है जिसमें दो/चार पहिये होते हैं, दोनों तरफ एक/दो टायर जिनका दबाव लगभग 0.56 एमपीए और कुल भार 80 केएन होता है।

एडीबी सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डिज़ाइन, प्राक्कलन, निविदा, निष्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण

2.6 डिज़ाइन

2.6.1 डॉवेल बार के अवांछित मद के निष्पादन के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार

आईआरसी: 58-2015 के अनुच्छेद 6.2.5 के अनुसार, 450 सीवीपीडी से अधिक भारी यातायात की स्थिति हेतु, लोड ट्रांसफर के लिए आमतौर पर ट्रान्सवर्स जोड़ों में डॉवेल बार प्रदान किए जाते हैं, हालांकि, 450 सीवीपीडी से कम यातायात हेतु डॉवेल के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस संबंध में, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने सभी कंसल्टेंट्स को आईआरसी के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और जहां भी लागू हो, विस्तार बिन्दु और डॉवेल बार का उपयोग करने के निर्देश भी जारी किया था (मई और जून 2018)¹⁵।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2022 और नवंबर 2022 के बीच) कि नमूना जांच किए गए 18 पैकेज में से छह पैकेज में म.प्र.स.वि.नि.लि. के साथ-साथ आईआरसी के स्पष्ट प्रावधानों और निर्देशों के बावजूद, 2994.864 मीट्रिक टन डॉवेल बार उन सड़कों पर उपयोग किया गया था जहां यातायात 450 सीवीपीडी से कम था। इसके अलावा, 30 साल के सम्पूर्ण सुरक्षित रूपांकित जीवन हेतु, पीक्यूसी के डिज़ाइन की संगणना डॉवेल बार के बिना की गई थी। इसलिए डॉवेल बार का निष्पादन अवांछित था। इससे ₹ 13.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने कहा (जून 2023) कि कंसल्टेंट्स की सिफारिश के अनुसार परिमाण बिल (बीओक्यू) में डॉवेल बार का प्रावधान किया गया था और अनुमानित यातायात को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार प्रदान किया गया था। डॉवेल बार का उपयोग म.प्र.स.वि.नि.लि. के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय (मई और जून 2018) के अनुसार किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एडीबी-V पैकेज के तहत जिन सड़कों में डॉवेल बार का उपयोग हुआ था, उनका सीवीपीडी स्तर 450 से अधिक नहीं था, जो कि आवश्यक मानक है। इस प्रकार, डॉवेल बार का निष्पादन अवांछित था।

2.6.2 एडीबी V के तहत सड़क नेटवर्क के इच्छित लक्ष्य को सीमित करते हुए फुटपाथ डिज़ाइन की महंगी विशिष्टताओं का अनुप्रयोग

कंक्रीट/ रिजिड फुटपाथ का उपयोग लचीले फुटपाथ के विकल्प के रूप में किया जाता है, खासकर जहां मिट्टी की सहनशक्ति कम हो, एग्रीगेट महंगे हो तथा जल-निकासी की स्थिति खराब हो। फुटपाथ के प्रकार का चुनाव जीवन-चक्र लागत¹⁶ के साथ-साथ उपर्युक्त कारकों पर निर्भर करता है।

म.प्र.स.वि.नि.लि. ने एडीबी V से वित्तीय सहायता के साथ 500 एमयूएसडी की अनुमानित लागत पर मध्य प्रदेश जिला सड़क-II सेक्टर परियोजना (म.प्र.जि.स.से.प.) के तहत लचीले फुटपाथ के साथ 72 प्रमुख जिला सड़कों के 2,045 किलोमीटर को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया (अक्टूबर 2015)। इसके बाद, रिजिड फुटपाथ वाले

¹⁵ पत्र क्रमांक. 3832 दिनांक 28.06.2018 के अनुसार।

¹⁶ जीवन-चक्र लागत किसी सुविधा के मालिक होने या किसी परियोजना को चलाने की कुल लागत है।

1,532 किलोमीटर के 54 प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया¹⁷ (अक्टूबर 2015) जिसके चलते, सड़क निर्माण की लागत 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई।

सड़कों की स्थिति के आधार पर, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एमपीपीडब्ल्यूडी) ने प्रमुख जिला सड़कों को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जैसा कि नीचे तालिका 2.4 में बताया गया है:

तालिका 2.4 : सड़कों के वर्गीकरण का विवरण

श्रेणी	वर्गीकरण का विवरण
क	हाल ही में निर्मित सड़कें, जो अच्छी स्थिति में हैं और किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है।
ख	स्थिति बहुत खराब है और तत्काल पुनर्निर्माण की जरूरत है।
ग	स्थिति संतोषजनक है लेकिन अगले वित्तीय वर्ष तक इसमें सुधार की जरूरत है।
घ	किसी पुनर्निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं है
ङ	निर्माणाधीन

अतः, 'ख' श्रेणी के तहत प्रमुख जिला सड़कों को प्राथमिकता पर किया जाना था। हालाँकि, प्रस्ताव और निष्पादन की स्थिति नीचे तालिका 2.5 में दी गई है:

तालिका 2.5: प्रस्तावित और क्रियान्वित प्रमुख जिला सड़कों की स्थिति

विवरण	सड़कों की संख्या	सड़कों की लंबाई किमी में	सड़कों की लागत करोड़ में
ख श्रेणी के पुनर्निर्माण की तत्काल आवश्यकता है	130	2973.59	अनुपलब्ध
फ्लेक्सिबल फुटपाथ (बिटुमिनस रोड) के रूप में निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़कें	72	2045.11	₹ 3338.50 ¹⁸
निर्माण के लिए प्रस्तावित रिजिड फुटपाथ (कंक्रीट रोड)	54	1532.00	₹ 3338.50
लचीले सड़कों की संख्या जिन्हें छोड़ दिया गया (तत्काल आवश्यक ख श्रेणी की सड़कों सहित)	18 (4)	513.00 (137.50)	₹ 687.93 ¹⁹
अंतिम रूप से क्रियान्वित सड़कों की संख्या	57	1469.91	₹ 3250.00 (वर्तमान कीमत पर)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा गया है कि पीक्यूसी की महंगी विशिष्टताओं को अपनाने के कारण, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने एडीबी V के अंतर्गत आठ जिलों²⁰ में 513 किमी लंबी 18 प्रमुख जिला सड़कों को छोड़ दिया, जिससे 124.85 लाख बस्तियां बारहमासी सड़कों के अपेक्षित लाभ से वंचित हो गईं। उल्लेखनीय है कि इसमें 137.50 किलोमीटर लंबी चार प्रमुख जिला सड़कें²¹ भी शामिल थीं (श्रेणी ख के अंतर्गत) जिन्हें वास्तव में तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। यहां तक कि पीक्यूसी से सड़क निर्माण के संबंध में कोई औचित्य भी अभिलेखों में नहीं पाया गया।

¹⁷ म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा परियोजना की जीवन चक्र-लागत पर विचार किए बिना कम रखरखाव लागत के लाभों के कारण, प्रमुख अभियंता, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के साथ चर्चा के आधार पर।

¹⁸ परियोजना प्रशासनिक नियमावली के अनुसार विनिमय दर एक यूएसडी = ₹ 66.77

¹⁹ लचीले फुटपाथ की प्रति किमी लागत के आधार पर ₹ 1.341 करोड़ प्रति किमी एमपीआरडीसी द्वारा प्रदान किए गए।

²⁰ खरगोन, ग्वालियर, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा और मंदसौर जिले जिनकी कुल जनसंख्या 1,24,85,140 है।

²¹ शिवपुरी लूप मार्ग से शीतला माता-चिनोर 53.20 किमी, बनखेड़ी-उमरधा-मायानी-सारधा रोड 35 किमी, पौडी बकौरी बबेहा रोड 18.20 किमी और खमारपानी- सावनी-लोधीखेड़ा से रेमंड्स चौक रोड 31.10 किमी।

शासन ने कहा (जून 2023) कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण लंबे जीवन और रखरखाव कम लागत होने के कारण रिजिड फुटपाथ के रूप में किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एडीबी V में सड़क निर्माण के लिए 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अधिक लागत पर महंगे विनिर्देशों को अपनाने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां विभाग को धन की कमी के कारण 18 प्रमुख जिला सड़कों को मूल प्रस्ताव से बाहर करना पड़ा।

2.7 प्राक्कलन

2.7.1 जल संसाधन विभाग और लोक निर्माण विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण सड़कों के निर्माण पर निष्फल व्यय

सागर जिले में धसान नदी पर बांदा सिंचाई परियोजना²² के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई (जून 2018), और बांध का क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरू हुआ। परियोजना अभी भी जारी है (मई 2022)। एडीबी V के पैकेज-8 के अंतर्गत कुल 35.33 किमी सड़क में से गारपहेड़ा-धमोनी रोड²³ का 3.19 किमी का हिस्सा बांदा सिंचाई परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में आ रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बांदा सिंचाई परियोजना की मंजूरी के बाद भी, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ₹ 58.17 करोड़²⁴ की अनुमानित लागत पर सड़क का निर्माण पूरा किया (मई 2019), जिसमें सड़क का 3.19 किमी डूबा हुआ हिस्सा भी शामिल था। इस प्रकार, 3.19 किमी के डूबे क्षेत्र में सड़क के हिस्से पर किया गया खर्च ₹ 5.25 करोड़²⁵ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि बांदा सिंचाई परियोजना (जून 2025 तक पूरा होने का अनुमान है) के पूरा होने के बाद, जलमग्न सड़क यातायात के लिए सक्षम नहीं होगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जल संसाधन विभाग, बीना, पीएमयू, सागर ने बांदा परियोजना के डूबे क्षेत्र में संरक्षण के स्थानांतरण के कारण डायवर्जन के निर्माण के लिए ₹ 12.44 करोड़ (फरवरी 2023) की निविदा बुलाई थी।

इस प्रकार, अंतरविभागीय समन्वय (म. प्र. लो. नि. वि. और म. प्र. ज. सं. वि. के बीच) की कमी के परिणामस्वरूप 3.19 किमी सड़क की अकार्यक्षमता हुई और तदन्तर उस पर ₹ 5.25 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि उस हिस्से के अधिकांश संरचनात्मक कार्य पहले ही पूरे हो चुके थे और उस हिस्से पर कुछ अन्य कार्य जैसे विद्युत लाइन शिफ्टिंग, अर्थवर्क, इत्यादि बांदा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति (जून 2018) से पहले ही पूर्ण कर लिए गए थे। इसलिए, लोक निर्माण विभाग की कोई गलती नहीं थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि नवंबर 2018 तक संबंधित हिस्से में कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था जैसा कि प्रगति विवरण (नवम्बर 2018 के लिए) में विस्तृत है।

²² दिसंबर 2023 तक पूर्ण होने वाली इस परियोजना से सागर जिले के 28 गांवों के डूबने की संभावना है, जिसमें कुल्ला और बहरोल गांव भी शामिल हैं।

²³ कुल्ला और बहरोल गांवों से गुजरते हुए और इसमें 3.19 किमी लंबाई (चेनेज 17.230 किमी से 20.420 किमी) जलमग्न सड़क शामिल है।

²⁴ निर्माण की कुल लागत: ₹ 145.59 करोड़ × गारपहेड़ा-धामोनी सड़क की लंबाई: 35.33 किलोमीटर/ पैकेज-8 की कुल लंबाई- 88.953 किलोमीटर।

²⁵ ₹ 58.17 करोड़ × 3.19 किमी/ 35.33 किमी।

2.7.2 सड़क फुटपाथ में डीएलसी की अतिरिक्त मोटाई के निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत

आईआरसी एसपी के विनिर्देश: 49-2014 (कठोर फुटपाथ के लिए उप-आधार के रूप में सूखे दुबले कंक्रीट के उपयोग के लिए दिशानिर्देश) अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों की सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए डीएलसी उप-आधार की मोटाई न्यूनतम 150 मिमी होगी जबकि राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के लिए डीएलसी उप-आधार की 100 मिमी मोटाई को अपनाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, डीएलसी के उपयोग के लिए कोई अन्य आईआरसी दिशानिर्देश निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने एडीबी-V के पांच पैकेज के 11 सड़कों में से पांच सड़क कार्यों में यह पाया (अक्टूबर 2022) कि डीएलसी क्रस्ट की अनुशंसित मोटाई 100 मिमी के बजाय 150 मिमी (चार प्रमुख जिला सड़कों में 150 मिमी और एक प्रमुख जिला सड़कों में 120 मिमी) निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, अतिरिक्त मोटाई के प्रावधानों और निष्पादन के कारण ₹ 10.25 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई, जिसे टाला जा सकता था। विवरण परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि आईआरसी: 58-2015 पर आधारित डिजाइन के अनुसार डीएलसी में 120 मिमी की मोटाई निर्धारित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईआरसी: 58-2015 मानक विशेष रूप से पीक्यूसी स्लैब की मोटाई को सत्यापित करने के लिए है। हालाँकि, जब विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए डीएलसी निष्पादित करने की बात आती है, तो आईआरसी: 49-2014 के प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए। यह सभी प्रमुख राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 150 मिमी की न्यूनतम मोटाई की अनुशंसा करती है, जबकि अन्य सभी सड़कों पर डीएलसी उप-आधार के लिए 100 मिमी की मोटाई आवश्यक है।

2.8 निविदा

2.8.1 बिना निविदा के कार्यों के अनियमित आवंटन

एडीबी के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2.6 के अनुसार, एडीबी परामर्श सेवाओं की आवश्यकता वाली सभी ऋण परियोजनाओं को एडीबी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध करेगा और उधारकर्ता (भारत सरकार) भी परामर्श फर्मों से एक्सप्रेस ऑफ इंटरैस्ट (ईओआई)²⁶ प्राप्त करने हेतु, एक उपयुक्त राष्ट्रीय पत्रिका, समाचार पत्र या वेबसाइट पर विज्ञापित कर सकता है।

इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 183 (ii) के अनुसार, जहां कंसल्टिंग सेवाओं की अनुमानित लागत ₹ 25 लाख से ऊपर है, कंसल्टेंट से ईओआई मांगने के लिए एक जांच सार्वजनिक क्रय पोर्टल पर प्रकाशित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2022 और दिसंबर 2022 के बीच) कि म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा एडीबी परियोजनाओं हेतु कंसल्टेंसी अनुबंध (जनवरी 2017 और नवंबर 2021) दो अलग-अलग कंसल्टेंट्स क्रमशः मेसर्स इंटरकॉन्टिनेंटल कंसल्टेंट्स और मेसर्स टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि., इण्डिया के साथ छह पैकेज के लिए ₹ 26.34 करोड़ + ₹ 0.95 मिलियन यूएसडी की अनुबंध लागत पर तथा मेसर्स ब्लूम कंपनीज एलएलसी प्रा. लि. के साथ

²⁶ एक अभिलेख जिसमें योग्यता मानदंड, प्रस्तुत करने की आवश्यकता, कार्य का संक्षिप्त उद्देश्य और दायरा तथा मूल्यांकन मानदंड इत्यादि का विवरण होता है।

11 पैकेज के लिए ₹ 19.99 करोड़ की अनुबंध लागत पर निष्पादित किए गए थे। हालाँकि, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने उचित निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना, इन्हीं दो फर्मों को क्रमशः चार पैकेज (कार्य मूल्य ₹ 412.59 करोड़) और नौ पैकेज (कार्य मूल्य ₹ 781.43 करोड़) के अतिरिक्त कार्य के लिए परामर्श अनुबंध प्रदान किया। इन अतिरिक्त अनुबंधों के लिए, दोनों फर्मों को ₹ 21.96 करोड़ के परामर्श शुल्क का भुगतान किया गया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2.6 में बताया गया है:

तालिका 2.6: अतिरिक्त कार्य के अनियमित रूप से सौंपे जाने का विवरण

सं.क्र.	कंसल्टेंसी	अतिरिक्त पैकेज की संख्या / अतिरिक्त पैकेज की कुल लागत	मौजूदा कंसल्टेंट को अनियमित भुगतान
1.	मेसर्स इंटरकॉन्टिनेंटल कंसल्टेंट्स एवं मेसर्स टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि., इण्डिया	चार पैकेज / ₹ 412.59 करोड़	₹ 8.47 करोड़
2.	मेसर्स ब्लूम कंपनीज एलएलसी प्रा. लि.	नौ पैकेज / ₹ 781.43 करोड़	₹ 13.49 करोड़
	कुल	13 पैकेज / ₹ 1194.02 करोड़	₹ 21.96 करोड़

अतिरिक्त कार्य देने के लिए म.प्र.स.वि.नि.लि. ने न तो कोई विज्ञापन जारी किया और न ही एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) मंगाया। यह पूरी तरह से वित्तीय नियमों, अन्य संता प्रावधानों और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक अनियमित भुगतान हुआ।

शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023)।

शासन ईओआई के बिना कार्य सौंपे जाने के कारणों की जांच कर सकती है और म.प्र.स.वि.नि.लि. संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है।

2.8.2 परियोजना नेटवर्क विश्लेषण का पालन न करना

परियोजना नेटवर्क विश्लेषण तकनीकों का उपयोग परियोजनाओं की आयोजना, समय-निर्धारण और नियंत्रण के लिए किया जाता है। परियोजनाओं की आयोजना, समय-निर्धारण और नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली क्रिटिकल पाथ विधि (सीपीएम) और कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक (पीईआरटी) की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2022) कि एडीबी VI के दो पैकेज में (प्रत्येक एकल सड़क के क्रियान्वयन हेतु)²⁷ परियोजना प्रबंधन तकनीकों (सीपीएम और पीईआरटी) पर विचार किए बिना तथा दायरा, मात्रा, परियोजना के क्रियान्वयन में बाधा, इत्यादि की परवाह किए बिना सभी कार्यों की पूर्णता के लिए 24 माह की एक समान अनुमति दी गई थी। अर्थात् दोनों कार्य कार्य प्रगति पर थे (मार्च 2023)। इन दोनों पैकेजों की तुलना पैकेज 26 के अंतर्गत क्रियान्वित दो सड़कों²⁸ के साथ की गई थी। विवरण नीचे तालिका 2.7 में दिया गया है:

²⁷ पहली सड़क: महाराष्ट्र सीमा-कुकुरु खामला-भैसदेही सड़क (लंबाई 30 किमी और अनुमानित लागत ₹ 90.51 करोड़), दूसरी सड़क: जोबट-नानपुर (लंबाई 21.60 किमी और अनुमानित लागत ₹ 64.46 करोड़) तथा पूरा करने हेतु अनुमत समय अवधि दोनों प्रकरण में 24 माह दी गई थी।

²⁸ पोरसा- महागाव-महू-सेवड़ा रोड और जमुना- विलाव रोड (एडीबी-VI के अंतर्गत पैकेज 26, कुल लंबाई 89.40 किलो मीटर और कुल अनुमानित लागत ₹ 261.00)

तालिका 2.7: परियोजना की पूर्णता हेतु असंगत समय-निर्धारण

विवरण	पैकेज 26	पैकेज 19	पैकेज 3
सड़क की लंबाई	89.40 किमी (दो सड़के)	30 किमी (एकल सड़क)	21.60 किमी (एकल सड़क)
अनुमानित लागत (₹) में	261.00 करोड़	90.51 करोड़	64.46 करोड़
संरचना की संख्या	111 संख्या	105 संख्या	30 संख्या
वन क्षेत्र	4.23 किमी (4.73 प्रतिशत)	2.8 किमी (9.33 प्रतिशत)	1.080 किमी (5 प्रतिशत)
बस्ती से होकर गुजरने वाला क्षेत्र	14.476 किमी (16.19 प्रतिशत)	3.361 किमी (11.20 प्रतिशत)	2.150 किमी (9.95 प्रतिशत)
अनुमत्य समय	24 माह	24 माह	24 माह

इष्टतम आवश्यकता (सीपीएम और पीईआरटी के अनुसार) से अधिक समय विभाग की समय-नियंत्रण विफलता को दर्शाता है तथा स्वतंत्र यंत्री (आईई) को किए गए अनावश्यक अतिरिक्त भुगतान की देनदारी और आवश्यक इष्टतम समय पर विस्तारित अवधि में अनुचित मूल्य-वृद्धि की संभावना भी पैदा करता है।

शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (मार्च 2024)।

2.9 क्रियान्वयन

फुटपाथ गुणवत्ता कंक्रीट तथा ड्राई लीन कंक्रीट का निष्पादन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना (जनवरी 2016) के अनुसार, थर्मल पावर प्लांट के 300 किमी के दायरे में फुटपाथ गुणवत्ता कंक्रीट (पीक्यूसी) और ड्राई लीन कंक्रीट (डीएलसी) के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, फ्लाई ऐश के उपयोग को सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले राज्य के प्राधिकारियों की होगी और तदनुसार, पीडब्ल्यूडी की दर-अनुसूची (एसओआर), 2016 ने फ्लाई ऐश के साथ तथा उसके बिना पीक्यूसी और डीएलसी के लिए दरों को नीचे दी गई तालिका 2.8 के अनुसार बताया है:

तालिका 2.8: फ्लाई ऐश घटक वाली मदों की एसओआर दरें

(राशि ₹ में)

एसओआर मद संख्या	बीओक्यू मद संख्या	मद का विवरण	एसओआर 2016 (प्रति घ० मी०) के अनुसार दर
6.3	5.07 ए	फ्लाई ऐश के बिना पीक्यूसी	5726
6.10	5.07 बी	फ्लाई ऐश के साथ पीक्यूसी	5381
फ्लाई ऐश के साथ और उसके बिना पीक्यूसी की मद की दर में अंतर			345 (6.03 प्रतिशत)
6.1	5.06 ए	फ्लाई ऐश के बिना डीएलसी	2443
6.8	5.06 बी	फ्लाई ऐश के साथ डीएलसी	2344
फ्लाई ऐश के साथ और उसके बिना डीएलसी की मद की दर में अंतर			99 (4.05 प्रतिशत)

यह देखा जा सकता है कि फ्लाई ऐश के साथ पीक्यूसी और डीएलसी के निष्पादन की दरें फ्लाई ऐश के बिना निष्पादन की तुलना में कम हैं, हालांकि संरचनात्मक अखंडता अप्रभावित रहती है। निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

2.9.1 तथ्यों की गलत प्रस्तुति के कारण अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2022 और नवंबर 2022 के बीच) कि एडीबी-V के अंतर्गत सात पैकेज में, ठेकेदारों ने पीक्यूसी और डीएलसी हेतु अनुमोदित डिजाइन मिश्रण के प्रावधान के अनुसार थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश

का उपयोग किया। इसलिए, ठेकेदार "फ्लाइ ऐश के साथ पीक्यूसी और डीएलसी" मदों के लिए भुगतान के हकदार थे, हालांकि, इसके विपरीत, फ्लाइ ऐश के बिना पीक्यूसी और डीएलसी की दरों को अपनाकर गलत भुगतान किया गया था।

आगे, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने कहा कि सात पैकेज में से केवल चार में फ्लाइ ऐश का उपयोग किया गया था, लेकिन अभिलेखों की जांच से पता चला कि सभी सात पैकेज में फ्लाइ ऐश का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और ठेकेदारों को फ्लाइ ऐश के बिना पीक्यूसी और डीएलसी के निष्पादन के लिए उच्च दरों का लाभ दिया, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 27.62 करोड़ और ₹ 2.74 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि पीक्यूसी और डीएलसी की दर सामग्री के अवयव पर आधारित है, लेकिन यह तब तक दर को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि यह रियायत अनुबंध का हिस्सा न हो। दर पर फ्लाइ ऐश का प्रभाव भी निर्दिष्ट नहीं है। एसओआर केवल एक संदर्भ है, रियायती अनुबंध का हिस्सा नहीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों को भुगतान की जाने वाली दरें 'फ्लाइ ऐश के साथ पीक्यूसी/ डीएलसी' पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि ये गैर परिमाण बिल मद हैं और एसओआर में भी निर्दिष्ट मद हैं और इसलिए एसओआर के अनुसार कम दरें लागू थीं। हालांकि, म.प्र.स.वि.नि.लि. को यह जानकारी होने के बावजूद कि ठेकेदारों ने कम दर वाली वस्तुओं का उपयोग किया था, पीक्यूसी/डीएलसी की उच्च दरों पर भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ। निर्माण पर्यवेक्षण सलाहकार²⁹ निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री के अनुसार पीक्यूसी और डीएलसी की सही वस्तुओं का भुगतान सुनिश्चित करने में भी विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान हुआ।

म.प्र.स.वि.नि.लि. खामियों के कारणों की जांच कर सकता है तथा संबंधित अधिकारियों और सलाहकार पर जिम्मेदारी तय कर सकता है।

2.9.2 'पीक्यूसी' और 'डीएलसी' मद के कार्यान्वयन में फ्लाइ ऐश को शामिल न करने के कारण अतिरिक्त लागत

यह देखा गया कि एडीबी V के 10 पैकेजों में, एमओईएफ एंड सीसी की अधिसूचना (जनवरी 2016) का उल्लंघन करते हुए, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने डीपीआर में 'पीक्यूसी' और 'डीएलसी' की मदों में फ्लाइ ऐश के अनिवार्य प्रावधान को शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप पीक्यूसी के क्रियान्वयन में ₹ 13.70 करोड़ और फ्लाइ ऐश के बिना डीएलसी के क्रियान्वयन में ₹ 4.36 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

उत्तर में, सीई, एडीबी ने कहा (जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच) कि अनुबंध की सामान्य शर्त (जीसीसी) के उप-अनुच्छेद 4.9 में कहा गया है कि ठेकेदारों ने फ्लाइ ऐश के साथ 'डीएलसी' और 'पीक्यूसी' के निर्माण में दोष और कठिनाई पाई, इसलिए मद फ्लाइ ऐश को शामिल नहीं किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि कार्य मद दर अनुबंधों पर दिए गए थे और ठेकेदार अपनी दरें उद्धृत करने के लिए स्वतंत्र थे, इसलिए यह भुगतान दरों में बदलाव का कारण नहीं हो सकता है।

²⁹ मेसर्स आईसीटी प्रा. लि., नई दिल्ली और रोडिक कंसल्टेंट्स प्रा. लि., नई दिल्ली (जेवी) पैकेज संख्या 21 के लिए, 2. मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल, इंक. मेसर्स हाईवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के सहयोग से पैकेज संख्या 7,8,10ए, 11ए, 14 के लिए, 3. यूआरएस स्कॉट विल्सन इंडिया (पी) लिमिटेड सब-कंसल्टेंट एआईसीओएनएस इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड के साथ पैकेज संख्या 1 के लिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य सभी परियोजनाओं में जहां फ्लाइंग ऐश का उपयोग किया गया था, ठेकेदारों की ओर से निर्माण पर्यवेक्षण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत डिजाइन मिश्रण ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि फ्लाइंग ऐश के साथ क्रियान्वित 'पीक्यूसी' और 'डीएलसी' की मदों की 'कंप्रेसिव स्ट्रेंथ' और 'फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ' कहीं बेहतर थी। इसलिए गुणवत्ता और क्रियान्वयन में कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठता।

शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023)।

2.9.3 'अर्थवर्क' के निष्पादन में ठेकेदार को अधिक भुगतान

अनुबंध की सामान्य शर्त (जीसीसी) की धारा-7 के अनुच्छेद 12.3 (ए) सहपठित पीसीसी के अनुच्छेद 12.3 में कहा गया है कि निष्पादित कार्य के मद के दर-विश्लेषण का पुनरीक्षण किया जा सकता है यदि:

- परिमाण बिल (बीओक्यू) में अनुमानित मात्रा से निष्पादित कार्य की मापित मात्रा में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि; और
- मात्रा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुबंधित मूल्य में कम से कम दो प्रतिशत की वृद्धि होती है।

इसके अलावा, जीसीसी के अनुच्छेद 12.4 के अनुसार, जब भी किसी कार्य को हटाने पर बदलाव का हिस्सा (या पूर्णतः) बनती है, जिसके मूल्य पर सहमति नहीं हुई तो ठेकेदार यंत्री को समर्थित विवरण के साथ जानकारी देगा। तत्पश्चात, यंत्री सहमत होने अथवा लागत के निर्धारण के लिए उप-अनुच्छेद 3.5 के अनुसार कार्यवाही करेगा, जिसे अनुबंध-मूल्य में शामिल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने एडीबी V के पैकेज 5 में पाया (अप्रैल 2022) कि निष्पादित किए जाने वाले "बांध के निर्माण" का एक मद "फ्लाइंग ऐश से बांध का निर्माण" था। ठेकेदार ने अनुरोध किया (सितंबर 2017) कि फ्लाइंग ऐश से बांध के निर्माण के मद को कार्य के दायरे हटाया जावे तथा इस मद की जगह, ठेकेदार ने उद्धृत दर पर ही उक्त कार्य को खनन-क्षेत्र से प्राप्त मिट्टी से निष्पादित करने का वचन दिया। म.प्र.स.वि.नि.लि. इससे सहमत (मार्च 2018) हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार ने जीसीसी के अनुच्छेद 12.3 के अनुसरण में बांध -निर्माण में मिट्टी के उपयोग के लिए अतिरिक्त लागत का दावा किया और म.प्र.स.वि.नि.लि. अत्यधिक मात्रा में वृद्धि के कारण निष्पादित मद (बांध-निर्माण) के दर-विश्लेषण को संशोधित करने पर सहमत हुआ। तदनुसार, दर को संशोधित (जुलाई 2020) कर ₹ 110 से ₹ 201 प्रति घन.मी. कर दिया गया। ठेकेदार ने अर्थवर्क की निष्पादित मात्रा के लिए संशोधित दर पर भुगतान का दावा किया और इसे विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस प्रकार, ठेकेदार ने वचन देने के बावजूद कपटपूर्णता से मद हेतु अतिरिक्त दर का दावा किया और विभाग इसे समझने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 1.99³⁰ करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

30

निष्पादन मात्रा	दर का भुगतान किया गया	दर देय	दर अंतर	अंतर (राशि ₹ में)
218586.832	₹ 161/ घन मी.	₹ 110/ घन मी.	₹ 51/ घन मी.	11147928 (पहले से ही भुगतान)
218586.832	₹ 201/ घन मी.	₹ 110/ घन मी.	₹ 91/ घन मी.	19891401-1114798 (पूर्व में भुगतान) =8743473(अतिरिक्त देयता)
कुल				19891401

शासन ने तथ्यों (जून 2023) को स्वीकार करते हुए कहा कि दर-संशोधन को रद्द³¹ कर दिया गया है और अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारों के रखरखाव के देयकों से वसूल किया जाएगा।

2.9.4 'यूटिलिटी शिफ्टिंग' के कारण रियायतग्राहियों को अतिरिक्त भुगतान

रियायती अनुबंध का अंश, तकनीकी अनुसूची-ए के अनुच्छेद 4.1.3 और अनुच्छेद 1.6 के अनुसार, प्राधिकारी को प्रदाय अथवा यदि प्राधिकारी ऐसा चाहे, अथवा यूटिलिटी के स्वामित्ववाली इकाई को विस्तृत प्राक्कलन और यूटिलिटी की लागत और यूटिलिटी शिफ्टिंग³² उपलब्ध यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के अनुसार करना चाहिए। तदनुसार, यूटिलिटी शिफ्टिंग की मद को आधारभूत लागत (प्राक्कलन) में शामिल किया गया और इस आधारभूत लागत पर एनआईटी³³ जारी किए गए थे।

बोली-अभिलेख (खंड 1) के भाग-1 की कंडिका 7.1 और 7.2 के तहत यह कहा गया है कि बोली लगाने वाले से यह अपेक्षित है कि परियोजना के लिए बोली लगाने से पहले व्यक्तिगत रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा और रियायत अनुबंध की समय-अनुसूची के अनुसार किए जाने वाले कार्यों तथा उसकी लागत का सम्पूर्ण गहन मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा, सलाहकार द्वारा तैयार की गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट (एफआर) के "कार्यकारी सारांश" के अध्याय-1 के बिन्दु 3 में जांच और सर्वेक्षण का कार्य भी शामिल है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (नवंबर 2022) कि एडीबी VI के तहत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले रियायतग्राही यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि यूटिलिटी शिफ्टिंग के मद प्राक्कलन (आधारभूत लागत) में शामिल थे और रियायत अनुबंधों के कार्य के दायरे में शामिल थे। इस तथ्य के बावजूद, पैकेज 3 और पैकेज 4 में, यह देखा गया कि यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य के लिए रियायतग्राहियों को ₹ 10.17 करोड़ की राशि अलग से भुगतान की गई थी। रियायतग्राहियों द्वारा किए गए कार्य और भुगतान का विवरण नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9 : यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए रियायतग्राहियों को अतिरिक्त भुगतान

(₹ करोड़ में)

पैकेज सं.	यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित अनुमानित लैंडिंग लागत	बोली लागत	यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए प्रभावित यूटिलिटी की संख्या	यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु तकनीकी स्वीकृति	यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए रियायतग्राहियों को किया गया अतिरिक्त भुगतान ³⁴
3	64.46	66.60	140	7.44	6.66
4	187.93	186.00	337	5.54	3.52
कुल		252.60	477	12.98	10.17

मुख्य अभियंता ने कहा (जनवरी 2023) कि हैम परियोजनाओं में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट (एफआर) के आधार पर निविदाएं बुलाई जाती हैं। बोली-अभिलेख के भाग-1 की कंडिका 7.1 और 7.2 के तहत, बोली लगाने वाले से यह अपेक्षित है कि परियोजना के लिए बोली लगाने से पहले व्यक्तिगत रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा और रियायत अनुबंध की समय-अनुसूची के अनुसार किए जाने वाले कार्यों तथा उसकी लागत का सम्पूर्ण गहन मूल्यांकन करेगा। पैकेज 3, अनुसूची-बी में, कार्य के दायरे में "यूटिलिटी शिफ्टिंग" का कोई उल्लेख नहीं है। अनुबंध की

³¹ एमपीआरडीसी कार्यालय पत्र 19817 दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से।

³² एडीबी VI के तहत, नए कार्य के उन्नयन में यूटिलिटी शिफ्टिंग शामिल है, यह एडीबी V पर लागू नहीं होता है।

³³ निविदा आमंत्रण सूचना।

³⁴ इसमें 12 प्रतिशत जीएसटी भी शामिल है।

घोषित संभावित लागत में यूटिलिटी शिफ्टिंग लागत को शामिल करने मात्र को दोहरा भुगतान नहीं माना जा सकता है।

उत्तर निम्नलिखित कारणों से भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है:

- फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर का एक अनिवार्य अंग है और दोनों पैकेज में डीपीआर में यूटिलिटी शिफ्टिंग की मर्दे तथा लागत पहले से ही शामिल है।
- पैकेज 3, अनुसूची-बी में, कार्य के दायरे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यूटिलिटी शिफ्टिंग और व्यय अनुमान में "यूटिलिटी शिफ्टिंग" मद शामिल हैं। इसलिए, यूटिलिटी शिफ्टिंग के कारण पृथक से भुगतान न केवल अनियमित था बल्कि इसके परिणामस्वरूप दोहरा भुगतान हुआ।
- हैम परियोजना में, रियायतग्राही द्वारा उद्धृत परियोजना की बोली लागत, प्राक्कलित लागत के निरपेक्ष प्राधिकारी द्वारा रियायतग्राही को देय एवं भुगतान योग्य राशि होती है। अतः, कार्य को पूरा करने के लिए रियायतग्राही पूर्णतः जिम्मेदार था और इसलिए, प्रासंगिक कार्य होने पर भी किसी अतिरिक्त भुगतान का पात्र नहीं था।

शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023)।

2.9.5 रिडफोर्समेन्ट (आरसीसी) क्रैश बैरियर की अधिक मात्रा के भुगतान के कारण ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान

सड़कों पर दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा आरसीसी रेलिंग के स्थान पर आरसीसी क्रैश बैरियर का प्रस्ताव रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2022) कि एडीबी V के पैकेज 8 के डीपीआर में परिमाण बिल (बीओक्यू) में 1341 मीटर आरसीसी रेलिंग और 232 मीटर आरसीसी क्रैश बैरियर के उपयोग का प्रावधान था। हालाँकि, यह पाया गया कि यद्यपि ठेकेदार ने 1364.95 मीटर आरसीसी क्रैश बैरियर का निष्पादन किया था, लेकिन इस मद बावत 2597.08 मीटर के लिए भुगतान किया गया था और परिणामस्वरूप, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने बीओक्यू के अंतर्गत आरसीसी रेलिंग की मात्रा 633.10 मीटर³⁵ कम कर दी। इस प्रकार, ठेकेदार को वास्तविक निष्पादित मात्रा से 1232.13 मीटर अधिक का भुगतान किया गया। इससे ठेकेदार³⁶ को ₹ 0.62 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अतिरिक्त भुगतान वसूल कर लिया गया है।

2.9.6 पीक्यूसी में 'ग्रूव कटिंग' के गैर-बीओक्यू मद का अतिरिक्त भुगतान

पीक्यूसी के कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपैन्शन और लॉगिट्यूडिनल जॉइन्ट्स पर एक तिहाई गहराई तक 4 मिमी से 6 मिमी तक 'ग्रूव कटिंग', पीक्यूसी के निष्पादन का अभिन्न अंग है। इसलिए, ग्रूव कटिंग की मद के लिए पृथक से भुगतान अनुमत नहीं है।

³⁵ 1,341 मीटर से 707.90 मीटर तक।

³⁶ 1232.13 मीटर × ₹ 5,001 प्रति मीटर।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2022) एडीबी V के पैकेज 10ए और 11ए में, 4-6 मिमी की चौड़ाई की 'ग्रूव कटिंग' का एक गैर-बीओक्यू मद था, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने 64754.83 मीटर 'ग्रूव कटिंग' के लिए ₹ 0.62³⁷ करोड़ का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 0.62 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि पैकेज 10ए और 11ए शेष कार्य थे। पैकेज 10 और 11 के ठेकेदारों द्वारा 4-6 मिमी की 'ग्रूव कटिंग' छोड़ दी गई थी, इसलिए गैर-बीओक्यू मद के रूप में नई मद ठेकेदारों से प्राप्त की गई थी और अनुमोदित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'ग्रूव कटिंग' को पीक्यूसी क्रियान्वित करने के 24 घंटे के भीतर निष्पादित करना आवश्यक है। हालांकि, मौजूदा मामलों में, पिछली एजेंसी ने इस मद को निष्पादित नहीं किया और काम छोड़ने के लगभग 10 माह व्यतीत होने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया गया, उसके बाद बचे हुए कार्य नई एजेंसियों को सौंप दिए गए। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि 'ग्रूव कटिंग' मद का भुगतान एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद किया गया, जो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, 'ग्रूव कटिंग' की मद को निष्पादित किए बिना पहले के ठेकेदारों को पीक्यूसी की पूरी दर का भुगतान करने से न केवल अधिक भुगतान हुआ, बल्कि बाद के ठेकेदारों द्वारा 'ग्रूव कटिंग' की मद से कंक्रीट में कोई मूल्यवर्धन नहीं होगा।

2.9.7 उत्खनित हार्ड रॉक की वसूली न होने के कारण ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान

अनुसूची-दर, 2016, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सामान्य निर्देश (सड़क कार्य) के अनुच्छेद 24 के अनुसार, हार्ड रॉक की खुदाई से उपलब्ध मलबे का उपयोग निर्माण में किया जाएगा और ठेकेदार को प्रदाय किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने तीन पैकेजों³⁸ में पाया (जुलाई 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच) कि खुदाई से प्राप्त 111675.75 घन मी. हार्ड रॉक ठेकेदारों को प्रदाय किया जाना था और ₹ 150 प्रति घन मी. की निर्दिष्ट दर से ₹ 1.68 करोड़ वसूली की जानी थी। हालांकि, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों को न तो खुदाई से प्राप्त हार्ड रॉक प्रदाय किया और न ही इसने ठेकेदारों से ₹ 1.68 करोड़ की राशि की वसूली की।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा हार्ड रॉक की मात्रा का हिसाब नहीं रखा गया था और इसलिए चोरी एवं ठेकेदारों द्वारा गलत उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही, अप्रयुक्त हार्ड रॉक के परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़³⁹ की रॉयल्टी की वसूली भी नहीं हुई।

शासन ने कहा (जून 2023) कि हार्ड रॉक के उत्खनन दर में साल्वेज वैल्यू शामिल है।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि अनुसूची-दर में उल्लिखित दरों में साल्वेज वैल्यू शामिल नहीं है। इसके अलावा ठेकेदारों से रॉयल्टी की वसूली न होने पर भी उत्तर मौन है।

³⁷ ₹ 92 प्रति मीटर की दर से 43810.83 मीटर और ₹ 97 प्रति मीटर की दर से 20,944 मीटर।

³⁸ पैकेज 8, पैकेज 15 बी और 18 ए

³⁹ हार्ड रॉक पर रॉयल्टी $111675.75 \times ₹ 120/\text{घन मीटर} = ₹ 1,34,01,090$

2.9.8 वित्तीय समापन में विलंब के कारण आरोपित शास्ति की गलत प्रविष्टि

म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम 10 में प्रावधान है कि प्रत्येक विभाग प्रमुख सभी प्रासंगिक वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा क्रियान्वयन के साथ-साथ, हर कदम पर वित्तीय व्यवस्था और सख्त मितव्ययिता को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

रियायत समझौते का खंड 22.1.1 आगे प्रावधान करता है, रियायतग्राही को समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर वित्तीय समापन⁴⁰ पूरा करना होगा। देरी की स्थिति में, देरी के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन सुरक्षा के 0.05 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि में प्राधिकरण को नुकसान का भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार, यदि रियायतग्राही उसके संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुच्छेद 4.1.3 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों में से किसी एक या सभी की पूर्ति सुनिश्चित नहीं करता है, तो रियायतग्राही प्राधिकारी को प्रत्येक दिन की देरी के लिए निष्पादन सुरक्षा के 0.3 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि में क्षति की भरपाई करता है, जब तक कि निर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौते में निर्धारित ऐसी शर्तों की पूर्ति नहीं हो जाती।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2022) कि एडीबी VI के तीन पैकेज में, प्रावधानों के विपरीत, वित्तीय समापन विलंब से किया गया था और रियायतकर्ता शर्तों को पूरा करने में विफल रहे। इस कारण ₹ 4.91 करोड़ की क्षतिपूर्ति का आरोपण और उसकी वसूली आवश्यक हुई। हालाँकि, यह पाया गया कि म.प्र.स.वि.नि.लि. ने इस राशि को 'राजस्वप्राप्ति' के रूप में खाते के अंतिम शीर्ष 'शास्ति' में प्रविष्ट करने के बजाय, कुल वसूली गई राशि में से ₹ 4.49 करोड़ की राशि रोक ली, जैसा कि नीचे तालिका 2.10 दिखाया गया है:

तालिका 2.10: विलंब के कारण आरोपित शास्ति का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

एडीबी VI का पैकेज क्र.	वित्तीय समापन की तिथि	वित्तीय समापन में देरी (दिनों में)	वित्तीय समापन में देरी के लिए शास्ति (अनुच्छेद 22.1.1)	शर्तों का पालन न करने पर शास्ति (अनुच्छेद 4.3/4.1.3)	गैर-अनुपालन के लिए वास्तविक वसूली	त्रुटि के कारण कमी	शीर्षक "रोकी गई" के अंतर्गत बुकिंग राशि
26	1/9/2020	23	0.15	2.61	2.16	0.45	2.31 (0.15+2.16)
19	30/9/2020	83	0.30	-	0.30	-	0.30
4	22/5/2020	196	2.45	-	2.45	-	1.88
कुल					4.91		4.49

इस प्रकार, ₹ 4.49 करोड़ की शास्ति की राशि को अंतिम शीर्ष में जमा करने के बजाय रोक देने से न केवल राजकोष को राजस्व से वंचित कर दिया गया, बल्कि रियायतकर्ताओं को राशि वापस कर दिया जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में, सीई, एडीबी ने कहा (जनवरी 2023) कि राशि को शुरू में रोक कर रखा गया था और खातों को अंतिम रूप देने के दौरान 'शास्ति' के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा के कहने पर, शास्ति सही शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)।

⁴⁰ इसे एक ऐसे चरण के रूप में परिभाषित किया गया है जब धन की प्रारंभिक उपलब्धता से पहले एक वित्तपोषण समझौते की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं।

2.9.9 विलंब के लिए शास्ति न लगाए जाने से ठेकेदारों को अनुचित लाभ

अनुबंध की सामान्य शर्त (जीसीसी) के अनुच्छेद 8.4 के अनुसार, ठेकेदार कार्य पूर्ण करने के लिए समय-वृद्धि का पात्र होगा, यदि मात्रा में भिन्नता या पर्याप्त परिवर्तन, असाधारण रूप से प्रतिकूल जलवायु स्थितियों, कर्मियों की उपलब्धता में अप्रत्याशित कमी या महामारी या सरकारी कार्रवाइयों के कारण माल या नियोक्ता के कारण या उसके कारण होने वाली किसी भी देरी, बाधा या रोकथाम होती है। हालांकि, अनुच्छेद 8.7 निर्धारित करता है कि यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण होने के निर्धारित समय का पालन करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार को विलंब के लिए अनुबंध मूल्य के 1/20 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति देना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच) कि एडीबी V के 14 नमूना जांच किए गए पैकेज में से पांच पैकेज⁴¹ में, ठेकेदार अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त करने में विफल रहे और पानी के पाइपलाइन की शिफ्टिंग, बेमौसम/असामान्य वर्षा, वनक्षेत्र में कार्य पर प्रतिबंध तथा इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी शिफ्टिंग में विलंब के आधार पर समय-वृद्धि दी गई।

परिशिष्ट 2.5 में वर्णित कारणों से उपरोक्त आधार पर विलंब स्वीकार्य नहीं था, जिनमें विलंब के मुख्य कारण असामान्य वर्षा और यूटिलिटी शिफ्टिंग हैं। अनुबंधों में वर्षा का मौसम शामिल है और यूटिलिटी शिफ्टिंग भी अनुबंध का हिस्सा है, इस प्रकार विलंब पूर्णतः ठेकेदारों के कारण हुए थे। इसलिए, ₹ 30.11 करोड़ की शास्ति आरोपित करना और ठेकेदारों के आईपीसी से कटौती करना आवश्यक था, हालांकि, म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा कोई शास्ति नहीं वसूली गई (दिसंबर 2022)।

उत्तर में, शासन ने समय विस्तार देने और जुर्माने की वसूली न होने के उपरोक्त कारणों को दोहराया (जून 2023)।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि विलंब पूर्णतः ठेकेदारों के कारण हुए थे, इसलिए शास्ति लगाया जाना चाहिए था।

2.9.10 अनुबंध की समाप्ति और शेष कार्य को दोबारा देने में विलंब के कारण ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ

अनुबंध (एडीबी V) के अनुच्छेद 15.2 के अनुसार, यदि ठेकेदार काम छोड़ देता है या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के इरादे का प्रदर्शन नहीं करता है, तो म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा अनुबंध समाप्त करना आवश्यक था। अनुबंध के अनुच्छेद 8.2 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा तीन माइलस्टोन⁴² के अनुसार कार्य पूर्ण करना आवश्यक था। इसके अलावा, अनुबंध के अनुच्छेद 8.7.1 में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार माइलस्टोन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार अनुबंध मूल्य के 1/20 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक नियोक्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2022 और नवंबर 2022 के बीच) कि:

⁴¹ पैकेज 1, 4, 8, 18ए और 18बी

⁴² **पहला माइलस्टोन:** कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय के 50 प्रतिशत के अंत तक स्वीकृत अनुबंध राशि के न्यूनतम 30 प्रतिशत की राशि के कार्यों को पूरा करना, **दूसरा माइलस्टोन:** कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय के 70 प्रतिशत के अंत तक स्वीकृत अनुबंध राशि के न्यूनतम 50 प्रतिशत की राशि के कार्यों को पूरा करना और **तीसरा माइलस्टोन:** कार्य पूरा करने के संपूर्ण समय के अंत तक सभी कार्यों (100 प्रतिशत) को पूरा करना।

2.9.10.1 पैकेज 10⁴³ और 11⁴⁴ के मामलों में, ठेकेदार (मैसर्स आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड और मैसर्स आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जेवी) द्वारा काम की प्रगति बहुत धीमी थी और पूर्णता की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी, ठेकेदार मुश्किल से क्रमशः 24.48 प्रतिशत और 17.65 प्रतिशत कार्य ही पूरा कर सका था। धीमी प्रगति के बावजूद, म.प्र.स.वि.नि.लि. सभी तीन माइलस्टोन की प्राप्ति में कमी के विरुद्ध संबंधित आईपीसी से विलंब बावत क्षतिपूर्ति ₹ 37.47 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा। साथ ही, क्रमशः 1,254 दिन और 1,166 दिन का ज्यादा समय लग गया। इस बीच, ठेकेदारों ने दोनों पैकेज को बंद कर दिया (सितंबर 2018) और कार्यस्थल से सभी संयंत्रों, उपकरणों और जनशक्ति को हटा दिया। परिणामतः, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ठेकेदार द्वारा काम बंद करने के 10 महीने बीत जाने के बाद अंततः दोनों पैकेज को समाप्त कर दिया (जुलाई 2019)।

2.9.10.2 पैकेज 10 के संदर्भ में, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री बावत ₹ 10.92 करोड़ का सामग्री अग्रिम⁴⁵ जारी किया (जनवरी 2018 से अक्टूबर 2018)। काम छोड़ने (सितंबर 2018) के बाद भी सामग्री अग्रिम के रूप में ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ की राशि का अविवेकपूर्ण भुगतान किया गया (अक्टूबर 2018)। यह भी देखा गया कि अनुबंध समाप्ति (जुलाई 2019) के बाद, ठेकेदार से वसूली के लिए कुल सामग्री अग्रिम ₹ 5.34 करोड़ थी, जबकि कार्यस्थल पर सामग्री के मूल्यांकन के दौरान सामग्री का मूल्य केवल ₹ 1.66 करोड़ था। वास्तव में कार्यस्थल पर नहीं लाई गई मात्रा पर ₹ 3.68⁴⁶ करोड़ के सामग्री अग्रिम के फर्जी भुगतान की संभावना थी। इसके अलावा, यह 'कंस्ट्रक्शन सुपरवीजन कंसल्टेंट'⁴⁷ की कर्तव्य के निर्वहन में विफलता को भी दर्शाता है। हालाँकि, कर्तव्यों के प्रति इस तरह की लापरवाही के लिए 'कंस्ट्रक्शन सुपरवीजन कंसल्टेंट' को दंडित करने के लिए कंसल्टेंसी अनुबंध में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था।

2.9.10.3 ठेकेदार ने दोनों पैकेज को बंद कर दिया (सितंबर 2018) और कार्यस्थल से सभी संयंत्रों, उपकरणों और जनशक्ति को हटा दिया। परिणामतः, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ठेकेदार द्वारा काम बंद करने के 10 महीने बीत जाने के बाद दोनों पैकेज को समाप्त कर दिया (जुलाई 2019)। पैकेज की समाप्ति के बाद भी, कंसल्टेंसी सेवाएँ बनी रहीं। निष्क्रिय अवधि (सितंबर 2018 से जुलाई 2019) के दौरान, पैकेजेस के विरुद्ध कंसल्टेंट को परिहार्य भुगतान किया गया था (आगे कंडिका 2.10.1 में चर्चा की गई)।

इस प्रकार, कंस्ट्रक्शन सुपरवीजन कंसल्टेंट कार्यों की प्रगति की निगरानी करने और ठेकेदार को भुगतान किए गए अग्रिमों के भुगतान और वसूली की निगरानी करने में विफल रहा। इसके अलावा, यह देखा गया कि कर्तव्यों के प्रति इस तरह की लापरवाही के लिए कंस्ट्रक्शन सुपरवीजन कंसल्टेंट को दंडित करने के लिए कंसल्टेंसी अनुबंध में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, म.प्र.स.वि.नि.लि. सामग्री अग्रिम के रूप में ₹ 3.68 करोड़ की वसूली करने में भी विफल रहा, जबकि पैकेज 10 के लिए कंसल्टेंट को किए गए ₹ 83.26 लाख का निष्क्रिय भुगतान और साथ ही, परिशिष्ट 2.6 में दिए गए विवरण के अनुसार पैकेज 10 और 11 में क्रमशः 1254 दिनों और 1166 दिनों की समयावधि के लिए ₹ 37.47 करोड़ की लिक्विडेटे डेमेज की गैर-वसूली के माध्यम से अनुचित लाभ दिया गया। म.प्र.स.वि.नि.लि. के पास उपलब्ध बैंक गारंटी के नकदीकरण और वसूली की संभावना क्षीण प्रतीत होती है

⁴³ पैकेज 10: प्रारंभ होने की तिथि 26/04/2017, पूर्णता की निर्धारित तिथि 25/04/2019 (730 दिन)

⁴⁴ पैकेज 11: प्रारंभ होने की तिथि 26/04/2017, पूर्णता की निर्धारित तिथि 25/10/2018 (548 दिन)

⁴⁵ अनुबंध का अनुच्छेद 14.5, कार्य में स्थायी रूप से लगनेवाली सामग्री सीमेंट, स्टील, बिटुमिन, आरसीसी स्पन पाइप और कंक्रीट को कार्यस्थल पर लाने के लिए एमआरडीसी के द्वारा सामग्री अग्रिम का भुगतान तथा कार्य में उपयोग किये जाने के अनुसार उसकी वसूली प्रावधानित करता है।

⁴⁶ ₹ 5.34 करोड़ - ₹ 1.66 करोड़ = ₹ 3.68 करोड़।

⁴⁷ पैकेज क्रमांक 10 और 11 के लिए, मैसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक ने मैसर्स हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के सहयोग से।

क्योंकि प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के विचाराधीन है और साथ ही, ठेकेदार परिसमापन के लिए चला गया है (अक्टूबर 2018)।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि ठेकेदार को अनुबंध के अनुच्छेद 14.5 के अनुसार सामग्री अग्रिम दिया गया है। ठेकेदार ने कार्य का निष्पादन धीमी गति से किया। म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ठेकेदार आईएल एंड एफएस के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से पहले कानूनी राय ली थी। इसके बाद दिनांक 25 जुलाई 2019 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया। म.प्र.स.वि.नि.लि. के नियोक्ता के दावे को आईएल एंड एफएस के दावा निपटान विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंसल्टेंसी अनुबंध में समुचित प्रावधान के अभाव में म.प्र.स.वि.नि.लि. शास्ति आरोपित करने, बकाया वसूलने और कंस्ट्रक्शन सुपरवीजन कंसल्टेंट (सीएससी) को दंडित करने में विफल रहा। कहने की जरूरत नहीं है कि म.प्र.स.वि.नि.लि. ने कार्य छोड़ने के बाद भी कंसल्टेंट को निष्क्रिय शुल्क और ठेकेदार को सामग्री अग्रिम का भुगतान करना जारी रखा। इसके अलावा, कार्यस्थल पर उपलब्ध सामग्री में विसंगति इंगित करती है कि या तो सामग्री का लेखा-जोखा नहीं था या म.प्र.स.वि.नि.लि. ने कल्पित मात्रा में सामग्री अग्रिम जारी किया था।

2.9.11 कार्यों का अनाधिकृत उप-अनुबंध

अनुबंध के अनुच्छेद 4.4 के अनुसार, ठेकेदार सीएससी/ म.प्र.स.वि.नि.लि. की पूर्व सहमति से उप-ठेकेदार को पैकेज के कुल कार्य के अधिकतम 50 प्रतिशत तक उप-अनुबंध पर देने के लिए सक्षम था, लेकिन सहमति न होने पर, अनुच्छेद 15.2 में म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जाना प्रावधानित था। उप-ठेकेदारों की बोली क्षमता का मूल्यांकन उप-अनुबंध से पहले सबसे कम सड़क निर्माण अनुभव⁴⁸ और पिछले तीन वर्षों के औसत कारोबार के आधार पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अनाधिकृत उप-अनुबंध पाए (जुलाई-अगस्त 2022), जो नीचे दिए गए हैं:

2.9.11.1 पैकेज 11 (एडीबी V) में, पैकेज के कुल कार्य (₹ 161.71 करोड़) का 49.74 प्रतिशत जिसकी राशि ₹ 80.44 करोड़ थी सीएससी⁴⁹/म.प्र.स.वि.नि.लि. की सहमति से उप-अनुबंध⁵⁰ पर दिया गया था (दिसंबर 2017)। हालांकि, कार्यों के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों से पता चला कि कार्य (49.74 प्रतिशत) को सीएससी या म.प्र.स.वि.नि.लि. से सहमति प्राप्त किए बिना, उप-ठेकेदार द्वारा फिर से पांच अन्य उप-ठेकेदारों⁵¹ को उप-अनुबंध पर दे दिया गया था। परिणामतः, म.प्र.स.वि.नि.लि. उप-ठेकेदारों की पात्रता का आकलन नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप घटिया काम हुआ एवं काम के निष्पादन में विलंब हुआ और अंततः, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने पैकेज को समाप्त कर दिया (जुलाई 2019) हालांकि, कार्य की प्रगति मात्र 17.65 प्रतिशत थी।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि मेसर्स एल्सेमेक्स मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड, गांधीनगर केवल एक उप-ठेकेदार था और अन्य मेसर्स एल्सेमेक्स के श्रम ठेकेदार थे, जो आधिकारिक तौर पर परियोजना के अनुमोदित

⁴⁸ पिछले पांच वर्षों में निष्पादित एकल सड़क परियोजना का अधिकतम मूल्य।

⁴⁹ मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक ने मेसर्स हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के सहयोग से।

⁵⁰ मेसर्स एल्सेमेक्स मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड।

⁵¹ मेसर्स शाहिद इंफ्रा ग्रुप, मेसर्स व्हाइट हाउस बिल्डकॉन-नागपुर, मेसर्स संतोष कुमार असाटी-बालाघाट, मेसर्स संजय कुमार पटेल-बरघाट और मेसर्स तिवारी कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट-सिवनी।

उप-ठेकेदार नहीं थे। मुख्य ठेकेदार ने रुकावटों के कारण अपने हिस्से का कार्य देरी से पूरा किया। इसलिए, परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्य का उप-अनुबंध दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अनुबंध कोई श्रम अनुबंध नहीं था। साथ ही, उत्तर से यह पुष्टि होती है कि भले ही म.प्र.स.वि.नि.लि. को कार्यों के अनधिकृत पुनः उप-अनुबंध के बारे में पता था, लेकिन वह खराब निगरानी के लिए ठेकेदार और सीएससी के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहा।

2.9.11.2 पैकेज 18 ए (एडीबी V) में, 48.98 प्रतिशत (₹ 31.07 करोड़) काम को उप-अनुबंध पर देने के ठेकेदार के अनुरोध के विपरीत, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने सड़क निर्माण के अनुभव और औसत कारोबार के आधार पर कुल अनुबंध मूल्य (₹ 63.32 करोड़) का 35.73 प्रतिशत, राशि ₹ 22.63 करोड़ उप-अनुबंध⁵² पर देने की सहमति दी (दिसंबर 2018)। यह पाया गया कि सड़क निर्माण के अनुभव और औसत टर्नओवर के आधार पर, ठेकेदार का उसी उप-ठेकेदार को ₹ 8.36 करोड़ की राशि के 13.20 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य को फिर से उप-अनुबंध पर देने का संशोधित प्रस्ताव (अप्रैल 2019) म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठेकेदार ने एक परियोजना जो पांच साल से अधिक पुरानी⁵³ थी और इसलिए बोली क्षमता के आकलन के योग्य नहीं थी, प्रस्तुत करके उप-ठेकेदार की बोली क्षमता बढ़ा दी।

इसके अलावा, सीई, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने यह भी कहा (जुलाई 2019) कि पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन पहले से ही उप-अनुबंध का कार्य पूरा होने तक उसी कार्य में अतिरिक्त कार्य का उप-ठेका नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, मई 2019 तक, उप-अनुबंध कार्य की वित्तीय प्रगति केवल 50.50 प्रतिशत थी। इसलिए, ठेकेदार आगे के कार्य को उप-अनुबंध पर देने के लिए अयोग्य था (नवंबर 2019)।

इसलिए, म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा बोली क्षमता के कम मूल्यांकन और एक अयोग्य उप-ठेकेदार को ₹ 8.36 करोड़ का अतिरिक्त कार्य देने से परियोजना के पूरा होने में 187 दिनों⁵⁴ की अनुचित देरी हुई, चूंकि उप-ठेकेदार की क्षमता का आकलन सही तरीके से नहीं किया गया।

शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023)।

2.9.12 मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न होना

अनुबंध की विशेष शर्त (पीसीसी) के अनुच्छेद 14.2 में प्रावधान है कि यदि ठेकेदार प्रारंभिक तौर पर, कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि के 30 प्रतिशत अवधि के भीतर स्वीकृत अनुबंध राशि के 10 प्रतिशत भाग को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता को गारंटी को जप्त करते हुये तथा आईपीसी में भुगतान के लिए देय राशि में से, ठेकेदार को भुगतान की गई सम्पूर्ण अग्रिम राशि ब्याज सहित, वसूलने का अधिकार होगा।

एडीबी V के तहत कुल 14 नमूना जांच किए गए पैकेजों में से 11 पैकेजों⁵⁵ में लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022 से नवंबर 2022) कि भारी मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान के बावजूद, सात मामलों में ठेकेदार निर्धारित अवधि के 30 प्रतिशत की समाप्ति के बाद भी काम शुरू करने में विफल रहे। जबकि अन्य मामलों में ठेकेदारों ने निर्धारित अवधि के 30 प्रतिशत की समाप्ति के बाद कुल काम का 1.03 प्रतिशत से 5.56 प्रतिशत के बीच काम निष्पादित

⁵² मेसर्स बघेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, सिंगरौली।

⁵³ रिलायंस सासन पावर प्लांट के लिए प्लांट से माइन तक का निर्माण, जिसका वास्तव में निर्माण आवश्यक पांच वर्ष से पहले (15 जून 2014) किया गया था।

⁵⁴ पैकेज 07/02/2020 को पूरा हुआ जबकि निर्धारित समापन तिथि 04/08/2019 थी।

⁵⁵ एडीबी V का पैकेज 1,3,4,5,7,8,10,11,12,14 और 18-बी

किया। इस प्रकार, संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार, ब्याज सहित अग्रिम की पूरी राशि ₹ 120 करोड़ वसूली योग्य बनी। हालाँकि, म.प्र.स.वि.नि.लि. कार्रवाई करने में विफल रहा और चार पैकेजों से केवल ₹ 1.60 करोड़ की राशि वसूल कर ठेकेदारों को लगभग 180 दिनों तक अनुचित लाभ पहुँचाया।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि असामान्य वर्षा, राज्य राजमार्ग के रूपांतरण, संरचना की चौड़ाई में वृद्धि और अन्य कारणों से कुछ परियोजनाओं के काम में देरी हुई, जिसके कारण ठेकेदार समय पर अपने निर्धारित माइलस्टोन को हासिल करने में विफल रहे। इसलिए, परियोजनाओं के लिए समय बढ़ाया गया और तदनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि की वसूली की गई।

उत्तर गलत है क्योंकि अनुबंध की शर्तों को पूरा करना पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी थी। तथ्य यह है कि एक ओर, म.प्र.स.वि.नि.लि. एडीबी से ब्याज-युक्त ऋण ले रहा है, वहीं दूसरी ओर, म.प्र.स.वि.नि.लि. ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त ऋण दे रहा है, भले ही ठेकेदार माइलस्टोन प्राप्त करने में विफल रहे हों। इस प्रकार, कार्य की प्रगति सुनिश्चित किए बिना अग्रिमों की अगली किश्तें जारी करना म.प्र.स.वि.नि.लि. के लापरवाह और गैर-जिम्मेदार अनुबंध प्रबंधन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

2.9.13 शर्तयुक्त बैंक गारंटी के विरुद्ध मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित जारी करना

अनुबंध के अनुच्छेद 14.2 के अनुसार, म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा ठेकेदार को संसाधन जुटाने के लिए स्वीकृत अनुबंध राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अग्रिम (मोबिलाइजेशन अग्रिम) भुगतान करना आवश्यक था। मोबिलाइजेशन अग्रिम शर्तहीन बैंक गारंटी (बैंक गारंटी) प्रस्तुत किए जाने पर देय था और ज्वाइंट वेंचर फर्म (जेवी) की स्थिति में, बैंक गारंटी जेवी के नाम पर होनी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई-अक्टूबर 2022) कि म.प्र.स.वि.नि.लि. ने पैकेज 11 (एडीबी V) में एक जेवी फर्म-मेसर्स आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड और मेसर्स आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के ठेकेदार को बैंक गारंटी के विरुद्ध में ₹ 16.17 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की तीन किश्तें जारी की। तीसरी किश्त के लिए, एक्सिस बैंक, बांद्रा शाखा, मुंबई द्वारा ₹ 4.04 करोड़ की सशर्त बैंक गारंटी जारी की गई थी, इस शर्त के साथ कि मोबिलाइजेशन अग्रिम केवल संबंधित शाखा में ही जमा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- मुख्य भागीदार (मेसर्स आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड) द्वारा जमा की गई कुल बैंक गारंटी ₹ 16.17 करोड़ थी, जिसमें एक्सिस बैंक द्वारा जारी ₹ 4.04 करोड़ की सशर्त बैंक गारंटी शामिल थी, जो म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा संबंधित एक्सिस बैंक शाखा के बजाय किसी अन्य शाखा के खाते में मोबिलाइजेशन अग्रिम जमा करने की त्रुटिपूर्ण कार्रवाई के कारण अमान्य हो गया था (बैंक गारंटी की शर्त के अनुसार)।
- ₹ 12.13 करोड़ की शेष राशि में से, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ठेकेदार से ₹ 10.39 करोड़ की वसूली की थी क्योंकि ठेकेदार ने सितंबर 2018 से काम छोड़ दिया था और दिवालिया होने की कगार पर था।

इस प्रकार, ठेकेदार की गतिविधि की निगरानी करने और समय पर वसूली सुनिश्चित करने में म.प्र.स.वि.नि.लि. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.78 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। चूंकि मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के विचाराधीन है, इसलिए वसूली की संभावना कम लगती है।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि गारंटी अनुबंध के मुख्य भागीदार के नाम पर थी जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार स्वीकार किया गया था।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार करना अनियमित था। इसके अलावा, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारी और सीएससी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।

2.9.14 ठेकेदारों को बढ़ा हुआ भुगतान

अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुच्छेद 12.2 के अनुसार, अनुबंध में अन्यथा बताए गए को छोड़कर और स्थानीय प्रक्रियाओं के बावजूद, स्थायी कार्यों के प्रत्येक मद की शुद्ध वास्तविक मात्रा माप पुस्तिका (एमबी)⁵⁶ में दर्ज की जाएगी जिसके आधार पर ठेकेदार को भुगतान जारी किया जाना चाहिए। भाग 7 (टीओआर) के अनुच्छेद एफ में यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि कंस्ट्रक्शन सुपरविजन कंसल्टेंट द्वारा सॉफ्टवेयर का उपयोग किए जाने पर भी मापपुस्तिका में विस्तृत माप की प्रविष्टि आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2022 से नवंबर 2022) कि एडीबी V के तहत निष्पादित की जा रही 14 नमूना जांच की गई परियोजनाओं में से पांच परियोजनाओं⁵⁷ के अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आईपीसी) में, परियोजनाओं में निष्पादित विभिन्न मदों की नकारात्मक माप⁵⁸ दर्ज की गई थी। पिछला भुगतान फर्जी मापों के आधार पर किया गया था जिसमें गलत तरीके से अतिरिक्त माप दर्ज किए गए थे। इसने स्पष्ट रूप से इंगित किया कि कपटपूर्ण प्रक्रिया के स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद, सीएससी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार, बढ़ी हुई और अवास्तविक मात्रा के भुगतान के कारण, 28 मदों के निष्पादन में ₹ 10.20 करोड़ की राशि का अनुचित लाभ ठेकेदारों को दिया गया। विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि ऋणात्मक मात्रा कार्य-पूर्णता पर माप के मिलान के कारण थी। ड्राइंग के 'यथा-निर्माण' के बाद इनकी गणना सही ढंग से की गई और तदनुसार, धनात्मक और ऋणात्मक सुधार किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रथमतः गलत माप के आधार पर भुगतान करने की प्रथा अनियमित है। इसके अतिरिक्त, म.प्र.स.वि.नि.लि. गलत माप दर्ज करने और गलत माप के आधार पर भुगतान जारी करने के लिए कंस्ट्रक्शन सुपरविजन कंसल्टेंट⁵⁹ तथा म.प्र.स.वि.नि.लि. के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहा।

2.9.15 बोनस का परिहार्य भुगतान

अनुबंध के अनुच्छेद 23 के अनुसार, यदि ठेकेदार सम्पूर्ण कार्य को पूर्णता की निर्धारित अवधि से पहले पूरा कर देता है, तो ठेकेदार को अनुबंध मूल्य के 1/40 प्रतिशत प्रति दिन की दर से, अनुबंध मूल्य के अधिकतम पांच प्रतिशत तक बोनस का भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, परियोजना के निष्पादन के दौरान जटिलताओं और आनिश्चितताओं को दूर करने के लिए परियोजना-निर्धारण हेतु परियोजना की आयोजना, समयनिर्धारण तथा सिविल कार्यों के नियंत्रण के लिये तैयार की

⁵⁶ माप पुस्तिका का अर्थ, भुगतान के उद्देश्य से कार्य की विभिन्न मदों के माप को दर्ज करने के लिए उपयोग की जानेवाली पुस्तिका है।

⁵⁷ एडीबी V के पैकेज 4,5,7,8 और 10ए

⁵⁸ मद की पहले मापी गई मात्रा बाद में मापी गई मात्रा से तुलनात्मक रूप से कम थी।

⁵⁹ 1. पैकेज क्र. 7,8,10ए, के लिए मैसर्स एमएसवी इंटरनेशनल, इंक., मैसर्स हाईवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के सहयोग से। 2. पैकेज क्र. 4 और 5 के लिए यूआरएस स्कॉट विल्सन इंडिया (पी) लिमिटेड, उप-कंसल्टेंट एआईसीओएनएस इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड के सहयोग से।

गई और सामान्य तौर पर उपयोगित क्रिटिकल पाथ विधि (सीपीएम) और कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक (पी.ई.आर.टी.) का उपयोग आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने नीचे दिए गए अनुसार दो पैकेज में बोनस का परिहार्य भुगतान होना पाया (जुलाई 2022 और नवंबर 2022 के बीच):

पैकेज-11 ए में

बचे हुए पैकेज 11 का नाम बदलकर पैकेज 11ए कर दिया गया और इसे 22 फरवरी 2021 की प्रारंभ तिथि और 11 जून 2022 की निर्धारित समाप्ति तिथि के साथ एक ठेकेदार को सौंप दिया गया। ठेकेदार ने 03 जनवरी 2022 को काम पूरा किया और उसे 159 दिन⁶⁰ पहले पूरा करने के लिए ₹ 6.33 करोड़ का शीघ्र समापन बोनस का भुगतान (जून 2022) किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 159 दिनों के लिए भुगतान किए गए प्रारंभिक समापन बोनस में से, 126 दिनों के लिए ₹ 5.02 करोड़ बोनस स्वीकार्य नहीं था जैसा कि नीचे बताया गया है:

2.9.15.1 ठेकेदार को कार्यारंभ की तिथि (22 फरवरी 2021) से 475 दिनों के भीतर कार्य पूरा करना था। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, यह देखा गया कि ठेकेदार ने सड़क की खुदाई का काम वास्तव में 16 जनवरी 2021 को शुरू किया था, जो कि कार्यारंभ की घोषित तिथि से 37 दिन पहले था। हालांकि, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने इन्हें नहीं घटाया और इन 37 दिनों को भी शामिल करते हुये ठेकेदार को बोनस राशि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.47 करोड़⁶¹ के शीघ्र समापन बोनस का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ।

शासन ने कहा (जून 2023) कि पैकेज-11ए के शुरू होने से पहले कोई भी निर्माण गतिविधि शुरू नहीं की गई है आईपीसी-2 और निरीक्षण के लिए अनुरोध (आरएफआई) के अनुसार, यह स्पष्ट है कि कार्य प्रारंभ तिथि के बाद शुरू किया गया है।

उत्तर भ्रामक है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मिट्टी की खुदाई 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी, अर्थात् प्रारंभ तिथि से 37 दिन पहले और ठेकेदार ने निर्धारित समापन तिथि 03 जनवरी 2022 के काफी बाद 10 मार्च 2022 तक निर्माण सामग्री की खरीद जारी रखी।

2.9.15.2 मूल कार्य (पैकेज 11) को पूरा करने की निर्धारित तिथि 548 दिन बाद थी। ठेकेदार ने केवल 17.65 प्रतिशत का वित्तीय लक्ष्य हासिल किया था और अनुबंध समाप्त कर दिया गया (जुलाई 2019)। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा गणना⁶² के अनुसार शेष कार्य (पैकेज 11ए) को पूरा करने के लिए आवश्यक समय 453 दिन था। इसकी जगह, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने आवश्यकता से 22 दिन ज्यादा की अनुमति दे दी। इस प्रकार, ठेकेदार इन अतिरिक्त 22 दिनों के लिए ₹ 0.88 करोड़⁶³ के शीघ्र समापन बोनस का लाभ पाने का हकदार बन गया।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि म.प्र.स.वि.नि.लि. ने 22 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था क्योंकि ठेकेदार को संरचना की अतिरिक्त चौड़ाई को निष्पादित करना था और क्षतिग्रस्त कार्य को भी पूरा करना था जो मूल ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया गया था।

⁶⁰ समाप्ति की निर्धारित तिथि 11 जून 2022 - समाप्ति की वास्तविक तिथि 03 जनवरी 2022

⁶¹ मूल्य समायोजन सहित संशोधित अनुबंध मूल्य: ₹ 159.21 करोड़ × 37 दिन × 1/40 प्रतिशत।

⁶² आनुपातिक आधार पर, 548 दिन × (100-17.26) प्रतिशत।

⁶³ मूल्य समायोजन सहित संशोधित अनुबंध मूल्य: ₹ 159.21 करोड़ × 22 दिन × 1/40 प्रतिशत।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संरचनाओं की चौड़ाई में परिवर्तन पैकेज 11 के पूर्ववर्ती अनुबंध में पहले ही कर दिए गए थे।

2.9.15.3 ठेकेदार के बीजक के विवरणों की जांच से यह भी पता चला कि पैकेज 11ए के तहत काम पूरा होने की घोषित तिथि (03 जनवरी 2022) के 67 दिन बाद 10 मार्च 2022 तक भी बड़ी मात्रा⁶⁴ में सामग्री की विभिन्न खरीद के बीजक थे। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कार्य 03 जनवरी 2022 को पूर्ण नहीं हुआ था। हालाँकि, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने इन्हें नहीं घटाया और ठेकेदार को 67 दिनों के लिए ₹ 2.67 करोड़⁶⁵ के बोनस का भुगतान किया, जो कि अनियमित था।

शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (मार्च 2024)।

पैकेज-15 बी में

मूल पैकेज 15 में 365 दिनों की अनुमत्य पूर्णता अवधि वाली तीन सड़कें⁶⁶ शामिल थीं। चूंकि पहली बोली में किसी बोलीदाता ने भाग नहीं लिया था, इसलिए म.प्र.स.वि.नि.लि. ने पैकेज-15 को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया, 19.70 किमी की बहेराडाबर-पिपराही-जदकुड सड़क को एक अलग पैकेज के रूप में लिया गया और अन्य दो सड़कों को पैकेज 15-ए में रखा गया। पैकेज 15-बी के निर्माण के लिए कार्य में 59.33 प्रतिशत (28.74 किमी) की कमी⁶⁷ के बावजूद, पूर्णता अवधि को कम करने के बजाय, पूर्णता की निर्धारित अवधि को बढ़ाकर 457 दिन कर दिया गया। ठेकेदार ने परियोजना को 397 दिनों के भीतर पूरा किया और ₹ 0.71 करोड़ के शीघ्र समापन बोनस का दावा किया। इस प्रकार, कोई भी विश्लेषणात्मक तरीका अपनाये बिना अतिरिक्त तीन माह (92 दिन) की अविवेकपूर्ण अनुमति देना न केवल गलत था, बल्कि ठेकेदार को शीघ्र समापन बोनस के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति भी दी गई।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि शुरू में पैकेज 15 के लिए एनआईटी दो-तीन बार बुलाई गई थी। इसके बाद बोली लगाने के लिए छोटे ठेकेदारों को आकर्षित करने के लिए पैकेज 15 को दो भागों, पैकेज 15ए और 15बी में विभाजित करना पड़ा। इस पैकेज में, वहां 96 संरचनाएं थीं जिनके निर्माण में बहुत समय लगता है। इसके अलावा, एक पेवर एक माह में औसतन 3-4 किमी पीक्यूसी लंबाई को पक्का कर सकता है।

उत्तर अस्वीकार्य है, क्योंकि कार्य का दायरा काफी कम कर दिया गया था, समापन अवधि को अनुपातिक रूप से कम किया जाना चाहिए था।

2.9.16 रॉयल्टी की कम कटौती

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 29 (4) के अनुसार, कार्यों में निकले /और या उपभोग किए गए खनिजों की मात्रा पर रॉयल्टी देय है। पीडब्ल्यूडी के एसओआर के अनुसार बिटुमिनस बेस और सरफेस कोर्स की प्रत्येक कॉम्पैक्टेटेड मात्रा के लिए, लगभग 1.4 घन मी. खुली मात्रा की आवश्यकता होगी। सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार, 1.54 के कारक का उपयोग करके कंक्रीट की गीली मात्रा को इसकी सूखी मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।

⁶⁴ जिसमें 4,361.280 मीट्रिक टन सीमेंट, 105.108 मीट्रिक टन स्टील और 36 नग ह्यूम पाइप क्लवर्ट 300 मिमी शामिल थे।

⁶⁵ मूल्य समायोजन सहित संशोधित अनुबंध मूल्य: ₹ 159.21 करोड़ × 67 दिन × 1/40 प्रतिशत।

⁶⁶ त्योंथर-शंकरगढ़ मार्ग- 14.60 किमी, बहेराडाबर-पिपराही-जदकुड मार्ग-19.70 किमी और नईगढ़ी-गढ़ मार्ग- 14.14 किमी।

⁶⁷ डीपीआर कंसल्टेंट द्वारा पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित 10 संरचनाएं यथा, पुलिया, छोटे पुल, इत्यादि का निर्माण ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया था।

रियायत अनुबंध (एडीबी VI) के अनुच्छेद 20.10.2.2 के अनुसार प्राधिकारी अपने विवेक से शुल्क आरोपित, एकत्र, रख और सुनिश्चित कर सकता है अथवा अपने विवेक से और प्रयोज्य कानूनों के अनुसार उचित समझे किसी व्यक्ति (प्राधिकृत ठेकेदार) को अनुबंध द्वारा या अन्यथा शुल्क आरोपित, मांग, एकत्र, रख और सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2022) कि:

2.9.16.1 पैकेज-01 और 08 (एडीबी V) के अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आईपीसी) की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि सामग्री उपभोग के प्रमाणित विवरण के अनुसार, ठेकेदार ₹ 5.80 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान करने के जिम्मेदार थे, जिसके विरुद्ध उन्होंने मात्र ₹ 3.10 करोड़ की रॉयल्टी जमा की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.70 करोड़ की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि ठेकेदारों को खनन विभाग से 'एनओसी' प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ऐसा न करने पर म.प्र.स.वि.नि.लि. के पास उपलब्ध उनके बैंक गारंटी से देय राशि वसूल की जाएगी।

2.9.16.2 पैकेज-03 और 26 (एडीबी VI) के आईपीसी की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 935093.28⁶⁸ घन मीटर ढीले समुच्चय पर रॉयल्टी के विरुद्ध, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ₹ 120 प्रति घन मीटर की दर से 710454.75 घन मीटर पर रॉयल्टी वसूल की, जिसके परिणामस्वरूप 224638.53⁶⁹ घन मीटर पर कुल राशि ₹ 2.69 करोड़ रॉयल्टी की कम कटौती हुई।

शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023)।

2.10 गुणवत्ता का आश्वासन

2.10.1 निर्धारित अवधि से अधिक कंसल्टेंसी सेवाओं की तैनाती के कारण राजकोष पर अतिरिक्त देनदारी

अनुबंध की विशेष शर्त (पीसीसी) के अनुच्छेद 8.7.1 के अनुसार, यदि ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय या विस्तारित अवधि (विलंबित क्षति के बिना) के अंदर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय से अधिक या विस्तारित अवधि (विलंबित क्षति के बिना) के लिए कंसल्टेंट पर किए गए खर्च को ऊपर बताए अनुसार लगाए गए विलंब क्षति का ठेकेदार द्वारा नियोक्ता⁷⁰ को भुगतान किया जाएगा।

कंसल्टेंट्स⁷¹ के साथ अनुबंध के अनुच्छेद 3 (एडीबी V) और अनुबंध-वार्ता⁷² के कार्यवृत्त के संदर्भ की शर्तों के अनुसार, कंसल्टेंट्स की अनुबंध अवधि, कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 23 महीने (पैकेज-1) और 26 महीने⁷³ (पैकेज-2 और पैकेज-3) थी।

⁶⁸ लूज एग्रीगेट का 1.33 गुना।

⁶⁹ (935093.28 - 710454.75) घन मी.

⁷⁰ म.प्र.स.वि.नि.लि. "नियोक्ता" के रूप में परियोजना का प्रबंधन करेगा।

⁷¹ 1. मेसर्स आईसीटी प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली और रोडिक कंसल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली (जेवी),

2. मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल, इंक. मैसर्स हाईवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के सहयोग से,

3. मेसर्स यूआरएस स्कॉट विल्सन इंडिया (पी) लिमिटेड के साथ सब-कंसल्टेंट एआईसीओएनएस इंजीनियरिंग (पी) लि.

⁷² पैकेज-1 14/12/2016 को, पैकेज-2 26/11/2016 को और पैकेज-3 13/12/2016 को।

⁷³ अतिरिक्त 12 माह की दोष-अधिसूचना अवधि भी प्रदान की गई थी जिसके दौरान कंसल्टेंट को केवल अंशकालिक इनपुट की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2022) कि निर्माण के लिए जिम्मेदार विभिन्न ठेकेदारों द्वारा काम की खराब प्रगति के कारण म.प्र.स.वि.नि.लि. ने परामर्श अनुबंध को अतिरिक्त 34 माह से बढ़ाकर 41 माह कर दिया। इस विस्तारित अवधि के दौरान, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने, कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए ₹ 39.68 करोड़ का भुगतान किया, जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में बताया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त राशि में से, सिविल पैकेज की टीओसी जारी होने के बाद भी ₹ 10.03 करोड़ का भुगतान किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में बताया गया है।

इस प्रकार, म.प्र.स.वि.नि.लि. सिविल ठेकेदारों से ठेकेदार की चूक के कारण विस्तारित अवधि के दौरान कंसल्टेंसी सेवाओं को किए गए ₹ 39.68 करोड़ के भुगतान को वसूलने में विफल रही।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि अधिकांश पैकेज में वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने में देरी, प्रमुख जिला सड़कों को राज्य राजमार्गों में परिवर्तित करने, ठेकेदार को जीएसटी के कारण बाधा उत्पन्न होने, कोविड-19 के प्रभाव और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण विलंब हुआ। इसलिए म.प्र.स.वि.नि.लि. ने कंसल्टेंसी फर्म को अनुबंध के अनुसार विस्तार दे दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार पैकेजों को पूरा करने में देरी के लिए जिम्मेदार थे जैसा कि **कंडिका क्रमांक 2.9.9.** में बताया गया है। जीएसटी के मामले को विलंब का कारण नहीं माना जा सकता। विलंब के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदार न ठहराकर म.प्र.स.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों और कंसल्टेंट्स दोनों को लाभ पहुंचाया।

2.10.2 प्रतिबंधित कंसल्टेंसी सेवाओं का अनियमित निरस्तीकरण

रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि प्राधिकरण इस अनुबंध के तहत स्वतंत्र कंसल्टेंट होने के लिए वस्तुतः अनुसूची-एम में निर्धारित चयन मानदंडों के अनुसार एक कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग फर्म की नियुक्ति करेगा।

इसके अतिरिक्त, रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 5.9, एडीबी की भ्रष्टाचार विरोधी नीति में प्रावधान है कि एडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं में भाग लेने के लिए, यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि फर्म या व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, मिलीभगत, या अवरोधक गतिविधियों या अन्यतः सत्यनिष्ठा के उल्लंघन में शामिल है तो एडीबी किसी भी समय अनिश्चित काल के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने के संबंध में किसी फर्म या व्यक्ति पर उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। इसके अतिरिक्त, म.प्र.शासन ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है (जुलाई 1961) कि निरस्तीकरण केवल लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों के आधार पर हो सकता है, लेकिन उन कारणों की अवहेलना नहीं हो सकती है जिनके लिए ठेकेदार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया गया था (मई 2016) कि ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों को मुख्य अभियंता द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई के 90 दिनों के भीतर प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी)/ प्रबंध निदेशक/ विभागीय प्रमुख को अपील करना होगा। ऐसे सभी आदेशों को, चाहे ब्लैकलिस्टेड सूची में डालना या रद्द करना हो, आदेश के तीन दिनों के भीतर राज्य पंजीकरण प्राधिकरण (ई-इन-सी, पीडब्ल्यूडी) को अनिवार्यतः भेजा जाना था, जो कि इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2022) कि म.प्र.स.वि.नि.लि. ने कंसल्टेंट मेसर्स ब्लूम कंपनीज एलएलसी प्रा. लि. को खराब प्रदर्शन और प्रमुख विशेषज्ञों की समय पर उपलब्धता में विफलता के साथ-साथ धोखाधड़ी और भ्रष्ट गतिविधियों के कारण तीन साल (मई 2021 तक) के लिए प्रतिबंधित⁷⁴ कर दिया था (अप्रैल 2018)। हालाँकि, यह पाया गया कि कंसल्टेंट द्वारा प्रतिबंध से पूर्व निष्पादित अन्य पैकेज में संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर,

⁷⁴ एनडीबी के पैकेज क्रमांक 11 से 24 के पर्यवेक्षण में लगी ई-इन-सी (एमपीआरडीसी), तकनीकी सलाहकार और मुख्य अभियंता (सीई), एनडीबी, एमपीआरडीसी, भोपाल की एक समिति द्वारा।

म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा कंसल्टेंट पर लगे प्रतिबंध को, उसकी अपील के बाद, प्रतिबंधन-अवधि की समाप्ति से पहले ही निरस्त कर दिया गया था (मार्च 2020)।

म.प्र.स.वि.नि.लि. द्वारा निरस्तीकरण का कारण उचित नहीं था क्योंकि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों को संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एडीबी VI के तहत विभिन्न पैकेज के सिविल कार्यों की निविदायें जारी करने से तुरंत पहले निरस्तीकरण हुआ था और बाद में, इन कार्यों की निविदायें कंसल्टेंट को सौंपी गईं, साथ ही, बिना निविदायें आमंत्रित किए कंसल्टेंट को अतिरिक्त पैकेज भी आवंटित किए गए थे। जैसा कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.8.1 में बताया गया है।

म.प्र.स.वि.नि.लि. ने राज्य पंजीकरण प्राधिकारी (प्रभारी यंत्री, पीडब्ल्यूडी) को प्रतिबंधन आदेश या निरस्तीकरण आदेश न भेजकर उपरोक्त तथ्यों को छुपाया था और इस प्रकार, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था।

सीई, एडीबी ने कहा (जनवरी 2023) कि म.प्र.शासन पीडब्ल्यूडी के आदेश (मई 2016) के अनुसार, पीडित ठेकेदार 90 दिनों के भीतर प्रमुख अभियंता/प्रबंध निदेशक/विभागीय प्रमुख को अपील प्रस्तुत कर सकता है। 02 मार्च 2020 से कंसल्टेंट पर लगे प्रतिबंध को निरस्त करने का आदेश तदनुसार एमडी, म.प्र.स.वि.नि.लि. के अनुमोदन से जारी किया गया था।

सीई, एडीबी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मुख्य मुद्दा अपील प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह कि प्रतिबंध के आधार उलटने योग्य नहीं था। परिणामस्वरूप, प्रतिबंध को निरस्त करने का निर्णय अनुचित था। प्रतिबंध के निरस्तीकरण के साथ ही, निविदा आमंत्रित किए बिना अतिरिक्त कार्य भी कंसल्टेंट को सौंपे गए थे, जिसमें निर्णय की ईमानदारी के बारे में गंभीर ध्यानाकर्षण करता है। कार्य के निष्पादन में कंसल्टेंट के खराब प्रदर्शन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कई कंडिकाओं में बताया गया है।

शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023)।

2.10.3 स्वतंत्र अभियंताओं की तैनाती में देरी के कारण कार्य का भुगतान नहीं होना

रियायत अनुबंध (एडीबी VI) के अनुच्छेद 21.1 के अनुसार, प्राधिकरण एक कंसल्टेंट इंजीनियरिंग फर्म को नियुक्त करेगा जिसे स्वतंत्र अभियंता कहा जाएगा और अनुच्छेद की अनुसूची-एम में यह भी प्रावधान है कि म.प्र.स.वि.नि.लि. के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी इकाई, स्वतंत्र अभियंताओं के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। नियुक्ति रियायत अनुबंध की तारीख से 60 दिनों के अंदर की जाएगी। रियायत अनुबंध की अनुसूची-एन के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार, स्वतंत्र अभियंताओं डिजाइन और अभिलेखों की समीक्षा, निर्माण कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) इत्यादि भूमिका और कार्य करेगा।

निविदा आमंत्रण-सूचना (एनआईटी) का हिस्सा बनने वाले रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 21.3 में यह भी प्रावधान है कि, ऐसे पारिश्रमिक, लागत और खर्चों का आधा रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय का विवरण प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी और उससे अधिक भुगतान पूरी तरह से प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र अभियंताओं के अनुबंध (खंड-I) की धारा 7 के तहत संदर्भ की शर्तों के अनुसार, स्वतंत्र अभियंताओं को 30 माह की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसमें विकास के लिए तीन माह, निर्माण के लिए 24 माह तथा संचालन एवं रखरखाव के लिए तीन माह होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवंबर 2022) कि एडीबी VI के तहत दिए गए सभी चार नमूना जांच किए गए पैकेज (दिसंबर 2019-जनवरी 2020) में, सभी चार पैकेज के पर्यवेक्षण कार्य के लिए दो⁷⁵ गुणवत्ता नियंत्रण परामर्श सेवाएं (स्वतंत्र अभियंताओ) को पैकेज के प्रारंभ होने के 22 माह के विलंब से तैनात की गई थीं। हालाँकि, ₹ 324.39 करोड़ मूल्य के कार्य को निष्पादित करने के बाद पैकेज के प्रारंभ से 'स्वतंत्र अभियंता' की तैनाती में 25 माह (तैनाती के लिए तीन माह सहित) तक का विलंब हुआ था।

इस प्रकार, म.प्र.स.वि.नि.लि. ने न केवल अपर्यवेक्षित कार्य के लिए ₹ 324.39 करोड़ का भुगतान किया, बल्कि म.प्र.स.वि.नि.लि. ने परियोजना के प्रारंभ से ही स्वतंत्र अभियंताओ की तैनाती की विफलता के कारण ₹ 2.59 करोड़ (भुगतान का 50 प्रतिशत) की राशि के भुगतान के रूप में रियायतग्राही को अनुचित लाभ भी दिया। विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिया गया है।

शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023)।

2.10.4 क्यूब टेस्ट के विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर कंक्रीट की दर का विनियमन न करना

भारतीय मानक कोड 456-2000 के अनुच्छेद 16 के साथ पठित अनुच्छेद 15.2 में प्रावधान है कि प्रासंगिक मानक के अनुसार कंक्रीट क्यूब की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता के संदर्भ में कंक्रीट का परीक्षण किया जाना चाहिए और कंक्रीट की लक्षित औसत स्ट्रेंथ (28 दिन पश्चात) 48.25 एन/मिमी² होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टताओं के अनुच्छेद 1718 और 1719 के अनुसार, यदि प्रभारी यंत्री द्वारा कंक्रीट को अवमानक कार्य के रूप में स्वीकार्य पाया जाता है, तो ठेकेदार अनुबंध इकाई दर में कटौती⁷⁶ के अधीन होगा।

लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2022) पैकेज संख्या 8 (एडीबी V) और 4 (एडीबी VI) में पाया कि अनुमोदित डिजाइन मिश्रण और आरएफआई नस्ती के साथ संलग्न परीक्षण परिणामों में एम 40 ग्रेड कंक्रीट के पीक्यूसी के लिए, प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम लक्षित कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 48.25 एन/मिमी² प्रावधानित था।

इसके विपरीत, पैकेज 8 (एडीबी V) के परिणामों से संकेत मिलता है कि कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 41.70 एन/मिमी² से 44.39 एन/मिमी² (औसत 43.04 एन/मिमी²) के बीच तक भिन्न थी, जबकि पैकेज 4 (एडीबी VI) में यह 43.21 एन/मिमी² से 44.82 एन/मिमी² (औसत 44.02) के बीच तक भिन्न थी जो विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। इस प्रकार, परीक्षण परिणामों से संकेत मिलता है कि कार्यों को अनुमोदित डिजाइन मिश्रण की आवश्यकता के अनुसार निष्पादित नहीं किया गया था। यदि डिजाइन मिक्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के निर्दिष्ट स्वीकार्य मानदंड के अनुरूप नहीं है, तो एक्सल लोड के कारण 30 वर्षों की संपूर्ण रूपकित अवधि के लिए सड़कों के पीक्यूसी फुटपाथ के सुरक्षित न बचे रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

⁷⁵ एडीबी VI के पैकेज क्रमांक 26 के लिए मैसर्स एल.एन. मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.और एडीबी VI पैकेज क्रमांक 3, 4 और 19 के लिए मैसर्स ब्लूम कंपनीज एलएलपी, प्रा. लिमिटेड।

⁷⁶ दर में प्रतिशत कमी = डिजाइन स्ट्रेंथ - अब्जर्ड स्ट्रेंथ/ डिजाइन स्ट्रेंथ × 100

इस प्रकार, अवमानक कार्यों के निष्पादन ने कंक्रीट की दर से ₹ 632.70 प्रति घन मी.⁷⁷ और ₹ 452 प्रति घन मी.⁷⁸ की वसूली को आवश्यक किया, जो पीक्यूसी के निष्पादन के लिए कुल ₹ 9.37 करोड़⁷⁹ था, लेकिन म.प्र.स.वि.नि.लि. वसूली को प्रभावित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि आईएस कोड 456 के अनुसार न्यूनतम आवश्यक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 38 एन/मिमी² है और परीक्षण परिणामों के अनुसार एम40 की स्ट्रेंथ 41.70 एन/ मिमी² और 44.39 एन/मिमी² है जो सही हैं।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि अनुमोदित डिजाइन मिक्स के अनुसार आवश्यक न्यूनतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 48.25 एन/मिमी² थी। चूंकि उपरोक्त प्रकरणों में इसे प्राप्त नहीं किया गया था इसलिए घटाई गई दरों पर भुगतान किया जाना चाहिए था।

2.11 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- म.प्र.स.वि.नि.लि. निधियों का उपयोग करने और इच्छित लाभ प्राप्त करने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप इसने प्रतिबद्धता शुल्क का दायित्व भी वहन किया।
- कई पात्र प्रमुख जिला सड़कों जो खराब स्थिति में थे और जिनके तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, के होने के बावजूद, राज्य राजमार्गों को शामिल करने से अंततः प्रमुख जिला सड़कों के मुख्य नेटवर्क को पूरा करने का उद्देश्य विफल हो गया। इसके अलावा, विलंबित निष्पादन के कारण प्रतिबद्धता शुल्क का परिहार्य भुगतान भी हुआ।
- कार्य का निष्पादन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि बड़ी संख्या में प्रकरणों में प्राक्कलन की तैयारी और अनुमोदन के साथ-साथ परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान आईआरसी/ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों की अवहेलना की गई थी।
- अनुबंध प्रबंधन के अनुपालन में विफलता की घटनायें थीं जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों/ रियायतग्राहियों को अनुचित लाभ हुआ और राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।
- निर्माण परवेक्षक सलाहकार की अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप विनिर्देशों से अधिक या निम्नतर कार्यों का अवांछित निष्पादन हुआ।

⁷⁷ दर में प्रतिशत कमी = डिजाइन स्ट्रेंथ - अब्जर्ड स्ट्रेंथ/डिजाइन स्ट्रेंथ x100

दर में प्रतिशत कमी = $48.25 - 43.04 / 48.25 \times 100 = 10.80$ प्रतिशत।

वसूली = 10.80 प्रतिशत \times 5,700 प्रति घन मी. \times 1,37,280 घन मी. = ₹ 8,45,09,568

⁷⁸ दर में प्रतिशत कमी = $48.25 - 44.02 / 48.25 \times 100 = 8.77$ प्रतिशत

वसूली = 8.77 प्रतिशत \times ₹ 5,153 प्रति घन मी. \times 20,236 घन मी. = ₹ 91,45,015

⁷⁹ ₹ 8,45,09,568 + ₹ 91,45,015

2.12 अनुशंसाये

म.प्र.स.वि.नि.लि. को चाहिए कि :

- ऋण अनुबंध की शर्तों को सावधानीपूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें। ऋण राशि का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, एक ठोस योजना बनाना और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण स्थापित करना महत्वपूर्ण है। म.प्र.स.वि.नि.लि. को दावे तुरंत प्रस्तुत करने चाहिए और प्रतिबद्धता शुल्क वहन करने से बचना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि ठेकेदारों/ कंसल्टेंट्स को भुगतान कार्य के दायरे और विस्तृत माप की रिकॉर्डिंग के आधार पर किए गए वास्तविक कार्य तक ही सीमित हो। संविदा के प्रावधानों में शिथिलीकरण से किसी भी अधिक या अनुचित भुगतान के लिए विभागीय अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
- ठेकेदारों/ कंसल्टेंट्स द्वारा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित करें। कंसल्टेंट्स के साथ अनुबंधों में, अनुबंधों के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने के संबंध में दंडात्मक धाराएं शामिल की जानी चाहिए। कंसल्टेंट्स को अपने कर्तव्यों में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- अवमानक कार्य और कार्य के निष्पादन में विलंब से बचने के लिए पर्यवेक्षण प्रणाली में सुधार करें। सभी परियोजनाओं में अवमानक कार्यों की सतर्कता के दृष्टिकोण से जांच की जानी चाहिए।

अध्याय-III
मध्य प्रदेश वित्त निगम

अध्याय-III मध्य प्रदेश वित्त निगम

मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा “ऋणों की स्वीकृति एवं वसूली तथा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा”

सारांश

मध्य प्रदेश वित्त निगम की अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के दौरान इंदौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय एवं सभी 11 कार्यान्वयन इकाइयों में 2019-20 से 2021-22 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की जांच के लिए की गई थी।

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 07 ऋण स्वीकृत प्रकरणों और 53 ऋण संवितरण प्रकरणों से संबंधित फाइलों की जांच की। इसके अलावा, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के उन प्रकरणों में, जहां इकाइयों ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान मूलधन या ब्याज या दोनों (कुल 321 ऋण खातों) में डिफॉल्ट किया है, की भी समीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण की व्यापक श्रेणियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

- नया ऋण देने के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण ऋणों की स्वीकृति और संवितरण में कमी;
- संवितरण प्रक्रिया में अनियमितताएं जैसे कि पूर्व सहमति के बिना संवितरण, अतिरिक्त सिक्वोरिटी डिपॉजिट आदि के बिना संवितरण;
- स्वीकृति की शर्तों को पूरा न करने के बावजूद इकाइयों को अतिरिक्त संवितरण;
- स्वीकृति के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करना;
- ऋणों की वसूली प्रक्रिया में कमियाँ जैसे कि एकमुश्त निपटान योजना का खराब कार्यान्वयन, आस्तियों के निपटान में देरी आदि; तथा
- निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा/नियंत्रण में कमियाँ।

कमियों के इन उदाहरणों का कुल प्रभाव ₹ 121.97 करोड़ है।


3.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश वित्त निगम (निगम) की स्थापना राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (रा.वि.नि. अधिनियम) की धारा 3 (1) के तहत 30 जून 1955 को की गई थी। निगम का मूल उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ राज्य में निरंतर औद्योगिक विकास के समर्थन हेतु सावधि ऋण देना है। 31 मार्च 2022 को निगम की कुल शेयर पूंजी ₹ 406.10 करोड़ थी, जिसमें राज्य शासन के पास ₹ 383.70 करोड़ मूल्य के शेयर थे (94.48 प्रतिशत), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की ₹ 22.22 करोड़ (5.47 प्रतिशत) और अन्य (अनुसूचित बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, निवेश ट्रस्ट और सहकारी बैंक, और व्यक्तिगत) की ₹ 0.18 करोड़ (0.05 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।

3.2 संगठनात्मक व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निगम कार्य कर रहा है। निगम के संचालन का प्रबंधन एक निदेशक मंडल, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष¹ करता है, द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता एक प्रबंध निदेशक (एमडी) और पांच कार्यकारी निदेशक करते हैं। चार्ट 3.1 में दिया गया फ्लो चार्ट प्रबंधन में पदानुक्रम (प्रबंध निदेशक के अधीन) दर्शाता है:

चार्ट 3.1: प्रबंधन का ऑर्गेनोग्राम



निदेशक मंडल में राज्य सरकार, सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि हैं। 31 मार्च 2022 को, निगम में प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष सहित सात निदेशक थे।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह पता लगाने की दृष्टि से आयोजित की गई थी कि क्या:

- वित्तीय सहायता की स्वीकृति और संवितरण निगम द्वारा तैयार नीतियों, प्रक्रियाओं, स्वीकृति की शर्तों और प्रणाली के अनुसार था; तथा
- बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करने, कमी (डिफॉल्ट) के प्रकरण में त्वरित कानूनी कार्यवाही करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद था।

¹ वर्तमान में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव निगम के अध्यक्ष हैं।

3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडों पर आधारित हैं:

- राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 और इसका संशोधन अधिनियम, 2000;
- वित्तपोषण, ऋणों के उपयोग, ऋण की वसूली एवं अनुवर्ती कार्यवाही और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में आरबीआई, सिडबी और केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश और निर्देश;
- निदेशक मंडल और विभिन्न समितियों की बैठकों में बकाया राशि की वसूली और अनुवर्ती कार्यवाही तथा ऋणों के एक मुश्त निपटान के संबंध में लिए गए निर्णय;
- स्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम और शर्तें;
- ऋणों की वसूली एवं निपटान का वार्षिक लक्ष्य एवं अनुवर्ती कार्यवाही; तथा
- बकाया राशि की वसूली के लिए निगम द्वारा अपनाई गई अनुवर्ती प्रक्रिया।

3.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

निगम के इंदौर स्थित प्रधान कार्यालय और सभी 11² कार्यान्वयन इकाइयों में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की जांच के लिए अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के दौरान निगम की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। प्रवेश सम्मेलन 25 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था जिसमें प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने स्वीकृत ऋण (07 प्रकरणों) और संवितरण प्रकरणों (53 प्रकरणों) से संबंधित फाइलों की जांच की। इसके अलावा, उन प्रकरणों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों³ का प्रबंधन, जहां इकाइयों ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान (कुल 322 ऋण खाते) मूलधन या ब्याज या दोनों में कमी की है, की भी समीक्षा की गई है। शासन ने अनुरोधों (अप्रैल 2023 और मई 2023) के बावजूद निर्गम सम्मेलन आयोजित नहीं किया, हालांकि, मई 2023 में प्राप्त इनके उत्तर को, जहां आवश्यक पाया गया, सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

3.6 ऋणों की स्वीकृति और संवितरण में कमियाँ

ऋणों की स्वीकृति, संवितरण और वसूली तथा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कमियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

² इंदौर जोन-I, इंदौर जोन-II, इंदौर शहरी-I और II, देवास, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना और ग्वालियर। तीन इकाइयों अर्थात खंडवा, झाबुआ और छिंदवाड़ा को क्रमशः इंदौरII, रतलाम और जबलपुर में संविलय किया गया है।

³ गैर निष्पादित परिसंपत्तियां में अवमानक संपत्तियां और संदिग्ध संपत्तियां सम्मिलित हैं जिन्हें ए,बी, सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.6.1 नया ऋण देने के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण ऋणों की स्वीकृति और संवितरण में कमी

निगम से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ता विभिन्न प्रकार के ऋणों जैसे छोटे ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण के लिए निर्धारित दस्तावेजों में निगम में आवेदन करते हैं। आवेदनों के साथ परियोजना रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। निगम उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकन तैयार करता है। इसके अलावा, निगम ऋण आवेदनों के विश्लेषण और मूल्यांकन में उद्योग प्रथाओं का पालन करता है। ऋण स्वीकृत समितियों की शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं और योजनाओं की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के बाद संवितरण किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान निगम द्वारा की गई स्वीकृति और संवितरण का विवरण तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: वर्ष 2021-22 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम को प्राप्त ऋण आवेदन, स्वीकृत ऋण और संवितरित ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	आवेदनों की संख्या	राशि के लिए आवेदन प्राप्त	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	संवितरित ऋण राशि		कुल
						वर्तमान अवधि	पूर्व अवधि	
1.	2019-20	5	2.75	5	2.75	2.00	35.20	37.20 ⁴
2.	2020-21	2	1.50	2	1.30	0.30	7.62	7.92 ⁵
3.	2021-22	0	0	0	0	0.70	1.78	2.48 ⁶
कुल						3.00	44.60	47.60

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान संवितरित ₹ 44.60 करोड़ की राशि पिछले वर्षों में स्वीकृत ऋण से संबंधित है। इसका कारण इकाइयों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी थी। इसके अलावा, ऋणों की स्वीकृति/ संवितरण में कमी सिडबी, हुडको आदि जैसे वित्तीय संस्थानों से नया ऋण देने के लिए धन की अनुपलब्धता मुख्य कारण थे। इसके परिणामस्वरूप निगम धन का संवितरण करने और नए व्यवसायों को प्रारम्भ करने में सक्षम नहीं था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मार्च 2022 तक 633 खातों में ₹ 678.46 करोड़ की राशि बकाया थी, जिसमें से 508 खातों (68.11 प्रतिशत) के संबंध में ₹ 462.08 करोड़ की राशि डिफॉल्ट के रूप में थी।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2022), शासन ने कहा (मई 2023) कि उसे आगे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। शासन द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया (जुलाई 2023)।

3.6.2 संवितरण प्रक्रिया में अनियमितताएं

मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पहलू डेटाबेस और रेटिंग का उपयोग, तकनीकी व्यवहार्यता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और वित्तीय मूल्यांकन हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में इकाई के पिछले प्रदर्शन और निगम के समान पोर्टफोलियो के वित्तपोषण के अनुभव के आधार पर ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। ऋण का संवितरण, पूर्व संवितरण के नियमों और शर्तों के अनुपालन के बाद और संवितरण के दौरान किया जाता है जैसे कि शेरपूंजी और असुरक्षित ऋण,

⁴ निगम ने पिछले वर्षों के दौरान पहले से स्वीकृत प्रकरणों में ₹ 37.20 करोड़ का वितरण किया।

⁵ इसमें पूर्व-स्वीकृत ऋणों का संवितरण भी सम्मिलित है।

⁶ पूर्व-स्वीकृत ऋणों का संवितरण।

सिक्वोरिटी, अतिरिक्त सिक्वोरिटी डिपॉजिट और अन्य विशेष शर्तें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋण का संवितरण अव्यवस्थित रूप से किया गया था और पाई गई कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

3.6.2.1 ऋण के संवितरण से पहले सहमति प्राप्त करने में विफलता

निगम ने मेसर्स देवव्रत अग्रवाल, हरदा (मल्टीप्लेक्स स्थापित करने के लिए) और मेसर्स बालाजी सिंडिकेट, भोपाल (बासमती चावल उत्पादक) को ₹ 14.50 करोड़⁷ के दो सावधि ऋण स्वीकृत किए (जनवरी 2014, सितंबर 2017 और फरवरी 2019)। स्वीकृति पत्र में संवितरण शर्तों के अनुसार राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 26 (ii) के तहत सिडबी से सहमति प्राप्त होने तक संवितरण ₹ 4.00 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में) तक सीमित होना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ने अक्टूबर 2014 और जनवरी 2022 के बीच कुल ₹ 12.63 करोड़ दो औद्योगिक इकाइयों (मेसर्स देवव्रत अग्रवाल को ₹ 6.60 करोड़ और मेसर्स बालाजी सिंडिकेट को ₹ 6.03 करोड़) को संवितरित किए जबकि निगम को सिडबी से सहमति नहीं मिली थी। इस प्रकार, निगम ने स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन करके ₹ 4.63 करोड़⁸ की अतिरिक्त ऋण राशि का अनियमित रूप से संवितरण किया।

यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों इकाइयों ने ऋण राशि के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट किया और बकाया ऋण (ब्याज सहित) कमी राशि मार्च 2022 तक ₹13.84 करोड़⁹ हो गई है।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2022), शासन ने कहा (मई 2023) कि सिडबी के निदेशक स्वीकृति के समय मौजूद थे और अगस्त 2018 (मेसर्स देवव्रत अग्रवाल के लिए) और अप्रैल 2019 (मेसर्स बालाजी सिंडिकेट के लिए) में उनकी सहमति के लिए आवेदन भी सिडबी को अग्रेषित किए गए थे। इस प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने सिडबी की स्पष्ट सहमति के बिना इकाइयों को ₹ 4.00 करोड़ से अधिक की ऋण राशि का संवितरण किया गया।

3.6.2.2 अतिरिक्त सिक्वोरिटी डिपॉजिट के बिना ऋण का संवितरण

स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार इकाइयों को स्वीकृति पत्र में उल्लिखित माध्यम के अनुसार अतिरिक्त सिक्वोरिटी प्रस्तुत करनी चाहिए। अतिरिक्त सिक्वोरिटी ऋण के संवितरण से पहले जमा की जानी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने जनवरी 2017 से फरवरी 2019 के दौरान तीन इकाइयों¹⁰ को ऋण के रूप में ₹ 15.20 करोड़ स्वीकृत किए थे। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार इन तीन इकाइयों को ₹ 3.35 करोड़ की अतिरिक्त सिक्वोरिटी प्रस्तुत करनी थी। जिसके विरुद्ध, इकाइयों ने केवल ₹ 2.56 करोड़ की अतिरिक्त सिक्वोरिटी प्रस्तुत की। अतिरिक्त सिक्वोरिटी, जो स्वीकृति की एक आवश्यक शर्त थी, प्रस्तुत न करने के बावजूद निगम ने फरवरी 2018 से जनवरी 2022 के दौरान इन तीन इकाइयों को ऋण के रूप में ₹ 12.18 करोड़ संवितरित किए।

⁷ मेसर्स देवव्रत अग्रवाल, हरदा ₹ 7.00 करोड़ और मेसर्स बालाजी सिंडिकेट, भोपाल ₹ 7.50 करोड़।

⁸ कुल स्वीकृति: ₹ 8 करोड़। कुल संवितरित: ₹12.63 करोड़। अतिरिक्त संवितरण: ₹ 4.63 करोड़।

⁹ मेसर्स देवव्रत अग्रवाल ₹ 6.16 करोड़ और मेसर्स बालाजी सिंडिकेट ₹ 7.68 करोड़ = ₹ 13.84 करोड़।

¹⁰ मेसर्स श्री राधे कृष्णा, मेसर्स बालाजी सिंडिकेट, मेसर्स महिषमती प्लास्टिक्स।

स्वीकृति के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने के बावजूद ऋण संवितरण करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2022), शासन ने कहा (मई 2023) कि:

- मेसर्स श्री राधे कृष्णा एल्युमीनियम के प्रकरण में निगम शेष अतिरिक्त सिक्क्योरिटी पर जोर दे रहा है। तथ्य यह है कि निगम स्वीकृतिपत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रहा।
- मेसर्स बालाजी सिंडिकेट और मेसर्स महिष्मती प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में यह कहा गया था कि वास्तविक संवितरण के आधार पर प्रस्तावित सिक्क्योरिटी पर्याप्त थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम को संवितरण से पहले स्वीकृति पत्र में उल्लिखित अतिरिक्त सिक्क्योरिटी प्राप्त करना चाहिए था।

3.6.2.3 अतिरिक्त समायोजित सिक्क्योरिटी की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान ना होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने जनवरी 2018 में मेसर्स ज़ेबरा फैशन प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 6.50 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया और दिसम्बर 2018 से अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान ₹ 6.50 करोड़ संवितरित किए। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, इकाई को ₹ 0.65 करोड़ की अतिरिक्त सिक्क्योरिटी प्रस्तुत करनी थी जो इकाई द्वारा तदानुसार प्रस्तुत की गई। इसे निगम द्वारा इकाई के अदत्त बकाये के विरुद्ध समायोजित (मार्च 2020) किया गया था। हालांकि, स्वीकृति आदेश में समायोजित अतिरिक्त सिक्क्योरिटी की प्रतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप इकाई के विरुद्ध निगम के पास कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं थे; इस प्रकार, उनके पास इकाई द्वारा देय बकाया राशि, यदि कोई हो, वसूलने का कोई साधन नहीं था।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि ₹ 0.65 करोड़ की अतिरिक्त सिक्क्योरिटी प्रस्तुत की गई और गिरवी रखी गई। हालांकि, बाद में निगम द्वारा इसे बकाया के विरुद्ध वसूल किया गया था।

इस तथ्य पर उत्तर मौन है कि एक बार अतिरिक्त सिक्क्योरिटी के नगदीकरण के पश्चात भविष्य में देय राशि, यदि कोई हो, को वसूलने के लिए निगम के पास कोई अतिरिक्त साधन उपलब्ध नहीं था।

3.6.2.4 अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण का संवितरण

स्वीकृतिपत्र की शर्त के अनुसार ऋण का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाना था जिनके लिए इसे स्वीकृति दी गई थी।

निगम ने फरवरी 2018 से मार्च 2021 के दौरान पांच इकाइयों¹¹ को ₹ 16.80 करोड़ का ऋण संवितरित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस राशि में से ₹ 1.60 करोड़ (परिशिष्ट 3.1) को निगम द्वारा इन पांच इकाइयों से संबंधित डिफॉल्ट किये गए पुराने बकाया के भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया गया था। इस प्रकार निगम ने इन इकाइयों को अपने पिछले ऋणों का निपटान करने के लिए प्रभावी रूप से ऋण स्वीकृत किए जो न केवल स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन था, बल्कि निगम की ओर से अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए गंभीरता की कमी का भी संकेत दिया। निगम ने अपनी लेखांकन नीतियों की अनुकूलता के लिए ऋणों के डायवर्जन का सहारा लिया जो वित्तीय विवरणों का गलत कथन भी था।

¹¹ मेसर्स राधे कृष्णा एल्युमीनियम, मेसर्स शिवम एंटरप्राइजेज, मेसर्स स्पार्सन फार्मास्युटिकल, मेसर्स ज़ेबरा फैशन, मेसर्स जलतरंगरिसॉर्ट्स।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इस राशि का उपयोग इकाइयों के अनुरोध पर निगम के बकाया के भुगतान के लिए किया गया था चूंकि परियोजना में देरी हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया था।

3.6.3 स्वीकृति की शर्तों को पूरा न करने के बावजूद इकाइयों को अधिक संवितरण

3.6.3.1 अपेक्षित बिजली कनेक्शनों का न लिया जाना

स्वीकृति पत्र में उल्लिखित संवितरण शर्तों के अनुसार प्रत्येक इकाई को इकाई के संचालन के लिए आवश्यक बिजली कनेक्शन की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, अन्यथा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बिजली कनेक्शन की स्वीकृति दिये जाने तक संवितरण 75 प्रतिशत तक सीमित होगा।

निगम ने जनवरी 2014 से सितम्बर 2020 के दौरान आठ इकाइयों¹² को ₹ 56.05 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन इकाइयों ने ऋण स्वीकृत होने के बाद आवश्यक बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं किया और इस प्रकार ऋण संवितरण को स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत होने के कारण ₹ 42.02 करोड़ तक सीमित किया जाना था। हालांकि, निगम ने स्वीकृत दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 51.99 करोड़ का संवितरण किया जिसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित इन आठ इकाइयों को ₹ 9.97 करोड़ से अधिक ऋण का संवितरण हुआ। अधिक संवितरण के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

यह भी उल्लेखनीय है कि इकाइयों ने मार्च 2022 तक अपेक्षित बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं किए थे। इस प्रकार ऋण प्राप्त करने के बाद भी इकाइयों ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी जारी रखी जिससे ऋणों के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट हुआ। 31 मार्च 2022 को सात¹³ इकाइयों का डिफॉल्ट ₹ 30.19 करोड़ हो गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ शासन द्वारा इकाईवार उत्तर **परिशिष्ट 3.2** में सम्मिलित किया गया है।

3.6.3.2 अपेक्षित शेयर पूंजी जुटाने में विफलता

स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्त के अनुसार इकाइयों को स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शेयर पूंजी जुटानी चाहिए थी। इसके अलावा, ऋण को जुटाई और निवेश की गई पूंजी के अनुपात में जारी किया जाना था।

निगम ने जनवरी 2017 से मार्च 2019 के दौरान चार इकाइयों¹⁴ को ₹ 19.80 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वीकृति पत्र के अनुसार इन इकाइयों को ₹ 4.39 करोड़ शेयर पूंजी जुटानी थी जिसके विरुद्ध इकाइयों ने केवल ₹ 1.76 करोड़ जुटाए। यद्यपि इकाइयां जुटाई गई पूंजी के अनुपात में ₹ 6.70 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र थीं, निगम ने ₹ 18.05 करोड़ (जुलाई 2016 से मार्च 2021) संवितरण किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.35 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में बताया गया है। यह न केवल ऋण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था बल्कि इसने डिफॉल्ट को बढ़ाने में भी

¹² मेसर्स श्री राधे कृष्णा, मेसर्स महिष्मति प्लास्टिक्स, मेसर्स रौनक ड्रग्स, मेसर्स अम्बिका बिग बैग्स, मेसर्स देवव्रत अग्रवाल, मेसर्स बालाजी सिंडिकेट, मेसर्स ऑयस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स बालाजी स्टेरॉयड एंड हार्मोन्स।

¹³ एक इकाई मेसर्स ऑयस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर 31 मार्च 2022 तक डिफॉल्ट में नहीं थी।

¹⁴ मेसर्स श्री राधे कृष्णा, मेसर्स ऑयस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेसर्स एचएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बालाजी स्टेरॉयड्स एंड हार्मोन्स।

योगदान दिया क्योंकि अतिरिक्त शेरर पूंजी के अभाव में इकाइयों के पास परिचालन प्रारम्भ करने और पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी नहीं थी। इन इकाइयों की डिफॉल्ट राशि 31 मार्च 2022 को ₹ 4.13 करोड़ तक हो चुकी थी।

अधिक संवितरण के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ शासन द्वारा इकाईवार दिया गया उत्तर परिशिष्ट 3.3 में सम्मिलित किया गया है।

3.6.3.3 प्रोफार्मा चालान के आधार पर ऋण का संवितरण

निगम ने पॉली प्रोपाइलीन बैग के निर्माण के लिए इकाई की स्थापित करने के लिए मेसर्स अंबिका बिग बैग्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 95.00 लाख का ऋण स्वीकृत किया (सितंबर 2017)। निगम ने पहली किस्त के रूप में ₹ 45.00 लाख संवितरित किए (जुलाई 2020)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मशीनरी के प्रोफार्मा चालान के आधार पर ₹ 30 लाख की दूसरी किस्त (मार्च 2021) जारी की गई थी। निगमने ऋण राशि जारी करते समय इकाई को 15 दिनों के अन्दर आवश्यक मशीनें स्थापित करने का निर्देश दिया (मार्च 2021)। इसके बाद ऐसी कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई और निगम ने इकाई की परिचालन स्थिति को सत्यापित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। ऋण की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान अप्रैल 2021 से प्रभावी होना था। हालाँकि, इकाई ने न तो आवश्यक मशीनें स्थापित की और न ही बकाया ऋण राशि का भुगतान किया।

निगम के साथ फरवरी 2022 में हुई बैठक में इकाई ने ₹ 25.00 लाख की राशि चुकाने का आश्वासन दिया, जिसके विरुद्ध उसने केवल ₹ 4.00 लाख (मार्च 2022) का भुगतान किया। इकाई पर 31 मार्च 2022 को कुल बकाया ₹ 83.32 लाख था।

इस प्रकार संवितरण से पहले अभिलेखों को सत्यापित करने में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 30 लाख की राशि को अनियमित रूप से जारी किया गया।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि प्रमोटर ने परियोजना को लागू करने की योजना छोड़ दी है और वसूली की कार्यवाही जारी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने प्रोफार्मा चालान के आधार पर इकाई को धनराशि संवितरित की, हालाँकि खरीद के विरुद्ध जारी किए गए वास्तविक चालान लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाए गए। शासन को ऋण देने से पूर्व सम्यक् तत्परता/ उचित सावधानी नहीं बरतने के लिए निगम के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

3.6.4 स्वीकृति के नियमों और शर्तों का अनुपालन न किया जाना

3.6.4.1 इकाइयों द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन न करने के परिणामस्वरूप डिफॉल्ट राशि का बढ़ना

स्वीकृति पत्र की अन्य शर्तों के अनुसार एक इकाई को स्वीकृति पत्र में निर्धारित अवधि के अन्दर ऋण प्राप्त करना होगा और तदनुसार परियोजना मूल्यांकन में उल्लिखित समय-सारिणी के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित/पूर्ण करना होगा।

निगम ने मार्च 2016 से सितम्बर 2020 की अवधि के दौरान सात इकाइयों¹⁵ को कुल ₹ 24.20 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया और जनवरी 2016 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान ₹ 20.15 करोड़ का संवितरण भी किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन परियोजनाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित/ पूर्ण नहीं किया जा सका और वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवाएं विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं की जा सकीं जैसे कि कारखाने के निर्माण को पूरा करने में विलंब, संयंत्र और मशीनरी की स्थापना में विलंब, विद्युत कनेक्शन की अनुपलब्धता, प्रमोटर्स द्वारा परियोजना को पूरा करने में विफलता और कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता/ कमी आदि। कार्यान्वयन में देरी 12 माह से 59 माह (मार्च 2022 तक) के बीच थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निगम ने कार्यशील पूंजी इकाइयों को बिना स्वीकृति ऋण संवितरित किया जबकि इसे संवितरण से पहले स्वीकृत किया जाना था।

इस प्रकार इकाइयों ने उन परियोजनाओं को प्रारम्भ किए बिना निगम से ₹ 20.15 करोड़ की राशि का ऋण प्राप्त किया जिनके लिए ऋण लिया गया था और इस तरह ऋण का पुनर्भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे। शासन द्वारा प्राप्त उत्तर के साथ विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, इकाइयों ने ऋणों के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट किया, जो कि 31 मार्च 2022 को ₹ 25.12 करोड़ बकाया था।

शासन के इकाईवार उत्तरों को **परिशिष्ट 3.4** में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारण बकाया राशि बढ़ती चली गई जो कि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में नियंत्रण की पूर्ण कमी को इंगित करता है।

3.6.4.2 असुरक्षित ऋणों को जुटाने/ रखने के संबंध में प्रावधान का अनुपालन न करना

स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्त के अनुसार इकाइयों को ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण जुटाना और निवेश करना था। ऋण आनुपातिक रूप से जारी किया जाना था और इसे ऋण की अवधि तक बनाए रखा जाना था। निगम ने नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में दो इकाइयों¹⁶ को ₹ 7.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया और दिसंबर 2018 से सितंबर 2020 के दौरान ₹ 6.90 करोड़ का संवितरण किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वीकृति पत्रों के अनुसार इकाइयों को ₹ 5.50 करोड़ असुरक्षित ऋण जुटाना था जिसके विरुद्ध इकाइयों ने केवल ₹ 4.74 करोड़ जुटाए। हालांकि इकाइयाँ असुरक्षित ऋण के अनुपात में ₹ 5.93 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र थीं किन्तु निगम ने ₹ 6.90 करोड़ (दिसंबर 2018 से सितंबर 2020) संवितरित किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.97 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है। यह न केवल ऋण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था बल्कि इसने डिफॉल्ट को बढ़ाने में भी योगदान दिया क्योंकि अतिरिक्त असुरक्षित ऋण की अभाव में इकाई के पास संचालन जारी रखने और पुनर्भुगतान प्रारम्भ करने के लिए कार्यशील पूंजी नहीं थी। 31 मार्च 2022 को इन दोनों इकाइयों की डिफॉल्ट की गई राशि ₹ 2.57 करोड़ हो गई थी।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि मेसर्स ज़ेबरा फैशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में असुरक्षित ऋण जुटाने के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा असुरक्षित ऋण लेने के लिए स्वीकृति पत्र में एक शर्त (बिंदु संख्या 23) थी।

मेसर्स होटल विजय पैलेस के प्रकरण में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उत्तर मौन था।

¹⁵ मेसर्स श्री राधे कृष्णा, मेसर्स जल तरंग रिसॉर्ट्स, मेसर्स महिष्मती प्लास्टिक्स, मेसर्स रौनक ड्रम्स, मेसर्स एंजेलिक कास्टिंग्स, मेसर्स होटल विजय पैलेस और मेसर्स अंबिका बिग बैम्स।

¹⁶ मेसर्स होटल विजय पैलेस और मेसर्स ज़ेबरा फैशन।

3.7 ऋणों की वसूली प्रक्रिया में कमियां

निगम के लिए ऋण नीति को जून 2019 में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। ऋण नीति के खंड 8.2.14 के अनुसार निगम के क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंतर्गत बकाया राशि की अधिकतम वसूली, विशेष रूप से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों श्रेणी में नए खातों को जाने से रोकने के लिए उपयुक्त वसूली उपायों/ साधनों के उचित अनुप्रयोग द्वारा एक वसूली नीति अलग से बनाई जानी चाहिए थी। इसके अलावा मण्डल¹⁷ ने निगम को वसूली राशि बढ़ाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करके गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों खातों से वसूली पर जोर देने की भी सलाह दी थी।

ऋण के संवितरण पर ऋण की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उधारकर्ता को वसूली की एक अनुसूची प्रदाय की जाती है। ऋणों के पुनर्भुगतान में कमी के प्रकरण में निगम का मूल व्यावसायिक उद्देश्य तीन प्रकार की कार्यवाही प्रारम्भ करता है जैसा कि नीचे दिया गया है:

- एकमुश्त निपटान जिसके तहत उधारकर्ता ऋण की एक बड़ी राशि का भुगतान करता है और शेष ऋण अदत्त रहता है जिसे निगम द्वारा हानि के रूप में वहन किया जाता है;
- इकाई का अधिग्रहण एवं बिक्री और बिक्री से हुई आय से ऋण की वसूली;
- उधारकर्ता की संपत्ति से वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए अदालत में दीवानी मुकदमा दायर करना या जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करना।

2021-22 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा की गई वसूली का विवरण नीचे तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: 2021-22 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा की गई वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष के प्रारम्भ में वसूली के लिए देय राशि	222.97	331.82	405.62
वर्ष के दौरान देय राशि	341.35	254.54	227.47
वसूली हेतु कुल देय राशि	564.32	586.36	633.09
वसूली के लिए तय किया गया लक्ष्य	-	-	180.00
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	232.50	180.74	156.30
वसूली के लिए देय कुल राशि से वसूल की गई राशि का प्रतिशत	41.00	31.00	25.00
वर्ष के अंत में वसूल की जाने वाली राशि	331.82	405.62	476.79

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- निगम के पास ऋण नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप कोई वसूली नीति नहीं है। इस प्रकार निगम ने ऋणों को मानक से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों श्रेणी में जाने से बचाने के लिए ऋणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए हैं।
- निगम ने वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में वसूली हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। वर्ष 2019-20 के दौरान वसूली गई राशि ₹ 232.50 करोड़ थी। हालाँकि बाद के वर्षों में निगम 2020-21 के दौरान केवल

¹⁷ मण्डल बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार।

₹ 180.74 करोड़ की और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 156.30 करोड़ की वसूली कर सका। यह निष्पादन में कमी का संकेत था।

- हालाँकि, निगम ने वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 180 करोड़ का वसूली लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन वह केवल ₹ 156.30 करोड़ की वसूली कर सका जो कि लक्ष्य का 87 प्रतिशत था। वसूली में कमी के परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट बकाया राशि संचित हो गई।

बकाया राशि की कम वसूली/ वसूली न होने या कारण एकमुश्त निपटान प्रकरणों की विफलता और अधिग्रहण की गई आस्तियों का निपटान न होना था जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि कोविड के कारण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है और निगम का पोर्टफोलियो भी साल दर साल कम हो रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम के पास वसूली की निगरानी के लिए ऋण नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप कोई वसूली नीति नहीं है। इसके अलावा, वसूली का प्रतिशत भी घटता जा रहा है।

3.7.1 एकमुश्त निपटान योजना का खराब क्रियान्वयन

निगम ने अपने अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से एक एकमुश्त निपटान योजना को अपनाया (अप्रैल 2004) जिसके तहत उधारकर्ताओं द्वारा निपटान के समय बकाया राशि के एक हिस्से का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। निगम द्वारा एकमुश्त निपटान योजना को अपनाया गया था क्योंकि राजस्व वसूली प्रमाणपत्र के माध्यम से और इकाइयों के अधिग्रहण एवं बिक्री से वास्तविक वसूली को पूरा करने में कई कठिनाइयाँ थीं।

योजना के अनुसार, एकमुश्त निपटान योजना के लिए अवमानक और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत ऋणों पर विचार किया जाना था। एकमुश्त निपटान योजना के तहत, ब्याज राशि को माफ किया जाना था और मूल राशि को तय राशि के रूप में माना जाना था, जिसमें से तय की गई राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाना था और शेष राशि को एक वर्ष के अंदर नियमित किश्तों में भुगतान किया जाना था।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान एकमुश्त निपटान में अब तक निपटाए गए प्रकरणों, बकाया राशि, निपटान राशि और वसूली गई राशि का वर्षवार विवरण नीचे तालिका 3.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: 2019-2022 के दौरान एकमुश्त निपटान के तहत निपटाए गए प्रकरणों, बकाया राशि, निपटान राशि और वसूली गई राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकमुश्त निपटान के तहत प्रकरणों की संख्या	वसूल की जाने वाली वास्तविक राशि	एकमुश्त निपटान के अनुसार वसूल की जाने वाली राशि	मार्च 2022 तक वसूल की गई राशि	वसूल की जाने वाली शेष राशि	वसूली प्रतिशत
2019-20	33	76.93	58.68	28.24	30.44	48
2020-21	52	82.87	65.85	39.82	26.03	60
2021-22	31	53.74	44.09	12.92	31.17	29
कुल	116	213.54	168.62	80.98	87.64	

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 168.62 करोड़ की तय राशि की तुलना में वसूल की गई राशि केवल ₹ 80.98 करोड़ थी। वसूली का प्रतिशत जो वर्ष 2019-20 में 48 प्रतिशत था, वर्ष 2020-21 में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया और उसके बाद वर्ष 2021-22 में घटकर 29 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, एकमुश्त निपटान योजना के तहत 116 इकाइयों में से 54 इकाइयों ने अपने ऋण खातों (₹ 28.02 करोड़ की राशि) का पूरी तरह से निपटान कर दिया जबकि ₹ 87.64 करोड़ शेष 62 इकाइयों से बकाया थे। एकमुश्त निपटान योजना की

शर्तों को पूरा न करने के लिए निगम ने छह इकाइयों के संबंध में एकमुश्त निपटान योजना को रद्द कर दिया। हालांकि, डिफॉल्ट के संबंध में, डिफॉल्ट से वसूली करने के लिए की गई कार्यवाही अभिलेखों में नहीं थी।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि एकमुश्त निपटान योजना इकाइयों को उनके लंबित बकाया को चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थी और एकमुश्त निपटान योजना के तहत वसूल की जाने वाली राशि के 48 प्रतिशत की वसूली में भी मदद की किंतु निगम योजना के माध्यम से लाभार्थियों के साथ उनके सहमत बकाया के निपटान के लिए प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

इसके अलावा राज्य वित्तीय निगम, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकाया देय राशि की वसूली के लिए की गई कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है (फरवरी 2023)।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि एकमुश्त निपटान प्रकरण रद्द होने के कारण एकमुश्त निपटान राशि की वसूली नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम एकमुश्त निपटान योजना के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

3.7.2 आस्तियों का निपटान न होना/ निपटान में विलंब

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 निगम को अधिकार देती है कि वह वसूली करने के लिए उन औद्योगिक संस्थानों/ आस्तियों को जो कि निगम के पास गिरवी, बंधक, दृष्टिबंधक या सौंपी गई है, का प्रबंधन संभाल सकता है या कब्जे में ले सकता है या दोनों ही कर सकता है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 इकाइयों ने जनवरी 2018 से जनवरी 2021 की अवधि के दौरान मूलधन के भुगतान में डिफॉल्ट किया था और मार्च 2019 से मार्च 2022 के दौरान ब्याज के भुगतान में डिफॉल्ट किया था। निगम ने मार्च 2019 से अप्रैल 2022 के दौरान इन 17 इकाइयों का कब्जा ले लिया था। हालांकि, निगम ने कब्जा लेने के बावजूद इनमें से किसी भी इकाई की आस्तियों का निपटान नहीं किया। 31 मार्च 2022 को इन 17 इकाइयों से ₹ 34.75 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

इन 17 इकाइयों में से निगम ने केवल एक इकाई¹⁸ का कब्जा बरकरार रखा और शेष 16 इकाइयों (₹ 33.83 करोड़ की बकाया ऋण राशि के साथ) का कब्जा वापस दे दिया (क्योंकि उन्होंने बकाया राशि चुकाने का वादा किया था और इसके लिए एकमुश्त निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया था)। एक इकाई¹⁹ ने अपना बकाया चुका दिया है (अक्टूबर 2022) और परिशिष्ट 3.6 में वर्णित ₹ 32.73 करोड़ की राशि 31 मार्च 2022 को 16 इकाइयों (जिसमें एक प्रतिधारित इकाई भी शामिल है) पर बकाया थी। इस प्रकार, बंधक आस्तियों का निपटान न होने के कारण बकायादारों के विरुद्ध बड़ी मात्रा में बकाया संचित हो गया था।

शासन का इकाई-वार उत्तर परिशिष्ट 3.6 में सम्मिलित किया गया है।

चूंकि वसूली अभी भी लंबित है ऐसा प्रतीत होता है कि निगम का वसूली तंत्र बेहद कमजोर है और निगम द्वारा अपनाए गए तरीके शिथिल थे और उधारकर्ताओं को अनुचित लाभ की पेशकश की गई थी। आस्तियों पर कब्जा करने के बावजूद निगम अपने बकाया की वसूली के लिए आस्तियों का निपटान करने में विफल रहा जिससे पूरी प्रक्रिया की विफलता का संकेत मिलता है। इसके अलावा, एक प्रकरण में जहां निगम ने कब्जा बरकरार रखा वह

¹⁸ मैसर्स गुरुजी पैकेर्स।

¹⁹ मैसर्स जगजीत ऑटो इंडस्ट्रीज परिशिष्ट 3.6 से निष्पादित किया गया चूंकि राशि जमा की थी।

आस्तियों का समय पर निपटान करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप आस्तियोंकी निष्क्रियता और मूल्य में गिरावट हुई।

3.7.3 बंद/ अक्रियाशील इकाइयों तथा कम क्षमता में कार्य करने वाली इकाइयों से वसूली न होना

ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लिखित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार इकाई को नियमित रूप से अपना बकाया भुगतान करना था। ब्याज और मूलधन के नियमित भुगतान के लिए व्यवसाय की निरंतरता आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2016 से नवंबर 2021 तक सात इकाइयों²⁰ या तो अक्रियाशील थीं या कम क्षमता में कार्य कर रही थीं। इन उद्योगों पर कुल बकाया राशि ₹ 31.06 करोड़ थी (मार्च 2022 तक)। हालाँकि, इन इकाइयों के स्वीकृति की शर्तों के अनुसार कार्य करने में विफल रहने के बावजूद निगम उनकी गतिविधियों की निगरानी करने और/ या इन इकाइयों से लंबित बकाया की वसूली के लिए कदम उठाने में विफल रहा।

इन डिफॉल्टर इकाइयों के खिलाफ समय पर कार्यवाही करने में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 31.06 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाई। चूँकि ये इकाइयाँ या तो अक्रियाशील हैं या मुश्किल से काम कर रही हैं इसलिए बकाया की वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। विवरण सहित शासन का उत्तर परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया गया है।

तथ्य यह है कि निगम भारी बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने में विफल रहा।

3.7.4 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन

वित्तीय संस्थानों को नियमित रूप से अपने ऋण की वसूली करके अपने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को यथासंभव कम रखने की आवश्यकता है और अपने पोर्टफोलियो को आरबीआई, सिडबी द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार रखना चाहिए। आरबीआई के वर्गीकरण के अनुसार, ऋणों को नीचे तालिका 3.4 में दिए अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 3.4: ऋणों का वर्गीकरण

ऋणों का वर्गीकरण	
मानक परिसंपत्तियाँ	ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से कम की अवधि के लिए अतिदेय रहती है
अवमानक परिसंपत्तियाँ	90 दिन से अधिक और 12 माह से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए ऋणगैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ रहता है
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ ए	एक वर्ष तक ऋण एवं ब्याज संदिग्ध रहता है
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ बी	एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक ऋण एवं ब्याज संदिग्ध रहता है
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ सी	ऋण और ब्याज तीन वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध रहता है

मार्च 2022 तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए विभिन्न श्रेणियों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले ऋणों की स्थिति नीचे तालिका 3.5 में दर्शाई गई है:

²⁰ मैसर्स श्री कृष्णा पॉलिमर्स, मैसर्स आर आर बायो एनर्जी, मैसर्स सहारा कॉटन क्लॉथ वीवर, मैसर्स पियोस इंडस्ट्रीज, मेसर्स सीमा प्लास्टिक्स, मेसर्स देव काउ एंड मिलक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बालाजीस्टेरॉयड्स एंड हार्मोन्स प्राइवेट लिमिटेड।

तालिका 3.5: तीन वर्षों के लिए श्रेणीवार बकाया ऋणों का विवरण (31 मार्च 2022)

(₹ करोड़ में)

ऋण खाते की श्रेणी	मार्च 2020 तक		मार्च 2021 तक		मार्च 2022 तक	
	खातों की संख्या	ब्याज सहित बकाया	खातों की संख्या	ब्याज सहित बकाया	खातों की संख्या	ब्याज सहित बकाया
अवमानक परिसंपत्तियाँ	167	222.36	92	62.39	42	50.49
संदिग्ध						
ए	95	120.94	155	171.90	53	53.06
बी	68	52.16	185	293.19	219	310.88
सी	101	60.63	134	81.12	189	189.05
कुल (ए + बी + सी)	264	233.73	474	546.21	461	552.99
कुल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (अवमानक + संदिग्ध)	431	456.09	566	608.60	503	603.48
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि		232.50		180.74		156.30

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2019-20 में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत कुल बकाया का 56 प्रतिशत था जो 2021-22 में बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि के मुख्य कारण इकाइयों द्वारा समय पर किस्तों का भुगतान न करना, एकमुश्त निपटान प्रकरणों में वसूली न होना, अधिग्रहित आस्तियों के निपटान में विलंब, वसूली के लिए नियमित अनुसरण में विफलता, वसूली के लिए कार्यवाही करने में देरी और क्रिटिकल खातों की खराब निगरानी, इकाइयों द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में देरी/ गैर-कार्यान्वयन आदि हैं।
- इसके अलावा 'संदिग्ध' ऋण, जो वर्ष 2019-20 में ₹ 233.73 करोड़ था, उसमें वृद्धि हुई जो वर्ष 2020-21 में 134 प्रतिशत बढ़कर ₹ 546.21 करोड़ हो गया और फिर मार्च 2022 तक बढ़कर ₹ 552.99 करोड़ हो गया। इसमें लगातार बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यह 'अवमानक' खातों की खराब निगरानी का संकेत देता है, जिसके परिणामस्वरूप वे 'संदिग्ध' श्रेणियों में सम्मिलित हो गए।
- वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कुल 256 खाते मानक श्रेणी से गिरकर अवमानक/ संदिग्ध श्रेणी में सम्मिलित हो गए और उसके बाद 2020-21 की तुलना में 2021-22 में अन्य 66 मानक खाते गिरकर अवमानक/ संदिग्ध श्रेणी में सम्मिलित हो गए। खातों की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट चिंता का विषय था जिसे निगम वित्तीय संस्थानों में प्रचलित विवेकपूर्ण ऋण वसूली प्रणाली की तर्ज पर निगरानी रखने और सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा।

निदेशक मंडल ने अपनी बैठक (मार्च 2019) में वसूली प्रदर्शन की समीक्षा की और पाया कि वसूली में अधिक सुधार की आवश्यकता है जिसके लिए कड़े प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, निगम को उचित उपाय लागू करके गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, निदेशक मण्डल के निर्देशों के बाद भी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 2019 में 56 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2022 को कुल बकाया का 89 प्रतिशत हो गयी थी।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) निगम ने कहा (जुलाई 2022) कि अवमानक के साथ साथ संदिग्ध पोर्टफोलियो से बकाया की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से बकाया की वसूली के लिए उचित कार्यवाही भी की जा रही है जिसमें कानूनी कार्यवाही एवं इकाइयों की बिक्री सम्मिलित

है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि निगम के पास नियमित रूप से कमी की निगरानी करने के लिए एक तंत्र है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि निगम ने पिछली कंडिका में बताए गए उपयुक्त वसूली उपायों का सहारा नहीं लिया है। इसके अलावा, खराब निगरानी तंत्र के प्रभाव के परिणामस्वरूप गैर निष्पादित परिसंपत्ति में वृद्धि हुई है। संबंधित मुद्दों पर पिछली और आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

इस मुद्दे पर शासन का उत्तर मौन था (मई 2023)।

3.8 निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा/ नियंत्रण में कमियाँ

निगम की ऋण नीति, क्रेडिट निगरानी उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आस्तियों की गुणवत्ता की निगरानी, धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाना और निवारक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रबंधन सम्मिलित है। निगम की निगरानी प्रणाली में कमियों के परिणामस्वरूप गैर-निष्पादित परिसंपत्ति का अत्यधिक संचय हुआ। ऋण खातों की गुणवत्ता में गिरावट और बकाया राशि की वसूली न होने की चर्चा नीचे तालिका 3.6 में की गई है:

तालिका 3.6: निगरानी पद्धति में कमियाँ

निगरानी पद्धति	लेखापरीक्षा अवलोकन
<p>प्रमुख शर्तों के अनुपालन की निगरानी ऋण नीति के पैरा 8.2.1 के अनुसार, ऋण के नियमों और शर्तों के अनुपालन लंबित रहने पर भी संवितरण प्रारम्भ किया जा सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर शर्तों का अनुपालन कर दे। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम को इन प्रकरणों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।</p>	<p>निगम के पास उन इकाइयों की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं है जिन्हें अनुपालन लंबित रहने तक ऋण संवितरण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इकाइयाँ अनुपालन के बिना ऋण प्राप्त कर रही हैं जैसा कि कंडिका 3.6.2.1, 3.6.2.2, 3.6.3.2 और 3.6.4.2 में बताया गया है।</p>
<p>आईटी सक्षम आंतरिक निगरानी ऋण नीति के पैरा 8.2.4 के साथ पठित पैरा 8.2.6 के अनुसार, आईटी सक्षम सेवाओं के उपयोग और निरंतर सुधार/विकास द्वारा ऋणों की निगरानी को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जाना था। निगम को एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म प्रोग्राम विकसित करना था जिसके माध्यम से अतिदेय, स्ट्रेस खातों, बीमा पॉलिसियों, सिव्युरिटी स्टेटस आदि के लिए अलर्ट दिया जा सके। इसके अलावा, व्यापक पहलुओं जैसे परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति, समय/लागत में वृद्धि, आवधिक दौर, इकाई के अन्य ऋणदाताओं के साथ बातचीत, वार्षिक खातों/आवधिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आदि के संबंध में खाते की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ निगरानी की जानी थी।</p>	<p>निगम ने अपने ऋण खातों की निगरानी के लिए कोई आईटी सक्षम प्रणाली विकसित नहीं की है और यह मुख्य रूप से उधारकर्ताओं की भौतिक फाइलों पर निर्भर है। परिणामस्वरूप, निगम के पास मानक आस्तियों के प्रदर्शन पर नजर रखने या क्रिटिकल खातों की निगरानी करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है जो अवमानक या संदिग्ध खातों में बदल सकते हैं और इस प्रकार गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में समाप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार, निगम के पास बंद, खराब प्रदर्शन करने वाली इकाइयों की पहचान करने की कोई प्रणाली नहीं है।</p>
<p>मासिक आधार पर क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत न करना प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 के साथ पठित प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमन, 2006 के विनियमन 7 के प्रावधानों के अनुसार निगम को मासिक आधार पर उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।</p>	<p>हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम त्रैमासिक आधार पर क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार, निगम प्रत्यय विषयक कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। परिणामस्वरूप, इकाइयों की वास्तविक समय की ऋण योग्यता की पहचान नहीं की जा सकी, इस प्रकार अन्य वित्तीय संस्थानों को इन इकाइयों को ऋण देने के माध्यम से ऋण जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाया गया।</p>
<p>आंतरिक लेखापरीक्षा निगम की ऋण नीति के पैरा 8.2.15 के अनुसार निगम को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करना होता है। आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य निगम के प्रधान कार्यालय में एक प्रबंधक, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा देखा जाता है जो अतिरिक्त प्रभार के तहत पद संभालता है और महाप्रबंधक को रिपोर्ट करता है।</p>	<p>कार्यरत आंतरिक लेखापरीक्षा विंग होने के बावजूद प्रधान कार्यालय और इसकी इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान नहीं की गई थी जिसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किए गए थे। निगम ने आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के प्रदर्शन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।</p>

मध्य प्रदेश वित्त निगम के सामान्य विनियमन (1955) के अनुच्छेद 44(1) के अनुसार, एक वर्ष में हर तिमाही में कम से कम एक निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की तीन साल की अवधि के दौरान 12 बीओडी बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता के विपरीत, सात बैठकें आयोजित की गईं।

इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण जोखिम है कि बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही प्रतिवेदनों की समीक्षा करके बोर्ड निगम के प्रदर्शन की प्रभावी ढंग से निगरानी नहीं कर सका क्योंकि बैठकें समय-समय पर/ नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं। परिणामस्वरूप, इकाइयों के अधिग्रहण, निष्क्रिय आस्तियों की बिक्री, एकमुश्त निपटान योजनाओं के प्रदर्शन आदि के संबंध में निगम के खराब प्रदर्शन की उच्च प्रबंधन स्तर पर प्रभावी ढंग से निगरानी नहीं की जा रही थी।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), निगम ने कहा (जुलाई 2022) कि मानक के साथ-साथ संदिग्ध पोर्टफोलियो से बकाया की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बकाया की वसूली के लिए उपयुक्त कार्यवाही भी की जा रही है जिसमें कानूनी कार्यवाही एवं इकाइयों की बिक्री सम्मिलित है। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि निगम के पास नियमित रूप से डिफाल्टर की निगरानी के लिए एक तंत्र है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशक मण्डल द्वारा खराब निगरानी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति प्रकरणों में वृद्धि और/या वसूली में कमी के माध्यम से स्पष्ट है।

शासन का उत्तर इस मुद्दे पर मौन था (मई 2023)।

3.9 निष्कर्ष

जैसा कि पिछली कंडिकाओं में बताया गया है, लेखापरीक्षा ने ऋणों की स्वीकृति और संवितरण में विभिन्न कमियाँ देखीं जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:

- अपेक्षित बिजली कनेक्शन का प्राप्त करने, अपेक्षित शेयर पूंजी जुटाने में विफलता, असुरक्षित ऋणों को जुटाने/ प्रतिधारण करने, अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा करने आदि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करने के बावजूद इकाइयों को अधिक संवितरण के प्रकरण थे।
- इकाइयों द्वारा समय पर किस्तों का भुगतान न करने, एक मुश्त निपटान प्रकरणों में वसूली न होने, अधिग्रहित आस्तियों के निपटान में देरी आदि के कारण साल दर साल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।
- वसूली के लिए नियमित अनुसरण में विफलता, वसूली के लिए कार्यवाही करने में देरी और क्रिटिकल खातों की खराब निगरानी और इकाइयों द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन/गैर-क्रियान्वयन में देरी आदि भी देखी गई।
- निगम ने एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म विकसित नहीं किया जिसके द्वारा अतिदेय, स्ट्रेस्ड खातों आदि के लिए अलर्ट प्राप्त किया जा सके। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली भी अप्रभावी थी। इन सबके कारण साल-दर-साल बकाया राशि में वृद्धि हुई।

3.10 अनुशंसार्थे

- निगम एक वसूली नीति प्रारम्भ करके ऋण की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऋण की स्वीकृति के नियमों और शर्तों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।
- निगम अतिदेय, निष्क्रिय खातों के लिए समय पर चेतावनी प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म विकसित कर सकता है।
- निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के प्रावधानों में परिकल्पित वसूली उपायों को सख्ती से और समय पर लागू करके गैर निष्पादित परिसंपत्ति प्रकरणों में कमी के लिए प्रयास कर सकता है।
- निगम ऋण नीति में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ऋणों की निगरानी के लिए शाखाओं और प्रधान कार्यालय की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा करना सुनिश्चित कर सकता है।

अध्याय-IV

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

अध्याय-IV

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

"मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विद्युत गृहों के संचालन एवं संधारण" पर अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

लेखापरीक्षा द्वारा 2019-20 से 2021-22 की अवधि हेतु तीन विद्युत गृहों, विद्युत गृह-III संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र (सं.गा.ता.वि.के.) (1X500 मेगावाट), बिरसिंहपुर, विद्युत गृह-IV सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र (सं.ता.वि.के.) (2X250 मेगावाट), विद्युत गृह-IV सारनी एवं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र (अ.ता.वि.के.) (1X210 मेगावाट), चर्चई, के संचालन एवं संधारण के निष्पादन को सम्मिलित किया गया है।

कंपनी के जबलपुर स्थित मुख्य कार्यालय एवं तीनों विद्युत गृहों की लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

- दोषों के निवारण में विलंब/अनावश्यक ट्रिपिंग के कारण अत्यधिक नियोजित एवं बलपूर्वक कटौती, कोयले की कमी की समस्या/ कोयले की खराब गुणवत्ता के कारण आंशिक भार एवं अत्यधिक ऊष्मा दर आदि के कारण उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सके।
- निष्प्रभावी निगरानी, प्रणाली का उन्नयन नहीं होने एवं सर्वोत्तम प्रणालियों का कार्यान्वयन न होने के कारण, उत्पादन स्टेशन को निरन्तर परिचालन समस्याओं का सामना करना पड़ा एवं विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।
- कोयला योजना तैयार न करने, कोयले का पर्याप्त स्टॉक न रखने, कोयले की क्रय हेतु निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब, मितव्ययी दरों पर कोयले का उठान न करने एवं कोयला लिंकेज की अदला-बदली में विलम्ब के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत अधिक हो गई।
- खदानों पर लदान वाले छोर एवं ताप विद्युत गृह पर उतराई वाले छोर के बीच जीसीवी में कमी।
- विद्युत का अनुचित अनुसूचयन एवं पानी की अधिक मात्रा हेतु अनुबन्ध निष्पादन के परिणामस्वरूप परिहार्य भुगतान हुआ; तथा
- अत्यधिक स्टैक उत्सर्जन एवं एमओईएफएंडसीसी के राख उपयोग मानदंडों का अनुपालन न करना।

कमियों के इन उदाहरणों का कुल प्रभाव ₹ 1,041.43 करोड़ है।

4.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारम्भ किए गए विद्युत क्षेत्र सुधार के कार्यान्वयन के भाग के रूप में मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (कंपनी) को 22 नवंबर 2001 को पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी ने पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की विद्युत उत्पादन गतिविधियों को

अपने हाथ में ले लिया एवं 01 जून 2005 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। 31 मार्च 2022 को, कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹ 10,000 करोड़ थी एवं प्रदत्त पूंजी ₹ 6,520.53 करोड़ थी।

कंपनी 5,400 मेगावाट¹ (मे०वा०) की कुल स्थापित क्षमता के साथ चार ताप विद्युत केंद्र (ता.वि.कें.) का संचालन कर रही थी।

4.2 कंपनी की संगठनात्मक संरचना

कंपनी ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में है, जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव हैं। कंपनी का दैनिक प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। प्रबंध निदेशक (एमडी) कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वाणिज्य), मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों (ईडी), मुख्य अभियन्ताओं (सीई) एवं कंपनी सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक ताप विद्युत केंद्र का नेतृत्व एक मुख्य अभियन्ता/ कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसे अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एसीई) एवं अधीक्षण अभियन्ता (एसई) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो संबंधित ताप विद्युत केंद्र पर नियमित संचालन एवं संधारण की देखभाल करते हैं।

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

आश्वासन आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या ताप विद्युत केंद्र परिकल्पित उत्पादन प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.), मध्य प्रदेश शासन एवं कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संचालित एवं संधारित किए जा रहे थे।

4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

विषयगत लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्गत नीति और दिशानिर्देश;
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.)/ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (के.वि.नि.आ.)/मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.) द्वारा निर्गत नीति और दिशानिर्देश;
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार/ मध्य प्रदेश शासन, केंद्रीय/ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बो./ म.प्र.प्र.नि.बो.) एवं अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देश/पर्यावरणीय मानदंड;
- विद्युत गृहों की व्यवहार्यता/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;
- निदेशक मंडल/ व्यावसायिक समिति की बैठकों की कार्यसूची /कार्यवृत्त, म.प्र.वि.नि.आ./ के.वि.प्रा./ म.प्र.प्र.नि.बो. को प्रस्तुत की गई कंपनी की प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन; एवं
- निविदा प्रपत्रों/ ठेका अनुबंधों /ईंधन आपूर्ति अनुबंधों/विद्युत क्रय अनुबंधों आदि में उल्लिखित नियम एवं शर्तें; इत्यादि।

¹ एटीपीएस चर्चाई 210 मेगावाट, एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर 1340 मेगावाट, एसटीपीएस सारनी 1330 मेगावाट तथा एसएसटीपीएस खंडवा 2,520 मेगावाट।


4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

इस अनुपालन लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए तीन विद्युत केन्द्रों अर्थात् संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र (सं.गां.ता.वि.के.) बिरसिंहपुर (वि.गृ.-III, 1X500 मेगा वाट), सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र (स.ता.वि.के.) सारनी (वि.गृ.-IV, 2X250 मेगावाट) एवं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र (अ.ता.वि.के.) चर्चई (वि.गृ.-IV, 1X210 मेगावाट) के संचालन तथा संधारण निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा के लिए चुने गए विद्युतगृह 25 वर्षों के अपने सामान्य परिचालन जीवन के अन्तर्गत थे।

28 मार्च 2022 को प्रबंधन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के क्षेत्र पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान, म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित मापदंडों के संबंध में विद्युत गृहों के संचालन प्रदर्शन का परीक्षण किया गया। संचालन एवं संधारण की तैयार एवं कार्यान्वित की योजनाएं तथा पर्यावरणीय अनुपालनों का अध्ययन किया गया। शासन की ओर से लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर मई 2023 में प्राप्त हुए एवं प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय उस पर विचार किया गया। निर्गम बैठक 30 मई 2023 को आयोजित किया गया।

4.6 संचालन निष्पादन एवं संधारण गतिविधियाँ

ताप विद्युत केंद्र में योजनाबद्ध आरेख एवं ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:



मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 20 फरवरी 2020 को म.प्र.वि.नि.आ. (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020 अधिसूचित किया। विनियमन में 2019-20 से 2023-24 की अवधि विद्युत गृहों के लिए संचालन के मानदंड समाहित थे। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए आयोग द्वारा निर्धारित

इसके पांच मानक परिचालन मापदंडों के सापेक्ष तीन विद्युतगृहों का वास्तविक निष्पादन **परिशिष्ट 4.1** में विस्तृत है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रेक्षण

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा तीन विद्युत गृहों को 27,451 मिलियन यूनिट्स (एमयू)² का उत्पादन लक्ष्य दिया गया था लेकिन वे केवल 24,674 एमयू ही उत्पादन कर सके तथा 2,777 एमयू (10.12 प्रतिशत) की कमी रही, जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में वर्णित किया गया। ऐसा मुख्यता विद्युतगृहों के ओर से परिचालन मापदण्डों की प्राप्ति हेतु संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए कार्य योजनाओं को बनाने एवं लागू करने, उपकरणों को निर्धारित क्षमता पर चलाने हेतु अनुरक्षण करने में कमियों एवं अन्य कारणों से था जैसा कि आगामी कंडिकाओ में चर्चा की गई है।

4.7 संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर विद्युत गृह III (500 मेगावाट)

4.7.1 सं.गां.ता.वि.के. विद्युतगृह III में 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई शामिल है तथा यह 2008 से परिचालन में है। विद्युतगृह ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के वर्षों में 11,326 एमयू के लक्ष्य के सापेक्ष 9,847.399 एमयू ऊर्जा उत्पन्न की। विद्युतगृह केवल 2020-21 में ही लक्ष्य प्राप्त कर सका तथा लक्ष्य के सापेक्ष 2019-20 (11.46 प्रतिशत) एवं 2021-22 (29.07 प्रतिशत) में उत्पादन में कमी रही, जैसा कि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: 2019-20 से 2021-22 की अवधि में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	म.प्र.वि.नि.आ. लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	आधिक्य (+) / न्यूनता (-)	न्यूनता/आधिक्य % में
1.	2019-20	3,788	3,354	(-) 434	(-) 11.46
2.	2020-21	3,816	3,853	(+) 37	(+) 0.98
3.	2021-22	3,722	2,640	(-) 1082	(-) 29.07
	कुल	11,326	9,847	(-)1,479³	(-) 13.05

(स्रोत: कंपनी द्वारा म.प्र.वि.नि.आ. को प्रस्तुत की गई आवधिक सूचना)

न्यूनता के कारणों में मुख्यतः त्रुटियों के सुधार में विलम्ब/ अवांछित ट्रिपिंग, कोयले की कमी की समस्याओं/ कोयले की खराब गुणवत्ता के कारण आंशिक लोडिंग तथा अत्यधिक ऊष्मा दर आदि के कारण अत्यधिक नियोजित एवं बलपूर्वक कटौती थी, जो नियंत्रण योग्य थी।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि प्रबंधन ने उत्पादन के लिए आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए थे जिन्हें वर्ष 2019-20 को छोड़कर प्राप्त कर लिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये लक्ष्य म.प्र.वि.नि.आ. लक्ष्यों की तुलना में निचले स्तर पर थे। शासन ने आगे कहा कि उत्पादन हानि के अन्य कारणों में आईपी स्टॉप वाल्व⁴ की समस्या के कारण आंशिक लोडिंग तथा वर्ष 2021-22 में टरबाइन/ शाफ्ट के उच्च कंपन की पुनरावृत्ति थी।

² मेगावाट (मे०वा०) विद्युत की एक इकाई है और मिलियन यूनिट (एम० यू०) ऊर्जा की एक इकाई है। सामान्यतः किसी विशिष्ट घंटे में विद्युत संयंत्र की क्षमता एवं मांग को मेगावाट में व्यक्त किया जाता है। 1 मेगावाट 1000 यूनिट ऊर्जा के बराबर है। यदि किसी संयंत्र की क्षमता 1 मेगावाट है तो इसका अर्थ यह है कि वह एक घंटे में 1000 यूनिट का उत्पादन करेगा।

³ इसका मूल्य ₹ 274.21 करोड़ है (2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित 1479 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹ 1.854 प्रति यूनिट)।

⁴ इंटरमीडिएट प्रेशर स्टॉप वाल्व।

परिचालन मापदंडों के संबंध में इस वि.गृ. का निष्पादन, म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम था। इसका विश्लेषण कंडिका संख्या 4.7.2 से 4.7.10 में किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रबंधन ने निर्गम बैठक (मई 2023) में कहा कि म.प्र.वि.नि.आ. उत्पादन लक्ष्य प्रदान नहीं करता है। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि कंपनी स्वयं उत्पादन लक्ष्यों एवं उनके सापेक्ष वास्तविक उत्पादन के आवधिक विवरण म.प्र.वि.नि.आ. को प्रस्तुत करती है।

4.7.2 संयंत्र उपलब्धता कारक से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति न होना

संयंत्र उपलब्धता कारक (सं.उ.का.) एक निश्चित अवधि में विद्युत उत्पादन करने के लिए एक उत्पादन इकाई की उपलब्धता को दर्शाता है। म.प्र.वि.नि.आ. ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा के अधीन सभी विद्युतगृहों के लिए 85 प्रतिशत का सं.उ.का. लक्ष्य निर्धारित किया था।

विद्युतगृह द्वारा वहन की गई उत्पादन लागत में परिवर्तनशील लागत एवं स्थायी लागत दोनों सम्मिलित हैं। म.प्र.वि.नि.आ., प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्थायी लागत के तत्वों के विश्लेषण के पश्चात, उस स्थायी लागत को अनुमोदित करता है जिसे जेनरेशन टैरिफ के माध्यम से एक वर्ष में उगाही किया जा सकता है। यदि विद्युतगृह द्वारा प्राप्त वास्तविक सं.उ.का. लक्षित सं.उ.का. से कम था तो उस वर्ष के लिए स्थायी लागत की वास्तविक उगाही आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र (सं.गां.ता.वि.के.), बिरसिंहपुर, विद्युतगृह III (1x500 मेगावाट) वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में, 2020-21 को छोड़कर, लक्षित सं.उ.का. प्राप्त नहीं कर सका, जैसा कि नीचे तालिका 4.2 में वर्णित है:

तालिका 4.2: सं.उ.का. के साथ-साथ म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमत स्थायी लागत तथा म.प्र.पा.ज.क.लि. द्वारा किया वास्तविक दावा

क्र.सं.	वर्ष	सं.उ.का. (प्रतिशत)		स्थायी लागत /क्षमता शुल्क (₹ करोड़ में)		
		सं.उ.का. का म.प्र.वि.नि.आ. मानदंड (%)	वास्तविक सं.उ.का. (%)	म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमत अधिकतम स्थायी लागत	कंपनी द्वारा दावा किया गया	न्यूनता (₹)
1.	2019-20	85	79.33	391.04	364.96	26.08
2.	2020-21	85	94.28	378.34	378.34	शून्य
3.	2021-22	85	63.14	313.15	232.66	80.49
		कुल		1,082.53	975.96	106.57

(स्रोत: बहुवर्षीय विद्युत-दर, प्रबंध सूचना प्रणाली प्रतिवेदन व कंपनी द्वारा दी सूचना से एकत्रित विवरण)

विद्युत गृह द्वारा लक्षित सं.उ.का. प्राप्त न करने का मुख्य कारण उपरोक्त अवधि में अत्यधिक बलपूर्वक कटौती व नियोजित आउटेज, वार्षिक ओवरहॉलिंग एवं पूंजीगत ओवरहॉलिंग (एओएच और सीओएच) थी। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान स्थायी लागत की ₹ 106.57 करोड़ की सीमा तक कम वसूली हुई।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में सं.उ.का. प्राप्त न करने के अन्य कारणों को स्पष्ट किया जैसे कि आंशिक भार, अनदेखी आउटेज, टरबाइन/शाफ्ट के उच्च कंपन की पुनरावृत्ति आदि। तथापि, तथ्य यह शेष रह जाता है कि कंपनी म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित सं.उ.का. मानदंडों को प्राप्त करने में विफल रही।

4.7.3 उच्च सकल स्टेशन ऊष्मा दर

सकल स्टेशन ऊष्मा दर (जीएसएचआर), एक ताप विद्युत केंद्र की दक्षता का आकलन करने के लिए एक मापदंड है, जो एक किलोवाट घंटे (किलोवाट आवर) में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए (किलो कैलोरी) आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को दर्शाता है। म.प्र.वि.नि.आ. ने सं.गां.ता.वि.के., बिरसिंहपुर विद्युतगृह-III (1x 500 मेगावाट) के लिए बहुवर्षीय विद्युत-प्रशुल्क (एमवाईटी) के माध्यम से 2019-20 से 2023-24 के लिए 2,390 किलो कैलोरी/किलोवाट आवर के जीएसएचआर को अनुमोदित किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में वास्तविक जीएसएचआर 2,390 किलो कैलोरी/ किलोवाट आवर के म.प्र.वि.नि.आ. मानदंड के सापेक्ष 2,447, 2,409 एवं 2,444 किलो कैलोरी/ किलोवाट आवर पर रहा। उच्च जीएसएचआर के लिए लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए कारण बार-बार ट्रिपिंग; टरबाइन में समस्या, कोयले की कमी/ कोयले की खराब गुणवत्ता एवं राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) के निर्देशानुसार इकाइयों के बैकिंग डाउन के कारण कम भार पर परिचालन थे। कंपनी म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर जीएसएचआर बनाए रखने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 से 2021-22 की अवधि में ₹ 23.80 करोड़ मूल्य के 92,696.76 मीट्रिक टन कोयले की अतिरिक्त खपत हुई।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि उच्च जीएसएचआर का कारण बैकिंग डाउन लगाना, कोयले की खराब गुणवत्ता, कोयले की कमी तथा अप्रत्याशित सहायक समस्याओं के कारण आंशिक भारण जैसे कारक थे।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि शासन को पर्याप्त मात्रा तथा श्रेष्ठतर गुणवत्ता वाला कोयला सुनिश्चित करने के लिए संपर्ककर्ता रखने पर भी कोयले की कमी व कोयले की खराब गुणवत्ता की समस्या का सामना जारी है।

4.7.4 द्वितीयक ईंधन तेल की अत्यधिक खपत

ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा इकाई को आरम्भ करने हेतु सहायता देने तथा भट्टी/लौ को स्थिरता प्रदान करने के लिए द्वितीयक ईंधन के रूप में ईंधन तेल (भारी ईंधन तेल एवं हल्का डीजल तेल) का उपयोग किया जाता है। म.प्र.वि.नि.आ. ने एमवाईटी के माध्यम से 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए द्वितीयक ईंधन तेल⁵ हेतु खपत मानदंड 0.50 मिली/किलोवाट आवर निर्धारित किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान समग्र वार्षिक द्वितीयक ईंधन तेल की खपत म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों के भीतर थी, जबकि वर्ष 2021-22 में यह मानदंडों से अधिक हो गई तथा आठ माहों⁶ के दौरान अधिक खपत के कारण 1.33 मिली/किलोवाट आवर पर रही। सं.गां.ता.वि.के. विद्युतगृह-III (1x500 मेगावाट) ने अतिरिक्त ईंधन तेल अर्थात् 2035.177 किलो लीटर की खपत की, जिसका मूल्य ₹ 12.47 करोड़ है। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आंशिक भार पर इकाइयों का संचालन, विभिन्न कारणों से ट्रिपिंग तथा बैकिंग डाउन⁷ ईंधन तेल की अधिक खपत के मुख्य कारण थे। इस प्रकार, कंपनी की विफलता के कारण ईंधन तेल की खपत म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित निर्धारित सीमा के भीतर सीमित नहीं की जा सकी।

⁵ इसमें फर्नेस ऑयल (एफओ) और लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) शामिल हैं जिनका उपयोग ताप विद्युत गृहों में स्टार्टिंग या इग्निशन ईंधन के रूप में किया जाता है।

⁶ आठ माहों की अवधि में द्वितीयक ईंधन तेल की खपत म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों .50 मिली/ किलोवाट आवर के सापेक्ष 0.52 और 9.15 मिली/ किलोवाट आवर के बीच रही।

⁷ बैकिंग डाउन का अर्थ है जब ग्रिड ऑपरेटर द्वारा विद्युत उत्पादक को अन्य स्रोतों से सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता के कारण या ग्रिड की आवृत्ति बनाए रखने के कारण उत्पादन कम करने का आदेश दिया जाता है।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि अतिरिक्त तेल की खपत का मुख्य कारण सीओएच की अप्रत्याशित तकनीकी समस्या अर्थात् उच्च शाफ्ट कंपन थीं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उच्च शाफ्ट कंपन के अतिरिक्त, मासिक उत्पादन प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूनिट को आंशिक भार पर चलाने तथा ट्रिपिंग आदि के कारण तेल की अधिक खपत हुई।

4.7.5 अतिरिक्त सहायक विद्युत की खपत (एपीसी)

किसी अवधि के संबंध में सहायक खपत का अर्थ स्विच यार्ड एवं उत्पादन गृह के भीतर ट्रांसफार्मर की हानियाँ शामिल करते हुए उत्पादन गृह के सहायक उपकरणों द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा हैं। संयंत्र, की बनावट, विशिष्टताओं और कार्य दशाओं के आधार पर, म.प्र.वि.नि.आ. सहायक ऊर्जा खपत के लिए मानक निर्दिष्ट करता है।

म.प्र.वि.नि.आ. ने 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए सं.गां.ता.वि.के. विद्युतगृह-III (1x500 मेगावाट) के लिए सहायक खपत मानदंड 5.75 प्रतिशत तय किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 से 2021-22 तक प्रारम्भ होने वाले 36 माहों में से, 23 माहों के दौरान इकाइयों की वास्तविक सहायक खपत म.प्र.वि.नि.आ. निर्धारित सीमा (म.प्र.वि.नि.आ. मानदण्ड 5.75 प्रतिशत के सापेक्ष 5.90 से 9.80 प्रतिशत) से अधिक थी। लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाए गए मुख्य कारणों में टरबाइन में समस्या के कारण इकाइयों को आंशिक लोड पर चलाना, कोयले की कमी, कोयले की खराब गुणवत्ता, विभिन्न कारणों से ट्रिपिंग एवं बैकिंग डाउन शामिल था। इस प्रकार, म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों के भीतर सहायक खपत को प्रतिबंधित करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 38.88 एमयू की हानि हुई, जिसे ग्रिड में पारेषित एवं ₹ 7.21 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा सकता था।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि सितंबर 2021 एवं अक्टूबर 2021 में अतिरिक्त एपीसी का मुख्य कारण टीजी कंपन कार्य और ट्रिम संतुलन के सुधार के लिए आउटेज थी। तथापि, तथ्य यह शेष रहता है कि कंपनी सहायक खपत को म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों तक सीमित करने में विफल रही।

4.7.6 नियमित बॉयलर ट्यूब लीकेज (बीटीएल) के कारण उत्पादन की हानि

बॉयलर नलिकाएँ बॉयलर के अंदर स्थित धातु की नलिकाएँ होती हैं जो वाष्प उत्पन्न करने के लिए पानी को गर्म करती हैं। बदले में वाष्प विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाती है। एनटीपीसी द्वारा संकलित सर्वोत्तम प्रणालियों (2018) के अनुसार, बॉयलर नलिकाओं की विफलता⁸ कोयला आधारित इकाइयों में बलपूर्वक कटौती एक बड़ी भूमिका निभाती है। संकलित सर्वोत्तम प्रणालियाँ सामयिक परीक्षणों एवं बॉयलरों के निवारक संधारण की विधियाँ भी प्रदान करती है।

2019-22 की अवधि के दौरान, बॉयलर नली रिसाव (बीटीएल) के कारण संयंत्र 13 बार ट्रिप हुआ, जिसमें से बीटीएल की 6 घटनाएं वर्ष 2021-22 की अवधि में हुईं। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2021 में बीटीएल के कारण नियोजित सीओएच को भी पूर्व निर्धारित किया गया।

⁸ विफलता के कारणों में पिंटिंग, क्षरण, थकान, रेंगना और तनाव क्षरण आदि शामिल हैं।

कंपनी ने अपनी क्षतिग्रस्त बॉयलर नलिकाओं को जांच के लिए केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान(सीपीआरआई) में भेजा (19 दिसंबर 2019 तथा 02 दिसंबर 2021), जिसने पाया गया⁹ कि तापीय थकान एवं लंबे समय तक अधिक गर्म होने के कारण संरचनाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ा एवं इसने तापमान तथा दबाव में उतार-चढ़ाव की निगरानी व नियंत्रण की संस्तुति की। इसने ऑक्साइड पैमाना की वृद्धि को कम करने के लिए जल रासायनिकी की निगरानी की भी संस्तुति की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पानी को बॉयलर में डालने से पहले उसमें घुले हानिकारक लवणों को हटाने के लिए उत्तरदायी डीमिनरलाइज के लिए निर्देश योग्य तर्क नियंत्रक (पीएलसी) प्रणाली पुरानी हो चुकी थी एवं दिसंबर 2020 से खराब थी।

बीटीएल के कारण हुई ट्रिपिंग की अधिक घटनाओं के कारण, मध्य प्रदेश शासन ने संयंत्र में बीटीएल पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं एओएच/ सीओएच की विद्यमान अनुसरण की जा रही प्रणालियों में सुधार की संस्तुति करने के लिए एक समिति का गठन (फरवरी 2022) किया। समिति ने पाया (फरवरी 2022) कि क्षरण विफलताओं को रोकने के लिए तंत्र¹⁰ का अभाव था। समस्या की पहचान करने के लिए आवश्यक परीक्षण जैसे एकरूप दहन गैस क्षरण के लिए शीतल वायु वेग परीक्षण (सीएवीटी) तथा वॉटरवॉल में रुकावटों की जांच के लिए ताप प्रवाह परीक्षण नहीं किए जा रहे थे। नलिकाओं पर, पूर्वनिर्मित धातु टोपी, इस्पात के तार की जाली के साथ जिंक क्रोमेट प्राइमर का प्रयोग, रासायनिक सफाई, सिरेमिक फाइबर इन्सुलेशन का उपयोग, गुणवत्ता आश्वासन विभाग की स्थापना आदि जैसे निवारक उपाय भी नहीं किए जा रहे थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये निवारक उपाय समिति की संस्तुतियों से पूर्व ही एनटीपीसी द्वारा संकलित सर्वोत्तम प्रणालियों में दिए गए थे, लेकिन विद्युत गृह इनका पालन करने में विफल रहा। इस प्रकार, बार-बार होने वाले बीटीएल के कारण विद्युतगृह को 2019-20 से 2021-22 तक ₹ 75.37 करोड़¹¹ मूल्य की 406.51 एमयू की उत्पादन हानि का सामना करना पड़ा।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि उपचारात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं आगामी ओवरहाल में उचित गतिविधियां की जाएंगी।

4.7.7 मुख्य ओवरहालिंग

विद्युतगृह ने वर्ष 2021-22 की अवधि में मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के माध्यम से टर्बाइन के काम सहित प्रमुख मुख्य ओवरहालिंग¹² (सीओएच) कार्यान्वित की। सीओएच 25 जुलाई 2021 से 02 सितंबर 2021 तक निर्धारित थी, लेकिन वास्तविक ओवरहालिंग 19 जुलाई 2021 को पूर्व निर्धारित¹³ की गई जो 18 सितंबर 2021 तक जारी रही।

➤ लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओवरहालिंग में निर्धारित 40 दिनों के सापेक्ष 61 दिन लगे। ओईएम द्वारा संसाधन¹⁴ जुटाने में विलम्ब के कारण 21 दिनों का विलम्ब हुआ। तथापि, अनुबंध में ठेकेदार को समयसीमा का पालन करने के लिए कोई बाध्यकारी अनुच्छेद नहीं था। इस प्रकार कंपनी द्वारा कोई

⁹ दिनांक 30 दिसंबर 2019 और 22 मार्च 2022

¹⁰ म.प्र. शासन की बीटीएल समिति द्वारा फरवरी 2022 की रिपोर्ट पर अनुपालन स्थिति।

¹¹ 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित 406.51 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹ 1.854 प्रति यूनिट।

¹² प्रमुख पूंजी ओवरहालिंग का मतलब नियोजित शटडाउन है। यह विस्तृत निरीक्षण और सभी घटकों की स्थिति के निर्धारण की अनुमति देता है। सभी आवरण खोले जाते हैं।

¹³ बॉयलर नली-रिसाव के कारण।

¹⁴ एचपी-आईपी कास्टिंग स्टड खोलने के लिए इंडक्शन हीटिंग मशीन (07 दिनों की देरी), रोटर की गैस टाइटनस परीक्षण और सीसी बोल्ट गास्केट के प्रतिस्थापन (05 दिनों की देरी), टरबाइन के बार-बार ट्रिम संतुलन के कारण समकालीकरण में देरी (08 दिन)

उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा सका। 21 दिनों के विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 46.11¹⁵ करोड़ मूल्य की 248.72 एमयू उत्पादन हानि हुई।

- इसके अतिरिक्त, सीओएच के बाद, टरबाइन में उच्च कंपन देखा गया तथा संयंत्र 21 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक बंद रहा। तथापि, कंपनी के प्रकरण/ समस्या को आज तक (मार्च 2022) ठीक नहीं किया जा सका।

कंपनी ने सीओएच में ओईएम द्वारा किए गए काम को असंतोषजनक माना। ओईएम ने एक उप-ठेकेदार के माध्यम से सीओएच का कार्य निष्पादित करवाया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीओएच के लिए ओईएम के साथ अनुबंध में, ओईएम द्वारा मानक उप-ठेकेदार की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुच्छेद नहीं था। विद्युतगृह ओवरहाल से पूर्व एवं पश्चात के निष्पादन (दक्षता गणना) में सुधार का कोई मात्रात्मक विश्लेषण नहीं कर रहा था। कंपनी ने उप-ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की निगरानी एवं निरीक्षण के लिए किसी तृतीय पक्ष को नियुक्त भी नहीं किया एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में कोई गुणवत्ता प्रबंधन प्रकोष्ठ नहीं था।

यह भी देखा गया कि जुलाई 2017 में, ओईएम ने संबंधित शाफ्ट घटकों में सामान्य कंपन सुनिश्चित करने के लिए अप्रचलित प्रणाली 'बेंटले 3500 प्रणाली के लिए 1 सर्वर और सॉफ्टवेयर' का उन्नयन करने की संस्तुति की थी। तथापि, कंपनी ने अब तक (मार्च 2022) अप्रचलित तंत्र का उन्नयन नहीं किया है।

इस प्रकार, ओईएम के साथ अनुबंध में प्रावधानों की कमियाँ, गुणवत्ता प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं करने एवं अप्रचलित तंत्र के परिणामस्वरूप संयंत्र बंद हो गया, जिससे ₹ 53.35¹⁶ करोड़ मूल्य के 287.76 एमयू की उत्पादन हानि हुई।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि सीओएच को बीटीएल के कारण पूर्व निर्धारित किया गया था। मेसर्स भेल अपनी सीमित विक्रेता सूची से ओवरहाल में अनुभव रखने वाले उप-ठेकेदारों को नियुक्त करता है। मेसर्स भेल टीजी सेट¹⁷ का ओईएम भी है एवं तदनुसार संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया था। नियमित प्रणाली के अनुसार, उप-ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की निगरानी एवं निरीक्षण करने के लिए कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। बेंटले 3500 प्रणाली के उन्नयन में देरी कोविड-19 के कारण हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इसमें विलम्ब हुआ था जिसके कारण सीओएच की अवधि बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त, ओवरहालिंग के बाद की प्रतिवेदन के अनुसार, संयंत्र ने आधिकारिक/ विभागीय कर्मचारियों की कमी एवं मेसर्स भेल से श्रेष्ठतर कार्यबल की इच्छा के कारण तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षण और निरीक्षण की आवश्यकता को पहचाना। जुलाई 2017 में बेंटले प्रणाली का उन्नयन करने की संस्तुति होने पर भी, प्रस्ताव 2019 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था एवं अभी भी कार्यान्वित किया जाना शेष है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि कंपनी को काम को समय पर पूरा करने के लिए ओईएम को बाध्य करने के लिए अनुबंध में एक खंड/ समयसीमा शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

¹⁵ 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित 248.72 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹ 1.854 प्रति यूनिट।

¹⁶ 287.76 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹ 1.854 प्रति यूनिट 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित।

¹⁷ टरबाइन जेनेरेटर सेट।

4.7.8 इंजन एस्केप लाइन¹⁸ का कार्य पूरा होने में देरी

फेज III के ट्रैक हॉपर से कोयला रैकों की आवाजाही को सुचारू/ सुगम बनाने के लिए विद्युतगृह ने 2011 में इंजन एस्केप लाइन के काम का प्रस्ताव रखा। कंपनी ने अगस्त 2015 में ₹ 18.90 करोड़ (सिविल कार्य ₹ 17.19 करोड़ एवं ओएचई और एसएंडटी कार्य ₹ 1.71 करोड़) की अनुमानित लागत पर इंजन एस्केप लाइन का काम शुरू किया। सिविल कार्य ₹ 15.91 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2018 में पूरा हुआ। तथापि, कंपनी मार्च 2022 तक इंजन एस्केप लाइन का काम पूरा नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रस्ताव तैयार करने एवं उनके अनुमोदन, ठेकेदारों को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने, कोषों को अवमुक्त करने तथा निगरानी की कमी इत्यादि के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। विलम्ब होने के कारण, मार्च 2022 तक लागत बढ़कर ₹ 27.50 करोड़ हो गई थी। इसके अतिरिक्त कंपनी को 2018-19 से 2021-22 की अवधि में ₹ 5.30 करोड़ रुपये का विलंब शुल्क भुगतान करना पड़ा। इससे ₹ 13.90 करोड़ (लागत वृद्धि ₹ 8.60 करोड़ के साथ विलंब शुल्क ₹ 5.30 करोड़) का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ा।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि मेसर्स राइट्स द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने, लागत में संशोधन, चुनौतियों की श्रृंखला पूरक कार्यों के कारण विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, इंजन एस्केप लाइन केवल आने वाले रैक को सीधे एनटीएच पर रखने के लिए थी तथा इसका विलंब शुल्क से कोई संबंध नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रारम्भ करने, संशोधित लागत के अनुमोदन एवं धनराशि अवमुक्त करने में बहुत समय लगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कार्य में आने वाली किसी भी अप्रत्याशित बाधा से निपटने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त, इंजन एस्केप लाइन के निर्माण का प्रस्ताव भारी विलंब शुल्क से बचने के लिए कोयला रैक/ वैगनों की उतराई में लगने वाले समय को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

4.7.9 राख प्रबंधन संयंत्र में एयर वॉशर की इकाई की स्थापना न होना

विद्युतगृह-III में राख प्रबंधन संयंत्र को वैक्यूम पंपों के असामान्य क्षरण के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए इन्हे सात वर्षों में चार बार बदलना पड़ा। यह संयंत्र के अन्य विद्युतगृहों (I एवं II) की तुलना में बहुत अधिक था और कंपनी वैक्यूम पंप के प्रतिस्थापन के लिए नियमित व्यय कर रही थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संयंत्र के क्रियाशील होने (2008) के समय से विद्युतगृह को वैक्यूम पंप क्षरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। समस्या के सुधार के लिए, ड्राई फ्लाई ऐश सर्किट (वैक्यूम पंप हाउस के पास) में एयर वॉशर की स्थापना के लिए संशोधन को ओईएम द्वारा अनुमोदित (2012) किया गया था। यह संशोधन वैक्यूम स्पेयर की भारी प्रतिस्थापन लागत और पर्यावरणीय मानदंडों से बचाने के लिए था। सुचारू संचालन की आवश्यकता एवं अनुशांसा¹⁹ के आधार पर 10 फरवरी 2015 को प्रबंध निदेशक (एमडी) द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए निविदा 30 जुलाई 2015 को जारी की गई थी और 20 अक्टूबर 2016 को ₹ 2.37 करोड़ (कर और शुल्क सहित) के निविदा मूल्य पर खोली गई थी जिसे उचित माना गया था लेकिन उसे अभिलेखों में किसी औचित्य को दर्ज किए बिना त्याग दिया गया। इस प्रकार, तंत्र की स्थापना न होने के कारण इकाई ने अप्रैल 2015 से मार्च 2022 तक वैक्यूम पंपों के प्रतिस्थापन पर ₹ 4.31 करोड़ का खर्च किया जिसे पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के साथ-साथ बचाया जा सकता था।

¹⁸ बिना पुराने विद्युत गृहों से गुजरे नए विद्युत गृह के लिए कोयले की ढुलाई हेतु नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था।

¹⁹ मुख्य अभियंता (सीई) (पीआरजी), सीई (इंजीनियरिंग), निविदा मूल्यांकन समिति, निदेशक (वाणिज्य) एवं निदेशक (तकनीकी)।

उत्तर में, शासन (मई 2023) ने कहा कि वैक्यूम पंपों की विफलता शुष्क राख बैग की विफलता के कारण हुई थी और परीक्षण और विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि वैक्यूम पंपों के बैग ओईएम/ ओईएस के माध्यम से खरीदे जाएंगे, जिनका जीवन अधिक है एवं उनकी विफलता कम है।

शासन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता संभाग ने 2012-14 की अवधि में पहले ही ओईएम/ ओईएस से बैग प्राप्त कर प्रतिस्थापित कर दिए थे, लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण एयर वॉशर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त, उपभोग का स्वरूप भी वैक्यूम पंपों के असामान्य क्षरण में भी कोई सुधार नहीं दिखता है।

4.7.10 संयंत्र एवं मशीनरी का संधारण न करने के परिणामस्वरूप आंशिक उत्पादन हानि

सर्वोत्तम परिचालन दक्षता प्राप्त करने के लिए उत्पादन इकाइयों को पूर्ण भार पर चलना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युतगृह-III आंशिक भार पर चल रहा था जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 से 2021-22 की अवधि में 482.92 एमयू²⁰ की उत्पादन हानि हुई। यह उपरोक्त अवधि में मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी²¹) प्रणाली के तहत इकाइयों के बैकिंग डाउन एवं कोयले की कमी को छोड़कर निकाला गया था।

इकाइयों के आंशिक भार पर चलने के लिए उत्तरदायी कारणों में अत्यधिक परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना, पानी का रिसाव बंद करना, ड्रम दबाव प्रतिबंध, आईडी फैन, नलिका रिसाव एवं राख प्रबंधन इत्यादि थे, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता था। इन कारणों से विद्युतगृह-III को हुई आंशिक हानि तालिका 4.3 में दी गई है।

तालिका 4.3: 2019-20 से 2021-22 की अवधि में आंशिक हानि का विवरण

क्र.सं.	आंशिक हानि (एमयू में)										
	वर्ष	कोयले की कमी	घटिया कोयला	मिलिंग/ बंकर	बैकिंग डाउन	बायलर	टर्बाइन	विद्युतीय	ग्रिड हानि	अन्य	कुल
1.	2019-20	181.96	55.08	0	108.61	25.89	0.50	0.20	18.08	0.11	390.43
2.	2020-21	0	48.96	0	219.33	13.01	4.15	0	14.09	0.60	300.14
3.	2021-22	4.06	45.66	133.20	100.38	11.11	98.65	0.25	13.38	0	406.69
	कुल	186.02	149.70	133.20	428.32	50.01	103.30	0.45	45.55	0.71	1,097.26

(स्रोत: कंपनी की मासिक उत्पादन रिपोर्ट)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सं.गां.ता.वि.के., बिरसिंहपुर के विद्युतगृह-III में संयंत्र एवं मशीनरी के विभिन्न उपकरणों के संधारण हेतु 2019-20 से 2021-22 की अवधि में ₹ 182.12 करोड़ (कार्य हेतु ₹ 106.06 करोड़, क्रय हेतु ₹ 76.06 करोड़) के निवारक संधारण एवं नियमित संधारण अनुबंध आदि के अतिरिक्त एओएच/ सीओएच की प्रणाली थी। इस संधारण तंत्र के होने पर भी, संयंत्र की विभिन्न इकाइयों में बहुत समस्याएं थीं, जिससे इकाइयों को आंशिक भार पर चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 से

²⁰ लेखापरीक्षा अवधि में 1097.26 एमयू की कुल आंशिक हानि में से कोयले की कमी (186.02 एमयू) तथा बैकिंग डाउन (428.32 एमयू) के कारण हुई आंशिक हानि को घटाने के बाद हानि की गणना की गई है।

²¹ मेरिट ऑर्डर डिस्पैच प्रणाली का अर्थ उस प्रणाली से है जिसके तहत, एक उत्पादन गृह को उसकी लागत दक्षता के आधार पर उत्पादन के लिए अनुसूचीकरण प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम उत्पादन लागत वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी और उच्च उत्पादन लागत वाली इकाइयों को बैकिंग डाउन के तहत उत्पादन अनुसूची से हटा दिया जाएगा।

2021-22 की अवधि में ₹ 89.53 करोड़²² मूल्य के 482.92 एमयू (कुल आंशिक हानि का 44.74 प्रतिशत) की उत्पादन हानि हुई।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि कोयले की कमी एवं खराब कोयले के कारण आंशिक हानि वाह्य कारकों पर निर्भर है एवं म.प्र.पा.ज.क.लि. पर आरोपणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, छोटी तकनीकी समस्याएं इकाई संचालन का अनिवार्य अंग हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कोयले की उपलब्धता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संपर्ककर्ता नियुक्त किया गया है एवं तकनीकी समस्याओं के कारण आंशिक हानि को कम करने के लिए एओएच/ सीओएच के अतिरिक्त वार्षिक ओवरहाल और संधारण अनुबंध निष्पादित किए जा रहे हैं।

4.8 सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सारनी विद्युतगृह IV (2x250 मेगावाट)

4.8.1 स.ता.वि.के. विद्युतगृह IV में 250 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयां शामिल हैं जो वर्ष 2013/ 2014 से परिचालन में थीं। विद्युत गृह ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में 11,214 एमयू के लक्ष्य के सापेक्ष 10,002 एमयू ऊर्जा उत्पन्न की। लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादन में कमी 0.90 प्रतिशत तथा 24.57 प्रतिशत के बीच विस्तारित थी जैसा कि नीचे तालिका 4.4 में इंगित गया है:

तालिका 4.4: 2019-20 से 2021-22 की अवधि में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	म.प्र.वि.नि.आ. लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	न्यूनता (एमयू)	न्यूनता (प्रतिशत में)
1.	2019-20	3,748	2,827	921	24.57
2.	2020-21	3,759	3,725	34	0.90
3.	2021-22	3,707	3,450	257	6.93
कुल		11,214	10,002	1,212 ²³	10.80

(स्रोत: कंपनी द्वारा म.प्र.वि.नि.आ. को प्रस्तुत की गई आवधिक सूचना)

दोषों के सुधार में देरी/ अवांछित ट्रिपिंग के कारण अत्यधिक नियोजित एवं फोर्स आउटेज, कोयले की कमी की समस्याओं/ कोयले की खराब गुणवत्ता के कारण आंशिक लोडिंग, अत्यधिक ताप दर आदि उत्पादन में कमी के कारण थे, जो नियंत्रणीय थे।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि इकाइयाँ उत्पादन के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन प्रणाली की कम मांग के कारण, इकाइयाँ उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थीं।

उत्तर गलत है क्योंकि इकाई के मासिक उत्पादन प्रतिवेदन में कम उत्पादन के लिए कम प्रणाली मांग के अतिरिक्त, नियोजित एवं फोर्स आउटेज, कोयले की कमी, खराब कोयले की गुणवत्ता आदि को कारण बताया गया है।

परिचालन मापदंडों के संबंध में इस विद्युतगृह का प्रदर्शन म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित मानदंडों से नीचे था। इसका विश्लेषण कंडिका 4.8.2 से 4.8.5 में किया गया है।

²² 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित 482.92 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹ 1.854 प्रति यूनिट।

²³ जिसका मूल्य ₹ 286.00 करोड़ है (2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित ₹ 2.33 प्रति यूनिट ऊर्जा शुल्क की दर से गणना की गई)।

4.8.2 अतिरिक्त सहायक विद्युत की खपत (एपीसी)

जैसा कि ऊपर कंडिका 4.7.5 में चर्चा की गई है, म.प्र.वि.नि.आ. ने 2019-20 से 2023-24 के लिए 8.5 प्रतिशत का सहायक खपत मानदंड तय (फरवरी 2020) किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के तहत 36 माहों में से 20 में, इकाइयों की सहायक खपत म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक थी तथा 8.65 प्रतिशत से 15.30 प्रतिशत के बीच विस्तारित थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अतिरिक्त सहायक खपत के मुख्य कारण; कोयले की कमी के कारण आंशिक लोड पर इकाइयों का संचालन, कोयले की खराब गुणवत्ता, ट्रिपिंग एवं बैक डाउन थे। इस प्रकार, सहायक खपत को, म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित मानदंडों तक सीमित रखने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 22.07 एमयू की हानि हुई, जिसे ग्रिड में पारेषित एवं ₹ 5.14 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया जा सकता था।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और बताया कि बनाई गई योजनाओं के अलावा विद्यमान प्रणाली में कुछ संशोधन के पश्चात एपीसी में लगातार कमी आई है।

4.8.3 उच्च सकल स्टेशन ऊष्मा दर

जैसा कि कंडिका 4.7.3 में चर्चा की गई है, म.प्र.वि.नि.आ. ने विद्युतगृह के लिए 2019-20 एवं उसके पश्चात की अवधि हेतु 2,400 किलो कैलोरी/ किलोवाट की सकल स्टेशन ऊष्मा दर (जीएसएचआर)²⁴ को अनुमोदित किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में वास्तविक जीएसएचआर म.प्र.वि.नि.आ. मानदंड 2,400 किलो कैलोरी/ किलोवाट के मुकाबले 2,435 किलो कैलोरी/ किलोवाट रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.32 करोड़ मूल्य के 23,345 मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयले की खपत हुई। जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया कि उच्च जीएसएचआर का कारण बार-बार ट्रिपिंग, कोयले की कमी/ कोयले की खराब गुणवत्ता के कारण कम लोड पर परिचालन और इकाइयों का बेकिंग डाउन होना था।

इस प्रकार, विद्युतगृह वर्ष 2019-20 में म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों के भीतर कोयले की खपत को प्रतिबंधित करने में विफल रहा।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और बताया कि बनाई गई योजनाओं के अतिरिक्त विद्यमान प्रणाली में कुछ संशोधन एवं सर्वोत्तम ओएंडएम प्रणाली को अपनाने के पश्चात जीएसएचआर में निरन्तर कमी आई है।

हालाँकि, तथ्य यह है कि इकाई म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों के अंदर 2019-20 में उच्च जीएसएचआर को प्रतिबंधित करने में विफल रही।

4.8.4 परिहार्य नली रिसाव एवं फ्लेम विफलता के कारण उत्पादन हानि

बॉयलर नलिकाएं बॉयलर के अंदर स्थित धातु नलिकाएं होती हैं जो वाष्प उत्पन्न करने के लिए पानी को गर्म करती हैं। बदले में वाष्प विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन को चलाती है। एनटीपीसी द्वारा संकलित सर्वोत्तम

²⁴ विद्युत संयंत्र की सकल ताप दर रासायनिक ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे विद्युत ऊर्जा की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आपूर्ति की जानी चाहिए यानी किलोकैलोरी में ताप ऊर्जा इनपुट जो कि जनरेटर टर्मिनल पर एक किलोवाट-घंटे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उत्पादन गृह के लिए आवश्यक है।

प्रणालियों (2018) के अनुसार, बॉयलर नलिकाओं की विफलता²⁵ कोयला आधारित इकाइयों में कुल फोर्स आउटेज एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त बॉयलर में क्लिंकर²⁶ बनने और राख जमा होने जैसी समस्याएं भी घटित होती हैं। सर्वोत्तम प्रणालियां सामयिक परीक्षणों एवं बॉयलरों के निवारक संधारण²⁷ की विधियाँ भी प्रदान करती है।

2019-22 की अवधि में, क्लिंकर गिरने के कारण बॉयलर नली रिसाव एवं फ्लेम विफलता के कारण विद्युतगृह 18 बार ट्रिप हुआ। कंपनी ने अपने क्षतिग्रस्त बॉयलर ट्यूबों को जांच के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआई) को भेजा, जिसने तापमान में उतार-चढ़ाव की निगरानी एवं नियंत्रण, कठोरता माप एवं हाइड्रोजन क्षति तकनीक अपनाने की संस्तुति की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विद्युतगृह ने बीटीएल एवं फ्लेम विफलता के कारण बार-बार ट्रिपिंग का सामना किया, परन्तु इसने ट्रिपिंग को नियंत्रित करने के लिए एनटीपीसी और सीपीआरआई द्वारा अनुशंसित निवारक उपाय नहीं किए। इससे ₹ 30.82 करोड़²⁸ मूल्य की 132.26 एमयू उत्पादन की हानि हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि ऊर्जा विभाग की बीटीएल समिति के प्रतिवेदन में अनुशंसित विभिन्न सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाया गया है और नलिका रिसाव और फ्लेम विफलता को न्यूनतम किया गया है।

4.8.5 मैक्सडीएनए प्रणाली का उन्नयन न होना

संयंत्र स्वचालन के माध्यम से विद्युतगृहों के वास्तविक समय पर पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु, कंपनी मैक्सडीएनए प्रणाली²⁹ का उपयोग कर रही है। प्रणाली क्षेत्र से संकेत प्राप्त करती है, संकेतों को संसाधित करती है तथा संबंधित प्रोग्राम के अनुसार क्षेत्र सहायकों के लिए आदेश उत्पन्न करती है। यह प्रणाली सभी पर्यवेक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित करती है एवं बॉयलर, टरबाइन तथा सहायक उपकरणों की सभी सुरक्षा का ध्यान रखती है। मैक्सडीएनए प्रणाली तक पहुंच न होने की स्थिति में पर्यवेक्षण गतिविधियों, बॉयलर, टरबाइन एवं सहायक उपकरणों की सुरक्षा के संबंध में सम्पूर्ण संयंत्र अनियंत्रित हो सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स.ता.वि.के. में प्रयोग किया जा रहा मैक्सडीएनए सिस्टम विंडोज एक्सपी आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा था तथा यह 2018 में अप्रचलित हो गया था। सीपीयू के लगातार फ्रीज होने एवं नेटवर्क डेटा हानि की समस्या मानव मशीन इंटरफ़ेस (एचएमआई) विफलताओं का कारण बन रही थी। कम्प्यूटरीकरण और इंस्ट्रुमेंटेशन (सी एंड आई) के विशेषज्ञ समूह ने एचएमआई को उन्नत करने की संस्तुति (जून 2019) की। विद्युतगृह ने स्वचालन के लिए अपने नवीनतम संस्करण के लिए आवश्यक सभी सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, सुरक्षित तथा सुचारू संचालन के लिए सम्पूर्ण सुरक्षा के साथ प्रणाली के उन्नयन करने का प्रस्ताव रखा। मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) अर्थात् मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (मैसर्स भेल) ने 2029 तक

²⁵ विफलता के कारणों में पिटिंग, क्षरण, फटींग, क्रीप एवं तनाव क्षरण आदि शामिल हैं।

²⁶ क्लिंकर या स्लैग कोयले से गैर-दहनशील अवशेष (राख) का एक जुड़ा हुआ द्रव्यमान है।

²⁷ 6जी बिंदु पर समान रूप से प्रवाहित गैस क्षरण और वेल्डर सत्यापन परीक्षण के लिए शीत वायु वेग परीक्षण (सीएवीटी) का संचालन। नलिकाओं को धातु के कैप से ढककर निवारक रखरखाव, स्टील के तार की जाली के साथ जिंक क्रोमेट प्राइमर का प्रयोग, डब्ल्यूडब्ल्यू ट्यूबों का नियमित जमा विश्लेषण, रासायनिक सफाई, बॉयलर का तापमान सर्वेक्षण और उच्च तापमान बर्नर क्षेत्र में सिरेमिक फाइबर इन्सुलेशन का उपयोग आदि।

²⁸ 132.263 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹ 2.33 प्रति यूनिट 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित।

²⁹ इस प्रणाली में हार्डवेयर (सीपीयू, एचएमआई सिस्टम, डीपीयू, आईओ मॉड्यूल आदि) और सॉफ्टवेयर उपयोगिताएँ (मैक्स वीयूई, हिस्टोरियन, इवेंट लॉगर, गेटवे, ओपीसी आदि) शामिल हैं।

तकनीकी वैधता के साथ ₹ 18.69 करोड़ की लागत पर मैक्सडीएनए प्रणाली का उन्नयन प्रस्तावित (जून 2020) किया। तथापि, कंपनी अपनी मैक्सडीएनए प्रणाली के उन्नयन के लिए अपने आदेश को अंतिम रूप (मार्च 2022) नहीं दे सकी। इस प्रकार, बार-बार एचएमआई विफलताओं के कारण विद्युतगृह को लगातार खतरा बना हुआ है। शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि भले ही सिस्टम को अप्रचलित घोषित कर दिया गया हो, इसके अतिरिक्त पुर्जे खुले बाजार में या ओईएम के माध्यम से उपलब्ध रहते हैं, तथा प्रणाली जब तक संतोषजनक प्रदर्शन करती है तब तक सेवा प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मेसर्स भेल की बाधाओं (एवं पूर्व प्रतिबद्धताओं की व्यस्तता) के कारण, स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विशेषज्ञ समिति एवं विद्युतगृह ने विभिन्न परिचालन प्रकरणों पर विचार किया था और फिर संयंत्र के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए प्रणाली के उन्नयन का प्रस्ताव दिया था। इसके अतिरिक्त, मेसर्स भेल द्वारा दर्शायी गयी बाधाएं अभिलेखों में उल्लिखित नहीं थीं।

4.9 अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चर्चई विद्युतगृह (210 मेगावाट)

4.9.1 अ.ता.वि.के. में 210 मेगावाट क्षमता की एक इकाई है और यह 2009 से परिचालन में है। विद्युतगृह ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि में 4,911 एमयू के लक्ष्य के सापेक्ष 4,825 एमयू विद्युत उत्पन्न की। अ.ता.वि.के. ने 2019-20 तथा 2020-21 में लक्ष्य प्राप्त किया, परंतु अ.ता.वि.के. 2021-22 में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा उस वर्ष 7.94 प्रतिशत की कमी थी जैसा कि तालिका 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: 2019-20 से 2021-22 की अवधि में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	म.प्र.वि.नि.आ. लक्ष्य (एमयू में)	वास्तविक उत्पादन (एमयू में)	आधिक्य (+) / कमी (-) (एमयू में)	आधिक्य (+)/ कमी (-) (प्रतिशत में)
1.	2019-20	1,668	1,692	(+) 24	(+) 1.44
2.	2020-21	1,605	1,625	(+) 20	(+) 1.25
3.	2021-22	1,638	1,508	(-) 130	(-) 7.94
कुल		4,911	4,825	86	(-) 1.75

(स्रोत: कंपनी द्वारा म.प्र.वि.नि.आ. को प्रस्तुत सामयिक सूचना)

दोषों के सुधार में विलंब/ अवांछित ट्रिपिंग कारण अत्यधिक नियोजित एवं बलपूर्वक कटौती, कोयले की कमी की समस्या/ कोयले की खराब गुणवत्ता के कारण आंशिक लोडिंग, तथा अत्यधिक ऊष्मा दर आदि उत्पादन में कमी के कारण थे, जो नियंत्रणीय थे।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में बताया कि इस इकाई का लक्ष्य अन्य इकाइयों की तुलना में अधिक निर्धारित किया गया है। कम उत्पादन का मुख्य कारण, सिस्टम में मांग का कम होना था एवं 2021-22 में अग्नि संबंधी कार्यों के कारण एओएच में 17 दिन अधिक लगे।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि इकाई के मासिक उत्पादन प्रतिवेदनों में कम उत्पादन के लिए प्रणाली की कम मांग के अतिरिक्त नियोजित एवं फोर्स आऊटेज, कोयले की कमी, कोयले की खराब गुणवत्ता आदि को उत्तरदायी ठहराया गया है। परिचालन मापदंडों के संबंध में इस विद्युतगृह का निष्पादन म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम था। इसका विश्लेषण कंडिका संख्या 4.9.2 से 4.9.6 में किया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन ने निकास बैठक (मई 2023) में यह भी कहा कि म.प्र.वि.नि.आ. सं.उ.का. के लक्ष्य प्रदान करता है एवं उत्पादन लक्ष्य इसके आन्तरिक लक्ष्यों को इंगित करना है। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि कंपनी स्वयं म.प्र.वि.नि.आ. के उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उत्पादन के आवधिक विवरण म.प्र.वि.नि.आ. को प्रस्तुत करती है।

4.9.2 अतिरिक्त सहायक विद्युत की खपत (एपीसी)

ऊपर कंडिका 4.7.5 में की गई चर्चा के समान, म.प्र.वि.नि.आ. ने 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए अ.ता.वि.के. (1x210 मेगावाट) हेतु 9.00 प्रतिशत का सहायक खपत मानदंड तय किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 से प्रारम्भ करके 2021-22 तक के 36 माहों में से 21 माहों की अवधि में इकाइयों की वास्तविक सहायक खपत म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित सीमा (9.00 प्रतिशत के मानदण्ड के सापेक्ष 9.01 से 13.24 प्रतिशत) से अधिक थी। लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित किए गए मुख्य कारणों में टरबाइन में समस्याओं के कारण इकाई का आंशिक भार पर परिचालन, कोयले की कमी, कोयले की खराब गुणवत्ता, विभिन्न कारणों से ट्रिपिंग तथा बैक डाउन थे। इस प्रकार, सहायक खपत को म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों के भीतर सीमित रखने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप 13.83 एमयू की हानि हुई, जिसे ग्रिड में पारेषित किया जा सकता था एवं ₹ 1.95 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया जा सकता था।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा है कि उच्च एपीसी का कारण लंबे समय तक संचालन बंद रहना अथवा फोर्स आऊटेज की अवधि एवं एकमात्र विद्युतगृह होने के कारण सामान्य क्षेत्र की विद्युत खपत को इकाई की सहायक खपत में दर्ज किया गया है।

तथापि, तथ्य यह है कि एपीसी म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों से अधिक था।

4.9.3 वार्षिक ओवरहाल की लंबी अवधि के कारण उत्पादन हानि

कंपनी ने 01 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2021 (16 दिन) तक विद्युतगृह की वार्षिक ओवरहालिंग निर्धारित की थी, लेकिन मुख्य तेल टंकी (एमओटी) कक्ष में आग लगने की घटना के कारण, इसे 45 दिन पूर्व निर्धारित अर्थात् 16 जून 2021 से किया गया था तथा यह 18 जुलाई 2021 तक चली। इस प्रकार, आग से संबंधित कार्य के कारण नियमित एओएच से 17 दिन अधिक लगे।

विद्युतगृह के अभिलेखों के अनुसार, 10 मई 2021 को एमओटी कक्ष के नियमित संधारण कार्य के दौरान, वैक्यूम पंप से तेल का रिसाव देखा गया और उसे "चाडी"³⁰ के साथ बंद किया गया और सतह को साफ किया गया। तथापि, चिकनाई वाले तेल का बूंद-बूंद रिसाव होता रहा। रिसाव अकस्मात् तेल की एक फुहार जैसी धारा में प्रारम्भ हो गया तथा सम्पूर्ण एमओटी कक्ष में फैल गया, जिससे गर्म पारा वाष्प लैंप के संपर्क में आने के बाद आग पकड़ ली तथा 16 जून 2021 को सुबह 10.11 बजे संयंत्र बंद हो गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि जून 2020 में भी तेल रिसाव की एक घटना देखी गई थी, परन्तु कंपनी ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। आग लगने के कारणों का विश्लेषण करने के लिए समिति का गठन किया गया समिति ने भी पाया कि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया गया था।

³⁰ रिसाव को कवर करने के लिए अस्थायी सहायक शीट।

इस प्रकार, एमओटी कक्ष के अनुचित संधारण और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने के परिणामस्वरूप आग लग गई एवं आग की घटना के कारण द्वितीयक क्षति के अतिरिक्त ₹ 11.73 करोड़³¹ मूल्य की 83.06 एमयू ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई।

उत्तर में (मई 2023) शासन ने कहा कि तेल रिसाव देखने के बाद संधारण खण्ड द्वारा इसकी नियमित निगरानी, सफाई तथा संग्रह सुरक्षित रूप से किया गया था। तेल रिसाव की जानकारी सभी विभागों के संज्ञान में थी तथा दैनिक परिचालन समीक्षा बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की गई थी।

उत्तर इस तथ्य को सुदृढ़ करता है कि जानकारी होने तथा इस विषय पर चर्चा होने पर भी, सुरक्षा के लिए समय पर उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

4.9.4 नियमावली के अनुसार मुख्य ओवरहालिंग नहीं करने के कारण उत्पादन की हानि

टरबाइन ग्लैंड सीलिंग प्रणाली (टीजीएसएस) टरबाइन शाफ्ट तथा आवरण प्रवेश व मुख्य वाष्प रुकाव एवं नियंत्रण वाल्व की ग्रंथियों से भाप के पलायन को रोकती है। यह प्रणाली कम दबाव वाले टरबाइन वाल्वों में वायु के रिसाव को भी रोकती है। भेल नियमावली के अनुसार, टरबाइन की पूर्ण मुख्य ओवरहालिंग 2014, 2018 और 2022 में होनी थी।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि टरबाइन ओवरहाल चार्ट के अनुसार प्रत्येक चार वर्ष में मुख्य ओवरहाल एवं प्रत्येक दो वर्ष में एक मध्यम ओवरहाल किया जाना चाहिए। 2014 में एक मुख्य ओवरहालिंग की गई थी परन्तु 2016, 2018 तथा 2020 में केवल एक मध्यम ओवरहालिंग कार्यान्वित की गई। इकाई के निरंतर कार्यरत होने के कारण, टरबाइन के कुछ भागों को गहन क्षति हुई और 25 मार्च 2022 से 03 अप्रैल 2022 तक टरबाइन ग्रंथियों से सील वाष्प का उच्च रिसाव हुआ। इससे ₹ 1.02³² करोड़ मूल्य की 7.206 एमयू की उत्पादन हानि हुई।

उत्तर में (मई 2023) शासन ने कहा कि इकाई की एक मुख्य ओवरहाल 2016 में की गई थी जिसमें एचपी और आईपी मॉड्यूल दोनों की ओवरहालिंग की गई थी जिसे वर्ष 2022 में पुनः खोला गया था।

शासन का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि इकाई के अभिलेखों के अनुसार मुख्य ओवरहालिंग 2014 में की गई थी और मार्च 2022 तक कोई मुख्य ओवरहालिंग गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गई है।

4.9.5 टैरिफ का उच्च निर्धारण

विनियम, 2020 का विनियमन 45 विशेष रूप से कहता है कि कोयले के लिए स्वीकार्य पारगमन एवं हैंडलिंग हानि खदान मुख³³ संयंत्रों के लिए 0.20 प्रतिशत और गैर-खदान मुख³⁴ संयंत्रों के लिए 0.80 प्रतिशत होगी।

³¹ 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित 83.06 एमयू* ऊर्जा शुल्क ₹ 1.413 प्रति यूनिट।

³² 7.206 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹ 1.413 म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहु-वर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से अनुमोदित।

³³ खदान-मुख विद्युत संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जो खदान में लदान बिंदु से उतराई बिंदु तक कोयले के विशिष्ट संचलन हेतु अपनी निजी परिवहन प्रणाली रखता है। खदान-मुख संयंत्र कोयला खदानों के निकट स्थित होते हैं।

³⁴ गैर-खदान मुख संयंत्र कोयला खदानों से दूरी पर स्थित होते हैं तथा उनके पास खदानों से विद्युत संयंत्रों तक कोयला परिवहन हेतु उनकी अपनी/निजी प्रणाली नहीं होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अ.ता.वि.के. चर्चई ने अपने फेज-II (2*120 मेगावाट) एवं फेज-III (210 मेगावाट) के लिए प्रति वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) कोयले की आपूर्ति हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए) (2009) में किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फेज II में संगमा साइडिंग एमजीआर प्रणाली (खदान-मुख) से एवं फेज III में कोरबा साइडिंग से भारतीय रेलवे (गैर-खदान मुख) के माध्यम से कोयले का उपयोग किया जा रहा था, म.प्र.वि.नि.आ.(2013-14) ने फेज-II के लिए 0.20 प्रतिशत की दर से एवं फेज-III के लिए 0.80 प्रतिशत की दर से पारगमन एवं हैंडलिंग हानि की अनुमति दी थी। द्वितीय फेज की दोनों इकाइयां मई 2014 और जनवरी 2015 में बंद कर दी गईं। 2019-22 की अवधि के दौरान, फेज-III संगमा साइडिंग (खदान-मुख) से एमजीआर प्रणाली से कोयले का उपयोग कर रहा था। तथापि, इस तथ्य को म.प्र.वि.नि.आ. के संज्ञान में नहीं लाया गया, जिससे फेज-III के लिए 0.80 प्रतिशत की दर से पारगमन एवं हैंडलिंग हानि की अनुमति जारी रही। इसके परिणामस्वरूप टैरिफ का उच्च पर निर्धारण दर 0.60 प्रतिशत तक किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ₹ 3.27 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

उत्तर में (मई 2023) शासन ने कहा कि म.प्र.वि.नि.आ. को विद्युतगृह-II अ.ता.वि.के. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बारे में सूचित किया गया है और हर साल टू-अप याचिका के माध्यम से म.प्र.पा.ज.क.लि. अंतिम निपटान के लिए कोयला खरीद का विवरण बताता है।

हालाँकि, तथ्य यह है कि उपभोक्ताओं को ₹ 3.27 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा।

4.9.6 संयंत्र एवं मशीनरी का संधारण न करने के परिणामस्वरूप आंशिक उत्पादन हानि

ऊपर कंडिका 4.7.10 में की गई चर्चा के समान, हमने पाया कि अ.ता.वि.के. आंशिक भार पर चल रहा था जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 से 2021-22 के दौरान 74.25 एमयू की उत्पादन हानि हुई। यह निष्कर्ष उपरोक्त अवधि के दौरान मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी) प्रणाली के तहत इकाइयों के बैंकिंग डाउन तथा कोयले की कमी को छोड़कर निकाला गया था।

इकाइयों को आंशिक लोड पर चलाने के लिए उत्तरदायी कारणों में कोयले की कमी, ड्रम दबाव प्रतिबंध, आईडी फैन, नलिका रिसाव एवं एफडी फैन आउटेज, ऐश हैंडलिंग आदि के कारण बार-बार होने वाली परिचालन समस्याएं थीं। अ.ता.वि.के. द्वारा वहन की गई आंशिक हानि को **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6 : 2019-20 से 2021-22 की अवधि में आंशिक हानि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	आंशिक हानि (एमयू में)								
		कोयले की कमी	खराब कोयला	बैंकिंग डाउन	बॉयलर	टर्बाइन	विद्युतीय	ग्रिड हानि	अन्य	कुल
1.	2019-20	25.56	2.84	41.36	0.75	0.00	1.05	7.25	2.79	81.60
2.	2020-21	0.00	2.75	20.94	5.12	0.24	0.00	1.13	4.12	34.30
3.	2021-22	5.42	34.41	80.91	3.36	5.32	0.24	0.91	1.96	132.53
	कुल	30.98	40.00	143.21	9.23	5.56	1.29	9.29	8.87	248.43

(स्रोत: कंपनी का मासिक उत्पादन प्रतिवेदन)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अ.ता.वि.के. चर्चई के वि.गृ.-III में संयंत्र एवं मशीनरी के विभिन्न उपकरणों के संधारण हेतु 2019-20 से 2021-22 की अवधि में ₹ 87.45 करोड़ मूल्य (कार्य के लिए ₹ 51.37 करोड़ तथा क्रय के लिए ₹ 36.08 करोड़) के निवारक संधारण एवं नियमित संधारण अनुबंध आदि के अतिरिक्त एओएच/

सीओएच की प्रणाली थी। इस संधारण तंत्र के होने पर भी, संयंत्र की विभिन्न इकाइयों में बहुधा समस्याएं थीं, जिससे इकाइयों को आंशिक भार पर चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.49 करोड़³⁵ मूल्य की 74.24 एमयू³⁶ (कुल आंशिक हानि का 29.88 प्रतिशत) की उत्पादन हानि हुई।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि कोयले की कमी और खराब कोयले के कारण आंशिक हानि बाहरी कारकों पर निर्भर है एवं म.प्र.पा.ज.क.लि. पर आरोपणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, छोटे तकनीकी समस्याएँ यूनिट संचालन का अनिवार्य अंग हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कोयले की उपलब्धता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संपर्ककर्ता नियुक्त किया गया है एवं तकनीकी समस्याओं के कारण आंशिक हानि को कम करने के लिए एओएच/ सीओएच के अतिरिक्त वार्षिक ओवरहाल एवं संधारण अनुबंध निष्पादित किए जा रहे हैं।

4.10 अनुरक्षण नियोजन प्रकोष्ठ की अप्रभावी कार्यप्रणाली

कार्यात्मक प्रदर्शन में सुधार तथा समग्र दक्षता एवं मितव्ययिता की प्राप्ति हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए, प्रत्येक उत्पादन केंद्र में एक समर्पित संधारण योजना प्रकोष्ठ (एमपीसी) की स्थापना की गई थी। तथापि, एमपीसी में 34 व्यक्तियों³⁷ को रखने की परिकल्पना की गई थी, परंतु केवल नौ व्यक्ति³⁸ ही इसका संचालन कर रहे थे। लेखापरीक्षा अवधि में, इस प्रकोष्ठ द्वारा कोई बड़ी योजनाएँ तैयार एवं कार्यान्वित नहीं की गईं। परिणामस्वरूप, उत्पादन केंद्र को निरन्तर परिचालन समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में स्पष्ट किया कि म.प्र.पा.ज.क.लि. में कर्मचारियों की कमी है। इसमें यह भी कहा गया कि उठाए गए प्रकरण का संज्ञान लिया गया है एवं कंपनी एमपीसी की कार्यप्रणाली में सुधार करने का प्रयास करेगी।

4.11 तीनो विद्युतगृहों में अनुबंध प्रबंधन

ताप विद्युत गृहों ने कोयले की आपूर्ति के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए) किया। गुणवत्तापूर्ण कोयले की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, ताप विद्युत केंद्रों ने ताप विद्युतगृह, रेलवे एवं कोयला कंपनियों के बीच समन्वय के लिए संपर्क ठेकेदारों को भी नियुक्त किया है। इन अनुबंधों की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईं:

4.11.1 कोयला योजना तैयार न करना

31 मार्च 2019 तक म.प्र.पा.ज.क.लि. में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 6317.5 मेगावाट थी, जिसमें से कोयला आधारित क्षमता 5,400 मेगावाट (85.47 प्रतिशत) थी। कोयला आधारित विद्युत गृह के कुल खर्च में कोयले की

³⁵ 74.24 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹1.413 प्रति यूनिट 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए बहुवर्षीय विद्युत-दर के माध्यम से म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित।

³⁶ कोयले की कमी (30.98 एमयू) के कारण हुई कुल आंशिक हानि तथा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंकिंग डाउन (143.21 एमयू) को सभी नियंत्रणीय कारणों से हुई 74.24 एमयू की कुल आंशिक हानि में से घटाने के बाद हानि की गणना की गई है।

³⁷ सं.गां.ता.वि.गृ. में 18 एवं अ.ता.वि.गृ. में 16 स्वीकृत पद।

³⁸ सं.गां.ता.वि.गृ. में वास्तविक तैनाती 06 तथा अ.ता.वि.गृ. में 03 है।

लागत 50 प्रतिशत से अधिक होती है एवं उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की लागत पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ईंधन प्रबंधन में अकुशलताओं विद्युत गृहों के लिए ऊर्जा शुल्क और अंतिम उपभोक्ता के लिए विद्युत की लागत में वृद्धि होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने लगातार लगभग 3,500³⁹ मेगावाट (नेट डीसी) उत्पन्न करने की परिकल्पना की थी तथा इसके उत्पादन के लिए लगभग 199 एलएमटी कोयले की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त सीईए द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टॉक बनाए रखने के लिए 13.47 एलएमटी की भी आवश्यकता होगी, कोयले की कुल आवश्यकता लगभग 212.53 एलएमटी है। संयंत्रों के सुचारू कामकाज एवं म.प्र.पा.ज.क.लि. के सभी विद्युत उत्पादन गृहों में कोयले की उपलब्धता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कंपनी को एक कोयला योजना तैयार करने की आवश्यकता थी, जो बिलों के बकाए में कमी, परिवहन सुविधा की उपलब्धता इत्यादि कराते हुए प्रत्येक विद्युत उत्पादन गृह पर कोयले की उपलब्धता पर एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करती। तथापि, लेखापरीक्षा अवधि में कोई भी कोयला योजना तैयार एवं कार्यान्वित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, उत्पादन गृह द्वारा कोयले से संबंधित समस्याओं का सामना करना जारी रहा एवं विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके, जैसा कि कंडिका संख्या 4.11.3 से 4.11.5 में चर्चा की गई है।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि 2021-22 की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कमी को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि संकट जारी रहने वाला है। इस प्रकार, 2022-23 के लिए पहली बार कोयला योजना तैयार की गई जिसके परिणामस्वरूप कोयले की आपूर्ति में तेज वृद्धि हुई।

4.11.2 लोडिंग छोर से लेकर अनलोडिंग छोर तक कोयले के सकल कैलोरी मान में कमी

कंपनी ने अपने तीन संयंत्रों अ.ता.वि.के., चचई, स.ता.वि.के. विद्युतगृह-IV, सारनी एवं सं.गां.ता.वि.के. विद्युतगृह-III, बिरसिंहपुर को कोयले की आपूर्ति के लिए विभिन्न कोयला कंपनियों के साथ विभिन्न ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफएसए) किए। प्रत्येक वर्ष कोयला कंपनियां संबंधित कोयला खदान के सकल कैलोरी मान (जीसीवी) को ध्यान में रखते हुए खदान-वार कोयले के ग्रेड (जी-8 से जी-13) की घोषणा करती हैं। कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों द्वारा बिल लोडिंग बिंदु पर कोयले के जीसीवी के अनुसार निर्गत किए जाते हैं तथा कंपनी अनलोडिंग वाले छोर पर प्राप्त जीसीवी के अनुसार ऊर्जा शुल्क दर (ईसीआर)/ परिवर्तनशील लागत का दावा करती है। कंपनी ने खदानों में लोडिंग छोर के साथ-साथ विद्युतगृहों में अनलोडिंग छोर पर कोयले के नमूने एवं विश्लेषण हेतु सीआईएमएफआर⁴⁰ को नियुक्त किया था।

चूंकि जीसीवी ऊर्जा बिलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है, लेखापरीक्षा ने खदानों में वैगनों पर लोडिंग किए गए कोयले के लिए कोयला कंपनियों द्वारा 'जैसा बिल किया गया' के अनुसार जीसीवी तथा विद्युत गृहों के अनलोडिंग बिंदु पर कोयले के जीसीवी 'जैसा प्राप्त हुआ' की तुलना की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोयले का जीसीवी 'जैसा बिल किया गया' फेज से 'जैसा प्राप्त हुआ' फेज तक घट गई यद्यपि सीईए के अनुसार, जीसीवी मान, अर्थात्, जीसीवी 'जैसा बिल किया गया' एवं 'जैसा प्राप्त हुआ' लगभग समान होना चाहिए।

³⁹ स्थापित क्षमता अर्थात् 5400 मेगावाट के 64.8 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर को ध्यान में रखते हुए।

⁴⁰ केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक घटक प्रयोगशाला है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि में, जीसीवी में 3,129 किलोकैलोरी/ किग्रा तक की गिरावट आई, जिसका मूल्य ₹ 546.88⁴¹ करोड़ था।

चूँकि कोयले का एक विशेष ग्रेड (300 किलोकैलोरी/किग्रा की विस्तारित सीमा वाला) अपने परिवहन के दौरान अलग ग्रेड में परिवर्तित अथवा रूपांतरित नहीं हो सकता है, उपरोक्त स्थिति के कारण जीसीवी में भारी गिरावट के कारणों का गहन विश्लेषण आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि लोडिंग छोर एवं अनलोडिंग छोर पर एक ही फर्म, सीआईएमएफआर को नियुक्त करने के बावजूद कंपनी में यह समस्या लंबे समय तक बनी रही, कंपनी ने इस कमी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप, यह समस्या 2019-20 से 2021-22 की सम्पूर्ण अवधि में बनी रही।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कंपनी द्वारा लोडिंग छोर से अनलोडिंग छोर तक होने वाली जीसीवी की कमी को रोकने/ कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.11.3 कोयले की कमी के परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि

म.प्र.वि.नि.आ. के विनियमन के अनुसार, विद्युतगृहों को मानदंडीय संयंत्र उपलब्धता कारक (85 प्रतिशत) के अनुरूप 30 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक रखना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, इन संयंत्रों को नवंबर 2017 में सीईए द्वारा तैयार की गई पद्धति⁴² के अनुसार कम से कम 20 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक बनाए रखना आवश्यक था। सीईए ने 06 दिसंबर 2021 से कोयला स्टॉक के मानदंडों को संशोधित किया और फरवरी से जून तक गैर-खदान मुख संयंत्रों पर 26 दिनों का कोयला स्टॉक और अन्य माहों हेतु रखा जाने वाला कोयला स्टॉक 20 से 24 दिनों के बीच भिन्न-भिन्न⁴³ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत गृह कोयले की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था करने में विफल रहे, जिसके कारण 2019-20 से 2021-22 के के मध्य कोयले की कमी और उत्पादन में हानि हुई, जैसा कि नीचे तालिका 4.7 में चर्चा की गई है:

तालिका 4.7: कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि का विवरण

क्र.सं.	ता.वि.गृ. का नाम	85 प्रतिशत क्षमता पर एमयू में उत्पादन हानि	एमवाईटी के अनुसार ईसीआर प्रति किलोवाट	उत्पादन हानि का मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	स.ता.वि.के., सारणी	20.77	2.33	4.84
2.	सं.गां.ता.वि.के., बिरसिंहपुर	174.75	1.85	32.33
3.	अ.ता.वि.ग.के., चर्चई	34.89	1.41	4.92
	कुल	230.41		42.09

(स्रोत: कंपनी का मासिक उत्पादन प्रतिवेदन)

कोयले की कमी का मुख्य कारण धूपतला खदान से उत्पादन शुरू होने तक एस.एस.ता.वि.के., वि.गृ.-II, खंडवा के लिए आवंटित कोयले (10.43 एलएमटी) के सापेक्ष वैकल्पिक स्रोत से कोयले की व्यवस्था न करना, बकाया के कारण कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति में कमी, सड़क/ आरसीआर माध्यम द्वारा कोयला कंपनियों से

⁴¹ स.ता.वि.गृ. ₹ 166.30 करोड़, सं.गां.ता.वि.गृ. ₹ 341.25 करोड़ एवं अ.ता.वि.गृ. ₹ 39.33 करोड़।

⁴² यह निर्धारित किया करता है कि खदानों से 500 किमी दूर स्थित गैर- खदान-मुख टीपीएस को न्यूनतम 20 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक रखना आवश्यक था।

⁴³ जुलाई एवं अगस्त हेतु यह क्रमशः 22 एवं 21 दिन था एवं इसके पश्चात सितंबर से जनवरी तक के पाँच माहों में यह क्रमशः 20,21,22,23 तथा 24 दिन था।

ई-नीलामी/ यदा-कदा प्रस्ताव के माध्यम से कोयला खरीदने में कंपनी की विफलता तथा प्रति वर्ष 0.67 एलएमटी की सीमा तक अ.ता.वि.के. चर्चई की वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) में कमी के प्रकरण को उठाने में विफलता थी।

इसके अतिरिक्त अ.ता.वि.के. का विद्युतगृह निविदा और वार्षिक दर अनुबंध को अंतिम रूप न देने के कारण कोयले की कमी के कारण बंद⁴⁴ रहा, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र के परिचालित न होने के कारण ₹ 4.20⁴⁵ करोड़ मूल्य की 29.719 एमयू की उत्पादन हानि हुई।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि रेलवे आवंटित मात्रा के अनुरूप पर्याप्त कोयला रोक उपलब्ध नहीं करा रहा था, कोविड-19 के कारण भी कोयले की कमी हुई। म.प्र.पा.ज.क.लि. ने कोयला क्रय के लिए म.प्र.पा.मे.क.लि. से कोषों की कमी को स्वीकार किया। अ.ता.वि.के. के एसीक्यू में कमी के संबंध में बताया गया कि प्रकरण का नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है।

अपर्याप्त कोयला रोक के संबंध में शासन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पर्याप्त रोक की व्यवस्था करने के लिए रेलवे के साथ समन्वय करने के साथ-साथ एसीक्यू को मूर्त रूप देने के लिए कोयला कंपनियों के साथ समन्वय करने के लिए संपर्ककर्ता को नियुक्त किया गया है।

4.11.4 कोयला लिंकेज की अदला-बदली में देरी के परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन लागत

कोयला मंत्रालय ने कोयले की उपलब्धता एवं कोयला कंपनियों की भविष्य की कोयला उत्पादन योजना के अधीन आवंटित कोयला लिंकेज को एक कोयला कंपनी से दूसरी कोयला कंपनी में स्थानांतरित करने में विद्युत उत्पादनकर्ता की सुविधा के लिए कोयला लिंकेज के युक्तिकरण के लिए दिशानिर्देश जारी (मई 2018) किए थे। इस प्रकार, इस तरह के युक्तिकरण से, परिवहन लागत को कम करके विद्युत उत्पादनकर्ता, कोयले की अनलोडिंग तक की लागत को कम कर सकता है और जिससे उत्पादन की लागत कम हो सकती है और सस्ती विद्युत का उत्पादन हो सकता है। यह प्रयोग ताप विद्युत केंद्रों की ओर से स्वैच्छिक था, जिसका उद्देश्य कोयले के परिवहन की दूरी को कम करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स.ता.वि.के., सारणी को अपने विद्युतगृह II और III के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) से और विद्युतगृह IV के लिए एसईसीएल से कोयला लिंकेज मिला था। नीची आगमित दरों के कारण एसईसीएल की तुलना में डब्ल्यूसीएल स्रोतों से कोयले की लागत अधिक मितव्ययी थी। विद्युत गृह II और III को 2018 से पूर्व अक्रियाशील करने के लिए अनुमोदन दिया गया था तथा इकाइयां आरक्षित बन्द (आरएसडी), फोर्स आऊटेज आदि के कारण इकाइयां 70 के मानदंडों के सापेक्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 से क्रमशः 33.60, 10.75 और 0 के पीएलएफ पर चल रही थीं। कंपनी ने विलम्ब से (जनवरी 2021) एसईसीएल से डब्ल्यूसीएल में अदला-बदली का प्रस्ताव रखा परन्तु अब तक कोई औपचारिक एफएसए निष्पादित नहीं किया गया है। कंपनी को विद्युतगृह II और III के अक्रियाशील करने तथा कम पीएलएफ एवं विद्युतगृह IV की कम उत्पादन लागत व श्रेष्ठतर ऊष्मा दर को ध्यान में रखते हुए सस्ती दर पर कोयले की अदला-बदली के लिए समय पर कार्रवाई (2019) करनी चाहिए थी। इस प्रकार, कंपनी ने ₹ 50.79 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत उच्चतर रही।

⁴⁴ 30 अक्टूबर 2019 से 04 नवंबर 2019 तक।

⁴⁵ 29.719 एमयू x ऊर्जा शुल्क ₹ 1.413

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि उसने अभी तक इकाइयों को बंद करने की अनुमति नहीं दी है यद्यपि इसका कंपनी के संचालक मण्डल ने अनुमोदन कर दिया था। विद्युतगृह II और III इकाइयां 2019-20 एवं 2020-21 में चल रही थीं तथा जैसे ही यह अनुभव हुआ कि ये इकाइयां अपनी क्षमता के अनुसार नहीं चल पाएंगी, अदला-बदली का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त कोयले के लचीले उपयोग की नीति के कार्यान्वयन के पश्चात डब्ल्यूसीएल स्रोतों का उपयोग विद्युतगृह-IV इकाइयों में भी किया गया और उनमें कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2019 में स्वतः इस तथ्य का ज्ञान होने पर भी कि विद्युतगृह-II और III की उत्पादन लागत अधिक थी, कंपनी ने फ्लेक्सी उपयोग नीति के तहत उत्पादन लागत को कम करने के लिए अदला-बदली हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की थी।

4.11.5 मितव्ययी दर पर कोयले का उठाव नहीं होने से घाटा

ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन का मुख्य घटक कोयला था और कंपनी को मितव्ययी दरों पर इसकी निर्बाध आपूर्ति के लिए उचित कदम उठाने चाहिए थे। स.ता.वि.के. में कोयले की खरीद रेलवे, रेल सह सड़क (आरसीआर) एवं सड़क जैसे विभिन्न तरीकों से की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि रेल के माध्यम से कोयला आपूर्ति की सीमा को ध्यान में रखते हुए, कोयला कंपनी ने रेल सह सड़क (आरसीआर) माध्यम से विभिन्न खदानों से अलग-अलग मात्रा में कोयले की खरीद का प्रस्ताव दिया। उत्पादन गृह ने विभिन्न खदानों से विभिन्न माध्यमों से कोयला आपूर्ति की दरों का आंकलन (जून 2021 और सितंबर 2021) किया और मूल्यांकन किया कि आरसीआर माध्यम से कुल लागत अन्य माध्यमों की तुलना में मितव्ययी थी। मितव्ययी दर सुनिश्चित करने के पर भी, निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब एवं दर अनुबंध के आधार पर कार्य प्रदान करने की व्यवस्था की कमी के कारण आरसीआर माध्यम से कोयले का उठान नहीं किया जा सका। इस प्रकार, शीघ्रातिशीघ्र एवं मितव्ययी दरों पर कोयले के उठान की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ की हानि हुई।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि कोयला कंपनियों विभिन्न खदानों में कोयले की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर आरसीआर माध्यम से कोयले की एक निश्चित मात्रा उठाने का प्रस्ताव देती हैं। इसके अतिरिक्त, आरसीआर निविदाओं के लिए संभावित बोलीदाता अपनी उपयुक्तता के अनुसार भाग लेते हैं क्योंकि सभी ठेकेदार किसी कोयला कंपनी की सभी खदानों/ साइडिंग से परिचालन नहीं करते हैं।

हालांकि, तथ्य यह है कि कंपनी प्रारंभिक फेज में निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं कर सकी एवं मितव्ययी दरों पर कोयला उठान की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दे सकी।

4.11.6 अनुचित विद्युत योजना के परिणामस्वरूप परिहार्य भुगतान

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना, 2014 के खंड 6(2) के साथ पढ़े गए खंड 5 के अनुसार, अनुमन्य ग्रिड आवृत्ति⁴⁶ के अंतर्गत ऊर्जा के कम इंजेक्शन के लिए विद्युत उत्पादनकर्ता द्वारा विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) शुल्क देय थे। उक्त विनियमों के अंतर्गत उत्पादनकर्ता को निर्धारित अवधि से एक घंटे पूर्व (अर्थात् 4 ब्लॉक) तक ग्रिड में इंजेक्ट की जाने वाली प्रतिबद्ध ऊर्जा को संशोधित करने की भी अनुमति दी गई थी।

⁴⁶ अनुमन्य ग्रिड आवृत्ति 50.3 हर्ट्ज एवं 49.2 हर्ट्ज के बीच है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत गृहों ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि में अनेकों बार ग्रिड में अनुसूचित उत्पादन से कम या अधिक ऊर्जा अन्तक्षेप किया। इसके अतिरिक्त सं.गां.ता.वि.के. ने स्वीकृत अवधि के भीतर प्रतिबद्ध ऊर्जा को संशोधित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 2019-22 की अवधि हेतु ₹ 20.78⁴⁷ करोड़ के परिहार्य अतिरिक्त विचलन शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान समय पर घोषित क्षमता में संशोधन एवं ग्रिड आवृत्ति तथा अनुसूची के अनुसार विद्युत उत्पादन/अन्तक्षेप करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा आगे की कार्यवाही प्रतिक्षित थी (जुलाई 2023)

4.11.7 पानी की अतिरिक्त मात्रा के लिए जल आपूर्ति समझौते के निष्पादन के कारण परिहार्य व्यय

पानी के उपयोग के लिए, ताप विद्युतगृह मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) को जल शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिसंबर 2013 में किए गए जल आपूर्ति अनुबंध के अनुच्छेद 2 के अनुसार, म.प्र.पा.ज.क.लि. पानी की अनुबंधित मात्रा का कम से कम 90 प्रतिशत या वास्तविक खपत, जो भी अधिक हो, के लिए जल शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

ताप विद्युत गृहों द्वारा जल आपूर्ति अनुबंध एवं जल खपत स्वरूप की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि दो ताप विद्युत गृहों (अ.ता.वि.के. और सं.गां.ता.वि.के.) द्वारा पानी की खपत पानी की अनुबंधित मात्रा से बहुत कम थी। जनवरी 2014 से मार्च 2022 तक अनुबंधित मात्रा के प्रतिशत के रूप में पानी की मासिक खपत अ.ता.वि.के. के संबंध में 5.99 प्रतिशत से 36.61 प्रतिशत के बीच एवं सं.गां.ता.वि.के. के संबंध में 2.11 प्रतिशत से 36.97 प्रतिशत के बीच रही।

पानी की मात्रा की समीक्षा एवं डब्ल्यूआरडी द्वारा पुनः आवंटन पर सुझाव देने के लिए, कंपनी ने कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट (अप्रैल 2017) में अनुबंधित मात्रा को क्रमशः अ.ता.वि.के. और सं.गां.ता.वि.के. के संबंध में 8.93 मिलियन क्यूबिक मीटर एवं 31.39 मिलियन क्यूबिक मीटर तक कम करने का सुझाव दिया। तथापि, समिति की रिपोर्ट से 62 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी पानी की मात्रा कम करने के लिए अनुबंध में संशोधन नहीं किया गया।

इस प्रकार, वास्तविक खपत का मूल्यांकन किए बिना पानी की अधिक मात्रा हेतु अनुबंध निष्पादन के कारण जनवरी 2014 से मार्च 2022 की अवधि हेतु ₹ 16.25⁴⁸ करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि अ.ता.वि.के. के प्रकरण में बंद इकाइयों (2016) के स्थान पर एक नई इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया है एवं सं.गां.ता.वि.के. के प्रकरण में तकनीकी बाधाओं के कारण जल आवंटन का समर्पण विवेकपूर्ण नहीं है।

तथापि, तथ्य यह है कि अ.ता.वि.के. की इकाइयों को बंद हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, परंतु, अभी तक कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। सं.गां.ता.वि.के. के प्रकरण में, पानी की वास्तविक खपत अनुबंधित मात्रा से अत्यंत कम थी। इसके अतिरिक्त, समिति (तकनीकी सदस्यों से युक्त) ने भी अनुबंधित मात्रा में कटौती की अनुशंसा की थी।

⁴⁷ सं.गां.ता.वि.के. वि.के.-III ₹ 17.06 करोड़, एसटीपीएस ₹ 1.60 करोड़ और एटीपीएस ₹ 2.12 करोड़।

⁴⁸ अतिरिक्त राशि (सं.गां.ता.वि.गृ. पीएच III ₹ 11.01 करोड़ और अ.ता.वि.गृ. ₹ 5.26 करोड़) की गणना क्रमशः संयंत्रों की अधिकतम वास्तविक मासिक खपत के संदर्भ में की गई है।

4.12 ताप विद्युत गृहों द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

ताप विद्युत गृहों को, प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योग की श्रेणी में होने के कारण पर्यावरणीय अनुपालन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के मानदंडों/ प्रावधानों का अनुपालन करने की वैधानिक बाध्यता होती है। अभिलेखों की समीक्षा करने पर, हमने निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

4.12.1 राख उपयोगिता का लक्ष्य पूरा न होना

ताप विद्युत गृहों पर विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न फ्लाई ऐश को ऐश डाइक में एकत्र किया जाता है, जहां से इसका आगे उपयोग किया जाता है। अप्रयुक्त राख ऐश डाइक में पड़ी रहती है और जब ऐश डाइक पूरी तरह भर जाता है, तो उसे वन विभाग⁴⁹ को सौंप दिया जाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार समय-समय पर राख उपयोग के लक्ष्य, संबंधित पक्षों के उत्तरदायित्वों एवं राख उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदमों के संबंध में अधिसूचनाएं⁵⁰ निर्गत करती है। तदनुसार, विद्युत गृहों को 31 दिसंबर 2017 एवं उसके बाद उत्पन्न फ्लाई ऐश का 100 प्रतिशत उपयोग करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि राख उपयोग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, संयंत्रों⁵¹ ने फ्लाई ऐश का उपयोग डाइक की ऊंचाई बढ़ाने/ समर्पण किए जाने के लिए प्रस्तावित डाइक में रिक्त स्थान भरने के लिए किया। संयंत्रानुसार राख का उपयोग तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8: 2019-20-20 से 2020-21 की अवधि में संयंत्रवार राख उपयोग

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	मेगावाट में क्षमता	डाइक की संख्या	समर्पण के लिए प्रस्तावित डाइक की संख्या	वर्ष	राख उपयोग (प्रतिशत में)	समर्पण के लिए प्रस्तावित डाइक में रिक्त स्थान को भरने में उपयोग को छोड़कर राख का उपयोग (प्रतिशत में)
1.	स.ता.वि.के.	1,330	3	1	2019-20	63.72	63.72
					2020-21	94.20	51.98
					2021-22	99.82	64.32
2.	सं.गां.ता.वि.के.	1,320	2	1	2019-20	99.59	53.74
					2020-21	100.10	49.38
					2021-22	71.49	40.18
3.	अ.ता.वि.के.	210	2	1	2019-20	100.55	100.55
					2020-21	64.81	64.81
					2021-22	39.09	39.09

(स्रोत: विशिष्ट संयंत्रों से एकत्रित की गई सूचना)

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की अधिसूचना (25 जनवरी 2016) का उल्लंघन करते हुए, ताप विद्युत गृहों ने राख के परिवहन को कम करने हेतु अपने परिसर के भीतर या अपने परिसर के आसपास जहां राख उत्पन्न होती है, वहां राख आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना की सुविधा अथवा प्रोत्साहन नहीं दिया।

⁴⁹ चूंकि राख बांध वन भूमि पर बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें वापस वन विभाग को समर्पित किया जाना है।

⁵⁰ अधिसूचनाएं 14 सितंबर 1999, 27 अगस्त 2003, 3 अगस्त 2009, 25 जनवरी 2016 एवं 31 दिसंबर 2021 को जारी की गई थीं।

⁵¹ ताप विद्युत गृह में, सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश को संयुक्त डाइक में संग्रहित एवं एकत्रित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अधिसूचना (2009) के अनुसार राख बिक्री की पूरी आय का उपयोग राख के उपयोग में सुधार के लिए श्रेष्ठतर सुविधाओं का सृजन करने के लिए किया जाना चाहिए। कंपनी को 31 मार्च 2022 तक राख की बिक्री से ₹ 213.68 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन केवल ₹ 75.98 करोड़ (35.56 प्रतिशत) का उपयोग सुविधाओं का सृजन करने के लिए उपयोग कर सकी। इस प्रकार, कंपनी एमओईएफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार राख की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग करने में विफल रही।

इस प्रकार, राख के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप पुरानी राख, पर्यावरण को क्षति एवं एमओईएफ एवं सीसी अधिसूचनाओं के गैर-अनुपालन की समस्याएँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में कहा कि म.प्र.पा.ज.क.लि. के ताप विद्युत गृहों द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

शासन ने राख आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना नहीं करने के साथ-साथ आधार भूत संरचना, संवर्धन एवं सरलीकरण कार्यकलापों के विकास हेतु बनाए गए कोष से पर्याप्त व्यय नहीं करने पर कोई उत्तर नहीं दिया है। तथ्य यह है कि कंपनी लेखापरीक्षा अवधि में लागू राख उपयोग के एमओईएफ एवं सीसी मानदंडों का पालन करने में विफल रही।

4.12.2 अतिरिक्त स्टैक उत्सर्जन

एमओईएफ एंड सीसी, भारत सरकार ने 'पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986' में संशोधन (7 दिसंबर 2015) किया एवं 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2016 तक स्थापित ताप विद्युत केन्द्रों की इकाइयों के लिए स्टैक उत्सर्जन मानकों को निर्धारित किया। अधिसूचना के अनुसार, पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) तथा मरकरी (एचजी) का स्तर निर्धारित मानदंडों⁵² के भीतर होना चाहिए। तथापि, बाद में 19 अक्टूबर 2020 की अधिसूचना द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) के मानदंडों में ढील⁵³ दी गई।

लेखापरीक्षा ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए ताप विद्युत गृहों द्वारा उपलब्ध⁵⁴ कराए गए डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि स.ता.वि.के., सं.गां.ता.वि.के. तथा अ.ता.वि.के., उत्सर्जन को एमओईएफ एंड सीसी द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर सीमित रखने में विफल रहे। 2019-20 से प्रारंभ करके 2021-22 तक की अवधि के 36 माह में से, स.ता.वि.के., सं.गां.ता.वि.के. एवं अ.ता.वि.के. की इकाइयों ने एसओ₂ (33 माह से 35 माह तक की विस्तारित अवधि में), एनओएक्स (12 माह से 29 माह तक की विस्तारित अवधि में) एवं पीएम (0 माह से 12 माह तक की विस्तारित अवधि में) अधिक उत्सर्जन किया जैसा कि परिशिष्ट 4.3 में बताया गया

⁵² पार्टिकुलेट मैटर (पीएम): 50 मिलीग्राम/ सामान्य घन मी., सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂): 600 मिलीग्राम/ सामान्य घन मी. (<500 मेगावाट के लिए) एवं 200 मिलीग्राम/ सामान्य घन मी. (500 मेगावाट एवं उससे अधिक क्षमता के लिए), नाइट्रोजन के ऑक्साइड (एनओएक्स): 300 मिलीग्राम/ सामान्य घन मी. तथा मरकरी(एचजी): 0.03 मिलीग्राम/सामान्य घन मी.।

⁵³ संशोधित मानदंड के अनुसार 19 अक्टूबर 2020 से एनओएक्स की अधिकतम सीमा 450 मिलीग्राम/ सामान्य घन मीटर तक बढ़ा दी गई थी।

⁵⁴ बिरसिंहपुर की सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) का पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂) व नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) का डेटा, लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया परंतु, एसटीपीएस, सारनी तथा एटीपीएस चर्चाई, सीईएमएस का पूरा डेटा प्रदान करने में विफल रहे, इसलिए उनके 2019-20 से 2021-22 तक के ऑफ़लाइन अभिलेखों का विश्लेषण किया गया।

है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एसओ₂ एवं एनओएक्स के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए किसी प्रणाली⁵⁵ की स्थापना नहीं की थी।

शासन ने अपने उत्तर (मई 2023) में विभिन्न कारणों जैसे कोयले की खराब गुणवत्ता, विश्लेषक लेंस पर तेल के धुएं के जमाव के कारण ट्रिपिंग आदि बताया, जिसके परिणामस्वरूप स्टैक उत्सर्जन अधिक हुआ। इसके अतिरिक्त, एफजीडी की स्थापना के पश्चात एसओ₂ का उत्सर्जन कम हो जाएगा जिसके लिए निविदा प्रक्रिया में है। यह भी कहा गया है कि एनओएक्स के अनुपालन के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक है तथा एसओ₂ के लिए 31 दिसंबर 2026 है। एनओएक्स उत्सर्जन को कम करने के लिए, सभी ताप विद्युत केन्द्रों में प्राथमिक दहन संशोधन के लिए तकनीकी विशिष्टियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

तथापि, तथ्य यह शेष रह जाता है कि प्रबंधन, उत्सर्जन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा तक सीमित रखने में विफल रहा।

4.13 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ताप विद्युत गृह म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित परिचालन मापदंडों को पूरा करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि, अतिरिक्त सहायक खपत, कोयले की अधिक खपत एवं स्थायी लागत की कम वसूली हुई।
- कंपनी कोयले की उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन करने में विफल रही। कोयले की अदला-बदली में विलम्ब, मितव्ययी दरों पर कोयले का नही उठाना एवं लोडिंग छोर से लेकर अनलोडिंग छोर तक कोयले के सकल कैलोरी मान (जीसीवी) में कमी की घटनाएँ संज्ञान में आयीं, जिनके परिणामस्वरूप कोयले की लागत बढ़ गई। कंपनी आवश्यक मात्रा में कोयले की व्यवस्था करने में भी विफल रही एवं कोयले की इस कमी के कारण उत्पादन में कमी आई।
- कंपनी प्रणाली का उन्नयन करने एवं समय पर नियमावली /सर्वोत्तम प्रणालियों के अनुसार वार्षिक ओवरहालिंग (एओएच)/ मुख्य ओवरहालिंग (सीओएच) निष्पादित करने में विफल रही। एओएच/सीओएच के निष्पादन में विलम्ब के परिणामस्वरूप उत्पादन हानि हुई।
- कंपनी स्टैक उत्सर्जन एवं राख के निपटान के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत विभिन्न पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं कर सकी, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

⁵⁵ एसओ₂ के लिए: फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम (एफजीडीएस), एनओएक्स के लिए: सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) सिस्टम या सेलेक्टिव नॉन-कैटेलिटिक रिडक्शन (एसएनसीआर) सिस्टम या ओवर फायर एयर (ओएफए) के साथ लो एनओएक्स बर्नर।

4.14 अनुशंसाये

- कंपनी को उत्पादन लागत को वांछित स्तर पर रखने एवं उत्पादन हानि से बचने के लिए नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदंडों की सीमा में विद्युत गृहों को संचालित करने का प्रयास करना चाहिए।
- कंपनी को उत्पादन हानि से बचने व उत्पादन लागत कम करने के लिए मितव्ययी दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी कोयला योजना एवं प्रबंधन में सुधार करना चाहिए।
- कंपनी को एओएच/ सीओएच के मानदंडों का कठोरता से पालन करना चाहिए तथा कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) को बाध्य करने के लिए अनुबंध में एक खण्ड/ समयसीमा शामिल करने पर विचार करना चाहिए।
- कंपनी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानदंडों के भीतर उत्सर्जन को सीमित रखने के लिए अद्यतन उपकरण स्थापित करने चाहिए एवं पर्यावरणीय मानदंडों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी राख निपटान/उपयोग रणनीति में सुधार करना चाहिए।

अध्याय-V

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

अध्याय-V

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

"मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रा.क.लि.) द्वारा लाइनों और सब-स्टेशनों का निर्माण" पर अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान कंपनी के मुख्यालय जबलपुर और उनके 17 वृत्त में से आठ वृत्त जिनमें निर्माण वृत्त, संधारण वृत्त और परीक्षण एवं संचार वृत्त में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की जांच के लिए सम्मिलित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान सब-स्टेशन और लाइन के निर्माण से संबंधित योजना और परियोजना निर्माण, कार्यादेश एवं उनके निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की जांच की।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों की विस्तृत श्रेणियां नीचे उल्लिखित हैं:

- नए सबस्टेशनों के निर्माण की योजना में कमी;
- टावर गिरने की अत्यधिक घटनाएं, अनुचित जांच पद्धति और सूचित न करना;
- परिनिर्माण गतिविधियों को समन्वय किए बिना ही सामग्री का क्रय;
- टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) से ट्रांसफार्मर का क्रय;
- कार्यों के निष्पादन में विलंब और परिनिर्धारित क्षति की वसूली न होना;
- भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सब-स्टेशनों के निर्माण का कार्यादेश जारी करना; तथा
- कार्यों में समन्वय न होना और ठेकेदारों को अनुचित लाभ देना।

कर्मियों के इन उदाहरणों का कुल प्रभाव ₹ 99.96 करोड़ है।

5.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी), जबलपुर को नवंबर 2001 में तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) के विघटन पर ऊर्जा विभाग (विभाग), मध्य प्रदेश शासन (शासन) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया था। कंपनी को, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम)¹ को बिजली संचारित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में अतिरिक्त उच्च तनाव² (ईएचटी) सबस्टेशनों और 132, 220 और 400 किलोवोल्ट (केव्ही) की पारेषण लाइनों के निर्माण और संधारण का कार्य सौंपा गया है।

¹ डिस्कॉम के अलावा, कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) और पश्चिमी मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) को बिजली की आपूर्ति करती है।

² ईएचटी ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग मुख्यतः केंद्रीय उत्पादन स्टेशन से मुख्य सब स्टेशन तक अपेक्षाकृत लंबी दूरी पर विद्युत शक्ति संचारित करने के लिए किया जाता है।

5.2 संगठनात्मक संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है, जिसमें प्रबंध निदेशक सहित छह सदस्य (एक स्वतंत्र और दो म. प्र. शासन द्वारा नामित निदेशक) सम्मिलित हैं। निदेशक (तकनीकी) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) की सहायता से दिन-प्रतिदिन के कार्य का संचालन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है, जो कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या सब स्टेशनों और लाइनों के निर्माण की परियोजनाएँ ठीक से संकल्पित की गई थी, आर्थिक रूप और पारदर्शी तरीके से कार्य सौंपा गया था एवं शीघ्रता और दक्षता से निष्पादित किया गया था।

5.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों का आकलन करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदंड इस प्रकार से थे:

- दीर्घकालिक योजना, वार्षिक योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए दिशानिर्देश;
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्र.), द्वारा जारी मे पारेषण योजना मानदंड नियमावली (जनवरी 2013), के.वि.प्र. (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 एवं ग्रिड संयोजकता मानक, 2007;
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा पारेषण परियोजनाओं पर गठित कार्यबल की अनुशंसाये (फरवरी 2005), कंपनी की नियमावली, और कंपनी/ राज्य सरकार/ केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र;
- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.)/ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्र.) एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी मानदंड/दशानिर्देश;
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित (नवंबर 2001) समिति की द्वारा "पारेषण में सर्वोत्तम अभ्यास" के नाम से जारी अनुशंसाये; और
- कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठकों का एजेंडा/कार्यवृत्त।

5.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

कंपनी द्वारा अतिरिक्त उच्च दबाव (ईएचटी), सब-स्टेशनों और पारेषण लाइनों के निर्माण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम बार मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में मध्य प्रदेश सरकार (2018 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 3) में शामिल किया गया था। इस प्रतिवेदन पर, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) ने अगस्त 2019 में चर्चा की और इसकी अनुशंसाये अभी (फरवरी 2023) भी प्रतीक्षित हैं।


वर्तमान अनुपालन लेखापरीक्षा में अतिरिक्त उच्च तनाव सब-स्टेशनों और पारेषण लाइनों (132 केव्ही, 220 केव्ही और 400 केव्ही) के निर्माण से संबंधित विषय को शामिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान, सब-स्टेशनों और पारेषण लाइनों के लिए, परियोजनाओं का निर्माण और योजना, क्रय, निर्माण और कमीशनिंग शामिल है। अभिलेखों की विस्तृत जांच के लिए कंपनी के मुख्यालय और तीन³ (पांच में से) अतिरिक्त उच्च तनाव निर्माण वृत्त कार्यालयों के साथ-साथ पांच⁴ (12 में से) परीक्षण एवं संचार (टीएंडसी) और अतिरिक्त उच्च तनाव संधारण वृत्त का चयन किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा ने 2019-20 से 2021-22 के दौरान निष्पादित ₹ 4,076.95 करोड़ के 57 टर्नकी कार्य अनुबंधों में से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति (स्ट्रैटीफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड) के आधार पर ₹ 2,787.16 करोड़ (68 प्रतिशत) मूल्य के 25 टर्नकी कार्य अनुबंधों का चयन नमूना जांच हेतु किया गया।

प्रवेश बैठक (मार्च 2022) के दौरान कंपनी को लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र और पद्धति आदि के बारे में बताया गया था। शासन से लेखापरीक्षा के परिणामों के उत्तर मई 2023 में प्राप्त हुए और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय इस पर विचार किया गया। निर्गम बैठक का आयोजन 30 मई 2023 को किया गया था।

5.6 पारेषण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

विद्युत के संचरण को उच्च वोल्टेज पर, आमतौर पर 132 केव्ही और उससे ऊपर, लंबी दूरी पर विद्युत के विस्तृत हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ईएचटी सब-स्टेशन, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज और अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करने, विद्युत प्रणालियों को जोड़ने और सिस्टम के अंदर और बाहर उपकरणों को स्विच करने की सुविधाएं हैं। विद्युत संयंत्रों में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को, संचरण हानि को कम करने और ग्रिड की दक्षता में वृद्धि के लिए, संचरण से पहले उच्च वोल्टेज तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए वोल्टेज को फिर से कम वोल्टेज पर ले जाया जाता है। वितरण प्रणाली में विशिष्ट वोल्टेज पर विद्युत पहुंचाने के लिए आवश्यक लाइनें, खंभे, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण शामिल हैं। पारेषण प्रक्रिया का सचित्र चित्रण इस प्रकार है:

चार्ट 5.1 : विद्युत पारेषण की प्रक्रिया



³ इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर।

⁴ तीन टी एंड सी वृत्त कार्यालय अर्थात इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और दो ईएचटी रखरखाव सर्कल कार्यालय अर्थात जबलपुर, इंदौर।

5.7 पारेषण प्रणाली और क्षमता

पारेषण प्रणाली के प्रमुख तत्व पारेषण लाइनें और सब-स्टेशन हैं, जो वितरण लाइसेंस धारियों के डाउनस्ट्रीम नेटवर्क की विद्युत मांग को पूरा करते हैं। विद्युत की बढ़ती मांग के कारण नए सब-स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि जोड़कर और लोड केंद्रों पर नई पारेषण लाइनें बिछाकर पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अनुमानित लोड वृद्धि परिदृश्यों के अनुसार प्रणाली विस्तार की योजना धीरे-धीरे बनाते हैं। पारेषण क्षमता⁵ में वृद्धि, सब-स्टेशनों की संख्या में वृद्धि और पारेषण नेटवर्क का विस्तार सहसंबद्ध हैं।

(i) 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनी की समग्र पारेषण प्रणाली की स्थिति को नीचे तालिका 5.1 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 5.1: कंपनी के पास उपलब्ध पारेषण प्रणाली का विवरण

क्र.सं.	विवरण/वर्ष		31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
1.	उप-स्टेशनों की संख्या (वर्ष के अंत में)	(संख्या में)	362	375	396	407
2.	सभी श्रेणी के सबस्टेशनों की परिवर्तन क्षमता (वर्ष के अंत में)	(एमवीए में)	60,387.5	64,762	70,512	73,931
3.	पारेषण लाइनों की लंबाई (वर्ष के अंत में)	(सीकेएम ⁶ में)	35,229.366	36,751.75	38,045.84	39,330.886
4.	म.प्र.पा.ट्रा.क.लि. नेटवर्क पर वास्तविक विद्युत पारेषण	(एमयू में)	71,945	72,278	79,385	82,079

2019-20 से 2021-22 के दौरान, कंपनी ने 13,543.5 एमवीए क्षमता और 4,101.52 सीकेएम पारेषण लाइनों के 45 नए सब-स्टेशन (सब-स्टेशन) का निर्माण किया। परिणामस्वरूप, परिवर्तन क्षमता में 22.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पारेषण लाइनों की लंबाई में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और वास्तविक संचारित बिजली में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी ने अपने पारेषण सिस्टम को बढ़ाने/विस्तार करने के लिए 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 5,410.94 करोड़ का निवेश किया।

इसके अलावा, 2021-22 के अंत में सात नए सब-स्टेशनों का निर्माण और 51 सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर था।


(ii) डिस्कॉम की तुलना में कंपनी की परिवर्तन क्षमता

एमटीपीसी के पैरा 3.7 में प्रावधान है कि पारेषण उपयोगिता डिस्कॉम/ सेज/ डब्ल्यूसीआर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी के 132 केव्ही सब-स्टेशन का डिस्कॉम/ सेज/ डब्ल्यूसीआर के 33 केव्ही सब-स्टेशन के साथ सीधा इंटरफेस है। डिस्कॉम/ एसईजेड/ डब्ल्यूसीआर के 33 केव्ही सब-स्टेशन की तुलना में कंपनी की समग्र 132 केव्ही सब-स्टेशन की परिवर्तन क्षमता की वर्ष-वार स्थिति नीचे चार्ट 5.2 में दर्शायी गई है:

⁵ ट्रांसमिशन क्षमता से तात्पर्य विद्युत ऊर्जा की उस मात्रा से है जिसे ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है।

⁶ सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का अर्थ है एक किलोमीटर की विद्युत ट्रांसमिशन सर्किटरी, जिसमें पूर्ण सर्किट या डबल सर्किट प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कंडक्टर, इंसुलेटर और सहायक संरचनाएं शामिल हैं।

चार्ट 5.2 : म.प्र.पा.ट्रा.क.लि. के 132 केव्ही सबस्टेशन की तुलना में डिस्कॉम/सेज़/ डब्ल्यूसीआर के 33/11 केव्ही सबस्टेशन की पारेषण क्षमता का वर्षवार विकास



(नोट: 2021-22 के लिए 33 केवी सब-स्टेशनों के आंकड़ों की कंपनी द्वारा फरवरी 2024 तक पुष्टि नहीं की गई है।)

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा आगामी कंडिकाओ में की गई है:

5.8 कंपनी और उसके उपभोक्ताओं के इंटरफेस पर पारेषण नेटवर्क में निरंतर अंतराल

पारेषण योजना मानदंड पर नियमावली (एमटीपीसी) में प्रावधान है कि सब-स्टेशन की स्थापित क्षमता इस तरह होनी चाहिए कि संयोजित लोड सब-स्टेशन की स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने अपने पारेषण सिस्टम को बढ़ाने/विस्तार करने के लिए 2019-20 से 2021-22 तक ₹ 5,410.94 करोड़ का निवेश किया। हालाँकि, जैसा कि ऊपर **चार्ट- 5.2** में दर्शाया गया है, 2019-22 अवधि के दौरान कंपनी के 132/33 केव्ही सब-स्टेशन की तुलना में उसके उपभोक्ताओं की 33/11 केव्ही सब-स्टेशन की परिवर्तन क्षमता हमेशा कम रही। यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान परिवर्तन क्षमता 23,124 एमवीए (उपभोक्ताओं की परिवर्तन क्षमता का 69.20 प्रतिशत) से बढ़कर 33,076 एमवीए (उपभोक्ताओं की परिवर्तन क्षमता का 92.64 प्रतिशत) हो गई, लेकिन यह कभी भी अपने उपभोक्ताओं की क्षमता के अनुकूल नहीं थी जिससे पारेषण नेटवर्क पर अतिरिक्त डाउनस्ट्रीम लोडिंग के जोखिम कारक से इनकार नहीं किया जा सकता है जो कंपनी की सिस्टम मजबूती पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

उत्तर में, शासन ने कहा (मई 2023) कि कंपनी द्वारा जोड़ी गई पारेषण क्षमता सीधे तौर पर डिस्कॉम द्वारा क्षमता वृद्धि से संबंधित नहीं है, इसलिए क्षमता विसंगति हमेशा बनी रहेगी।

उत्तर ठोस नहीं है क्योंकि कंपनी का पारेषण नेटवर्क केवल अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने के लिए है, और सुचारू पारेषण के लिए उनकी क्षमताएं सुसंगत होनी चाहिए।

5.9 परियोजना नियोजन

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) की अध्यक्षता में कंपनी के योजना अनुभाग, उप-स्टेशनों और संबंधित लाइनों की नई पारेषण परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए नोडल अनुभाग है। दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारेषण सिस्टम के विस्तार की योजना बनाई गई थी। इसे उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों की दीर्घकालिक योजनाओं और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर⁷ (एसएलडीसी) की फीडबैक /परसिस्टेंट कंजेशन रिपोर्ट पर विचार करके बनाना चाहिए। निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.) द्वारा जारी (जुलाई 2005) पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए दिशानिर्देशों के तहत, कंपनी को दस साल की परिप्रेक्ष्य योजना विकसित करने और म.प्र.वि.नि.आ. को पांच साल की योजनाएं और वार्षिक कैपेक्स योजनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। जिसमें क्रियान्वित की जाने वाली सभी परियोजनाओं का विवरण शामिल है। कंपनी अपनी पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ वार्षिक योजना भी म.प्र.वि.नि.आ. को प्रस्तुत करती है। हालाँकि, इसने राज्य पारेषण प्रणाली के लिए कोई दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना विकसित नहीं की थी। इस प्रकार, कंपनी इन नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही।
- म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा जारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए दिशानिर्देशों के खंड 1.21 के अनुसार, रणनीतिक/ दीर्घकालिक पारेषण योजना उन क्षेत्रों का आकलन करने के लिए आवश्यक है जहां उत्पादन बढ़ने की संभावना है और जिन क्षेत्रों में लोड की मांग समय-समय पर बढ़ेगी ताकि पारेषण प्रणाली किसी भी समय राज्य के हर कोने की मांग को पूरा करने में सक्षम हो सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी के पास परियोजना योजना के मानकीकरण और निर्देशों के लिए कोई परियोजना योजना और प्रबंधन नियमावली नहीं थी। इससे परियोजना कार्यों की योजना बनाने और उनके निष्पादन में तदर्थ निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसा कि नीचे पैरा 5.9.1, 5.9.2, 5.11.1 और 5.11.3 में चर्चा की गई है।
- कंपनी ने 2017-22 के लिए पारेषण कार्यों के लिए अपनी पूंजी निवेश योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत 783 कार्यों के लिए ₹ 9,889.15 करोड़ (अन्य विविध कार्यों के लिए ₹ 1,632.43 करोड़ सहित) म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित (मई 2018) किये गये। वर्ष 2017-19 के लिए, ₹ 3,756.47 करोड़ के नियोजित व्यय के विरुद्ध ₹ 3,538.47⁸ करोड़ की राशि खर्च की गई। कैपेक्स योजना की अवधि को टैरिफ विनियमन अवधि⁹ के साथ संरेखित करने के लिए कंपनी ने कैपेक्स योजना को संशोधित कर 2019-24 के लिए ₹ 8,480.52 करोड़¹⁰ कर दिया है। 2019-22 की अवधि के दौरान, कंपनी ने 13,543.50 एमवीए क्षमता वाले 45 नए सब-स्टेशनो और 4,101.52 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण और इसकी पारेषण प्रणाली को बढ़ाने/ विस्तार करने पर ₹ 5,410.94 करोड़ का व्यय किया।

⁷ एसएलडीसी मध्य प्रदेश विद्युत प्रणाली का तंत्रिका केंद्र है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में इंटर-स्टेट ग्रिड, यानी मध्य प्रदेश ग्रिड का वास्तविक समय संचालन शामिल है।

⁸ 2017-19 के दौरान पूर्ण किए गए 267 कार्यों के लिए ₹ 2,286.86 करोड़ और 516 कार्यों के लिए ₹ 1,251.61 करोड़।

⁹ म.प्र.वि.नि.आ. (ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण के नियम एवं शर्तें) विनियम, 2020 की नियंत्रण अवधि।

¹⁰ पिछले कैपेक्स योजना में पहले से स्वीकृत 516 कार्यों के लिए ₹ 6,147.37 करोड़, 2019-24 के लिए नियोजित 215 नए कार्यों के लिए ₹ 1,999.47 करोड़ और मार्च 2019 तक 114 उप-कार्यों के लिए ₹ 333.67 करोड़ खर्च किए गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैपेक्स योजना के उपरोक्त संशोधन के कारण, कंपनी ने 2022-24 के दौरान निष्पादन के लिए ₹ 623.81 करोड़ के 182 (516 में से) कार्यों को स्थगित कर दिया। इसके अलावा, 516 कार्यों के संबंध में ₹ 611.41 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, कैपेक्स योजना को स्थगित करने से न केवल उपभोक्ताओं की क्षमता के अनुरूप क्षमता बढ़ाने के कार्यों में देरी हुई, बल्कि लागत में भी वृद्धि हुई।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि अगले दस वर्षों के लिए सिस्टम की आवश्यकता परिवर्तनधीन है और इसलिए इसकी मंजूरी किसी एजेंसी या म.प्र.वि.नि.आ. से नहीं ली जाती है। हालाँकि, ऐसी पहचानी गई आवश्यकता को दर्शाने वाला कोई रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। शासन ने आगे कहा कि राज्य की दीर्घकालिक पारेषण प्रणाली की योजना के.वि.प्र. पारेषण योजना मानदंडों और के.वि.नि.आ./म.प्र.वि.नि.आ. आदि द्वारा जारी अन्य संहिता और विनियमों का पालन करते हुए बनाई गई है। हालाँकि, यह नियमावली के उपयोग के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना योजना के मानकीकरण और निर्देशों की आवश्यकता को नकारता नहीं है।

शासन ने यह भी कहा कि आवश्यकता के आधार पर; नियोजित कार्यों को बाद में शुरू करने के लिए स्थगित किया गया। उत्तर सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि कंपनी द्वारा 2017-22 की अवधि के लिए कैपेक्स योजना के तहत 516 कार्यों की योजना केवल आवश्यकता के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन बाद में इन्हें स्थगित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लागत बढ़ गई।

5.9.1 नए सब-स्टेशनों के निर्माण में योजना की कमी

पारेषण योजना मानदंड पर नियमावली (एमटीपीसी) में प्रावधान है कि सब-स्टेशन की स्थापित क्षमता इस तरह होनी चाहिए कि कनेक्टेड लोड सब-स्टेशन की स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत से अधिक न हो। कंपनी को अतिभारित सब-स्टेशन पर तनाव दूर करने और भविष्य की भार आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए क्षमता वृद्धि/संवर्द्धन करने की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ ही, इसे संबंधित डिस्कॉम के इंटरफेस पर डाउनस्ट्रीम 33 केव्ही सब-स्टेशन की उपलब्धता/ योजनाबद्ध निर्माण के साथ अपनी योजना को सिंक्रनाइज करना था। जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है, कंपनी इतना प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकी:

- ₹ 108.41 करोड़ (कुल क्षमता 890 एमवीए) की लागत से निर्मित 220 केव्ही के तीन¹¹ नए सब-स्टेशनों और 132 केव्ही के दो¹² नए सब-स्टेशन उनके चालू होने के तीन साल के अंदर ओवरलोड हो गए क्योंकि कनेक्टेड लोड उनकी स्थापित क्षमता 87.50 प्रतिशत से 95.31 प्रतिशत के बीच रहा।
- ₹ 61.44 करोड़ (कुल क्षमता 276 एमवीए) की लागत से निर्मित 132 केव्ही के पाँच¹³ नए सब-स्टेशन में उनके चालू होने के तीन साल बाद भी अप्रयुक्त क्षमता थी क्योंकि कनेक्टेड लोड उनकी स्थापित क्षमता का केवल 20.63 प्रतिशत से 30.00 प्रतिशत के बीच रहा।
- मई 2020 और मार्च 2022 के दौरान चालू किए गए ₹ 104.19 करोड़ (कुल क्षमता 473 एमवीए) की लागत से निर्मित 132 केव्ही और 220 केव्ही के छह¹⁴ नए सब-स्टेशन डिस्कॉम द्वारा संबंधित डाउनस्ट्रीम

¹¹ 220 केव्ही श्योपुर, 220 केव्ही कुक्षी और 220 केव्ही सागर (400 केव्ही सागर में)।

¹² 32 केव्ही खुजनेर एवं 132 केव्ही मोरवन।

¹³ 132 केव्ही सब-स्टेशन- गुडगाँव, तेंदूखेड़ा, सतना-द्वितीय, गोरखपुर, विक्रम उद्योगपुरी, और नैट्रिप।

¹⁴ 220 केव्ही बुधनी, 220 केवी रतनगढ़, 132 केवी सब-स्टेशन बरगी, महावड़िया, गोरमी और सिंहावल।

33 केव्ही सब-स्टेशन के निर्माण में देरी/गैर-निर्माण के कारण अभी तक डिस्कॉम से नहीं जुड़े (मार्च 2022) थे और कंपनी संबंधित डिस्कॉम के साथ समन्वय करने में विफल रही।

दस-वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजनाओं के अभाव के कारण 45 नए सब-स्टेशन में से 16¹⁵ सब-स्टेशन (35.56 प्रतिशत) या तो अतिभारित थे या कम उपयोग किए गए थे।

उपरोक्त तथ्यों से सहमत होते हुए, शासन ने डिस्कॉम की लोड आवश्यकता के अनुरूप पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की योजना के लिए भविष्य में उचित सावधानी रखने का आश्वासन (मई 2023) दिया।

5.9.2 टावर गिरने की अत्यधिक घटनाएं, अनुचित जांच और रिपोर्टिंग न किया जाना

केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) के पारेषण लाइन नियमावली (1995) में प्रावधान है कि पारेषण टावरों की योजना और रूपांकन करते समय, लोड के आधार पर रूपांकन, लाइन घटकों की ताकत और पारेषण लाइनों पर वायु प्रवाह की गति सहित सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, रूपांकन को क्षेत्र के प्रभाव और लाइन गलियारा की स्थलकृति, वायु की गति क्षेत्र और सभी टावर कोणों पर एंटी-कैस्केडिंग जांच के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान, 29 घटनाओं में कुल 104 टावर ढह गए, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 5.2 में दिया गया है:

तालिका 5.2: टावर गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	श्रेणीवार टावर गिरने की घटनाओं की संख्या				बिजली की बाधित आपूर्ति (घंटे में)	गिरे टावरों की संख्या	जांच किये गये मामलों की संख्या	जांच में लगा समय (दिनों में)	के.वि.प्र. को रिपोर्ट की गई कुल घटनाओं
		400 केव्ही	220 केव्ही	132 केव्ही	कुल					
1.	2019-20	4	4	0	8	30,788.70	42	6	169-227	6
2.	2020-21	0	6	8	14	8,466.28	41	0	कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी	0
3.	2021-22	1	3	3	7	4,555.48	21	1	80	1
कुल		5	13	11	29	43,810.46	104	7	80-227	7

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 29 घटनाओं में से, कंपनी ने केवल सात घटनाओं की जांच की, वह भी 80 से 227 दिनों की देरी से। हालाँकि, के.वि.प्र. द्वारा जारी विनियमन के अनुसार इन घटनाओं की सूचना 15 दिनों के भीतर दी जानी थी। टावरों के गिरने से 4555 घंटे से लेकर 30789 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। टावर गिरने की 29 घटनाओं में से, प्रबंधन ने ₹ 42.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 400 केव्ही लाइनों के टावरों को मजबूत करने के प्रस्ताव के साथ बीओडी और सीईए को केवल सात घटनाओं की सूचना दी। यह भी देखा गया कि 29 घटनाओं में से 18 घटनाएं (220 केव्ही और ऊपर) के.वि.प्र. को रिपोर्ट करने योग्य थीं परंतु कंपनी ने केवल सात घटनाओं की सूचना ही दी।

¹⁵ 220 केव्ही के 12 नए सब-स्टेशन में से चार नए सब-स्टेशन और 132 केव्ही के 30 नए सब-स्टेशन में से 12 नए सब-स्टेशन।

उपलब्ध जांच रिपोर्टों से, लेखापरीक्षा ने पाया कि पारेषण लाइन कार्यों की योजना बनाने से पहले, कंपनी को टावरों की वायु-क्षेत्र-वार इलाके विशिष्ट रूपांकन का विश्लेषण करने की आवश्यकता थी ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा आश्वासन सुनिश्चित किया जा सके और टावर गिरने की घटना और बिजली की आपूर्ति बाधित होने से बचाया जा सके। हालांकि, कंपनी ऐसा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप टावर गिरने की कई घटनाएँ हुईं।

इसके अलावा, पिछले बीस वर्षों में रिपोर्ट की गई घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद, यह देखा गया कि 2003-2022 के दौरान 400 केव्ही लाइनों पर टावर गिरने की कुल आठ घटनाएँ हुईं और इनमें से, टावर गिरने की पांच घटनाएँ लेखापरीक्षा अवधि यानी 2019-2022 के दौरान हुईं। आगे, यह भी देखा गया कि दो¹⁶ महत्वपूर्ण विद्युत निकासी लाइनों के पांच टावर दो साल की छोटी अवधि यथा 2019-20 और 2021-22 के भीतर दो बार ढह गए। इस प्रकार, कंपनी सीबीआईपी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान टावरों के गिरने की अधिक घटनाएँ हुईं।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि संबंधित विभाग को घटनाओं की गहन जांच करने और जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं (जून 2022)। इसके अलावा निर्गम बैठक (मई 2023) के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि वह नवीनतम वायु क्षेत्र दिशानिर्देशों के अनुसार पुरानी लाइनों की समीक्षा कर रहा था।

5.10 क्रय प्रबंधन

कंपनी के पारेषण नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ संचालन और संधारण (संचा. एवं संधा.) कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री कंपनी की क्रय शाखा द्वारा खुली निविदाओं के माध्यम से क्रय की जाती है। कंपनी द्वारा सामग्री की क्रय में देखी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

5.10.1 निर्माण गतिविधियों को समन्वित किए बिना सामग्री का क्रय

लागत को कम करने के लिए, सामग्रियों की आपूर्ति/वितरण को निर्माण गतिविधियों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। वास्तविक आवश्यकता से पहले सामग्री क्रय करने से धन की रुकावट होगी और परिहार्य ब्याज का भुगतान करना होगा क्योंकि कंपनी परियोजना लागत का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में 11.50 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच ब्याज दरों पर लेती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 45 मामलों में कंपनी को ₹ 197.63 करोड़ मूल्य की सामग्री उसके अनुमानित उपयोग से बहुत पहले प्राप्त हुई थी। परिणामस्वरूप, परिशिष्ट 5.1 में बताए अनुसार लीड अवधि¹⁷ के रूप में एक माह की अनुमति देने के बाद, सामग्री एक माह से 21 माह के बीच की अवधि के लिए अप्रयुक्त पड़ी रही। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.98¹⁸ करोड़ के ब्याज का परिहार्य वित्तीय बोझ कंपनी पर पड़ा और कंपनी पर लंबी अवधि तक क्षति/चोरी आदि का जोखिम भी बना रहा।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि ट्रांसफार्मर से जुड़े सहायक उपकरण और अन्य उपकरण प्राप्त होने के बाद ही निर्माण गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। 2005 के परिपत्र के अनुसार, कमीशनिंग के लिए तीन से छह माह का समय दिया गया है। इसके अलावा, देरी के कारणों में शटडाउन की अनुपलब्धता, आरओडब्ल्यू और लाइन क्रॉसिंग मुद्दे,

¹⁶ 400 केवी सब-स्टेशनटीपीएस-पीथमपुर सीकेटी-1 और 400 केवी सब-स्टेशनटीपीएस-पीथमपुर सीकेटी-2 (विद्युत निकासी लाइन)।

¹⁷ कंपनी के पास कोई कार्य नियमावली नहीं है जिसमें कार्य के निष्पादन के लिए लीड अवधि का वर्णन किया गया हो, हालांकि, लेखापरीक्षा ने सब-स्टेशन में ट्रांसफार्मर निर्माण कार्य के लिए एक माह को लीड अवधि के रूप में माना है।

¹⁸ निर्माण के लिए एक माह की अवधि की अनुमति देने के बाद जून 2022 तक सामग्री के मूल्य के 70/40 प्रतिशत की दर से 11.50 प्रतिशत की दर से गणना की गई। (केएफडब्ल्यू वित्त पोषित कार्यों के अलावा अन्य के लिए 70% और केएफडब्ल्यू वित्त पोषित कार्यों के लिए 40%)।

कोविड-19 महामारी, अत्यधिक बारिश और ट्रांसफार्मर तेल पैरामीटर मुद्दे आदि शामिल थे। एक से तीन माह की देरी को सामान्य माना जा सकता है।

शासन का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कंपनी को अपनी गतिविधियों को समन्वय करना चाहिए था ताकि खरीदी गई सामग्री सहायक उपकरणों/संबंधित उपकरणों की कमी या स्थापना में देरी के कारण अप्रयुक्त न रह जाए, जिससे ब्याज की हानि और चोरी/क्षति आदि का जोखिम न हो। इसके अलावा, कमीशनिंग के लिए छह माह की अवधि पर विचार करने के बाद भी, 29 मामलों में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.02 करोड़ के ब्याज का वित्तीय बोझ पड़ा। लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि 2005 का परिपत्र विघटन पूर्व के युग का है, कंपनी को फिर से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और ट्रांसफार्मर को प्रवर्तन में लाने के लिए एक इष्टतम समयरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसे परियोजना योजना और प्रबंधन नियम-पुस्तिका में शामिल किया जा सकता है।

5.10.2 टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) से ट्रांसफार्मरों का क्रय

एमओपी, भारत शासन द्वारा अधिसूचित पारेषण सिस्टम (बीपीआईटीएस) में सर्वोत्तम प्रथाओं के पैरा 5(i) में निर्दिष्ट है कि ट्रांसफार्मर/रिएक्टरों को छोड़कर, जिन्हें अलग से खरीदा जा सकता है सब-स्टेशन को टर्नकी अनुबंधों (टीकेसी) के तहत पैकेज दिया जा सकता है, और टर्नकी ठेकेदार को कार्य का निष्पादन प्रदान किया जा सकता है।

हालाँकि, कंपनी ने 27 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति सहित नौ टर्नकी अनुबंधों का पैकेज किया, जिसके लिए रिकॉर्ड पर कोई कारण नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि टर्नकी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किए गए ट्रांसफार्मर की लागत उसी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा सीधे खरीदे गए समान क्षमता के ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.68 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ, जिसका विवरण नीचे तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका 5.3: टीकेसी द्वारा आपूर्ति किए गए ट्रांसफार्मर और कंपनी द्वारा निष्पादन से पहले किए गए भुगतान का विवरण (राशि: ₹ करोड़ में)

क्रमसं.	निविदा क्रमांक	टीकेसी फर्म का नाम	ट्रांसफार्मर क्षमता (एमवीए में)	ट्रांसफार्मरों के लिए टीकेसी को भुगतान की गई राशि	स्वयं की क्रय लागत के संदर्भ में अंतर	प्राप्ति और प्रवर्तन होने के बीच के दिन ¹⁹	भुगतान और प्रवर्तन होने के बीच के दिन	ब्याज की हानि
1.	TR/36	मैसर्स एशियाटिक ट्रेडर्स	40	2.14		242	105	0.05
2.	TR/36	मैसर्स श्याम स्टील	160	5.29	0.05	47		0
			63	3.38	0.62	222	21	0.02
			50	3.14	0.61	420	383	0.27
3.	TR/37	मैसर्स मैन स्ट्रक्चर	160	4.59		36	373	0.38
			50	2.72	0.19	53	34	0.02
			50	2.72	0.19	558	522	0.31
4.	TR/38	मैसर्स श्याम स्टील	160	4.95	0.00			
			50	2.93	0.00			
			63	3.16	0.40	71	49	0.03
			63	3.16	0.40	287	219	0.15
			63	3.16	0.40	55		0.00
5.	TR/60	मैसर्स टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड	50	2.76	0.23	186	174	0.11
			50	2.76	0.23	44		0.00

¹⁹ 30 दिनों से अधिक में।

क्रमसं.	निविदा क्रमांक	टीकेसी फर्म का नाम	ट्रांसफार्मर क्षमता (एमवीए में)	ट्रांसफार्मरों के लिए टीकेसी को भुगतान की गई राशि	स्वयं की क्रय लागत के संदर्भ में अंतर	प्राप्ति और प्रवर्तन होने के बीच के दिन ¹⁹	भुगतान और प्रवर्तन होने के बीच के दिन	ब्याज की हानि
		इंजीनियरिंग	50	2.76	0.23	118	53	0.03
			50	2.76	0.23	62		0.00
			50	2.76	0.23	151	112	0.07
			50	2.76				0.00
			50	2.76	0.23	259	135	0.08
			50	2.76	0.23	145	181	0.11
6.	TR/61	मैसर्स आर.एस. इन्फ्रोप्रोजेक्ट	50	2.73	0.20	278	125	0.08
			50	2.73	0.20	128	42	0.03
			50	2.73	0.20	198	101	0.06
			50	2.73	0.20	124	65	0.04
7.	TR/206	मैसर्स अमारा राजा पावर सिस्टम	315	10.76	1.32	392	103	0.24
8.	TR/39	मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स	50	2.60	0.07	105	2	0.00
9.	TR/47	मैसर्स क्षेमा पावर एंड इंफ्रा	50	2.55	0.02	268		0.00
कुल				90.25	6.68			2.07

इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा 19 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति उनकी स्थापना से बहुत पहले साइट पर ही कर दी गई थी, जिसके लिए आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 63.08 करोड़ का भुगतान किया गया था। एक माह की लीड अवधि की अनुमति देने के बाद, ये ट्रांसफार्मर 36 दिनों से 558 दिनों के बीच की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहे, जिससे ₹ 2.07 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ। इस प्रकार, कंपनी ने न केवल बीपीआईटीएस की सिफारिशों का उल्लंघन किया, बल्कि टर्नकी ठेकेदारों से ट्रांसफार्मर क्रय करने के लिए ₹ 8.75 करोड़ (₹ 6.68 करोड़ + ₹ 2.07 करोड़) का परिहार्य व्यय भी किया।

शासन ने उत्तर (मई 2023) दिया कि बीपीआईटीएस के संबंध में के.वि.प्र. द्वारा जारी समिति की रिपोर्ट केवल सलाह के रूप में है। इसके अलावा, कार्य के निष्पादन की प्रगति की गति और समय पर कमिश्निंग के साथ बिजली ट्रांसफार्मर की डिलीवरी का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मर को टर्नकी अनुबंधों में शामिल किया गया था। इसके अलावा, चूंकि ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान निर्माण गतिविधियों के पूरा होने के बाद किया जा रहा है, इसलिए ब्याज की कोई हानि नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अब निर्णय लिया है कि भविष्य के टर्नकी अनुबंधों का दायरा बिजली ट्रांसफार्मर को छोड़कर होगा और इसकी क्रय अलग आपूर्ति निविदा जारी करके की जाएगी।

तथ्य यह है कि अलग से ट्रांसफार्मर क्रय करने के लिए बीपीआईटीएस की स्वीकृति में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 6.68 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा, कंपनी का यह दावा कि ब्याज की कोई हानि नहीं हुई है, तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि ट्रांसफार्मर के निर्माण से पहले भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर वित्त पोषण एजेंसी को ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 2.07 करोड़ की राशि का वित्तीय बोझ पड़ा है।

5.11 टर्नकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन

एक पारेषण परियोजना में तीन घटक होते हैं जैसे सब-स्टेशन, सब-स्टेशन की फीडर लाइनें और अन्य पारेषण/वितरण सब-स्टेशन को आपूर्ति करने के लिए बहिर्गामी लाइनें। कंपनी ने पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पैकेज तैयार किए और खुली निविदा के माध्यम से ये पैकेज चुने गए ठेकेदारों को टर्नकी आधार पर दिए।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान, ₹ 4,076.95 करोड़ की कुल लागत पर अति उच्च तनाव सब-स्टेशन, फीडर बे और अति उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 57 टर्नकी अनुबंध निष्पादित किए जा रहे थे, जिनमें से लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए कुल ₹ 2,787.16 करोड़ (कार्यों की कुल लागत का 68 प्रतिशत) के 25 टर्नकी अनुबंधों का चयन किया।

5.11.1 कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

कार्य को समय पर पूरा करना किसी भी योजना/परियोजना के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने का सार है। चयनित 25 टर्नकी अनुबंधों (परिशिष्ट 5.2 में विवरण) में सब-स्टेशन और पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए कुल 171 कार्य शामिल थे। 31 दिसंबर 2022 तक इन 171 कार्यों की स्थिति निम्नलिखित तालिका 5.4 में संक्षेपित है:

तालिका 5.4: कार्य निष्पादन की स्थिति

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	किये गये कार्य	समय से पूर्ण हुए कार्य	देरी से पूरे हुए कार्य	कार्य प्रगति पर है	कार्य शुरू हुआ लेकिन रुक गया	कार्य अभी भी शुरू होना बाकी है
1.	सब-स्टेशन	61 ²⁰	29	30	0	1 ²¹	1
2.	लाइनें	110	32	67	6	2	3
	कुल	171	61	97	6	3	4

उपरोक्त तालिका 5.4 से यह देखा जा सकता है कि कुल 171 कार्यों में से 61 कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण किये गये तथा शेष 110 कार्य या तो विलम्ब से पूर्ण किये गये अथवा अभी भी विलम्ब से चल रहे हैं। इसके अलावा, इन 110 विलंबित कार्यों में से, 23 कार्यों के मामले में, देरी के लिए कंपनी को विभिन्न कारणों से जिम्मेदार ठहराया गया, जैसे परियोजना प्रोफ़ाइल/लेआउट के अनुमोदन में देरी, वन अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने में देरी, कंपनी का आरओडब्ल्यू के मामले को हल न निकलना, शासन की ओर से मंजूरी न मिलना, ठेकेदार को सामग्री की आपूर्ति न होना, निर्माण स्थल को सौंपने में देरी, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य सौंपना आदि। जबकि, 26 कार्यों में देरी के लिए पूरी तरह से ठेकेदार को विभिन्न कारणों से जिम्मेदार ठहराया गया, जैसे कार्य की खराब प्रगति, ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर अपर्याप्त जनशक्ति की तैनाती, ठेकेदार द्वारा आरओडब्ल्यू समस्या का समाधान नहीं करना, तकनीकी मापदंडों को अंतिम रूप देने में देरी आदि और शेष 61 कार्यों में, देरी के लिए कंपनी के साथ-साथ ठेकेदारों को भी ऊपर उल्लेखित विभिन्न कारणों से जिम्मेदार ठहराया गया।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के लिए कोविड-19 महामारी सहित कई कारण थे।

शासन का उत्तर पर्याप्त नहीं है क्योंकि अधिकतर कारण नियंत्रण योग्य थे और कंपनी परियोजनाओं की उचित योजना और निगरानी के माध्यम से कार्य में देरी को कम कर सकती थी।

²⁰ इसमें 46 नए सब-स्टेशनों का निर्माण और 15 सब-स्टेशनों का संवर्द्धन शामिल है।

²¹ मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंदौर सुपर कॉरिडोर योजना को रद्द करना।

23 कार्यों में से, पांच कार्यों की चर्चा अगली कंडिका 5.11.1.1 में की गई है, जहां देरी के लिए पूरी तरह से कंपनी द्वारा भूमि सुनिश्चित न करने को जिम्मेदार ठहराया गया था।

5.11.1.1 भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य सौंपना

पारेषण परियोजनाओं को लक्षित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए, पारेषण प्रोजेक्ट²² पर कार्यदल ने सिफारिश (अगस्त 2005) की कि विक्रेता/ठेकेदार चयन, भूमि का चयन और स्पष्ट कार्य स्थल के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी आदि की गतिविधियां राज्य पारेषण यूटीलिटिस द्वारा समानांतर रूप से की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त 46 में से पांच नए सबस्टेशनों जिसमें 220 केव्ही गोरा बाजार की एक बेहद विलंबित परियोजना भी शामिल है, जिसका निर्माण किया जाना था, लेकिन कंपनी टर्नकी ठेकेदार को समय पर स्पष्ट भूमि सौंपने में विफल रही, जैसा कि नीचे तालिका 5.5 बताया गया है:

तालिका 5.5: भूमि की अनुपलब्धता के कारण समय पर पूरा नहीं होने वाले सबस्टेशनों का विवरण

क्र.सं.	सबस्टेशनों का नाम	सौंपने की तिथि और लागत (₹ करोड़ में)	भूमि सौंपने की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि/पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	भूमि की अनुपलब्धता के कारण 31/12/2022 तक कुल विलंब (माह में)	भूमि की अनुपलब्धता का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	132 केव्ही, विजय नगर, जबलपुर	31.07.2019 (32.83)	-	30.01.2022/ पूरा नहीं हुआ	41	नीति में बदलाव के कारण मप्र शासन ने आवंटित जमीन वापस ले ली।
2.	220 केव्ही, सुपर कॉरिडोर इंदौर में	25.01.2019 (45.48)	-	24.01.2021/ पूरा नहीं हुआ	47	वन विभाग से भूमि विवाद।
3.	132 केव्ही, डीमरखेड़ा	04.10.2018 (7.71)	जुलाई 2020	23.12.2020/ 09.08.2022	21 (जुलाई 2020 तक)	कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण में देरी। कंपनी को वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई (जुलाई 2020) और सब-स्टेशन 09.08.2022 को चालू किया गया।
4.	132 केव्ही, क्षिप्रा विहार	11.02.2019 (12.18)	-	10.01.2021/ पूरा नहीं हुआ	47	रेल विभाग से भूमि विवाद।
5.	220 केव्ही, गोरा बाजार	10.09.2012 (10.56) 13.12.2018 (12.73)	अप्रैल 2018	09.05.2014/ 21.03.2020	67 (अप्रैल 2018 तक)	सब-स्टेशन 21.03.2020 को चालू किया गया था।

इस प्रकार, गतिविधियों को समानांतर निष्पादित करने के लिए के.वि.प्र. के कार्यदल की सिफारिशों का पालन करने में कंपनी विफल रही और भूमि की अनुपलब्धता के कारण, तीन सब-स्टेशन का निर्माण आशय पत्र जारी होने की तिथि से 41 माह से 47 माह के बीच का समय बीत जाने के बाद बावजूद अब तक (दिसंबर 2022) शुरू नहीं किया जा सका।

²² केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्र.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित (फरवरी 2005)।

एक मामले में, 220 केव्ही गोराबाजार सब-स्टेशन के निर्माण के लिए, कंपनी ने नवंबर 2011 में निविदा आमंत्रित की और सितंबर 2012 में मेसर्स श्रीम इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कोल्हापुर को ₹ 10.56 करोड़ में कार्य सौंपा। कंपनी को पता था कि जिस ज़मीन पर उसने निर्माण की योजना बनाई थी वह डिफेंस की भूमि थी। जब ठेकेदार ने निर्माण गतिविधियाँ शुरू कीं तो रक्षा प्राधिकारियों ने कार्य रोक दिया और कंपनी पर अपनी भूमि के उपयोग के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने पर जोर दिया। इसके बाद, कंपनी ने रक्षा प्राधिकारियों को अनुरोध प्रस्तुत किया (जुलाई 2015) जिसने अप्रैल 2018 में सब-स्टेशन निर्माण के लिए 22,500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की। जब कंपनी ने ठेकेदार से कार्य शुरू करने का अनुरोध किया तो छह साल बीत जाने के कारण उसने उसी दर पर कार्य शुरू करने से इनकार कर दिया इसलिए कंपनी ने गोराबाजार सब-स्टेशन के निर्माण के लिए एक नई निविदा आमंत्रित की (सितंबर 2018) और मेसर्स विहान एंटरप्राइजेज, भोपाल को 18 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 12.73 करोड़ में कार्य दिया गया (दिसंबर 2018)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी कार्य के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने से पहले रक्षा प्राधिकारियों से आवश्यक भूमि का कब्जा प्राप्त करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप कार्य पूरा होने में पांच साल से अधिक की देरी हुई और लागत में ₹ 2.17 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2011-12 में की गई संपूर्ण निविदा प्रक्रिया अप्रभावी और निष्फल हो गई।

शासन ने सभी पांच मामलों में उत्तर दिया (मई 2023) कि भूमि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित की गई थी, लेकिन भूमिधारकों/ भूमि के मालिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को सभी संभावित कार्यस्थल अनुमति के साथ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही टर्नकी ठेकेदारों को कार्य प्रदान करना था।

5.11.1.2 परिनिर्धारित क्षति की वसूली न करना

टर्नकी अनुबंधों के परिनिर्धारित क्षति खंड (अनुबंध समझौते के खंड.11.2) के अनुसार, यदि अनुमोदित बार चार्ट के अनुसार कार्य अनुबंधित समय के अंदर पूर्ण नहीं होता है, तो अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन प्रति सप्ताह प्रत्येक कार्य या उसके हिस्से के लिए परिनिर्धारित क्षति वसूली जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 25 टर्नकी अनुबंधों के तहत सब-स्टेशनों और लाइनों के निर्माण के चयनित 171 कार्यों में से, आठ टर्नकी अनुबंधों के तहत सब-स्टेशनों और लाइनों (नमूना आधार पर चयनित) के निर्माण के 10 कार्यों में कार्य के वास्तविक समापन में एक माह से लेकर 30 माह तक की देरी हुई लेकिन कंपनी ने ठेकेदारों की ओर से कार्यों को पूरा करने में देरी के लिए ठेकेदारों पर परिनिर्धारित क्षति के रूप में ₹ 69.96 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई और न ही ठेका अनुबंध में उल्लिखित खंड के अनुसार उनके चालू बिलों से वसूली/कटौती की गई। कंपनी को अन्य सभी मामलों की जांच करनी चाहिए और तदनुसार परिनिर्धारित क्षति आरोपित एवं वसूल करना चाहिए।

उत्तर में, शासन ने कहा (मई 2023) कि सात टर्नकी अनुबंधों में शामिल आठ कार्यों में, विभिन्न कारणों, जैसे कार्य स्थल सौंपने में देरी, अतिरिक्त कार्यों का आवंटन, कोविड-19, शट डाउन की अनुपलब्धता इत्यादि, से परिनिर्धारित क्षति लगाए बिना समय विस्तार दिया गया था जबकि एक टर्नकी अनुबंध के दो कार्य समाप्त कर दिए गए और परिनिर्धारित क्षति ठेकेदार से वसूल कर ली गई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन ने केवल कंपनी द्वारा की गई देरी की ओर इशारा किया है। जबकि लेखापरीक्षा ने ठेकेदारों की ओर से देरी के लिए परिनिर्धारित क्षति की गणना की है। इसके अलावा, जुर्माना लगाना अनुबंध के मानक नियमों और शर्तों का हिस्सा है, जिसे अतिरिक्त कार्य सौंपने या कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देकर क्षीण नहीं किया जा सकता है।

5.11.2 कार्यों का समन्वय न होना

एक पारेषण परियोजना में तीन घटक शामिल होते हैं जैसे सब-स्टेशन, सब-स्टेशन की फीडर लाइनें और अन्य पारेषण/वितरण सब-स्टेशन को आपूर्ति करने के लिए बहिर्गामी लाइनें। परियोजना के किसी भी घटक के पूरा होने में देरी से संपूर्ण पारेषण परियोजना का उपयोग नहीं हो पाता है और इसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त घटकों पर खर्च होने वाली धनराशि भी अवरुद्ध हो जाती है। इन तीनों घटकों की सभी निर्माण गतिविधियों को इस प्रकार समन्वयित किया जाना चाहिए कि कार्य एक साथ समय पर पूरा हो सके। हालाँकि, कंपनी इन तीन घटकों की निर्माण गतिविधियों को समन्वय करने में विफल रही, जैसा कि नीचे बताया गया है:

अ) सब-स्टेशन का तैयार होना लेकिन लाइनों का नहीं और इसके विपरीत

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच पारेषण कार्य परियोजनाओं के मामले में, ₹ 95.79 करोड़ मूल्य की सब-स्टेशन और लाइनें पूरी हो गई थीं, लेकिन संबंधित सबस्टेशनों और लाइनों (जो दूसरे ठेकेदार को दिए गए थे) से संबंधित कार्य पूर्ण नहीं हुए थे (दिसंबर 2022) जैसा कि नीचे तालिका 5.6 में बताया गया है:

तालिका 5.6: सब-स्टेशनों और लाइनों के संबंधित कार्यों के पूर्ण न होने का विवरण

क्र. सं.	पूर्ण किये गये कार्य का नाम	कार्य सौंपने की तिथि (समापन की निर्धारित तिथि) पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण किये गये कार्यों की लागत (₹ करोड़ में)	बाद में पूर्ण किए गए संबंधित कार्य का नाम	संबंधित कार्य को सौंपने की तिथि (समापन की निर्धारित तिथि) पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	दिसंबर 2022 तक संबंधित कार्य अप्रयुक्त रहने की अवधि (माह में)	ब्याज ²³ की हानि (₹ करोड़ में)
1.	बिछिया में 132/33 केव्ही सब-स्टेशन	11-02-2019 (10-04-2021) 23-10-2020	15.11	132 केव्ही मंडला से 132 केव्ही बिछिया तक डीसीसब-स्टेशन लाइन	11-02-2019 (10-04-2021) 27-06-2022	20	2.07
2.	नैनपुर-घंसौर 132 केव्ही आरटीएस लाइन पर कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग	11-02-2019 (10-04-2021) 13-10-2020	1.18	132/33 केव्ही सब-स्टेशन, घंसौर	11-02-2019 (10-04-2021) 29-07-2021	10	0.08
3.	ओरछा में 132 केव्ही सब-स्टेशन का निर्माण	05-10-2018 (23-03-2021) 31-05-2022	13.63	132 केव्ही पृथ्वीपुर-ओरछा डीसीसब-स्टेशन लाइन	05-10-2018 (04-10-2020) पूरा नहीं हुआ	7	0.65
4.	पनागर 220 केव्ही-ढीमरखेड़ा 132 केव्ही डीसीसब-स्टेशन लाइन	05-10-2018 (04-10-2020) 25-03-2022	34.52	धीमरखेड़ा में 132 केव्ही सब-स्टेशन का निर्माण	05-10-2018 (23-03-2021) 09-08-2022	5	1.06

²³ अप्रयुक्त अवधि के लिए पूर्ण किए गए कार्य की लागत के 70 प्रतिशत पर 11.5 प्रतिशत की दर से गणना की जाती है।

5.	132 केव्ही डीसीडीएस लाइन 220 केव्ही एस/एस बुधनी से मोहासा (बाबई) तक	12-02-2019 (24-04-2021) 31-05-2022	31.35	132 केव्ही सब-स्टेशन मोहासा बाबई	12-02-2019 (24-04-2021) पूरा नहीं हुआ	7	1.50
कुल			95.79				5.36

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

हालाँकि ये कार्य अलग-अलग आवंटित किए गए थे, इन्हें एक साथ पूरा करने के लिए समन्वय किया जाना चाहिए था। हालाँकि, कंपनी ऐसा करने में विफल रही और परिणामस्वरूप, उपरोक्त पाँच कार्यों के लिए ₹ 95.79 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, परियोजना पाँच माह से लेकर 20 माह तक की अवधि के लिए अप्रयुक्त (दिसंबर 2022) रही। शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया (मई 2023) कि सभी पांच मामलों में, निष्पादन में देरी का कारण वन क्षेत्र में देरी से मंजूरी प्राप्त होना, विस्फोट की अनुमति नहीं देना, नदी की रेखा पार करना जहां एक विशेष प्रकार की नींव पर टावर खड़े किए गए आदि, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर था। इसके अलावा, प्रबंधन इस बात पर सहमत हुआ कि प्रभावी निगरानी के माध्यम से देरी को कम किया जा सकता है और भविष्य में ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया।

ब) फीडर बे के बिना लाइन का पूर्ण होना और इसके विपरीत

220 केव्ही और 132 केव्ही सब-स्टेशनों, संबंधित फीडर बे और पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए कंपनी ने मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, चेन्नई को ₹ 13.70 करोड़ की राशि के पांच उप-कार्यों सहित कुल 22 उप-कार्यों के लिए कुल ₹ 186.46 करोड़ का वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ ठेका दिया (जुलाई 2017)। प्रभावी दिनांक यानी 24 जुलाई 2017 से 27 माह मानते हुए कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि 23 अक्टूबर 2019 थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि यह एक समग्र कार्य अनुबंध था, कंपनी कार्य परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए उप-कार्यों में समन्वय सुनिश्चित नहीं कर सकी। यह पाया गया कि पांच उप-कार्यों में ₹ 13.70 करोड़ मूल्य के फीडर बे और लाइनें पूरी हो चुकी थीं, लेकिन पूर्ण किए गए फीडर बे और लाइनों से संबंधित उप-कार्य अभी भी पूर्ण नहीं थे जैसा कि नीचे दी गई तालिका 5.7 में बताया गया है:

तालिका 5.7: फीडर बे और लाइनों के पूर्ण और अपूर्ण उप-कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पूर्ण किये गये कार्य का नाम	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	कार्य का नाम	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	निष्क्रिय रहने की अवधि (माह में)	ब्याज की हानि (₹ करोड़ में)
1.	132 केव्ही पानसेमल सब-स्टेशन पर दो 132 केव्ही फीडर बे	29-10-2018	1.99	सेंधवा 220 केव्ही एस/एस से पानसेमल 132 केव्ही एस/एस तक 132 केव्ही डीसीडीएस लाइन	07-07-2021	33	0.44
2.	धार 220 केव्ही सब-स्टेशन पर दो 220 केव्ही फीडर बे	06-07-2019	3.74	कानवन से 220 केव्ही डीसीडीएस 220 केव्ही एस/एस से धार 220 केव्ही एस/एस	07-09-2020	14	0.35
3.	132 केव्ही झाबुआ-मेघनगर 132 केव्ही डीसीडीएस लाइन का दूसरा सर्किट स्ट्रिंगिंग	25-03-2018	4.48	मौजूदा 132 केव्ही सब-स्टेशन झाबुआ पर एक 132 केव्ही फीडर बे और 132 केव्ही सब-	06-01-2019	10	0.29

				स्टेशन मेघनगर पर एक 132 केव्ही फीडर बे			
4.	मौजूदा सब-स्टेशन राजगढ़ (डी) 220 पर एक 132 केव्ही फीडर बे और मौजूदा 132 केव्ही सब-स्टेशन झाबुआ पर एक 132 केव्ही फीडर बे	19-12-2018	1.89	132 केव्ही राजगढ़ (डी) 220 - झाबुआ 132 केव्ही डीसीडीएस लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंगिंग	20-11-2019	11	0.14
5.	मौजूदा सब-स्टेशन राजगढ़ (डी) 220 पर एक 132 केव्ही फीडर बे का निर्माण और मौजूदा 132 केव्ही सब-स्टेशन पेटलावद पर एक 132 केव्ही फीडर बे	15-12-2018	1.60	132 केव्ही राजगढ़ (डी) 220 - पेटलावद 132 केव्ही डबल सर्किट सिंगल स्ट्रिंग लाइन का दूसरा सर्किट स्ट्रिंगिंग	पूरा नहीं हुआ	49 ²⁴	0.53
कुल			13.70				1.75

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 13.70 करोड़ मूल्य की उपरोक्त पांच परियोजनाओं के पूर्ण कार्य 10 माह से लेकर 49 माह तक की अवधि के लिए अप्रयुक्त पड़े थे। हालाँकि उपरोक्त कार्य एक ही अनुबंध के तहत निष्पादित किए गए थे, कंपनी इन उप-कार्यों को एक साथ पूरा करना सुनिश्चित नहीं कर सकी। उपरोक्त पूर्ण कार्यों का उपयोग न हो पाने के कारण ₹ 13.70 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध रही जिसके कारण ₹ 1.75 करोड़ के ब्याज की राशि का परिहार्य भुगतान भी करना पड़ा।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया (मई 2023) कि इन मामलों में निष्पादन में देरी का कारण गंभीर आरओडब्ल्यू समस्याएं, एनओसी प्राप्त करना, प्रमाणित बीज फसल का अस्तित्व, लाइन कार्य का डी-स्क्रोपिंग आदि थे। निर्गम बैठक (मई 2023) में प्रबंधन इस बात पर सहमत हुआ कि प्रभावी निगरानी के माध्यम से देरी को कम किया जा सकता है और भविष्य में ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया।

5.11.3 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

पारेषण कार्यों को निष्पादित करने के लिए कंपनी ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक टर्नकी आधार पर 21 कार्य आदेश जारी किए। ठेकेदारों ने इन कार्यों के लिए निविदाओं के समय पांच अनुसूचियों²⁵ के तहत मद-वार दरें प्रस्तुत कीं और सबसे कम कुल लागत, फ्रेट ऑन रोड (फॉर) गंतव्य के साथ निविदाओं वाले को कार्य प्रदान किए गए। ये कार्य जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद दिए गए। चूंकि जीएसटी में उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री दर, प्रवेश कर आदि सहित कई कर शामिल हो गए, इसलिए कंपनी ने इन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए इन टर्नकी अनुबंधों की दरों में संशोधन किया।

लेखापरीक्षा ने इन ठेकों की दरों में संशोधन की समीक्षा की और पाया कि निविदा के समय, सिविल निर्माण कार्यों की दरें 01 अगस्त 2014 से प्रभावी मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के एसओआर के आधार पर प्रस्तुत की जानी थीं। एसओआर में दी गई दरों में सभी शुल्क, चुंगी, कर, रॉयल्टी, बीमा आदि शामिल थे। इसके अलावा, राज्य शासन ने 01 अगस्त 2014 से भवन निर्माण कार्यों के लिए एसओआर में एक संशोधन (24 अगस्त 2017) जारी किया। संशोधन के अनुसार, एसओआर दरों को 10 प्रतिशत तक कम करने और फिर भुगतान करने के लिए जीएसटी जोड़ने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, कंपनी ने आदेशों को संशोधित करते समय एसओआर दरों में 10 प्रतिशत की

²⁴ दिसंबर 2022 तक।

²⁵ पांच अनुसूचियों के तहत मद-वार दरें प्रस्तुत की गईं (i) सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए सामग्री की आपूर्ति, (ii) ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए सामग्री की आपूर्ति, (iii) सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए निर्माण शुल्क (iv) ईएचटी लाइनों के निर्माण के लिए निर्माण शुल्क और (v) सिविल निर्माण कार्य।

कमी नहीं की और इसके बजाय ठेकेदारों द्वारा इनपुट टैक्स छूट के रूप में दी गई दरों को 1.75 प्रतिशत से 5.00 प्रतिशत के बीच कम कर दिया। इसके परिणामस्वरूप छह मामलों में ठेकेदारों को ₹ 7.68 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

शासन ने कहा (मई 2023) कि दरें लोक निर्माण विभाग के 24 अगस्त 2017 के परिपत्र के अनुरूप थीं, जिस पर सिविल कार्यों की अनुमानित लागत निकालते समय विचार किया गया था।

उत्तर गलत है क्योंकि कंपनी ने दिनांक 24 अगस्त 2017 के परिपत्र का उल्लंघन करते हुए परिपत्र में निर्देशित जीएसटी जोड़ने से पहले एसओआर दरों में दस प्रतिशत की कमी नहीं की थी, और इस प्रकार, कंपनी ने दरें ऊंची तय कर दीं।

5.12 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया कि:

- परियोजना योजना एवं प्रबंधन नियमावली के अभाव में परियोजनाओं की परिकल्पना ठीक से नहीं की जा रही थी। परियोजनाओं की योजना अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप एक ओर कमीशनिंग के तीन वर्ष के अंदर ही सब-स्टेशन ओवरलोड हो गए और दूसरी ओर अन्य सबस्टेशनों में निष्क्रिय क्षमता का निर्माण हुआ। कंपनी को सीबीआईपी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन करना चाहिए।
- कंपनी ने परियोजना निष्पादन के साथ समन्वय में क्रय की योजना बनाने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया। इसे ऊर्जा मंत्रालय की सिफारिशों का पालन करना चाहिए था।
- कंपनी निर्धारित समयावधि के अंदर अधिकांश परियोजनाओं को निष्पादित करने में विफल रही। इसमें परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए ताकि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी की ₹ 109.49 करोड़ की राशि भी अवरुद्ध रही तथा ₹ 7.11 करोड़ की परिहार्य ब्याज लागत भी रही। कंपनी के पास परियोजनाओं की निगरानी के लिए किसी औपचारिक समीक्षा तंत्र का भी अभाव था जो संभावित बाधाओं की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद कर सके।

5.13 अनुशंसायें

- कंपनी के पास एक परियोजना योजना और प्रबंधन नियमावली होना चाहिए। इसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारेषण परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। कंपनी को पारेषण योजना मानदंड पर नियमावली के साथ-साथ सीबीआईपी के पारेषण लाइन नियमावली का भी पालन करना चाहिए।
- कंपनी के पास परियोजनाओं के निष्पादन के अनुरूप एक क्रय योजना होनी चाहिए। इसे दुर्लभ संसाधनों का आर्थिक रूप से और कुशल तरीके से उपयोग करके अनुबंधों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- कंपनी के दिशानिर्देश (2005) ट्रांसफार्मरों को चालू करने के लिए एक समय-सीमा प्रदान करता है, जो बहुत पुराना है। कंपनी को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए एक प्रभावी

समयरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसे परियोजना योजना और प्रबंधन नियमावली में शामिल किया जा सकता हो।

- कंपनी को परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी समानांतर गतिविधियाँ शुरू करनी चाहिए। और पारेषण परियोजनाओं के तीन घटकों अर्थात् सब-स्टेशन, सब-स्टेशन की फीडर लाइनों और बहिर्गामी लाइनों के कार्यान्वयन को अन्य पारेषण/ वितरण सब-स्टेशनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।
- कंपनी को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए जीएसटी कार्यान्वयन के दौरान सही पद्धति अपनानी चाहिए।

भोपाल
दिनांक : 07 अगस्त 2024



(प्रिया पारिख)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा द्वितीय)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 08 अगस्त 2024



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.3 में संबंधित)

विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की क्लस्टर-वार सूची दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	टिप्पणियाँ
1	पर्यावरण	वन	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	
2		पर्यावरण	मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड	स्वायत्त निकाय
3	साइन्स & टेक्नोलॉजी एंड आईटी & कम्युनिकेशन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	
4			भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	
5			जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड	
6			भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसीओसी
7			बी-नेस्ट फ़ाउंडेशन	जीसीओसी
8		जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसीओसी	
9		सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	जीसीओसी	
10		एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड		
11		बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	अप्राप्त प्रथम लेखा	
12		रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड	अप्राप्त प्रथम लेखा	
13		इंदौर आइडिया फ़ैक्ट्री फ़ाउंडेशन	जीसीओसी	
14	अर्बन डेवलपमेंट	नगरीय विकास एवं आवास	सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	अप्राप्त प्रथम लेखा
15			ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	जीसीओसी
16			इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	जीसीओसी
17			उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	जीसीओसी
18			सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	जीसीओसी
19			एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्राप्त प्रथम लेखा
20			मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी	स्वायत्त निकाय
21			मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड	स्वायत्त निकाय

स.क्र.	क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	टिप्पणियाँ
22	कल्चर & टूरिज्म	पर्यटन	एमपी टूरिज्म बोर्ड	
23			एमपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
24	ट्रांसपोर्ट & सिविल एविएशन	नागरिक विमानन परिवहन	एमपी हॉटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
25			सिंगरौली एयरपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्राप्त प्रथम लेखा
26			मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	सांविधिक निगम निष्क्रिय
27			मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
28	खनिज संसाधन		एमपी एएमआरएल (सेमीरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय
29			एमपी एएमआरएल (मोर्गा) कोल कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय
30			एमपी एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय
31			एमपी एएमआरएल (मार्की बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय
32			एमपी मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय
33			एमपी और महाराष्ट्र मिनरल्स एंड केमिकल लिमिटेड	निष्क्रिय
34			एमपी सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	निष्क्रिय
35			एमपी जेपी कोल लिमिटेड	निष्क्रिय
36			एमपी जेपी कोलफिल्ड्स लिमिटेड	निष्क्रिय
37			एमपी जेपी मिनरल्स लिमिटेड	निष्क्रिय
38	इंडस्ट्री & कॉमर्स		मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
39			मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
40			डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	
41			डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	
42			मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	
43			मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	
44			पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	
45			मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	
46			संत रविदास मग्न हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	
47			मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	स्वायत्त निकाय

स.क्र.	क्लस्टर	विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	टिप्पणियाँ
48	फाइनेंस	वित्त विभाग	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड	
49			मध्य प्रदेश वेंचर ट्रस्टी फाइनेंस लिमिटेड	
50			प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	
51			मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन	वैधानिक निगम
52	एनर्जी & पावर	ऊर्जा	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	
53			मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	
54			मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	
55			मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	
56			मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	
57			मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	
58			श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	
59			शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	
60			बाणसागर थर्मल पावर लिमिटेड	
61			मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन	स्वायत्त निकाय
62		नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	
63	पब्लिक वर्क्स	लोक निर्माण विभाग	मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
64		लोक स्वास्थ्य विभाग	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	
65		परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	मध्य प्रदेश स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	

(जीसीओसी का अर्थ है सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी)

नोट: वर्ष 2022-23 के दौरान, 14 सरकारी कंपनियों (क्रम संख्या 6 से 19 पर), दो स्वायत्त निकायों (क्रम संख्या 20 और 21 पर) को महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) ग्वालियर के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और तीन सरकारी कंपनियों अर्थात् एमपी स्टेट सिविल सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपी स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड और एक सांविधिक निगम अर्थात् एमपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को इस कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

परिशिष्ट 1.2
(कंडिका 1.4.1 में संदर्भित)

बकाया निरीक्षण रिपोर्टों और कंडिकाओं का पीएसयूवार और विभागवार ब्यौरा

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	31 मार्च 2022 तक लंबित आईआर/कंडिका की संख्या	
		आईआर	कंडिका
1	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	10	105
	वन	10	105
2	मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड	39	146
	पर्यावरण	39	146
3	मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	6	31
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	6	31
4	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	34
5	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	11
6	एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2	29
7	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	3	51
8	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	4	65
9	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	3	28
10	एमपी मेट्रो रेल लिमिटेड	1	2
	नगरीय विकास एवं आवास	17	220
11	एमपी टूरिज्म बोर्ड	2	24
12	एमपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	42
13	एमपी होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	9
	पर्यटन	10	75
14	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	43
15	एमपी एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2	2
16	एमपी एएमआरएल (मोर्गा) कोल कंपनी लिमिटेड	2	2
17	एमपी एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2	4
18	एमपी एएमआरएल (मार्की बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2	2
19	एमपी सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	1	1
20	एमपी जेपी कोल लिमिटेड	3	4

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	31 मार्च 2022 तक लंबित आईआर/कॉडिका की संख्या	
		आईआर	कॉडिका
21	एमपी जेपी कोलफील्ड्स लिमिटेड	3	4
22	एमपी जेपी मिनरल्स लिमिटेड	3	6
	खनिज संसाधन	24	68
23	मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	8
24	मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	34	193
25	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	1	2
26	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	3	25
27	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2	4
	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	44	232
28	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	6	37
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	6	37
29	संत रविदास मग्न हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	3	14
30	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	3	11
	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	6	25
31	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड	1	3
32	मध्य प्रदेश वेंचर ट्रस्टी फाइनेंस लिमिटेड	1	3
33	प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	3	40
34	मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन	7	68
	वित्त विभाग	12	114
35	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर	60	337
36	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	53	342
37	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	38	243
38	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	28	95
39	मध्य प्रदेश पावर जनेरेटिंग कंपनी लिमिटेड	36	188
40	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6	42
41	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	1	1
42	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	1	1
43	बाणसागर थर्मल पावर लिमिटेड	1	2
44	मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन	1	2
	ऊर्जा	225	1253

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	31 मार्च 2022 तक लंबित आईआर/कंडिका की संख्या	
		आईआर	कंडिका
45	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	1	8
	नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा	1	8
46	मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	120
	लोक निर्माण विभाग	6	120
47	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	3	68
	लोक स्वास्थ्य विभाग	3	68
	महायोग	409	2502

नोट: वर्ष 2022-23 के दौरान, सात सरकारी कंपनियों (क्रम संख्या 4 से 10 पर) को महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) म्वालय के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.1 में संबंधित)

एडीबी योजनाओं के तहत निष्पादित परियोजनाओं का विवरण (मार्च 2022)

योजना	एडीबी-V	एडीबी-VI [@]	
मोड	नियमित अनुबंध (बीओक्यू आधारित)	हाइब्रिड एन्ट्री मॉडल	
कुल	पैकेज	26	36
	सड़कें/किमी लंबाई	57/1467.37 किमी	57/1709.88 किमी
पूरा कर लिया है	अनुबंध लागत	₹ 3178 करोड़	₹ 4502.87 करोड़
	पैकेज	25	4
समाप्त	सड़कें	52/1367	02/ 203.10 किमी
	अनुबंध लागत	₹ 2753 करोड़	₹ 379.60 करोड़
समाप्त	पैकेज	2	0
	सड़कें	8/181 किमी	0
चल रहा है	अनुबंध लागत	₹ 375 करोड़	0
	पैकेज	1	30
टेंडर फाइनल नहीं हुआ	सड़कें	5/102 किमी	47/1387.69 किमी
	अनुबंध लागत	₹ 162 करोड़	₹ 3726.83 करोड़
टेंडर फाइनल नहीं हुआ	पैकेज	0	02
	सड़कें	0	03/ 119.19 किमी
	अनुबंध लागत	0	₹ 302.14 करोड़

(@ नवंबर 2022 तक)

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.4 में संबंधित)

चयनित पैकेजों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण (एडीबी -V)

एडीबी V							
क्र. सं.	पैकेज क्रमांक	सड़कों की संख्या	सड़कें	लंबाई (किमी)	अनुबंध लागत (₹ करोड़ में)	संभाग	स्थिति
1	1	1	खटकिया से सुठालिया तक; राष्ट्रीय राजमार्ग -3, कुंभराज, बड़ौद, मृगावास, बटावदा, चांचौड़ा, बीनागंज, तेलीगांव रोड होते हुए	70.80	145.36	ग्वालियर	पूरा हुआ
2	3	4	मृंगावली-मलाहराढ़ रोड पिपरोड-थूबोन रोड बेलई-करीला माता मंदिर रोड भौरासा-मल्हाराढ़ रोड	62.31	113.06	ग्वालियर/ भोपाल	पूरा हुआ
3	4	1	सांवेर, चंद्रावतीगंज, गौतमपुरा रोड	33.94	96.20	इंदौर	पूरा हुआ
4	5	1	बिजवार काटाफोड़ सतवास खातेगांव रोड	55.17	103.86	उज्जैन	पूरा हुआ
5	7	3	महाराजपुर सहजपुर रोड समनापुर-बिलेहरा-नन्ही-देवरी-नारायणपुर रोड केसली साहपुर रोड	84.91	145.11	सागर	पूरा हुआ
6	8	4	बड़ोदिया धामोनी रोड नौनिया मदनपुरा रोड खुरई रजवास रोड गारपहेड़ा धामोनी रोड	88.96	146.49	सागर	चल रहा है ¹
7	10	5	राजनगर बछोन रोड खपरिया बांसपहाड़ी रोड छतरपुर-विक्रमपुर-राजनगर रोड बमीठा से डुमरा	102.17	162.30	सागर	पूरा हुआ

¹ गारपहेड़ा धामोनी सड़क का घाट वाला भाग पूरा नहीं हुआ है।

8	11	3	बैरथा चौकी लुगासी गढ़ी मलहरा रोड बरघाट कान्हीवाड़ा रोड धरना आता डोडीवाड़ा धर्मकुआ वारासिवनी कटंगी रोड	78.62	126.00	खिदवाड़ा	पूरा हुआ
9	12	4	रामपायली-गर्ग चौकी रोड खैरलाजी-अगासी रोड लालबर्ग-समनापुर रोड सीतापत्थर-महकेपार-गोरेघाट रोड चांद-बिछुआ-खमारपानी रोड चौरई-पांजरा-चांद रोड रेमंड चौक- साईं खेड़ा	87.96	173.66	खिदवाड़ा	पूरा हुआ
10	14	3	बहेरगडाबर-पिपराही-जड़कुड़ रोड परसौना-माडा रोड माडा रामगढ रोड	88.22	124.95	खिदवाड़ा	पूरा हुआ
11	15बी	1	झुराई-सराय रोड	19.70	47.29	रीवा	पूरा हुआ
12	18ए	2	गोविंदगढ़ टीकर लक्ष्मणपुर रोड जिगना न्यू रामनगर से गोरसरी रोड ब्यौहारी मानपुर रोड	32.49	63.32	सीधी	पूरा हुआ
13	18बी	1	जमना-बिलाव रोड	31.44	50.28	सीधी	पूरा हुआ
14	21	3		58.74	120.35	रीवा/ शहडोल	पूरा हुआ
(एडीबी-VI)							
15	3	1	जोबट-नानपुर रोड	21.87	66.60	धार	चल रहा है
16	4	1	अलीराजपुर-मठवाड रोड	56.24	186.00	धार	चल रहा है
17	19	1	महाराष्ट्र सीमा-कुकरू-खामला-भैसदेही पोरसा-मेहागांव-मऊ-सेंवड़ा रोड	30.16	89.50	नर्मदापुरम	चल रहा है
18	26	2	जमना-बिलाव रोड	94.83	267.87	चंबल	चल रहा है

2 पैकेज-3 और 4 को अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करके वाणिज्यिक संचालन के लिए खोल दिया गया था।

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.5.6 में संदर्भित)

एडीबी V को प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करने में देरी

क्र.सं.	निकासी आवेदन संख्या	दावे की तिथि	के दौरान भुगतान किया गया		दावा राशि (₹)	दावे में विलम्ब (दिन)	ब्याज (₹ करोड़ में)
			से	तक			
1	2	3	4	5	6	7	$8=6*(3^3)*7/(365*100)$
1	01	20-07-2017	01-03-2017	15-05-2017	25,20,26,167	66	0.14
2	05	09-02-2018	01-11-2017	30-11-2017	20,05,47,156	71	0.12
3	06	09-02-2018	01-12-2017	31-12-2017	18,28,32,290	40	0.06
4	08	11-07-2018	01-03-2018	31-03-2018	40,23,96,709	102	0.34
5	09	11-07-2018	01-04-2018	30-04-2018	68,93,04,974	72	0.41
6	10	14-08-2018	01-05-2018	31-05-2018	72,85,79,085	75	0.45
7	11	14-08-2018	01-06-2018	30-06-2018	65,51,53,855	45	0.24
8	12	24-09-2018	01-07-2018	31-07-2018	38,35,86,616	55	0.17
9	15	05-12-2018	01-10-2018	31-10-2018	55,30,78,729	35	0.16
10	22	02-07-2019	01-04-2019	30-04-2019	37,71,33,359	63	0.20
11	23	02-07-2019	01-05-2019	31-05-2019	45,99,19,156	32	0.12
12	25	24-09-2019	01-07-2019	27-07-2019	60,55,38,218	59	0.29
13	30	25-01-2020	01-12-2019	24-12-2019	31,85,40,542	32	0.08
14	34	03-06-2020	01-03-2020	31-03-2020	30,74,03,607	64	0.16
15	35	03-06-2020	01-04-2020	30-04-2020	45,40,95,837	34	0.13
16	40	02-11-2020	09-09-2020	30-09-2020	25,66,18,981	33	0.07
17	41	02-11-2020	09-09-2020	30-09-2020	1,15,17,788	33	0.003
कुल					6,83,82,73,069	32-102 दिन	3.14

नोट 1: ब्याज गणना के लिए सरल ब्याज गणना पद्धति अपनाया गया।

नोट 2: गणना के लिए ब्याज की न्यूनतम दर (सावधि जमा खाता) को लिया गया है।

³ न्यूनतम ब्याज दर ली गई है।

परिशिष्ट 2.4

(कांडिका 2.7.2 में संदर्भित)

पीक्यूसी से नीचे डीएलसी की अतिरिक्त मोटाई के निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत

सिविल कार्य पैकेज संख्या	सड़कों का नाम	किमी में लंबाई	पैकेज की लंबाई किमी में	डीएलसी (एमएम में)	डीएलसी की चौड़ाई मीटर में	गणना के अनुसार निष्पादित या वास्तव में निष्पादित डीएलसी की न्यूनतम मात्रा	बीओक्यू के अनुसार डीएलसी की दर	50 मिमी डीएलसी की अतिरिक्त मोटाई के निष्पादन में अतिरिक्त लागत	न्यूनतम मात्रा में डीएलसी लेने की पद्धति
1	2	3	4	5	6	$7 = ((3 * 1000) * 6 * (5/1000))$	8	$9 = (7 * 8) / 3$ for or $(7 * 8) / 6$	10
1	खटकिया से सुठालिया तक, राष्ट्रीय राजमार्ग-3, कुंभराज, बड़ौदा, मृगवास, बटावदा, चांचौड़ा, बीनागंज, तेलीगांव	11.525	70.79	150	6.5	11236.875	2400	0.90	गणना के अनुसार
3	पिपरोड-शूबोन रोड	7.74	62.31	150	6.5	7546.5	2250	0.57	गणना के अनुसार
4	सांवर-चंद्रावतीगंज-गौतमपुरा रोड	33.94	33.94	150	6.5	40657.265	2550	3.46	वास्तव में निष्पादित
5	बिजावर-कांटाफोड़-सतवास-खातेगांव रोड	55.17	55.17	150	6.5	57231.829	2300	4.39	वास्तव में निष्पादित
8	खुरई-रजवास रोड	31.82	88.96	120	6.5	24819.6	2250	0.93	गणना के अनुसार
कुल								10.25	

परिशिष्ट 2.5

(कडिका 2.9.9 में संदर्भ)

विलंब क्षतिपूर्ति न लगाए जाने का विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एडीबी चरण	पैकेज संख्या	अनुमत निर्धारित समय	ठेकेदार का नाम एवं अनुबंध मूल्य	समय का विस्तार (ईओटी) दिया गया जो अस्वीकार्य था				शास्ति उद्ग्रहणीय (₹ करोड़ में)	वसूली गई शास्ति	टिप्पणी
					ईओटी 1	ईओटी 2	ईओटी 3	ईओटी 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 1/20%*5*12 (अनुबंध राशि के 10% तक सीमित)	11	12
1	V	1	457	मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्रा. लिमिटेड और प्रकाश एस्फाल्टिंस एंड टोली हाईवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेवी) ₹ 145.36	176	112	604	76	5.23	0	ईओटी-2: पानी की पाइपलाइन को स्थान परिवर्तन/ शिफ्टिंग करने के लिए 72 दिना
2	V	4	457	मेसर्स दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. लिमिटेड ₹ 96.20	315	190	-	-	3.46	0	ईओटी-2: बेमौसम/असामान्य वर्षा के लिए 92 दिन और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण नहीं हुए शेष कार्य को पूरा करने के लिए 06 दिना चूकित काम किए गए ईओटी-2 (31.12.2020) से 26 दिन पहले (05.12.2020) पूरा हो गया था, इसलिए लगाया जाने वाला वास्तविक विलंब क्षतिपूर्ति 72 दिनों के लिए है।
3	V	8	609	मेसर्स के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रा.लि. ₹ 146.49 करोड़	156	380	-	-	14.65	0	ईओटी-1: विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए 45 दिना ईओटी-2: पुनर्निर्माण कार्य के लिए 305 दिना

क्र.सं.	एडीबी चरण	पैकेज संख्या	अनुमत निर्धारित समय	ठेकेदार का नाम एवं अनुबंध मूल्य	समय का विस्तार (ईओटी) दिया गया जो अस्वीकार्य था				शास्ति उद्ग्रहणीय (₹ करोड़ में)	वसूली गई शास्ति	टिप्पणी
					ईओटी 1	ईओटी 2	ईओटी 3	ईओटी 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 1/20%*5*12 (अनुबंध राशि के 10% तक सीमित)	11	12
4	V	18A	457	मैसर्स बारब्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड ₹ 63.32 करोड़	139	52	-	-	1.74	0	ईओटी-1: विद्युत पोल को शिफ्टिंग करने के लिए 19 दिन की ईओटी दी गई थी और वर्षा ऋतु के कारण 29 दिन की ईओटी दी गई थी। ईओटी-2: वर्षा ऋतु के कारण 7 दिन का समय दिया गया।
5	V	18B	457	मेसर्स श्रीजी इंफ्रास्पेस प्रा.लि.₹ 50.29	141	90	164	-	5.03	0	ईओटी-1: बेमौसम / असामान्य वर्षा के लिए 42 दिन, वन क्षेत्र में काम करने पर प्रतिबंध के लिए 10 दिन और विधान सभा चुनाव-2018 के कारण विद्युत उपयोगिता स्थानांतरण के लिए 64 दिन। ईओटी-2: बेमौसम/असामान्य वर्षा के लिए 36 दिन और वन क्षेत्र में कार्य प्रतिबंध के लिए 26 दिन। ईओटी-3: बेमौसम/असामान्य वर्षा के लिए 10 दिन।
कुल									30.11		

परिशिष्ट 2.6

(कंडिका 2.9.10.3 में संबंधित)

विलम्ब के कारण ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ

क्र.सं.	पैकेज क्र.	प्रथम माइलस्टोन		तीसरा/अंतिम माइलस्टोन		अनुबंध राशि करोड़ में	कुल शामिल विलंब	उद्ग्रहणीय लिक्विडेट डैमेज % में	लिक्विडेट डैमेज	कुल अधिक समय
		% में लक्ष्य	% में उपलब्धि	% में लक्ष्य	% में उपलब्धि					
1	10	30	2.3	100	24.48	213.55	588 दिन (14.12.2017 से 25.07.2019 अनुबंध की समाप्ति तक)	10	21.30	1254 दिन (25.04.19 to 30.09.22)
2	11	30	2.77	100	17.65	161.71	656 दिन (07.10.2017 से 25.07.2019)	10	16.17	1166 दिन (25.10.18 to 03.01.22)
कुल										37.47

परिशिष्ट 2.7

(कंडिका 2.9.14 में संदर्भित)

ठेकेदार को बढ़ा हुआ भुगतान

(₹ करोड़ में)

पैकेज संख्या/आईपीसी	क्रमांक संख्या	मद संख्या	नकारात्मक मात्रा	नकारात्मक भुगतान
4/31 (प्री-फाइनल)	1	3.03(i)	12379.132 cum	0.31
	2	3.03(ii)	409.517 cum	0.01
	3	6.05(ii)	17.004 cum	0.01
	4	6.08	1249.415 cum	0.05
	5	6.19(ए)	222.956 cum	0.04
	6	एन बी -2	40.2 cum	0.03
	7	बिल सं. 9 ए (30)	995 Mtr.	0.01
	कुल (ए)			
5/32(प्री-फाइनल)	1	3.03(i)	154758.02 cum	1.70
	2	6.03 बी (i)	8195.613 cum	3.45
	3	6.05 डी (ii)	247.13 cum	0.15
	4	6.06	387.177 MT	1.94
	कुल (बी)			
7/17	1	3.01	225581.9 cum	1.13
	2	6.04 (i)	264.31 cum	0.14
	3	7.07(सी)	1056 each	0.11
	4	7.12(बी)	21 nos.	0.01
	5	8.07(i)	1810 sqm	0.15
			कुल	1.54
			रिबेट @10.31%	0.16
	कुल (सी)			
8/8,14,18,19	1	5.10 (ii)	13.031 MT	0.07
	2	2.04 (बी)	9,662.39 cum	0.48
	3	3.02	6,580.97 cum	0.03
	4	6.05 (i)	26.13 cum	0.01
	5	3.01 (i)	3,587.84 cum	0.02
	6	7.07 (सी)	885 nos.	0.09
			कुल	0.70
			रिबेट @10.31%	0.07
कुल (डी)				0.63
10 ए/21	1	4.01 (i)	1840.996 cum	0.17
	2	6.05 (i)	184.418 cum	0.10
	3	6.08	2394.735 cum	0.18
	4	6.09	130.319 cum	0.01
	5	14.8 (गैर-बीओक्यू)	97.6 RM	0.02
	6	5.6(ए) (गैर-बीओक्यू)	16.79 cum	0.01
	कुल (ई)			
28 मद	महायोग= (ए + बी + सी + डी + ई)			10.20

परिशिष्ट 2.8

(कंडिका 2.10.1 में संदर्भित)

निर्धारित अवधि से परे कंसल्टेंसी सेवाओं की तैनाती के कारण राजकोष पर अतिरिक्त देनदारी दर्शाने वाला विवरण

पैकेज सं.	कंसल्टेंट का नाम	सिविल पैकेज की संख्या.	सेवा प्रारंभ होने की तिथि	कंसल्टेंसी सेवा ⁴ की अवधि (माह में)	सेवा का विस्तार तक किया गया	सेवा की विस्तारित अवधि (माह में)	कोविड के कारण मंत्र शासन द्वारा छूट (माह)	(₹ करोड़ में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(9)	(10)	
1	मेसर्स यूआरएम स्कॉट विल्सन इंडिया प्रा. लिमिटेड, भारत	5	15.03.2017	23	14.02.2019	30.12.2021	4	12.26	
2	मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल, इंक., यूएसए	9 ⁶	27.03.2017	26	26.05.2019	31.10.2022	4	11.33	
3	मेसर्स इंटरकॉन्टिनेंटल कंसल्टेंट्स एवं टेक. प्रा. लिमिटेड, भारत	14 ⁷	20.02.2017	26	19.04.2019	30.09.2022	4	16.09	
कुल							34 से 41 माह	4	39.68

⁴ दोष अधिसूचना अवधि के 12 महीने को छोड़कर।

⁵ दोष अधिसूचना अवधि के 12 महीने को छोड़कर।

⁶ दो पैकेज (पैकेज-9 और पैकेज-13) को निष्पादन के लिए नहीं लिया गया था, दो पैकेज (पैकेज-10 और पैकेज-11) को समाप्त कर दिया गया था और पैकेज-10ए और पैकेज-11ए के रूप में फिर से निविदा दी गई थी।

⁷ नवंबर 2017 में चार पैकेज (पैकेज-21, पैकेज-22ए, पैकेज-22बी और पैकेज-23) जोड़े गए।

परिशिष्ट 2.9

(कंडिका 2.10.1 में संदर्भित)

टीओसी जारी होने की तारीख के बाद नियुक्ति की अवधि के लिए कंसल्टेंट को अतिरिक्त भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एसक्यूसी का नाम	पैकेज सं	सिविल अनुबंधों के समापन की वास्तविक तिथि	सिविल अनुबंधों के समापन की वास्तविक तिथि के बाद कंसल्टेंट को भुगतान
1	मेसर्स यूआरएस स्कॉट विल्सन इंडिया प्रा. लिमिटेड, इंडिया	1	15-05-2021	0.29
2		2	24-08-2019	0.37
3		3	31-01-2021	0.69
4		4	05-12-2020	0.78
5		5	21-06-2019	0.62
कुल भुगतान (ए)				2.75
6	मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल, इंक., यूएसए	6	30-06-2021	0.79
7		7	12-06-2019	0.24
8		8	16-06-2020	0.95
9		10	25-07-2019 (अनुबंध समाप्त)	1.24
10		11	25-07-2019 (अनुबंध समाप्त)	0.20
11		10 ए	02-08-2022	0
12		11 ए	03-01-2022	0.19
13		12	31-10-2019	0.30
14		14	29-01-2020	0.30
कुल भुगतान (बी)				
15	मेसर्स इंटरकॉन्टिनेंटल कंसल्टेंट्स एंड टेक्नोक्रेट्स प्रा. लिमिटेड, इंडिया	15 ए 1	20-12-2021	0.09
16		15 ए 2	03-03-2021	0.03
17		15 बी	03-06-2019	0.41
18		16 ए	31-12-2021	0.24
19		16 बी	30-01-2021	0.13
20		17	05-06-2020	0.03
21		18 ए	07-02-2020	0.82
22		18 बी	28-08-2020	0.15
23		19	30-06-2019	0.14
24		20	06-07-2019	0.16
25		21	24-12-2020	0.14
26		22 ए	20-12-2021	0.24
27		22 बी	20-12-2021	0.24
28	23	04-04-2020	0.25	
कुल भुगतान (सी)				3.07
कुल योग भुगतान (ए + बी + सी)				10.03

परिशिष्ट 2.10

(कंडिका 2.10.3 में संदर्भित)

स्वतंत्र यंत्र की तैनाती में देरी के कारण नहीं हुए काम का भुगतान

क्र. सं.	पैकेज संख्या (एडीबी VI)	आईई का नाम (नियुक्ति की तिथि)	आईई ⁸ को देय दर (किए गए कार्य का प्रतिशत)	आईई की नियुक्ति होने तक किया गया कार्य (अभी तक) (₹ करोड़ में)	समय पर आईई तैनात होने की स्थिति में आईई को देय राशि (₹)	आईई के प्रति व्यय के विरुद्ध रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाने वाला हिस्सा (50 प्रतिशत) (₹)	कुल
1	2	3	4	5	6 = (5*4)	7 (6/2)	8
1	3 एवं 4	मेसर्स ब्लूम कंपनीज एलएलसी प्राइवेट लिमिटेड (02.11.2021)	1.274%	1,32,64,31,736 ⁹ (02.11.2021)	1,68,98,740	84,49,370	0.84
2	19	मेसर्स ब्लूम कंपनीज एलएलसी प्राइवेट लिमिटेड (02.11.2021)	1.274%	46,46,73,986 (02.11.2021)	59,19,947	29,59,973	0.30
3	26	मेसर्स एल.एन.मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (24.02.2022)	1.993%	1,45,28,30,446 (24.02.2022 तक)	2,89,54,910	1,44,77,455	1.45
कुल							2.59

⁸ आईई को देय दर = आईई की बोली लागत/आवंटित कार्य की कुल राशि

⁹ पैकेज के तहत कार्य किया गया -3 = ₹ 346852800

पैकेज के तहत कार्य किया गया -4 = ₹ 979578936

कुल = ₹ 1326431736

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.6.2.4 में संबंधित)

विभिन्न प्रयोजनों के लिए सावधि ऋण के इकाईवार उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	संवितरण अवधि	खाता संख्या	अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई संवितरण की राशि	टिप्पणी
1	श्री राधे कृष्ण	जनवरी-17	5.20	4.20	फरवरी 2018 से मार्च 2021	02/9103	0.32	जून 2019 से मार्च 2020 के दौरान बकाया राशि के भुगतान में उपयोग की गई राशि
2	शिवम इंटरप्राइजेज	मार्च-19	1.00	1.00	अप्रैल-19	02/9135	1.00	अप्रैल 2019 में खाता क्रमांक 02/9114 के बकाया भुगतान में उपयोग की गई राशि
3	स्पार्सिन फार्मास्यूटिकल्स	मार्च-18	2.50	2.30	जुलाई 2018 से सितंबर 2019	02/9116	0.07	सितंबर 2019 में बकाया राशि के भुगतान में उपयोग की गई राशि
4	ज़ेबरा फ़ैशन लिमिटेड	जनवरी-18	6.50	6.50	दिसंबर 2018 से सितंबर 2020	15/2718	0.08	अक्टूबर 2019 में बकाया राशि के भुगतान में उपयोग की गई राशि
5	जल तरंग रिसेप्ट्स	जुलाई-18	4.00	2.80	अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 तक	02/9126	0.13	जुलाई, अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 में बकाया राशि के भुगतान में उपयोग की गई राशि
	कुल		19.20	16.80			1.60	

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.6.3.1 में संदर्भित)

विद्युत कनेक्शन शर्त के विरुद्ध इकाइयों को अधिक ऋण संवितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि	संवितरण की अवधि	विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना होगा	विद्युत कनेक्शन प्राप्त हुआ	ऋण वितरित किया जाना है	राशि वितरित	अत्यधिक संवितरण	शासन का उत्तर
1	श्रीराधेकृष्ण	जनवरी-17	5.20	फरवरी 2018 से मार्च 2021	340 KVA	5 KW	3.90	4.20	0.30	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि केवल ₹ 0.30 करोड़ का अतिरिक्त वितरण किया गया था और इकाई ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम मंजूरी की शर्तों का पालन करने में विफल रहा।
2	महिसमती प्लास्टिक	जुलाई-18	6.50	नवम्बर 2019 से मार्च 2021	400KVA	350 KVA	4.87	5.95	1.08	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इकाई चालू है और कनेक्टेड लोड पर्याप्त था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई ने मंजूरी पत्र की शर्तों का पालन नहीं किया है और उसे अंतिम लोड मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, निगम ने कोई नया लोड मूल्यांकन और उससे जुड़ा वास्तविक लोड भी प्रस्तुत नहीं किया है।
3	रौनक डूंस प्राइवेट लिमिटेड	मार्च-16 & सितंबर-20	4.80	सितंबर 2017 से फरवरी 2022	58 HP	5 KW	3.60	4.30	0.70	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि यूनिट ने जून 2018 में बिजली कनेक्शन प्राप्त कर लिया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यूनिट को जून 2018 में लोड की अंतिम मंजूरी मिल गई है। हालाँकि, वही कनेक्ट नहीं किया गया है और यूनिट को केवल 5 किलोवाट का बिजली कनेक्शन मिला है।
4	अंबिका बिगबैस	सितंबर 17	0.95	जुलाई 2020 से मार्च 2021	40 HP	20 HP	0.71	0.75	0.04	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इस मौजूदा स्तर पर बिजली पर्याप्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई ने मंजूरी में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया है। इसके अलावा, प्रॉप्टर भी परियोजना को लागू करने में विफल रहा।
5	देवव्रत अग्रवाल	सितंबर 17	7.00	मार्च 2018 से अगस्त 2019	150 KVA	कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया	5.25	6.60	1.35	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि जीपी मॉल, हरदा में बिजली पहले से ही जुड़ी हुई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई को मंजूरी पत्र में उल्लिखित 150 केबीए की आवश्यक बिजली का एक अलग कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि	संवितरण की अवधि	विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना होगा	विद्युत कनेक्शन प्राप्त हुआ	ऋण वितरित किया जाना है	राशि वितरित	अत्यधिक संवितरण	शासन का उत्तर
6	बालाजी सिंडिकेट	फरवरी-19	7.50	मार्च 2019 से जनवरी 2022	600 KVA	100 KVA	5.62	6.09	0.47	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इकाई चालू है और कनेक्टेड लोड पर्याप्त था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई ने मंजूरी पत्र की शर्तों का पालन नहीं किया है। इसके अलावा, निगम ने शासन के उत्तर के साथ कोई नया लोड मूल्यांकन भी प्रस्तुत नहीं किया है।
7	ऑयस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर	जुलाई-15, अप्रैल-19	10.75	जुलाई 2016 से अगस्त 2016	200 KVA	31 KW	8.06	10.75	2.69	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि उक्त इकाई एक विनिर्माण इकाई नहीं है और परियोजना बिजली के लिए आवास इकाई के लिए है, इसलिए प्रत्येक क्रेता द्वारा कनेक्शन अलग से लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुभाग पत्र शर्त संख्या 27(S), के अनुसार इकाई को 200 केवीए का आवश्यक बिजली कनेक्शन प्राप्त करना होगा।
8	बालाजी स्टैरॉयड और हार्मोन	जुलाई-17, दिसंबर-17, और अक्टूबर-18	13.35	मार्च 2018 से अप्रैल 2019	500 KVA	200 KVA	10.01	13.35	3.34	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इकाई चालू है और परियोजना के लिए बिजली का भार पर्याप्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई ने मंजूरी की शर्तों का पालन नहीं किया है और वर्तमान में इकाई का कनेक्टेड लोड केवल 100 केवीए है।
कुल							42.02	51.99	9.97	

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.6.3.2 में संबंधित)

सावधि ऋण की स्वीकृति की शर्त के अनुसार जुटाई गई शेयर पूंजी का इकाईवार विवरण नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	खाता संख्या	के दौरान सवितरित किया गया	मूलधन की डिफॉल्ट राशि	डिफॉल्ट ब्याज	कुल डिफॉल्ट	कुल 31 मार्च 2022 तक शेष	शेयर पूंजी जुटाई जाएगी	शेयर पूंजी बास्ताब में निवेशित	कम निवेश	ऋण स्वीकृत	ऋण वितरित	ऋण वितरित किया जाना है	शासन का उत्तर
1	श्री राधेकृष्ण	2/9103	फरवरी 2018 से मार्च 2021	1.08	1.49	2.57	5.69	1.70	1.19	0.51	5.20	4.20	3.64	लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उत्तर मौन था।
2	बालाजी स्टेरोयड और हार्मोन	2/9125	मार्च 2018 to अप्रैल 2019	0.44	1.12	1.56	3.47	0.60	0.07	0.53	2.35	2.35	0.27	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इकाई के अनुरोध पर, निगम ने केवल 0.07 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी स्वीकार की। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करने में विफल रही है।
3	एचएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2/9133	फरवरी 2019 से अगस्त 2019 तक	0	0.00	0.00	0.61	0.40	0.15	0.25	1.50	0.75	0.56	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इकाई ने ऋण चुका दिया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यद्यपि ऋण खाते का पूरा भुगतान कर दिया गया था, फिर भी निगम ने स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन किए बिना ऋण वितरित कर दिया।

क्र.सं.	इकाई का नाम	खाता संख्या	के दौरान सवितरित किया गया	मूलधन की डिफॉल्ट राशि	डिफॉल्ट ब्याज	कुल डिफॉल्ट	कुल 31 मार्च 2022 तक शेष	शेयर पूंजी जुटाई जाएगी	शेयर पूंजी वास्तव में निवेशित	कम निवेश	ऋण स्वीकृत	ऋण वितरित	ऋण वितरित किया जाना है	शासन का उत्तर
4	ऑथस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर	15/272 2	जुलाई 2016 से अगस्त 2016 तक	0	0.00	0.00	3.04	1.69	0.35	1.34	10.75	10.75	2.23	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि ऋण लगभग चुका दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम ने स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शेयर पूंजी प्राप्त नहीं की है।
	कुल			1.52	2.61	4.13	12.81	4.39	1.76	2.63	19.80	18.05	6.70	

परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.6.4.1 में संबंधित)

उन इकाइयों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण जिनकी परियोजनाएं कार्यान्वयन/विलंबित कार्यान्वयन के अधीन हैं

क्र. सं.	इकाई का नाम	मंजूरी की तारीख	मंजूरी की राशि	संवितरण की तिथि	संवितरित राशि	परियोजना मूल्यांकन के अनुसार समापन	वह दिनांक जब तक परियोजना क्रियान्वित की जानी थी	मार्च 2022 तक माह में विलंब	विलम्ब का कारण	शासन का उत्तर	(₹ करोड़ में)
1	श्री राधे कृष्ण	जनवरी-17	5.20	05/02/2018	0.55	प्रथम संवितरण की तिथि से एक वर्ष	फरवरी-19	37	फैक्ट्री भवन का निर्माण और संयंत्र मशीनरी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि कोविड 2019 और उपकरणों की आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना लागू नहीं की जा सकती। कानूनी नोटिस दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई निर्धारित समय के भीतर परियोजना को कार्यान्वित करने में विफल रही है।	
				10/05/2018	0.30						
				16/08/2018	0.20						
				29/08/2018	0.10						
				30/11/2018	0.75						
				13/06/2019	0.17						
				26/08/2019	0.35						
				06/09/2019	0.25						
				03/12/2019	0.40						
				07/03/2020	0.75						
12/03/2020	0.38										
	कुल				4.20						
2	जल तंग रिसेंट्स	जुलाई-18	4.00	30/10/2018	0.60	प्रथम संवितरण की तिथि से नौ माह		32	प्रमोटर परियोजना को लागू करने में विफल रहे और	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि परियोजना को कोविड 2019 और लागत वृद्धि के कारण लागू नहीं	
				08/02/2019	0.50						
				11/04/2019	0.25						

क्र. सं.	इकाई का नाम	मंजूरी की तारीख	मंजूरी की राशि	संवितरण की तिथि	संवितरित राशि	परियोजना मूल्यांकन के अनुसार समापन	वह दिनांक जब तक परियोजना क्रियान्वित की जानी थी	मार्च 2022 तक माह में विलंब	विलम्ब का कारण	शासन का उत्तर
3	महिषामती प्लास्टिक	जुलाई-18	6.50	04/07/2019	0.30	प्रथम संवितरण की तिथि से एक वर्ष	जुलाई-19	16	वे ऋण का भुगतान करने के लिए खरीदारों की तलाश कर रहे हैं।	किया जा सका उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई निर्धारित समय के भीतर परियोजना को कार्यान्वित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप बकाया जमा हो गया
				16/07/2019	0.20					
				05/10/2019	0.35					
				07/03/2020	0.60					
				कुल	2.80					
				26/10/2019	0.50					
				31/10/2019	0.25					
				20/03/2020	1.70					
				20/10/2020	1.50					
				15/01/2021	1.20					
18/01/2021	0.30									
22/01/2021	0.50									
कुल	5.95									
4		मार्च-16	4.00	14/09/2017	0.90	मंजूरी की तारीख से 18 महीने	सितम्बर 17	54	विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यकता के अनुसार संयंत्र की क्षमता में परिवर्तन और कार्यशील पूंजी की मंजूरी अभी बाकी है	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा कि (मई 2023) कि परियोजना अब (मई 2023) पूरी तरह से लागू हो गई है। तथ्य यह है कि परियोजना में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि जमा हो गई।
				01/01/2018	0.50					
				11/05/2018	0.50					
				02/08/2018	0.45					
				04/02/2019	0.24					
				04/02/2019	0.10					
				14/03/2019	0.55					
				23/09/2019	0.55					

क्र. सं.	इकाई का नाम	मंजूरी की तारीख	मंजूरी की राशि	सवितरण की तिथि	संवितरित राशि	परियोजना मूल्यांकन के अनुसार समापन	वह दिनांक जब तक परियोजना क्रियान्वित की जानी थी	मार्च 2022 तक माह में विलंब	विलम्ब का कारण	शासन का उत्तर
	रौनक ड्रस प्राइवेट लिमिटेड			08/10/2020	0.21					स्वीकृतियां देर से मिलने के कारण परियोजना में देरी हुई और अब यह पूरी तरह से लागू हो गई है। तथ्य यह है कि कार्यान्वयन में देरी के कारण बकाया राशि जमा हो गई।
			कुल	4.00						
		सितम्बर-20	0.80	28/02/2022	0.30					
		15 नवंबर	1.35	01/02/2016	0.67					
5	एंजेलिक कास्टिंग्स			12/01/2016	0.25	मंजूरी की तिथि से 6 माह	अप्रैल-17	59	बिजली कनेक्शन की अनुपलब्धता (दिसंबर 2022) के कारण परियोजना में देरी हुई।	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022), शासन ने कहा (मई 2023) कि इकाई ने पहले ही संचालन शुरू कर दिया है और पूरी तरह से कार्यान्वित हो चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई के संचालन के लिए इकाई के पास स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है।
			09/02/2016	0.07						
			11/02/2016	0.01						
			15/03/2016	0.11						
			22/04/2016	0.1						
			26/04/2016	0.05						
			31/03/2017	0.09						
			कुल	1.35						
		अगस्त-18	0.65	06/10/2018	0.15					
		अक्टूबर 19	0.25	07/11/2019	0.25					
6	होटल विजय पैलेस			कुल	0.4	मंजूरी की तिथि से 6 माह		47	परियोजना का विस्तार अभी तक पूरा नहीं	यह इंगित जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि परियोजना लगभग क्रियान्वित हो
			26/04/2019	0.15						
			0.50	01/05/2019	0.05					
				08/05/2019	0.05					

क्र. सं.	इकाई का नाम	मजूरी की तारीख	मजूरी की राशि	संवितरण की तिथि	संवितरित राशि	परियोजना मूल्यांकन के अनुसार समापन	वह दिनांक जब तक परियोजना क्रियान्वित की जानी थी	मार्च 2022 तक माह में विलंब	विलम्ब का कारण	शासन का उत्तर
		नवंबर-17		18/06/2019	0.15		मई-18		हआ है क्योंकि परिसंपत्ति निर्माण का काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। (सितंबर 2022)	यह है कि परियोजना अभी भी कार्यान्वयन के अधीन थी।
				कुल	0.4					
				29/07/2020	0.45		अप्रैल-21		मशीनों की खरीद के लिए प्रोफार्मा इनवॉइस के आधार पर ऋण जारी किया गया था। हालाँकि, मशीनें अभी तक स्थापित नहीं की गई हैं। कार्यशील पूंजी अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि प्रमोटर ने परियोजना को लागू करने की योजना छोड़ दी है और वसूली की कार्रवाई जारी है। हालाँकि, तथ्य यह है कि निगम ने बिना सत्यापन के धनराशि संवितरित की है।
				03/02/2021	0.3					
				कुल	0.75	प्रथम संवितरण की तिथि से 9 माह		12		
7	अंबिका बिाबैग्स	सितम्बर 17	0.95	कुल	0.75					
	कुल		24.20	महायोग	20.15					

परिशिष्ट 3.5

(कंडिका 3.6.4.2 में संबंधित)

सावधि ऋण की मंजूरी की शर्त के अनुसार उठाए गए असुरक्षित ऋणों का इकाईवार विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	खाता नंबर	मंजूरी का महीना	के दौरान वितरित किया गया	भविष्य में जुटाया जाने वाला असुरक्षित ऋण	वास्तव में जुटाया गया असुरक्षित	कम जुटाया गया	ऋण स्वीकृत	ऋण संवितरित किया गया	आनुपातिक रूप से ऋण संवितरित किया जाए	अधिक मात्रा में संवितरित ऋण
1	ज़ेबरा फ़ैशन्स लिमिटेड	15/2718	जनवरी -18	दिसंबर 2018 से सितंबर 2020	5.30	4.65	0.65	6.50	6.50	5.70	0.80
2	होटल विजय पैलेस	5/4179	नवंबर -17	अप्रैल 2019 से जून 2019	0.20	0.09	0.11	0.50	0.40	0.23	0.17
कुल										5.90	0.97

परिशिष्ट 3.6

(कंडिका 3.7.2 में संदर्भित)

परिसंपत्तियों का निपटान न होने/निपटान में देरी के कारण देय राशि की वसूली न होना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पार्टी का नाम	श्रेणी	ऋण खाता सं.	मुख्य डिफॉल्ट	ब्याज डिफॉल्ट	कुल डिफॉल्ट बकाया	मार्च 2022 तक बकाया	कब्जे की तिथि	शासन का उत्तर
1	कल्लू सेठ मसालेवाला	3बी	15/2677	0.31	0.13	0.44	0.58	दिसम्बर-19	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि ओटीएस स्वीकृत है। वसूली की स्थिति के बारे में उत्तर मौन था।
	कल्लू सेठ मसालेवाला	3बी	15/2699	0.21	0.17	0.38	0.41		
2	मीनेश इरिगेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड	3बी	10/8377	1.77	0.94	2.71	3.76	जनवरी-20	यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि यूनिट की बिजली के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा, उधारकर्ता ने ओटीएस से संपर्क किया और निगम ने ओटीएस के प्रस्ताव पर विचार किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई ने ओटीएस राशि का भुगतान नहीं किया है।
	मीनेश इरिगेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड-ii	3बी	10/8401	0.25	0.05	0.31	0.34		
	मीनेश इरिगेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड-सीएलसीएसएस	3बी	10/8398	0.15	0.00	0.15	0.15		
3	चैतन्य अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र	3सी	31/0005	1.13	0.68	1.81	1.87	मई-19	यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि ओटीएस 3 जुलाई 2018 को रद्द कर दिया गया था और प्रकाशन 01 अक्टूबर 2019 को किया गया था। हालाँकि, वसूली की स्थिति पर उत्तर मौन था।
4	महाराज बौडी बिल्डर	3बी	31/0002	0.08	0.04	0.12	0.12	मई-19	यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि कानूनी नोटिस मार्च 2023 में जारी किया गया था। वसूली की स्थिति पर उत्तर मौन था।
5	बाबाश्री बायो कोल	3बी	04/6486	0.52	0.26	0.78	0.78	दिसम्बर-19	यह इंगित जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि बिजली के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आरआरसी शीघ्र ही जारी की जाएगी।
	बाबाश्री बायो कोल (II)	3बी	04/6545	0.20	0.28	0.49	0.71		
6	द सेंसेशन होटल	3बी	21/0358	1.57	1.01	2.58	3.05	अक्टूबर 19	यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा कि (मई 2023) यूनिट की बिजली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम अगस्त 2019
	द सेंसेशन होटल	3बी	21/0395	0.35	0.56	0.91	1.51		

7	गुरूजी पैकर्स	3बी	02/9096	0.42	01-10-2018	0.07	01-09-2019	0.49	0.92	सितम्बर-19	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
8	ओम क्रॉप साइंस	3बी	02/8935	0.37	01-04-2018	0.08	01-03-2021	0.46	0.46	मार्च-19	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
9	रामजन ट्रेडर्स	3बी	02/9025	0.74	01-06-2018	0.13	01-08-2021	0.87	1.09	मार्च-20	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
10	ब्लू चिप इक्विपमेंट इंजी.	3बी	02/8960	0.67	01-01-2018	0.29	01-03-2020	0.97	0.97	मार्च-20	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि विज्ञापन जनवरी 2023 में प्रकाशित हुआ था। वसूली अभी भी लंबित है।
11	आर-9 क्लब प्राइवेट लिमिटेड	3बी	21/0307	0.56	01-10-2018	0.05	01-10-2021	0.61	0.61	मार्च-20	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने बताया (मई 2023) कि विज्ञापन दिसंबर 2022 में प्रकाशित हुआ था।
12	दिलीप कुमार जैन	3बी	02/9073	0.36	01-01-2019	0.19	01-02-2021	0.55	1.12	जनवरी-21	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इकाई ने ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है।
13	पूर्वी पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	2	02/9087	0.26	01-01-2021	0.03	31-03-2022	0.29	7.33	अक्टूबर-21	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि शेष राशि वसूल कर ली जायेगी।
14	सुसन ऑटो कॉम्य प्राइवेट. लिमिटेड	3बी	02/8963	1.02	01-10-2018	0.48	01-01-2020	1.50	1.50	अक्टूबर-21	यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने कहा (मई 2023) कि इकाई बेच दी गई है, और बिक्री मूल्य ₹ 1.13 करोड़ प्राप्त हुआ है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बहीखाता के अनुसार इकाई से ₹ 0.70 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी है।
15	जी एवं जी इरिगेशन टेक्नोलजी	3बी	02/9127	1.19	01-09-2019	1.53	31-03-2020	2.71	5.01	मार्च-22	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने जवाब दिया (मई 2023) कि विज्ञापन अप्रैल 2023 में प्रकाशित हुआ था। तथ्य यह है कि राशि अभी भी वसूल नहीं की गई है।
16	स्वनिष्ठ रबर एंड प्लास्ट इंडिया	3बी	02/9029	0.12	01-01-2021	0.07	01-11-2021	0.19	0.44	अप्रैल-22	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि हिसाब चुकता हो गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इकाई से ₹ 0.27 करोड़ की राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है।
								कुल	32.73		
								19.32	7.04		

परिशिष्ट 3.7

(कांडिका 3.7.3 में संदर्भित)

बंद गैर-परिचालन इकाइयों और कम क्षमता में काम करने वाली इकाइयों से वसूली न होना

क्र.सं.	पार्टी का नाम	श्रेणी	ऋण खाता संख्या	मुख्य डिफॉल्ट		ब्याज डिफॉल्ट		कुल डिफॉल्ट बकाया	मार्च 2022 तक बकाया	टिप्पणी	शासन का उत्तर
				राशि	तिथि	राशि	तिथि				
1	श्री कृष्ण पोलिमर्स	3बी	16/6391	0.19	01-12-2019	0.07	01-04-2021	0.26	0.48	यूनिट पिछले दो साल से बंद है	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि फरवरी 2023 में कानूनी नोटिस जारी किया गया और ओटीएस प्रस्ताव विचाराधीन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा।
2	आर. आर. बायो एनर्जी	3बी	05/4156	0.55	01-10-2018	0.01	31-03-2021	0.56	0.56	यह इकाई अगस्त 2016 से बंद है	लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर शासन का उत्तर मौन था।
3	सहारा कॉटन क्लॉथ वीवर सहारा कॉटन क्लॉथ वीवर (अतिरिक्त) सहारा कॉटन क्लॉथ वीवर (पूजी अनुदान)	3बी 3बी 3बी	33/006 33/0016 33/0027	0.77 0.40 0.04	01-05-2019 01-05-2019 01-02-2021	0.57 0.44 0.00	31-03-2020 31-03-2020 31-03-2020	1.34 0.84 0.04	1.54 1.20 0.04	सितंबर 2019 से चालू नहीं है	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि सितंबर 2021 और नवंबर 2022 में कानूनी नोटिस जारी किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम भारी बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा।
4	पाइअस इंडस्ट्रीज	3बी	05/4177	0.40	01-06-2019	0.33	31-03-2020	0.73	1.23	मार्च 2021 से चालू नहीं है	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि ओटीएस प्रस्ताव विचाराधीन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम भारी बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा।
5	सीमा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज सीमा प्लास्टिक	3बी 3बी	04/6508 04/6549	0.26 0.23	01-03-2019 01-05-2019	0.10 0.19	01-05-2020 31-03-2020	0.36 0.42	0.49 0.65	नवंबर 2021 से चालू नहीं है	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि कार्यशील पूंजी की कमी के कारण इकाई कम क्षमता में चल रही थी। उत्तर स्वीकार्य

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू)

क्र.सं.	पार्टी का नाम	श्रेणी	ऋण खाता संख्या	मुख्य डिफॉल्ट		ब्याज डिफॉल्ट		कुल डिफॉल्ट बकाया	मार्च 2022 तक बकाया	टिप्पणी	शासन का उत्तर
				राशि	तिथि	राशि	तिथि				
6	इंडस्ट्रीज (अतिरिक्त) देव काउ एंड मिलक फार्मस प्रा. लिमिटेड	3ए	08/3618	2.03	01-03-2019	0.72	01-03-2021	2.75	4.47	यह इकाई जून 2021 से बहुत कम क्षमता में काम कर रही है।	यह इंगित किये जाने पर (जून 2022) शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि कानूनी नोटिस फरवरी 2023 में जारी किया गया था और ओटीएस प्रस्ताव विचाराधीन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम भारी बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा।
7	बालाजी स्टैरॉयड और हार्मोन्स प्रा. लिमिटेड (ii) बालाजी स्टैरॉयड और हार्मोन्स प्रा. लिमिटेड बालाजी स्टैरॉयड और हार्मोन्स प्रा. लिमिटेड (ii)	3ए	02/9106	0.92	01-01-2020	1.83	31-03-2020	2.75	5.34	अक्टूबर 2021 में निगम द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान इकाई निष्क्रिय पाई गई।	यह इंगित किए जाने पर (जून 2022) शासन ने उत्तर दिया (मई 2023) कि प्रमोटों के साथ कानूनी मुद्दों के कारण इकाई शुरू नहीं की जा सकती। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निगम अक्टूबर 2021 से भारी बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा।
कुल								17.68	31.06		

परिशिष्ट-4.1

(कंडिका संख्या 4.6 में संबंधित)

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए एमपीपीजीसीएल के एटीपीएस, चर्चई, एमटीपीएस, सारनी और एसजीटीपीएस, बिरसिंहपुर का परिचालन निष्पादन

परिचालन मापदंड	संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, बिरसिंहपुर (पीएच-III)				सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, सारनी (पीएच-IV)				अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चर्चई (पीएच-III)			
	स्थापित क्षमता: 1x500 मेगावाट				स्थापित क्षमता: 2x250 मेगावाट				स्थापित क्षमता: 1x210 मेगावाट			
	सीओडी: 27.08.2008				सीओडी: 18.08.2013 और 16.03.2014				सीओडी: 09.09.2009			
	मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22
प्लांट अवैलेबिलिटी फैक्टर (प्रतिशत में)	85	79.33	94.28	63.14	85	86.35	93.48	92.26	85	94.08	89.88	86.99
प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत में)	85	76.37	87.97	60.27	85	64.36	85.04	78.76	85	91.7	88.34	81.97
ऑक्सीलिंग कंसम्पशन (प्रतिशत में)	5.75	6.34	5.65	6.44	8.5	9.01	8.63	8.58	9	9.25	9.11	9.61
स्पेसिफिक ऑइल कंसम्पशन (एमएल/किलोवाट में)	0.5	0.49	0.28	1.33	0.5	0.35	0.21	0.21	0.5	0.21	0.29	0.39
स्टेशन हीट रेट (केसीएल/किलोवाट में)	2390	2447	2409	2444	2400	2435	2400	2400	2450	2423	2411	2406

परिशिष्ट-4.2

(लेखापरीक्षा निष्कर्षों में संदर्भित)

2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए पावर हाउस वार उत्पादन लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन उपलब्धि

पावर हाउस का नाम वर्ष	एसजीटीपीएस			एसटीपीएस			एटीपीएस			महा योग					
	2019-20	2020-21	2021-22	कुल	2019-20	2020-21	2021-22	कुल	2019-20		2020-21	2021-22	कुल		
संस्थापित क्षमता	1 x 500 मेगावाट			कुल	2 x 250 मेगावाट			कुल	1 x 210 मेगावाट			कुल			
एमपीईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य	3788	3816	3722		11326	3748	3759		3707	11214	1668		1605	1638	4911
वास्तविक उत्पादन	3354	3853	2640		9847	2827	3725		3450	10002	1692		1625	1508	4825
(+) अधिकता/(-) कमी	-434	37	-1082	-1479	-921	-34	-257	-1212	24	20	-130	-86			
अधिकता/कमी का प्रतिशत	-11.46%	0.97%	-29.07%	-13.06%	-24.57%	-0.90%	-6.93%	-10.81%	1.44%	1.25%	-7.94%	-1.75%			

परिशिष्ट-4.3

(कंडिका संख्या 4.12.2 में संदर्भित)

अतिरिक्त स्टैक इमिशन

एसजीटीपीएस बिरसिंहपुर

क्र.सं	मापदंड	एमजी/एनएम ³ में मानक	वास्तविक मासिक औसत इमिशन एमजी/एनएम ³ में	डाटा उपलब्ध था (महीने)	उन महीनों की संख्या जब औसत मासिक इमिशन मानक से अधिक हो गया
1	सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂)	200	171.72-2022.95	34	33
2	आक्साइड ऑफ नाइट्रोजन (NO _x)	300/450	50.46-951.29	34	12
3	पार्टिकुलेट मैटर (PM)	50	22.37-84.00	34	7

एसटीपीएस, सारनी

क्र.सं	मापदंड	एमजी/एनएम ³ में मानक	इकाई क्र.	वास्तविक मासिक औसत इमिशन एमजी/एनएम ³ में	डाटा उपलब्ध था (महीने)	उन महीनों की संख्या जब औसत मासिक इमिशन मानक से अधिक हो गया
1	सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂)	600	10	1109-1975	34	34
			11	1139-1544	35	35
2	आक्साइड ऑफ नाइट्रोजन (NO _x)	300/450	10	221-508	34	22
			11	302-608	35	26
3	पार्टिकुलेट मैटर (PM)	50	10	34.62-50.00	34	0
			11	34.00-50.91	35	1

एटीपीएस चर्चई

क्र सं	मापदंड	एमजी/एनएम ³ में मानदंड	वास्तविक मासिक औसत इमिशन मिलीग्राम/ एनएम ³ में	ऑफ़लाइन डेटा उपलब्ध है (महीना)	उन महीनों की संख्या जब मासिक औसत इमिशन मानदंडों से अधिक हो गया
1	सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂)	600	582.97-1878.46	35	34
2	आक्साइड ऑफ नाइट्रोजन (NO _x)	300/450	234.45-815.6	35	29
3	पार्टिकुलेट मैटर (PM)	50	24-110.61	36	12

परिशिष्ट-5.1

(कंडिका संख्या 5.10.1 में संदर्भित)

निर्माण गतिविधियों को समन्वित किए बिना सामग्री के क्रय का विवरण

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रांसफार्मर की क्षमता	ट्रांसफार्मर लागत (₹ लाख में)	निधीयन एजेंसी	प्रषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहां आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में 30 दिनों की अवधि की अनुमति	देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹ लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में) निर्माण के लिए 180 दिनों की अवधि की अनुमति	देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹ लाख में)
1	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017	63 एमवीए	271.22	केएफडब्ल्यू	4602 दिनांक 19.07.18	220 केवी सब स्टेशन सैलाना	08-08-2018	12-03-2019	216.00	186.00	6.36	36	1.23
2	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017	63 एमवीए	271.22	केएफडब्ल्यू	4604 दिनांक 19.07.18	220 केवी सब स्टेशन सेंधवा	08-08-2018	09-04-2019	244.00	214.00	7.31	64	2.19
3	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017	63 एमवीए	271.22	केएफडब्ल्यू	6056 दिनांक 01.09.18	220 केवी सब स्टेशन गुदाँव	24-09-2018	21-01-2019	119.00	89.00	3.04	-61	0.00
4	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-	63 एमवीए	271.22	केएफडब्ल्यू	7157 दिनांक 29.09.18	220 केवी कंवर	05-11-2018	16-03-2019	131.00	101.00	3.45	-49	0.00

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रंसफार्मर की क्षमता	ट्रंसफार्मर की लागत (₹लाख में)	निधीयन एंजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहाँ आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने के लिए 30 दिनों की अवधि की अनुमति	चालू करने में देरी (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	12	13	14	15	
		III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017									$=5*12*11.5$ $\%*0.4 \text{ or } 0.7$					
5	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04- 01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot- III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017	63 एमबीए	271.22	केएफडब्ल्यू	11031 दिनांक 11.01.19	220 केवी रतनगढ़	02-02-2019	05-05-2020	458.00	14.63	428.00	14.63	278	9.50	
6	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04- 01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot- III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017	63 एमबीए	271.22	केएफडब्ल्यू	6238 दिनांक 30.09.19	220 केवी सब स्टेशन गोरोबाजार	29-10-2019	21-03-2020	144.00	3.90	114.00	3.90	-36	0.00	
7	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04- 01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot- III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017	40 एमबीए	206.79	केएफडब्ल्यू	4507 दिनांक 18.07.18	220 केवी जावरा	02-08-2018	17-02-2019	199.00	4.40	169.00	4.40	19	0.50	
8	मैसर्स बीबीएल, मुंबई	04- 01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot- III/SI/04593-8 दिनांक 31.01.2017	40 एमबीए	206.79	केएफडब्ल्यू	5208 दिनांक 30.08.19	132 केवी सब स्टेशन विजयपुर	23-09-2019	18-09-2020	361.00	8.63	331.00	8.63	181	4.72	
9	मैसर्स सीजीएल,	04- 01/KfW/MPPTC	315 एमबीए	944.00	केएफडब्ल्यू	9391 दिनांक	400 केवी सब स्टेशन सागर	17-12-2018	09-03-2020	448.00	49.73	418.00	49.73	268	31.88	

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रसफार्मर की क्षमता	ट्रसफार्मर लागत (₹लाख में)	निर्धायन एजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहां आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में 30 दिनों की अवधि की अनुमति	देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1	मुंबई	L/TR-108/Lot-II/SI/04591-6 दिनांक 31.01.2017	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						27.11.18									
10	मैसर्स सीजीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04591-6 दिनांक 31.01.2017	315 एमबीए	944.00	केएफडब्ल्यू	9525 दिनांक 27.11.18	400 केवी सब स्टेशन सागर	13-12-2018	25-08-2019	255.00	225.00	26.77	75	8.92	
11	मैसर्स सीजीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04591-6 दिनांक 31.01.2017	315 एमबीए	944.00	केएफडब्ल्यू	447 दिनांक 12.04.19	400 केवी सब स्टेशन उज्जैन	03-05-2019	15-02-2021	654.00	624.00	74.24	474	56.39	
12	मैसर्स सीजीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04591-6 दिनांक 31.01.2017	315 एमबीए	944.00	केएफडब्ल्यू	4142 दिनांक 26.07.19	400 केवी सब स्टेशन उज्जैन	27-08-2019	11-06-2021	654.00	624.00	74.24	474	56.39	
13	मैसर्स सीजीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04591-6 दिनांक 31.01.2017	315 एमबीए	944.00	केएफडब्ल्यू	5668 दिनांक 13.09.19	400 केवी सब स्टेशन मंदसौर	03-11-2019	10-03-2021	493.00	463.00	55.08	313	37.24	

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रंसफार्मर की क्षमता	ट्रंसफार्मर की लागत (₹लाख में)	निधीयन एंजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहाँ आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		दिनांक 31.01.2017												
14	मेसर्स सीजीएल, मुंबई	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04591-6 दिनांक 31.01.2017	315 एमवीए	944.00	केएफडब्ल्यू	1027 दिनांक 17.06.20	400 केवी सब स्टेशन मंदसौर	06-07-2020	27-03-2021	264.00	234.00	27.84	84	9.99
15	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	8731 दिनांक 09.11.18	220 केवी सब स्टेशन जावरा	07-12-2018	14-08-2019	250.00	220.00	13.21	70	4.20
16	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	10436 दिनांक 27.12.18	220 केवी सब स्टेशन गुदांव	12-01-2019	13-12-2019	335.00	305.00	18.31	155	9.31
17	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	12444 दिनांक 20.02.19	220 केवी सब स्टेशन सैलाना	20-04-2019	29-02-2020	315.00	285.00	17.11	135	8.10
18	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	2082 दिनांक 31.05.19	220 केवी सब स्टेशन जावरा	02-07-2019	29-01-2020	211.00	181.00	10.87	31	1.86

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रसफार्मर की क्षमता	ट्रसफार्मर लागत (₹लाख में)	निर्धारित एजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहां आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिंथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में देरी (दिनों में) निर्माण के लिए 30 दिनों की अवधि की अनुमति	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में) निर्माण के लिए 180 दिनों की अवधि की अनुमति	देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017												
19	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04- 01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot- II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	4021 Dtd 25.07.19	220 केवी सब स्टेशन मुरैना	18-10-2019	02-01-2020	76.00	46.00	2.76	-104	0.00
20	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04- 01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot- II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	4914 दिनांक 22.08.19	220 केवी सब स्टेशन सतना	12-10-2019	14-11-2019	33.00	3.00	0.18	-147	0.00
21	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04- 01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot- II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	4019 दिनांक 25.07.19	220 केवी सब स्टेशन नरसिंहपुर	25-11-2019	18-10-2020	328.00	298.00	17.89	148	8.89
22	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04- 01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot- II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	5712 दिनांक 16.09.19	220 केवी सब स्टेशन पनागर	13-11-2019	27-03-2021	500.00	470.00	28.22	320	19.21

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रंसफार्मर की क्षमता	ट्रंसफार्मर लागत (₹लाख में)	निधीयन एंजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहाँ आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने के लिए 30 दिनों की अवधि की अनुमति	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	12	15	14	15
23	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	8024 दिनांक 29.11.19	400 केवी सब स्टेशन उज्जैन	22-01-2020	17-09-2021	604.00	34.46	574.00	424	424	25.45
24	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	8026 दिनांक 29.11.19	220 केवी सब स्टेशन रतनगढ़	10-03-2020	22-12-2020	287.00	15.43	257.00	107	107	6.42
25	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	9098 दिनांक 31.12.19	400 केवी सब स्टेशन मंदसौर	30-01-2020	20-03-2021	415.00	23.11	385.00	235	235	14.11
26	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	10690 दिनांक 03.02.20	220 केवी सब स्टेशन नलखेड़ा	25-04-2020	26-03-2021	335.00	18.31	305.00	155	155	9.31
27	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KfW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592	160 एमवीए	476.37	केएफडब्ल्यू	11962 दिनांक 09.03.20	400 केवी सब स्टेशन उज्जैन	18-07-2020	17-06-2021	334.00	18.25	304.00	154	154	9.25

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रसफार्मर की क्षमता	ट्रसफार्मर लागत (₹लाख में)	निर्धीयन एजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहां आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिंथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में 30 दिनों की अवधि की अनुमति	देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		दिनांक 31.01.2017													
28	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KFW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमबीए	476.37	केएफडब्ल्यू	85 दिनांक 02.05.20	220 केवी सब स्टेशन इंदौर-II (जेतपुरा)	04-08-2020	30-09-2020	57.00	27.00	1.62	-123	0.00	
29	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/KFW/MPPTC L/TR-108/Lot-II/SI/04592 दिनांक 31.01.2017	160 एमबीए	476.37	केएफडब्ल्यू	1954 दिनांक 29.07.20	400 केवी सब स्टेशन कटनी	09-10-2020	30-06-2022	629.00	599.00	35.96	449	26.96	
30	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-204/SI/04688-9 दिनांक 31.08.2018	160 एमबीए	523.92	जेआईसीए	11964 दिनांक 09.03.20	220 केवी सब स्टेशन पिपरिया	18-06-2020	09-11-2020	144.00	114.00	13.17	-36	0.00	
31	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-204/SI/04688-9 दिनांक 31.08.2018	160 एमबीए	523.92	जेआईसीए	87 दिनांक 02.05.20	220 केवी सब स्टेशन विदिशा	20-06-2020	11-11-2020	144.00	114.00	13.17	-36	0.00	
32	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-204/SI/04688-9	50 एमबीए	363.44	जेआईसीए	11924 दिनांक 07.03.20	220 केवी सब स्टेशन सूबा	11-05-2020	15-08-2021	461.00	431.00	34.55	281	22.52	

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रंसफार्मर की क्षमता	ट्रंसफार्मर लागत (₹लाख में)	निधीयन एंजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहाँ आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		दिनांक 31.08.2018												
33	मेसर्स बीएचईएल, जबलपुर	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-204/SI/04688-9 दिनांक 31.08.2018	50 एमबीए	363.44	जेआईसीए	105 दिनांक 04.05.20	220 केवी सब स्टेशन सूखा	26-06-2020	26-01-2021	214.00	184.00	14.75	34	2.73
34	मेसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5 दिनांक 04.10.2018	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	7190 दिनांक 01.11.19	132 केवी सब स्टेशन तेजगढ़	12-12-2019	04-06-2020	175.00	145.00	8.45	-5	0.00
35	मेसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5 दिनांक 04.10.2018	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	9470 दिनांक 10.01.19	132 केवी सब स्टेशन तेंदूखेड़ा	11-02-2020	30-07-2020	170.00	140.00	8.16	-10	0.00
36	मेसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5 दिनांक 04.10.2018	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	9468 दिनांक 10.01.19	132 केवी सब स्टेशन ऊँछेरा	08-02-2020	17-07-2020	160.00	130.00	7.58	-20	0.00
37	मेसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5 दिनांक 04.10.2018	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	10734 दिनांक 04.02.20	132 केवी सब स्टेशन सुथालिया	14-03-2020	11-09-2020	181.00	151.00	8.80	1	0.06
38	मेसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स,	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	10470 दिनांक 26.02.20	132 केवी सब स्टेशन खिरकिया	17-05-2020	31-08-2020	106.00	76.00	4.43	-74	0.00

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रसफार्मर की क्षमता	ट्रसफार्मर लागत (₹लाख में)	निर्धारित एंजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहां आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में देरी (दिनों में) निर्माण के लिए 30 दिनों की अवधि की अनुमति	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में) निर्माण के लिए 180 दिनों की अवधि की अनुमति	देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1	लखनऊ	दिनांक 04.10.2018	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	मैसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5 दिनांक 04.10.2018	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	12230 दिनांक 21.03.20	132 केबी सब स्टेशन चाचौड़ा	06-06-2020	04-11-2020	151.00	121.00	7.05	-29	0.00
40	मैसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5 दिनांक 04.10.2018	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	1125 दिनांक 22.06.20	132 केबी सब स्टेशन महाबाइया	25-07-2020	23-07-2021	363.00	333.00	19.41	183	10.67
41	मैसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5 दिनांक 04.10.2018	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	4555 दिनांक 28.11.20	132 केबी सब स्टेशन अतैला	18-01-2021	20-08-2021	214.00	184.00	10.73	34	1.98
42	मैसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-205/SI/04709-5 दिनांक 04.10.2018	50 एमबीए	264.32	जेआईसीए	5318 दिनांक 04.01.21	132 केबी सब स्टेशन निवाड़ी	27-01-2021	13-07-2021	167.00	137.00	7.99	-13	0.00
43	मैसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/TR 64/2018/50MVA/SI/04726-8 दिनांक 31.01.2019	50 एमबीए	252.93	जेआईसीए	10600 दिनांक 30.01.20	132 केबी सब स्टेशन रायसेन	18-02-2020	11-07-2020	144.00	114.00	6.36	-36	0.00

क्र. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	ट्रांसफार्मर की क्षमता	ट्रांसफार्मर की लागत (₹लाख में)	निधीयन एंजेंसी	प्रेषण संख्या एवं दिनांक	सबस्टेशन का नाम जहाँ आपूर्ति की गई थी दिनांक सहित	प्राप्ति की तिथि (प्लिथ/सहायक उपकरण)	डीओसी	चालू करने में विलंब (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)	चालू करने में देरी (दिनों में)	चालू करने में देरी से चालू होने के कारण ब्याज की हानि (₹लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	मैसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/TR 64/2018/50MVA /SI/04726-8 दिनांक 31.01.2019	50 एमवीए	252.93	जेआईसीए	1060 दिनांक 30.01.20	132 केवी सब स्टेशन कटंगी	21-02-2020	28-09-2020	220.00	10.60	40	2.23
44													
	मैसर्स टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ	04-01/JICA-II/TR 64/2018/50MVA /SI/04726-8 दिनांक 31.01.2019	50 एमवीए	252.93	जेआईसीए	10730 दिनांक 04.02.20	132 केवी सब स्टेशन बंदोद	03-03-2020	06-08-2020	156.00	7.03	-24	0.00
45													
				कुल							797.54		402.21

परिशिष्ट 5.2

(कंडिका संख्या 5.1.1.1 में संदर्भित)

टीकेसी कार्यों के क्रियान्वयन में देरी का विवरण

क्र. सं.	कार्य आदेश एवं दिनांक	राशि (₹ करोड़ में)	वास्तविक राशि (₹ करोड़ में)	समापन अवधि/पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	चाहू होने /बाजों की वास्तविक तिथि	सबस्टेशन (संख्या में)		लाइन		फीडर मार्गों की संख्या
						नवीन	आर्यमेन्टेशन	संख्याएँ	सीकेएम	
1	04-01/KfW/MPPTCL/TR-101/TK-I/06775-6 दिनांक 24.07.2017	194.87	192.46	27 महीने/ अक्टूबर '19	10-12-2018	2	-	10	288	18
2	04-01/KfW/MPPTCL/TR-102/TK-I/06778-9 दिनांक 10.08.2017	247.27	240.35	30 महीने / 09.02.2020	09-03-2021	1	-	4	205	4
3	04-01/KfW/MPPTCL/TR-103/TK-I/06776-7 दिनांक 24.07.2017	196.34	189.14	30 महीने/ जनवरी'20	13-12-2019	2	-	6	192	10
4	04-01/KfW/MPPTCL/TR-104/TK-I/06777-8 दिनांक 24.07.2017	186.01	189.31	30 महीने/ जनवरी'20	02-12-2020	3	-	7	237	14
5	04-01/KfW/MPPTCL/TR-105/TK-I/06774-5 दिनांक 21.07.2017	187.80	116.90	27 महीने/ फरवरी '20	पूरा नहीं हुआ	0	-	2	145	4
6	04-01/KfW/MPPTCL/TR-106/TK-I/06779-0 दिनांक 10.08.2017	172.14	161.62	30 महीने / 09.02.2020	15-02-2021	1	-	1	65	2
7	04-01/KfW/MPPTCL/TR-107(Lot-I)/TK- I/06848-9 दिनांक 24-7-18	147.35	133.96	30 महीने/ 23.01.2021	18-09-2020	1	1	8	247	6
8	04-01/KfW/MPPTCL/TR-107(Lot-II)/TK- I/06847-8 दिनांक 24-7-18	113.75	102.96	21 महीने / 23.01.2021	13-08-2020	0	1	10	308	18
9	04-01/TR-60/2018/TK-VII/06862-9 दिनांक 11.02.2019	183.82	130.69	24 महीने/ सितंबर'21	24-03-2021	8	-	9	183.81	3
10	04-01/TR-61/2018/TK-VII/06863-0 दिनांक 11.02.2019	155.66	154.07	24 महीने / अप्रैल-21	27-06-2022	4	-	9	340.95	7
11	04-01/TR-36/2018/TR-V-06864-1 दिनांक 12.02.2019	115.27	90.28	24 महीने 24.04.21	18-11-2022	2	-	4	101.30	4
12	04-01/TR-37/2018/TR-III/11537 दिनांक 25.01.2019	86.66	64.00	24 महीने 24.04.21	15-11-2022	3	-	5	130.30	3

क्र. सं.	कार्य आदेश एवं दिनांक	राशि (₹ करोड़ में)	वास्तविक राशि (₹ करोड़ में)	समापन अवधि/पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	चालू होने /बार्ज की वास्तविक तिथि	सबस्टेशन (संख्या में)		लाइन		फीडर मार्ग की संख्या
						नवीन	आधुनिकीकरण	संख्याएँ	सीकेएम	
13	04-01/TR-38/2018/TR-V-06865-1 दिनांक 12.02.2019	81.39	47.12	24 महीने / 24.04.21	24-11-2021	4	-	3	31	3
14	04-01/TR-39/2020/06917-8/(S/s-I) दिनांक 27.03.2021	93.27	78.94	6 महीने / सितंबर 2021	16-06-2022	0	-	2	134.90	0
15	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-206/06851-5 दिनांक 01.10.2018	45.21	37.69	फरवरी 21 मार्च संशोधित -21	10-12-2022	0	1	1	1.70	2
16	04-01/JICA-II/TR-207/06853-7/Z-929/TK-III दिनांक 05.10.2018	66.72	33.23	24 महीने / मार्च -21	पूरा नहीं हुआ	0	-	10	194.40	0
17	04-01/JICA-II/TR-208/06852-6/Z-928/TK-III दिनांक 05.10.2018	83.62	59.08	24 महीने / अक्टूबर '20	पूरा नहीं हुआ	0	-	6	221	0
18	04-01/JICA-II/TR-209/06854-8/Z-930/TK-III दिनांक 05.10.2018	93.56	64.25	24 महीने/ मार्च -21	पूरा नहीं हुआ	0	-	5	228	0
19	04-01/JICA-II/TR-210/06855-9/Z-931/TK-III दिनांक 05.10.2018	96.87	89.37	24 महीने/ अप्रैल '21	पूरा नहीं हुआ	0	-	5	206.30	0
20	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-211/06856-0 दिनांक 05.10.2018	63.99	52.53	24 महीने/ अप्रैल '21	20-10-2022	6	10	0	0	6
21	04-01/JICA-II/MPPTCL/TR-212/066657-1 दिनांक 05.10.2018	91.50	69.22	24 महीने/ मार्च '21	पूरा नहीं हुआ	6	2	0	0	19
22	04-01/TR-36/2017/Z-916/06816-8 दिनांक 07.02.2018	10.67	10.15	12 महीना / (26.05.2019)	25-10-2019	1	-	1	2	0
23	04-01/06811-3/Z-912/TK-III दिनांक 05.02.2018	23.53	22.62	12 महीने/ मार्च '19	04-11-2019	1	-	1	36.50	1
24	04-01/TR-47/TK-VI/06836-54 दिनांक 15.03.2018	16.03	8.91	12 महीने/ अप्रैल '19	21-12-2019	1	-	1	15	0
25	04-01/TR-47/2019/Ss-IV/06899-5 दिनांक 07.03.2020	33.86	20.80	20 महीने (अक्टूबर 21)	05-12-2022	0	-	0	0	14
	कुल	2787.16	2359.65			46	15	110	3514.16	138

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2024
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh>